



# वित्त आयोग - कोविड के दौर में 2021-26 के लिए रिपोर्ट



पंद्रहवां वित्त आयोग

खंड-IV राज्य  
अक्टूबर 2020











# वित्त आयोग - कोविड के दौर में

2021-26 के लिए रिपोर्ट



---

## पन्द्रहवां वित्त आयोग

खंड-IV राज्य  
अक्टूबर 2020



परिचय	i
खंड-4 में शामिल राज्य	v
कार्य पद्धति	vii
राज्यों अध्यायों की संरचना	ix
बॉक्स प्लॉट्स की व्याख्या	xi
1. आंध्र प्रदेश	AP-1 to AP 11
2. अरुणाचल प्रदेश	ArP-1 to ArP-10
3. असम	AS-1 to AS-12
4. बिहार	BH-1 to BH-13
5. छत्तीसगढ़	CH-1 to CH-12
6. गोवा	GO-1 to GO-11
7. गुजरात	GJ-1 to GJ-12
8. हरियाणा	HR-1 to HR-12
9. हिमाचल प्रदेश	HP-1 to HP-10
10. झारखंड	JH-1 to JH-13
11. कर्नाटक	KR-1 to KR-11
12. केरल	KL-1 to KL-13
13. मध्यप्रदेश	MP-1 to MP-12
14. महाराष्ट्र	MH-1 to MH-12
15. मणिपुर	MN-1 to MN-12
16. मेघालय	MG-1 to MG-11
17. मिजोरम	MZ-1 to MZ-11
18. नागालैंड	NG-1 to NG-10
19. ओडिशा	OD-1 to OD-11
20. पंजाब	PB-1 to PB-13
21. राजस्थान	RJ-1 to RJ-12
22. सिक्किम	SK-1 to SK-11

पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य

23. तमिलनाडु	TN-1 to TN-13
24. तेलंगाना	TL-1 to TL-12
25. त्रिपुरा	TR-1 to TR-11
26. उत्तर प्रदेश	UP-1 to UP-12
27. उत्तराखंड	UK-1 to UK-11
28. पश्चिम बंगाल	WB-1 to WB-11

संदर्भ और आंकड़ों के स्रोत

1 to 2

अनुबंध- सामान्य सूचक

GI-1 to GI-8

अनुबंध- वित्तीय सूचक

FI-1 to FI-18

# संक्षिप्तियां और परिवर्णी शब्द

ACS	आपूर्ति का औसत मूल्य
ADC	स्वायत्त जिला परिषद
AG	महालेखाकार
AMC	आइजौल नगर निगम
ARR	प्राप्त औसत राज्य
AT&C Losses	समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि
ATR	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
BMI	शरीर का द्रव्यमान
BOOT	निर्माण, अपनाओं, संचालन, स्थानांतरण
BPL	गरीबी रेखा से नीचे
CAG	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
CAGR	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
CGST	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर
CHC	सीएचसी-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
DBT	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
DISCOM	वितरण कंपनी
DLFA	स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा निदेशालय
DMF	जिला खनिज प्रतिष्ठान
DT Metering	वितरण परिवर्तक मीटरिंग (ग्रामीण/शहरी)
ELFA	परीक्षक, स्थानीय निधि एवं लेखा
EoDB	व्यापार करने में आसानी
ES	आर्थिक सेवाएं
EWR	पर्यावरण-आध्यात्मिक, स्वास्थ्य एवं धार्मिक हॉटस्पॉट
FC	वित्त आयोग
FC-XII	बारहवां वित्त आयोग
FC-XIII	तेरहवां वित्त आयोग
FC-XIV	चौदहवां वित्त आयोग
FC-XV	पंद्रहवां वित्त आयोग
FD	राजकोषीय घाटा
FDI	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
FRBM	अर्थ है एक वित्तीय वर्ष जो पिछले वर्ष शुरू होकर 31 मार्च, 2020 को एक वर्ष पूरा होने पर समाप्त हो रहा है।
FYXXXX	सरकार द्वारा व्यावसायिक सेवा
G2B	सामान्य राज्य
GS	अनुदान सहायता
GIA	भारत सरकार
GOI	ग्राम पंचायत
GP	सामान्य सेवाएं
GS	

## पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य

GSDP	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
GST	वस्तु एवं सेवाकर
GSVA	सकल राज्य मूल्य वर्धित
GW	गीगा वॉट
IFMS	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
IGST	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
IMFL	भारत निर्मित विदेशी मदिरा
IMR	नवजात मृत्यु दर
IPP	स्वतंत्र बिजली उत्पादक
kWH	किलोवॉट घंटा
LFAD	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग
LFPR	श्रमशक्ति भागीदारी दर
LSG	स्थानीय स्वशासन
LSGI	स्थानीय स्वशासन संस्थान
LWE	वामपंथी उग्रवाद
MFP	लघु वन उपज
MOPR	पंचायती राज मंत्रालय
MoU	समझौता ज्ञापन
MSMEs	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम
MSP	न्यूनतम समर्थन मूल्य
NAMP	राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम
NCA	सामान्य केन्द्रीय सहायता
NEHS	पूर्वात्तर एवं हिमालयी राज्य
NER	पूर्वात्तर क्षेत्र
NFHS	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
NTR	गैर-कर राजस्व
O&M	प्रचालन एवं प्रबंधन
OD	बकाया ऋण
ODF	खुले में शौच मुक्त
ORR	स्व-राजस्व प्राप्ति
OTR	स्व-कर राजस्व
PDS	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
PFMS	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
PHC	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
PPP	सरकारी निजी भागीदारी
PRIs	पंचायती राज संस्थान
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
PTB	संपत्ति कर बोर्ड



PWS	पाइप से जल आपूर्ति
RBI	भारतीय रिजर्व बैंक
RD	राजस्व घाटा
RDG	राजस्व घाटा अनुदान
RE	राजस्व व्यय
RES	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां
RLBs	ग्रामीण स्थानीय निकाय
SC	अनुसूचित जाति
SCA	विशेष केन्द्रीय सहायता
SDG	सतत विकास लक्ष्य
SECC	सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना
SERC	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
SFC	राज्य वित्त आयोग
SGST	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
SOTR	राज्य स्व-कर राजस्व
SPA	विशेष योजना सहायता
sq km	वर्ग किलोमीटर
SRS	नमूना पंजीकरण प्रणाली
SS	समाज सेवा
ST	अनुसूचित जनजाति
STSB	राज्य राजकोषीय बचत बैंक
T&D	पारेषण और वितरण हानि
TE	कुल व्यय (राजस्व जमा पूंजी)
TFR	कुल प्रजनन दर
TGR	रुझान वृद्धि दर
TGS	तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन
ToR	संदर्भ की शर्तें
TR	कर राजस्व
TRE	कुल राजस्व व्यय
TRR	कुल राजस्व प्राप्तियां
TSEC	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम
TTAADC	त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
UA	शहरी समुदाय
UDAY	उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना
ULBs	शहरी स्थानीय निकाय
UT	संघ राज्य क्षेत्र
VC	ग्राम परिषद
VDB	ग्रामीण विकास बोर्ड



## संदर्भ

1. पंद्रहवें वित्त आयोग ने संगत वित्तीय उद्यमों पर गतिशील दृष्टिकोण प्रस्ताव देते हुए प्रत्येक राज्य की आकांक्षाओं को समझते हुए और राज्यों को सलाह देते हुए जैसे वे आगे की योजना बनाते हैं, स्थानीय शासन तृतीय स्तर तक सौंपते हुए राज्यों के लिए राजकोषीय सुधार के महीने पहलुओं पर विशेष बल दिया है।

### संदर्भ की शर्तें (पैरा-6)

सिफारिश करते हुए एफसी-15 निम्नलिखित पर विचार करेगा (अन्य के साथ-साथ):

- ए. राज्य सरकारों के संसाधनों पर मांग विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसंरचना आस्ति अनुरक्षण व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास के वित्तपोषण के कारण और उनकी सार्वजनिक सुविधाओं का ऋण व देयता;
  - बी. 5 वर्षों तक राजस्व की संभावित हानि हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान सहित जीएसटी का प्रभाव और उपकरणों की संख्या में कमी केन्द्र और राज्यों के वित्त पर अन्य बुनियादी सुधारात्मक कार्यक्रम और क्षतिपूर्ति हेतु उनका निर्धारण।
2. मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान जन स्वास्थ्य आपदा के समाधान मानव संसाधन की सुरक्षा और आर्थिक लाभ निर्माण हेतु राजकोषीय स्थान बनाने के लिए व्यय दक्षता अब आर्थिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुधार के परिप्रेक्ष्य में व्यय की सतर्कता सहित पुनः प्राथमिकता और निगरानी में समक्ष राज्य पर निर्भर करते हैं। उपर्युक्त उद्देश्यों की खोज में राज्यों के गहराई से विश्लेषण के लिए पंद्रहवां वित्त आयोग एक समर्पित खंड तैयार करने के लिए प्रेरित हुआ।
  3. अतः खंड-4 पूर्णतः राज्यों को समर्पित है। प्रत्येक राज्य की अर्थव्यवस्था का अत्यंत विस्तार से विश्लेषण किया गया ताकि उसकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए तथा उनके अवसरों को लाभ लेने हेतु अलग-अलग तथा विशिष्ट निष्कर्ष और सिफारिशें तैयार की जा सकें। चुनौतियों की विविधता को देखते हुए प्रत्येक राज्य को बतौर एक अलग सत्ता में देखा गया है और इस परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट उपाय सुझाव गए हैं।

## प्रक्रिया

### राज्यों के महालेखाकारों के साथ परामर्श

4. महालेखाकारों ने अपने-अपने राज्यों के लोकवित्त की ताकत और कमजोरियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन उपलब्ध कराया-विशेष रूप से राजकोषीय व वित्तीय स्वास्थ्य, संसाधन जुटाने में दक्षता और व्यय। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के निष्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और इन राज्यों में स्थानीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य की भी जानकारी दी है।

### राज्य सरकारों के साथ परामर्श

5. राज्य सरकारों और राज्यों में अन्य हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया का अनिवार्य और स्थायी भाग है जिसका अनुपालन पिछले सभी वित्त आयोगों द्वारा किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने सभी 28 राज्यों को शामिल किया और उनमें से प्रत्येक में कम से कम चार बैठकों का आयोजन किया है। मुख्य मंत्री, मंत्रियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करना राज्य दौड़ों का अभिन्न भाग था। पंचायतों और निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं।

### अनुसंधान एवं विश्लेषण

6. इस खंड को तैयार करने में हमने राज्यों के लिए सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय (उदय बैरोमीटरों हेतु विशेष रूप से) पंचायती राज मंत्रालय (हस्तांतरण सूचक) और आयोग द्वारा वित्त लेखों से तैयार किए गए राजकोषीय आंकड़ों को शामिल किया है।

## रिपोर्ट की अवसंरचना

7. राज्यों को दो समूहों में बांटा गया था। 18 सामान्य राज्य जीएस और 10 पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य एनईएचएस रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य को एक अध्याय निर्धारित किया गया है जो कुल मिलाकर 28 अध्याय होते हैं।
  - क. आरंभिक भाग में प्रत्येक राज्य के उसके भौगोलिक जनसांख्यिकीय, व्यापक आर्थिक सामाजिक आर्थिक और राजकोषीय सूचकों के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया था। इसमें प्रत्येक राज्य की स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तृत विश्लेषण शामिल है जो विशेष रूप से महामारी के परिप्रेक्ष्य में उचित है।
  - ख. तृतीय स्तर के शासन-ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के हस्तांतरण और कार्यप्रणाली पर सूचना अगले भाग को बनाती है।
  - ग. उदय बैरोमीटरों के आधार पर ऋण, हानि और निष्पादन के अनुसार महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र का लघु चित्र इसके बाद आता है।
  - घ. अगले भाग में अनुलंब और क्षैतिज हस्तांतरण पर राज्य के प्रस्ताव का सार दिया गया है।
  - ड. मजबूती का विश्लेषण करने वाले भाग का उद्देश्य राज्य को उपलब्ध अवसरों को सुझाव देना है ताकि वे अपने विकास के प्राधिकार और नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक राजकोषीय स्थान का सृजन कर सकें।
  - च. इसके परिणाम जो आगे आते हैं, विशिष्ट चुनौतियां जिनका वे सामना कर सकते हैं उनकी पहचान करने में राज्य को विभिन्न जोखिमों और दुष्परिणामों पर आगाह करते हैं विशेष रूप से मौजूदा स्वास्थ्य आपात स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जिसको राज्यों में असयमित प्रभाव पड़ रहा है।
  - छ. प्रत्येक अध्याय से उत्पन्न निष्कर्षों का विश्लेषण को उपलब्ध राजकोषीय स्थान के साथ-साथ सुधार पहल, जो उसकी प्रगति की मात्रा में महत्वपूर्ण रूप से योगदान कर सकते हैं के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि राजकोषीय न्याय और ऋण स्थिरता को बनाए रखना विश्लेषणात्मक मूल्यांकन का भाग होता है ये डोमेन विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श और राज्यों के व्यापक दौरों पर निर्भर है।

## विशेषताएं

8. हालांकि राज्यों से संबंधित मामले कुछ बिंदुओं पर मिलते हैं, वे अधिकतर विभेदित व विविध रहते हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि सामाजिक सूचकों को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, वे अब भी व्यापक विकास के वृहद मापदंडों पर सामान्य राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तथापि दोनों राज्य अपेक्षाकृत राजकोषीय विवेकपूर्ण रहे हैं। दूसरी ओर केरल जो मानव संसाधन विकास और अन्य सामाजिक सूचकों पर एक आदर्श राज्य है, ढांचागत राजस्व घाट जाखिमों का सामना करता है।
9. सामान्य राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों की विशेषता है, केन्द्रीय हस्तांतरणों पर उच्च निर्भरता उच्च ऋण-जीएसडीपी अनुपात और उच्च समर्पित व्यय बनाम राजस्व व्यय अनुपात। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में वे राज्य जो शुद्ध उपभोक्ता हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय ने डीएसटी राजस्व की शर्तों में अच्छा काम किया है जबकि विनिर्माता राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड काफी ढांचागत और संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
10. राज्य आय पर उदय के क्रियान्वयन, वेतन आयोग प्रदान करने और वृहद नैतिक जोखिम निहितार्थों सहित कृषि-ऋण माफी द्वारा बार-बार प्रहार हुआ है।
  - क. विद्युत क्षेत्र में सुधार सामान्य तौर पर एक प्रमुख चिंता और चुनौती बनी हुई है।
  - ख. राज्यों ने अपनी आय पर अंतर प्रभाव सहित जीएसटी क्षतिपूर्ति की गुंजाइश ने उनको परिवर्तन की प्रक्रिया को आसान बनाया है जिसका विस्तृत विवरण जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान में निर्धारित किया जा रहा है।
  - ग. आवधिक कृषि ऋण माफी और छूट की नीति जानबूझकर चूक करने वालों को प्रोत्साहन देकर ईमानदार आधारकर्ता को हतोत्साहित करके जो नियमित रूप से अपने ऋण चुकाते हैं इसके अलावा किसानों को उधार देने में बैंकों की अनिच्छा को बढ़ाते हुए राज्यों को ऋण संस्कृति पर व्यापक निंदनीय प्रभाव के निर्माण का जोखिम लाता है।

## निष्कर्ष के रूप में

11. जहां मौजूदा स्वास्थ्य आपातस्थिति से निपटा जा रहा है और जबकि राजकोषीय स्थान में फेरबदल विषमता से कड़ा किया जा रहा है वहीं आयोग का प्रयास राज्यों की आशाओं और परिस्थितियों को समझना, सिफारिशें करना, सुधारात्मक संकेतचिह्न उपलब्ध कराना और सक्षम मार्गदर्शन सहित उनका सहयोग भी करना है। आयोग आशा करता है कि ये राज्य की आय में वृद्धि करने में अगले पांच वर्षों के दौरान अनिश्चितताओं और चुनौतियों की अधिकता से निपटने और विकास व वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक राजकोषीय स्थान ढूंढने के लिए राज्यों हेतु बतौर प्रकाशस्तंभ कार्य करेंगे। हमारा मानना है कि इनके कार्यान्वयन से वृद्धि के रूझान में सुधार होगा और प्रदान करने की अवधि के दौरान व्यापक गुणात्मक लाभ देगा।

## अभिस्वीकृति

1. खंड-4 की अवधारणा अध्यक्ष, पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा बनाई गई है और इसे आयोग के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है।
2. हम डॉ. इंदिरा राजारमण को इसे एकजुट करने में मार्गदर्शन और मूल्यवान सलाह उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। सुदिसो पात्रा और लूसिड सोल्यूशंस स्थित उनके दल द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्कृष्ट संपादकीय और प्रकाशन संबंधी सहयोग को स्वीकार करते हैं और धन्यवाद करते हैं।
3. आयोग के सचिवालय एक अत्यधिक पेशेवर व संसक्त दल ने इस खंड में योगदान देने और एकत्रित करने में लगन से और बिना थके कार्य किया है। इसके सदस्य हैं: मनीष देव, संयुक्त निदेशक; श्वेता सत्या, संयुक्त निदेशक हैं; अदिति पाठक, संयुक्त निदेशक; शिखा दहिया, संयुक्त निदेशक; नीतिश सैनी, उपनिदेशक; संदीप कुमार, सहायक निदेशक; और सुशांत कुमार डेटा एंट्री ऑपरेटर इस समग्र प्रयास का समन्वयन मुखमीत भाटिया, अपर सचिव और डॉ. रवि कोटा, संयुक्त सचिव द्वारा किया गया।



# खंड-4 में शामिल राज्य

## सामान्य राज्य (जीएस)

1	AP	आंध्र प्रदेश
2	BH	बिहार
3	CH	छत्तीसगढ़
4	GO	गोवा
5	GJ	गुजरात
6	HR	हरियाणा
7	JH	झारखंड
8	KR	कर्नाटक
9	KL	केरल
10	MP	मध्यप्रदेश
11	MH	महाराष्ट्र
12	OD	ओडिशा
13	PB	पंजाब
14	RJ	राजस्थान
15	TN	तमिलनाडु
16	TL	तेलंगाना
17	UP	उत्तर प्रदेश
18	WB	पश्चिम बंगाल

- 2015-16 से पूर्व राजकोषीय सूचकों की तुलना 16 सामान्य राज्यों ( आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर ) के संदर्भ में की गई है चूंकि अविभाजित आंध्र प्रदेश के जून 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजित होने से पूर्व के ही राजकोषीय आंकड़े उपलब्ध हैं।
- 2015-16 के बाद राजकोषीय सूचकों की तुलना सभी 18 सामान्य राज्यों के संदर्भ में की गई है।
- प्रत्येक राज्य के दस्तावेज आईडी में सामान्य राज्यों में सभी 18 राज्य शामिल हैं क्योंकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हेतु 2011-12 से अलग-अलग जीएसडीपी जारी की है।

## पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य (एनईएचएस)

1	ArP	अरुणाचल प्रदेश
2	AS	असम
3	HP	हिमाचल प्रदेश
4	MG	मेघालय
5	MN	मणिपुर
6	MZ	मिजोरम
7	NG	नागालैंड
8	SK	सिक्किम
9	TR	त्रिपुरा
10	UK	उत्तराखंड

## विशेष उल्लेख

1	AI	समस्त भारत
2	JK	एनईएमएस सूचकों में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की तुलना में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल है क्योंकि 2011-12 से 2018-19 तक की अवधि के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है जिस दौरान तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य अस्तित्व में था।
3	PD	पुडुचेरी





## व्यापक आर्थिक संकेतक

जीएसडीपी में क्षेत्रीय	जीएसडीपी में वर्तमान मूल्यों (शुद्ध सब्सिडी) योगदान वर्तमान मूल्य पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों की तुलना
जनसंख्या की दशकीय वृद्धि	दशकीय जनसंख्या वृद्धि का परिकलन जनगणना आंकड़ों (विभिन्न वर्ष से किया गया)
कुल प्रजनन दर	आयु विशेष प्रजनन दरों की मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार यदि उसे, उन्हें प्रसूति वर्षों से गुजरना हो तो प्रति महिला द्वारा जो बच्चे जन्में जाएंगे।

## सामाजिक आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य संकेतक

एसडीजी सूचक	<p>एसडीजी भारत सूचक 2.0 (एसडीजी-2 2.0) 17 एसडीजी ढांचे पर आधारित है जिसके लिए 169 संकेतकों की पहचान की गई है। एसडीजी-2 2.0 आंकलन पहले 16 लक्ष्यों हेतु संकेतकों और 17 वें के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है।</p> <p>स्कोर सीमा 0 से 100 के बीच है</p> <p>एसडीजी-1: कोई गरीबी नहीं</p> <p>एसडीजी-2: शून्य भूख</p> <p>एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और कुशल क्षेत्र</p> <p>एसडीजी-4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा</p> <p>एसडीजी-5 : लैंगिक समानता</p> <p>एसडीजी-6: स्वच्छ पानी और स्वच्छता</p> <p>एसडीजी-7 : सस्ती और साफ ऊर्जा</p> <p>एसडीजी-8 : उचित कार्य और आर्थिक प्रगति</p> <p>एसडीजी-9 : उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <p>एसडीजी-10 : असमानता में कमी</p> <p>एसडीजी-11 : सतत शहर और समुदाय</p> <p>एसडीजी-12 सतत उपभोग और उत्पादन</p> <p>एसडीजी-13 जलवायु क्रिया</p> <p>एसडीजी-14 : पानी के नीचे जीवन</p> <p>एसडीजी-15: जमीन पर जीवन</p> <p>एसडीजी-16: शांति न्याय और सशक्त संस्थान</p> <p>एसडीजी-17: लक्ष्यों के लिए भागीदारी</p>
पांच वर्ष से कम वजनी बच्चे (आयु के लिए वजन गणना पर आधारित)	<ul style="list-style-type: none"> <li>आयु के लिए वजन, आयु के लिए लंबाई और लंबाई के लिए वजन हेतु संयुक्त सूचक है।</li> <li>इसमें तीव्र यथा जीर्ण दोनों अल्पपोषण शामिल है।</li> <li>बच्चे जिनका आयु के लिए वजन स्कोर संदर्भ जनसंख्या के माध्यिका से मायनस दो मानक अंतर (-25 दिन) से नीचे है उन्हें कम वजनी वर्गीकृत किया गया है।</li> <li>बच्चे जिनका आयु के लिए वजन स्कोर की माध्यिका से मायनस तीन मानक अंतर (-3 दिन) से कम है उन्हें अतिम कम वजनी माना जाता है।</li> </ul>
नवजात मृत्यु दर	<ul style="list-style-type: none"> <li>वर्ष के दौरान मृत नवजात की संख्या 1000</li> <li>वर्ष के दौरान जीवित जन्म की संख्या</li> </ul>
पांच वर्ष से कम वजनी बच्चे में बौनापन आयु के लिए लंबाई स्कोर पर आधारित	<ul style="list-style-type: none"> <li>आयु के लिए लंबाई, रैखिक विकास मंदता और संचयी विकास में कमी का माप है।</li> <li>बच्चे जिनकी आयु के लिए लंबाई 2-स्कोर संदर्भ जनसंख्या की माध्यिका से मायनस दो मानक अंतर (-2 वर्ष) से नीचे है उन्हें उनकी आयु के लिए छोटा (बौना) या जीर्ण रूप से कुपोषित माना जाएगा।</li> <li>बच्चे जिनकी आयु के लिए लंबाई 2-स्कोर संदर्भ जनसंख्या की माध्यिका से मायनस तीन मानक और (3 वर्ष) से कम है उन्हें गंभीर रूप से बौना माना जाता है।</li> </ul>
शौचालय सुविधा सहित परिवार(%)	उन्नत शौचालय सुविधाओं में निम्नलिखित प्रकार के गैर-साझा शौचालय शामिल हैं:-फ्लस/पोर फ्लस शौचालय से पाइप सहित सीवर प्रणाली, सैफ्टि टैंक और पिट लेट्रिन, हवादार बेहतर पिट (बीआईपी) बायोगैस लेट्रिन, स्लैब सहित पिट लैट्रिन; और ट्रिवन पिट/ कम्पोस्ट शौचालय

वंचित परिवार (%)	<p>एसईसीसी 2011 ग्रामीण और शहरी परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन है और पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर परिवारों की रैंकिंग की अनुमति देता है। वंचित परिवारों को प्रतिशत निम्नलिखित मापदंडों पर सम्मिलित निष्पादन पर आधारित है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ परिवार जिनमें एक या एक से कम कमरा, कच्ची दीवारें और कच्ची छत है।</li> <li>▪ घर का कोई व्यक्ति सदस्य 18-59 वर्षों की आयु में नहीं है</li> <li>▪ महिला मुखिया सहित परिवार जिसमें कोई व्यक्ति पुरुष सदस्य 16-59 वर्ष की आयु का नहीं है।</li> <li>▪ अन्य रूप सक्षम सदस्य सहित परिवार में कोई अन्य सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है।</li> <li>▪ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार</li> <li>▪ परिवार जिनमें कोई 25 वर्ष से आर्थिक आयु का वयस्क सदस्य नहीं है।</li> <li>▪ भूमिहीन परिवार जो शारीरिक श्रम से अपनी आय का प्रमुख भाग अर्जित करता है।</li> </ul>
<b>राजकोषीय संकेतक</b>	
केन्द्रीय हस्तांतरण	कर हस्तांतरण+ सहायता अनुदान ( वित्त आयोग और गैर-वित्त आयोग दोनों अनुदान)
अधिक्य	कर राजस्व में वृद्धि प्रतिशत /जीएसडीपी में वृद्धि प्रतिशत
राजकोषीय/ राजस्व घाटा	सकारात्मक आंकड़ों के मूल्य घाटा दर्शाते हैं और नकारात्मक आंकड़ों के मूल्य अधिशेष दर्शाते हैं।

# राज्य अध्यायों की संरचना

## राज्य अवलोकन और व्यापक आर्थिक संकेतक

1 क- अवलोकन

1 ख-जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान मूल्य पर %)

1 ग- प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान मूल्य पर)

1 घ- वर्तमान जीएसडीपी 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

1 ङ-जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान (वर्तमान मूल्य पर %)

## सामाजिक आर्थिक संकेतक

2 क- जनसंख्या में दर्शकीय वृद्धि (%)

2 ख- कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)

2 ग- नीति आयोग का एसडीजी सूचक (2019)

2 घ- महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक

2 ङ- वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कमी (% बिंदु)

## स्वास्थ्य आधारभूत संरचना

3 क- व्यक्ति (000) प्रति एलोपैथिक और आयुष डॉक्टर

3 ख- व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ केन्द्रीय स्वास्थ्य केन्द्र

3 ग- व्यक्ति (000) प्रति नर्स/ फार्मासिस्ट

3 घ- व्यक्ति (000) प्रति सरकारी अस्पताल व्यक्ति (लाख) और प्रति बिस्तर

## राजकोषीय संकेतक

4 क- राजस्व घाटा बनाम जीएसडीपी का %

4 ख-राजकोषीय घाटा बनाम जीएसडीपी का %

4 ग- बकाया ऋण बनाम जीएसडीपी का %

4 घ- समर्पित व्यय बनाम राजस्व व्यय का %

4 ङ-ओटीआर बनाम जीएसडीपी का %

4 च-एनटीआर बनाम जीएसडीपी का %

4 छ- पूंजीगत व्यय और जीएसडीपी का %

4 ज- महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक-राज्य बनाम सामान्य राज्य/एनईएचएस

4 झ- टीआरई और ओआरआर अंतराल

4 ञ- केन्द्रीय हस्तांतरण कर हस्तांतरण और अनुदान सहायता (एफसी और गैर एफसी) बनाम टीआरआर का %

## स्थानीय निकाय

विद्युत क्षेत्र

राज्य से प्रस्ताव


सामर्थ्य और अवसर

जोखिम और चुनौतियां

सुधार रोडमैप




# बॉक्स प्लॉट्स की व्याख्या





## एपी-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
49.6 मिलियन  
सभी राज्यों की जनसंख्या का 4.2%



**क्षेत्रफल**  
1,62,923 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों के क्षेत्र का 5.0%



**वन आच्छादन**  
29,137 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं का वन क्षेत्र 17.9%

2017 से 2019 तक वन आच्छादन में परिवर्तन 3.5% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
₹ 1,68,083  
₹ 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
6.7%  
सभी राज्यों का औसत 6.3%




**टीएफआर**  
प्रति महिला बच्चे 1.8  
सभी राज्यों का औसत 2.2




**शहरीकरण दर**  
33.5%  
अखिल भारतीय औसत 31.1%

## एपी-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एपी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## एपी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹)


वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	3,79,402	77,44,945	4.9
2012-13	4,11,404	88,27,195	4.7
2013-14	4,64,272	1,00,07,392	4.6
2014-15	5,24,976	1,09,93,257	4.8
2015-16	6,04,229	1,21,91,256	5.0
2016-17	6,84,416	1,37,80,737	5.0
2017-18	7,93,186	1,54,20,126	5.1
2018-19	8,62,957	1,72,83,813	5.0

## एपी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


एपी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एपी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



एपी - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एपी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक



<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>अ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>ब</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>क</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>द</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>ग</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष




एपी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

एपी - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एपी -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एपी- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एपी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और प्रति व्यक्ति (000) बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एपी- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एपी- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एपी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एपी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एपी -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एपी - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एपी-4. जी: जीएसडीपी से पूंजीव्यय का अनुपात




एपी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹0 में	1,68,083	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	13.3	13.4
ओटीआर	6.7	6.4
एनटीआर	0.5	1.1
टीई	17.4	16.1
ईएस	2.7	3.1
एसएस	7.5	5.4
जीएस	4.7	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	7.1	5.8
पूँजी व्यय	2.5	2.5
एफडी	4.1	2.5
आरडी	1.6	0.2
ओडी	29.8	25.0

## एपी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
आंध्र प्रदेश	9.6	8.7	11.3
जीएस औसत	11.9	11.8	11.1

## एपी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान } (एफसी एवं गैर एफसी)



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूचित में परिकल्पित 29 कार्यों में से 10 आरएलबी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से 17 कार्य यूएलबी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ आरएलबी और यूएलबी की लेखा परीक्षा 2016-17 तक पूरी कर ली गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड (पीटीबी)

- ▲ तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने पीटीबी 2010 में स्थापित कर लिए थे और ये 2011 से कार्य कर रहे हैं।

## सभी राज्यों में हस्तांतरित सूचक रैंक

कार्य श्रेणी	पदाधिकारी श्रेणी	वित्त श्रेणी	नीति श्रेणी में कुल अन्तरण
10	10	16	13

भारत सरकार 2016, हस्तांतरण सूचक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## तृतीय एसएफसी

- ▲ तृतीय एसएफसी ने प्रति व्यक्ति अनुदानों और कार्यों के रूप में स्थानीय निकायों को हस्तांतरण की सिफारिश की है। यह 2004-05 हेतु केन्द्रीय करों के अंश सहित राज्य के कुल कर और गैर-कर राजस्वों का 6.77% बनता है।
- ▲ सरकार ने कुल हस्तांतरण संबंधित सिफारिशों स्वीकार कर ली हैं।

## चतुर्थ एसएफसी

- ▲ 2015 में गठित चतुर्थ एसएफसी का 2018 में पुनर्गठन किया गया था। तथापि रिपोर्ट अभी जमा नहीं की गई है।
- ▲ राज्य सरकार एसएफसी के गठन और उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

**ऋण और हानि**

- ▲ डिस्कोमस की कुल उधारी 31 मार्च 2019 को 18,023 करोड़ रु. है जिनमें से राज्य सरकार की उधारी 9 करोड़ रु. है।
- ▲ आंध्र प्रदेश ने 2018-19 में न तो उदय एटी और सी हानि के लक्ष्य प्राप्त किए और न ही एसीएस-एआरआर अंतराल के लक्ष्य।


महत्वपूर्ण उदय बैरोमीटर 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी और सी हानि %	25.7	9.0
एसीएस-एआरआर अंतराल प्रति ईकाई रु.	2.7	-0.03

टिप्पणी:- (-) एसीएस-एआरआर अंतराल दर्शाता है कि प्राप्त प्रति इकाई औसत राजस्व आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

- ▲ राज्यों को उदय बैरोमीटर पर अपने निष्पादन को काफी हद तक सुधार करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में राजकोषीय जोखिम से बचा जा सके।

**एपी-5 ए :- एटी और सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018**



स्रोत:- भारत सरकार 2019 उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**लंबवत हस्तांतरण**

- ▲ आंध्र प्रदेश ने यह प्रस्ताव किया कि विभाज्य पूल में राज्यों का अंश 50 % तक बढ़ाया जाए।

**समस्तरीय हस्तांतरण हेतु सूत्र**

क्र.सं.	मापदंड	अंश (%)
i)	जनसंख्या	5
ii)	क्षेत्र	15
iii)	आय दूरी	40
iv)	जनसंख्या वृद्धि दूरी	25
v)	अक्षय ऊर्जा क्षमता	10
vi)	जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान	5

**नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग 2019**

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2019-20 के अनुसार भारतीय राज्यों में राज्य का तीसरा स्थान (हिमाचल प्रदेश और केरल के पश्चात) रहा।
- ▲ इसके अलावा राज्य ने एसडीजी (अर्थात गरीबी रहित) में 5 वां स्थान प्राप्त किया है। वास्तव में, अविभाजित आंध्र प्रदेश की 2011-12 में गरीबी दर एकल अंक में थी अर्थात 9.2% थी। जो उसी वर्ष अखिल भारतीय गरीबी दर 21.9 % से बहुत कम थी (तेंदुलकर प्रणाली विज्ञान के अनुसार)
- ▲ विडंबना यह है कि राज्य का निष्पादन एसडीजी-2 (अर्थात शून्य भूख में) अच्छा नहीं रहा, जहां सभी राज्यों में उसका 18 वां स्थान रहा।
- ▲ राज्य को सामाजिक परिणामों में सुधार करने के लिए प्रयास करने होंगे।

**मिश्रित जल प्रबंधन सूचकांक**

- ▲ नीति आयोग द्वारा जारी मिश्रित जल प्रबंधन सूचकांक, 2019 के अनुसार, आंध्र प्रदेश 2017-18 में 17जीएस में से जल प्रबंधन में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान रहा (2016-17 में तीसरे स्थान में सुधार)।
- ▲ आंध्र प्रदेश अन्य राज्यों के लिए अच्छी जल प्रबंधन पद्धतियों का मार्गदर्शक बनने के लिए सही स्थान पर है बशर्ते कि वह अपनी दक्ष जल प्रबंधन पद्धतियों को बनाए रखने और बेहतर बनाना जारी रखें।

**बेरोजगारी दर**

- ▲ 15 वर्ष या अधिक वर्ष के व्यक्तियों में बेरोजगारी (सामान्य मुख्य और अनुषंगी स्थिति) की घटना 2017-18 में आंध्र प्रदेश (जीएस में) में तीसरी सबसे कम थी।
- ▲ आंध्र प्रदेश को अपनी निवेश अनुकूल नीतियों को जारी रखते हुए और अपने लोगों के लिए अधिक रोजगार सृजन करके निम्न बेरोजगारी दर के साथ वर्ष 2019 में व्यापार में सुगमता की स्थिति में शीर्षस्थ स्थिति को मजबूत करना चाहिए।

**महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर**

- ▲ सामान्य राज्यों में, 2017-18 में आंध्र प्रदेश ने 15 वर्षीय श्रमिकों में 42.5% की दूसरी उच्चतम महिला एलएफपीआर (सामान्य प्रमुख और अनुषंगी) स्थिति प्राप्त की है।
- ▲ राज्य सरकार को महिलाओं की सहभागिता में और वृद्धि करने के लिए, विशेष रूप से प्रबंधन स्तर पर नीतियों को अपनाना होगा।

**मिलियन-प्लस शहर**

- ▲ आंध्र प्रदेश में दो मिलियन प्लस शहर हैं- विजयवाड़ा और विशाखापटनम, जो बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे और रसद में निवेश के सही मिलन से आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में कार्य कर सकते हैं।

**दूसरी सबसे लंबी तट रेखा**

- ▲ राज्य में तट के साथ लगे 13 में से 9 जिले सहित 974 किमी तटरेखा है।
- ▲ इसलिए राज्य आसपास के अपतटीय राज्यों के उद्योगों को सेवा देने के लिए बंदरगाह चालित विकास के माध्यम से राजस्व पैदा कर सकता है।

### राजकोषीय व्यवस्था

- ▲ राज्य के एफडी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई है जैसे 2015-16 में 3.7% से 2016-17 में 4.5(%) तक वृद्धि और 2018-19 में 4.1 %
- ▲ उसी समय ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2015-16 में 28.1% से 2018-19 में 29.8% के उच्च स्तर पर रहा।
- ▲ उपर्युक्त को देखते हुए राज्य को अपने घाटे और ऋण को धारणीय स्तर नीचे लाना होगा।

### एफआरबीएम का अनुपालन

- ▲ राज्य ने अपना एफआरबीएम अधिनियम 2005 में लागू किया और 2011 में इसमें संशोधन किया।
- ▲ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपेक्षित लक्ष्यों की अनुपस्थिति में आंध्र प्रदेश द्वारा 2015-16 से 2017-18 तक एफआरबीएम लक्ष्यों को अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अनुपात बतौर (%)	2015-16 <sup>a</sup>	2016-17 <sup>a</sup>	2017-18 <sup>a</sup>
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>			
राज्य एफआरबीएम द्वारा नियत अनुसार	N.A.	N.A.	N.A.
वस्तुतः प्राप्त	28.1	28.5	26.6
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>			
राज्य एफआरबीएम द्वारा नियत अनुसार	N.A.	N.A.	N.A.
वस्तुतः प्राप्त	3.7	4.5	4.1

लागू नहीं:- आंध्र प्रदेश सरकार से हुई वार्ता के अनुसार इन वर्षों के लिए कोई एफआरबीएम लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

स्रोत:- आंध्र प्रदेश सरकार

### केन्द्रीय हस्तांतरण पर अधिक निर्भरता

- ▲ राज्य को अपने स्वयं के स्रोतों ( कर और गैर-कर दोनों ) से अधिक राजस्व जुटाने के कदम उठाते रहने की आवश्यकता है।
- ▲ 2016-2017 में आंध्र प्रदेश के टीआरआर में केन्द्रीय हस्तांतरण का हिस्सा 50% से अधिक था। तथापि 2018-19 में यह 45.6 % तक घट गया।

### कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर उच्च और बढ़ती निर्भरता

- ▲ जीएसबीए (वर्तमान मूल्य पर) में कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्रों का अंश विशाल है और बढ़ रहा है-2015-16 में 31 % से 2018-19 में 35 % तक वृद्धि हुई।
- ▲ यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में संभावित ढांचागत रूपांतरण के विपरीत है।
- ▲ इसलिए राज्य को अपना आर्थिक आधार में विविधता लानी होगी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों को मजबूत करना होगा, जिनसे और अधिक कौशल आधारित रोजगार भी सृजित होंगे।

### महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम प्रति व्यक्ति व्यय 2016-17

- ▲ आंध्र प्रदेश द्वारा राष्ट्र निर्माण हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय सामान्य राज्यों और सभी राज्य औसत दोनों से कम रही है।

## महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति व्यय रु. में

	रोड, पुल और भवन	वानिकी परिस्थितिकी और पर्यावरण	जल आपूर्ति और स्वच्छता
आंध्र प्रदेश	240	53	223
सामान्य राज्य	318	98	253
सभी राज्य	365	114	276

## शिक्षा

- ▲ आंध्र प्रदेश में शैक्षिक परिणाम या तो राष्ट्रीय औसत (जैसे पाठन क्षमता) से कम है या निर्धारित अवधि के दौरान काफी हद तक बिगड़ गए हैं (जैसे अंकगणित क्षमता)

	शिक्षण परिणाम I <sup>a</sup>		शिक्षण परिणाम II <sup>b</sup>	
	2016	2018	2016	2018
आंध्र प्रदेश	22.6	22.6	48.3	38.5
भारत	25.2	27.3	27.7	28.2

ए-कक्षा -3 में प्रतिशत छात्र (सरकारी और निजी स्कूल का) जो कक्षा 2 पाठ पढ़ सकते हैं 2018  
बी-कक्षा 3 में प्रतिशत छात्र (सरकारी और निजी स्कूल का) जो कम से कम घटना जानते हैं 2018  
स्रोत: एएसईआर 2018 शिक्षा का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 एएसईआर केन्द्र

- ▲ आंध्र प्रदेश को शैक्षिक परिणामों में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

## पिछड़ापन

- ▲ आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में से तीन की बतौर उच्चाकांक्षी पहचान की गई है।
- ▲ इनमें से एक जिला देशभर के 35 जिलों में वामपंथी उग्रवाद द्वारा सबसे गंभीर रूप से प्रभावित है जो इनके विकास पथ में गंभीर रुकावट उत्पन्न करता है।
- ▲ राज्य महत्वाकांक्षी जिलों की तर्ज पर निचले 20% ब्लॉकों के बतौर महत्वाकांक्षी ब्लॉक विकास को लक्षित करना चाहेगा।

## विद्युत क्षेत्र

- ▲ एटी एंड सी हानि 2017-18 में 14.26% (9%) के लक्ष्य की तुलना में 2018-19 में 25.7% तक (9.0% के लक्ष्य की तुलना में बढ़ गई है)
- ▲ राज्य को राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए महत्वपूर्ण उदय बैरोमीटरों (स्मार्ट मीटरिंग सहित) पर अपने निष्पादन में काफी सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ यह सुनिश्चित करने के लिए कि पावर सब्सिडी बिना लीकेज के सही लाभार्थियों तक पहुंच मजबूत व्यवस्थित सुधारों की आवश्यकता है।

## स्थानीय निकाय

- ▲ शेष कार्य स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने के लिए उपाय करने होंगे।
- ▲ जैसा संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) और (ग) में प्रतिष्ठापित किया गया है, भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान की सिफारिश करता है। राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करना और मार्च 2024 को या उससे पूर्व राज्य विधानमंडल के समक्ष उस पर की गई कार्रवाई से संबंधित विवरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

## सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ राज्य में 64 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनमें से 37 पीएसयू ने अक्टूबर 2016 और सितंबर 2017 के बीच अपने खातों (विभिन्न रिपोर्टिंग अवधि को शामिल करते हुए) को अंतिम रूप दिया है। कार्यशील पीएसयू में से 15 ने 1164.2 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है और 20 पीएसयू ने 3240 करोड़ रु. की हानि उठाई है। एक पीएसयू (आंध्र प्रदेश पावर फाइनेंस



कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना लेखा बिना लाभ बिना हानि आधार पर तैयार किया है और एक अन्य पीएसयू ( भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड ) ने अपना प्रचालन शुरू नहीं किया है।

- ▲ नौ पीएसयू ने 25, 367.9 करोड़ रु. हानि उठाई है-जन स्वास्थ्य अपक्षरण किया है- जो गंभीर चिंता का कारण है।
- ▲ पर्याप्त बजटीय सहयोग को देखते हुए खातों का लेखा परीक्षण नहीं करना गंभीर नकारात्मक जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

### राज्य का सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के प्रयोजन के लिए राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहों में रखा गया है। आंध्र प्रदेश उस समूह का भाग है जिसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं।
- ▲ जून 2014 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य का तेलंगाना और मौजूदा आंध्र प्रदेश में पुनर्गठन (द्विभाजन) किया गया था। अतः अन्य मध्य आय राज्यों से तुलना करने के लिए विभाजित राजस्व और व्यय के आंकड़े 2014 से पूर्व उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि 2011-12 से 2018-2019 की संपूर्ण अवधि हेतु संपूर्ण मूल्यांकन किया गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हेतु राजकोषीय आंकड़ों का विश्लेषण 2015-16 के बाद से किया गया था।

### सुधार मार्गसूचक


- ▲ द्विभाजन के पश्चात शेष आंध्र प्रदेश अत्यधिक कृषि आश्रित ( जीएसवीए में 35% अंश ) है।
- ▲ इसका जीएसडीपी दक्षिण भारत में केरल के बाद सबसे कम है।
- ▲ अभिभाजित आंध्र प्रदेश और नए राज्य ( तेलंगाना ) की तुलना में, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राजकोषीय मापदंड निम्न है।
- ▲ आंध्र प्रदेश के अपने ओआरआर/टीआरआर ( 55% ) ( 74% सहित तेलंगाना की तुलना में ) में सुधार की जरूरत है।
- ▲ उत्पाद शुल्क राजस्व खराब प्रदर्शन कर रहा है ( तेलंगाना में 16.45% की तुलना में ओटीआर का 10.75% ) और सुचारू बनाने की जरूरत है।
- ▲ राज्य को लघु अवधि में अपने टीआरई को युक्तिसंगत बनाना होगा चूंकि यह कुल व्यय के लगभग 86% पर देश में सबसे अधिकतम में से एक है ( तेलंगाना 76% की तुलना में )।
- ▲ विगत चार वर्षों में राज्य का राजस्व व्यय ने अपने पूंजीगत व्यय की लागत पर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है। किसी नए राज्य के लिए यह अरक्षणीय है। सिंचाई, पेयजल और विद्युत में पूंजीगत निवेश को लागत वसूली के साथ जोड़ना चाहिए।
- ▲ यह गंभीर नकदी प्रवाह मामलों का सामना कर रहा है और बारबर अर्थोपाय अग्रिम सहित यदाकदा ओवर ड्राफ्ट का सहारा लेता है।
- ▲ हालांकि एफडी और ओडी सीमा के अंदर है ऋण पुनःभुगतान चिंता का कारण है क्योंकि इसके ओआरआर कम है।
- ▲ राज्य को उत्पाद शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और खनिजों की रॉयल्टी से राजस्व प्रवाह में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

### टिप्पणी :-

1. भारत सरकार ( 2019 ), आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
2. पूर्वोक्त
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ( 2018 ), 2018 की रिपोर्ट सं. 3 : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश सरकार।



## एआरपी-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
1.4 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**0.1%**



**क्षेत्रफल**  
83,743 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**2.6%**



**वन आच्छादन**  
66,668 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
**9.5%**

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**79.6%**

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.4%** ↓



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,52,718

रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
4.3%

सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**



**प्रति महिला बच्चे**  
2.1


सभी राज्यों का औसत  
**2.2**




**शहरीकरण दर**  
22.7%

अखिल भारतीय औसत  
**31.1%**

## एआरपी-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एआरपी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## एआरपी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

वर्ष	राज्य	सभी जीएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	11,063	5,03,182	2.2
2012-13	12,547	5,63,081	2.2
2013-14	14,581	6,37,264	2.3
2014-15	17,959	6,95,474	2.6
2015-16	18,509	7,88,321	2.4
2016-17	19,845	8,67,648	2.3
2017-18	22,432	9,74,240	2.3
2018-19	24,603	10,82,901	2.3


## एआरपी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




एआरपी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एआरपी-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



एआरपी - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एआरपी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक



<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018




एआरपी- 3. सी: व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एआरपी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एआरपी- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एआरपी- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एआरपी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एआरपी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय



नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एआरपी -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में अन्य



एआरपी- 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एआरपी-4. जी: जीएसडीपी से पूंजीव्यय का अनुपात




एआरपी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	1,52,718	1,30,427
संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।		
टीआरआर	65.8	23.3
ओटीआर	4.3	5.0
एनटीआर	2.5	2.0
टीई	73.9	26.7
ईएस	16.8	5.0
एसएस	19.3	8.7
जीएस	14.4	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	23.5	14.4
पूंजी व्यय	23.4	4.3
एफडी	8.0	3.4
आरडी	-15.3	-0.9
ओडी	34.9	29.6

एआरपी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
अरूणाचल प्रदेश	16.7	18.4	13.9
एनईएचएस	12.6	12.1	10.7

एआरपी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के परिकल्पित सभी 29 कार्य आरएलबी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से 13 को यूएलबी को हस्तांतरित कर दिया गया है।

लेखापरीक्षण स्थिति

- ▲ यूएलबी के खातों का 2017-18 तक और यूएलबी का 2014-15 तक लेखापरीक्षण कर लिया गया है।

संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य सरकार द्वारा अब तक संपत्ति कर बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
- ▲ तथापि राज्य में मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर लागू करने का निर्णय लिया है 30 शहरी क्षेत्रों में संपत्ति का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।
- ▲ संपत्ति कर नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है और संपत्ति कर सर्वेक्षण पूरा होने पर अधिसूचित किया जाएगा।

सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक क्रम

कर्मों का क्रम	पदाधिकारियों का क्रम	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
16	6	16	21

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य वित्त आयोग

- ▲ कोई एसएफसी कार्यान्वयन अधीन नहीं है।
- ▲ पहली एसएफसी रिपोर्ट सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी।
- ▲ दूसरी एसएफसी रिपोर्ट जून 2014 के दौरान जमा की गई थी परंतु उसका एटीआर सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- ▲ संविधान की अनुसूची 280 (3) (ख ख) और (ग) में प्रतिष्ठापित अनुसार भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए अनुदान सिफारिश करता है। राज्य सरकारों को एसएफसी का गठन करना, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करना और मार्च 2024 को अथवा उससे पूर्व राज्य विधानमंडल के समक्ष उस पर की गई कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।



**ऋण और हानि**

- ▲ जबकि प्रचालन दक्षता हेतु उदय करार में राज्य हस्ताक्षरकर्ता है, इसके योजना के तहत किसी डिस्कोम का अधिग्रहण नहीं किया है।
- ▲ एटी एंड सी हानि और एसीएस-एआरआर अंतराल दोनों ही वर्ष 2018-19 हेतु उदय लक्ष्य से कहीं ऊंचे हैं।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	55.5	39.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	4.27	0.0

टिप्पण : (-) एसीएस-एआरआर अंतराल दर्शाता है कि प्रति इकाई प्राप्त औसत राजस्व आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**लंबवत हस्तांतरण**

- ▲ अरूणाचल प्रदेश ने सिफारिश की है कि करों के समग्र विभाज्य पूल में राज्य का अंश 50% तक बढ़ा दिया जाए।
- ▲ उसने यह भी सिफारिश की है कि लंबवत हस्तांतरण सूत्र में पूर्वोत्तर के लिए हस्तांतरित करों का 10% निश्चित किया जाए।

**क्षैतिज हस्तांतरण का सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाए गए अंश (%)
i)	जनसंख्या एवं उसका संयोजन	20
ii)	अवसरचरणात्मक घाटा	5
iii)	मानव विकास में घाटा	10
iv)	आय अंतर (कृषि बिना)	30
v)	वन क्षेत्र	10
vi)	क्षेत्र	20
vii)	जीएसटी, स्वच्छता, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, आदि जैसे मापदंडों के आधार पर निष्पादन	5

**पर्यटन**

- ▲ पर्यटन बढ़ाने (और इससे राज्य हेतु राजस्व जुटाने) के उपाय निम्नलिखित हैं।
  - » पर्यटकों का समय और धन बचाने के लिए हवाई संपर्क और सड़क नेटवर्क में सुधार करना चाहिए।
  - » लीक से हटकर पर्वतीय क्षेत्रों पर हेली-टैक्सी पीपीपी मध्यम से शुरू की जा सकती है।
  - » प्रोत्साहन या पीपीपी माध्यम से पर्यावरणीय पर्यटन और साहसिक खेल को बढ़ावा दिया जाए।
  - » होमस्टे वैयक्तिक साथ-साथ समुदाय आधारित को बढ़ावा दिया जाए। चूंकि होमस्टे प्राथमिक रूप से महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं, वे उनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कारगर हैं। राज्य सरकार होमस्टे को ई-कॉमर्स कर्ताओं के साथ जोड़ने के लिए सक्रिय उपाय कर सकती है।

**जलशक्ति**

- ▲ राज्य में 58,160 मेगावॉट जलशक्ति का सामर्थ्य है जिसमें से केवल एक भाग का अब तक दोहन किया गया है।
- ▲ राज्य को क्षमता के दोहन के उपाय ढूँढने चाहिए और राजस्व आय में वृद्धि करनी चाहिए।

**कम एलटीआर और हस्तांतरण पर उच्च निर्भरता**

- ▲ राज्य के ओटीआर ने 2018-19 में केवल 6.6% टीआरआर में योगदान दिया और एनटीआर ने लगभग 3.8% टीआरआर में योगदान किया।
- ▲ केन्द्रीय हस्तांतरण ने इसके टीआरआर में 89.6% योगदान दिया।
- ▲ हालांकि सकारात्मक पहलू यह है कि 2011-12 से 2018-19 तक ओटीआर 19.3% के अच्छे टीजीआर पर वृद्धि कर रहा है (11% की एनईएचएस औसत)। इसका मुख्य कारण राज्य द्वारा अच्छा जीएसजी संग्रहण।
- ▲ अरूणाचल प्रदेश में 2011-12 से 2018-19 तक वैट/जीएसटी का संग्रहण 21.2% के टीजीआर से बढ़ा (एनईएचएस औसत 11%)।
- ▲ राज्य ने स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण से संग्रहण में भी अच्छी प्रगति की है, जहाँ 2011-12 से 2018-19 तक औसतन 6.73% एनईएचएस की तुलना में 22.4% का टीजीआर एकत्रित किया है।
- ▲ तथापि, ओटीआर/जीएसडीपी औसतन एनईएचएस से कम रहा है।
- ▲ अतः राज्य सरकार को राजस्व में वृद्धि करने के लिए और प्रयास करने होंगे और केन्द्रीय सरकार पर निर्भरता कम करनी होगी।

**अरूणाचल प्रदेश की राजस्व प्राप्ति बनावट एनईएचएस**

विवरण	2018-19 में बतौर जीएसडीपी प्रतिशत		2011-12 से 2018-19 तक टीजीआर	
	अरूणाचल प्रदेश	एनईएचएस	अरूणाचल प्रदेश	एनईएचएस
कुल राजस्व प्राप्ति	65.8	23.3	18.4	12.1
अपना कर राजस्व	4.3	5.0	19.3	11.0
वैट/जीएसटी	3.5	3.5	21.2	11.1
स्टाम्प ड्यूटी/ व पंजीकरण	0.0	0.2	22.4	6.7
राज्य उत्पाद शुल्क	0.6	0.7	21.0	14.8
विद्युत ड्यूटी	—	0.1	—	9.9
अन्य कर	0.2	0.5	4.8	8.2
गैर कर राजस्व	2.5	2.0	7.0	10.0
केन्द्रीय करों में अंश	42.4	8.1	55.5	22.8
अनुदान सहायता	16.6	8.2	-4.4	6.7

**उच्च ऋण से जीएसडीपी का अनुपात**

- ▲ अरूणाचल प्रदेश का ऋण - जीएसडीपी अनुपात एनईएचएस के औसत 29.6% की तुलना में 34.9% पर बहुत अधिक है।
- ▲ तथापि 2011-12 से 2018-19 तक राज्य का ऋण तुलनात्मक रूप में 10.1% के धीमे टीजीआर (11% एनईएचएस औसत की तुलना में) बढ़ा है।
- ▲ राज्य को अपने ऋण को नए एफआरबीएम अधिनियम के साथ जोड़ने के लिए और उपाय करने होंगे।
- ▲ राज्य का 2018-19 में असामान्य रूप से 8% का उच्च राजकोषीय घाटा है।
- ▲ यह केन्द्र से 2015-16 से भारी हस्तांतरणों से पैदा होने वाले विशाल राजस्व अधिशेष के बावजूद है। इस सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता है।

**उच्च प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ 2011-12 और 2018-19 के बीच समग्र प्रतिबद्ध व्यय (जीआईए वेतन सहित) (इसमें ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन शामिल है) 13.8% के टीजीआर से बढ़ा है (एनईएचएस औसत 12.1%)।
- ▲ 2018-19 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय (जीआईए वेतन सहित) राजस्व व्यय का 54.5% रहा।
- ▲ राज्य को अपना व्यय युक्ति संगत बनाने और प्रतिबद्ध व्यय का अपना अंश कम करने की आवश्यकता है ताकि राजकोषीय रिक्ति को विकास व्यय के लिए आसान बनाया जा सके।

**सार्वजनिक व्यय द्वारा चालित अर्थव्यवस्था**

- ▲ 2018-19 में राज्य सरकार का कुल न्यय लगभग जीएसडीपी का 73.88% था- जो दर्शाता है कि इसकी अर्थव्यवस्था लगभग पूर्ण रूप से सरकारी खर्च से चलाई जा रही है।
- ▲ राज्य को कोई एफडीआई नहीं मिलती और नगण्य निजी निवेश प्राप्त होता है।
- ▲ राज्य सरकारको पर्यटन और अन्य सेवाओं के माध्यम से प्रगति में तेजी लाने के लिए उपाय करने होंगे।

**बढ़ती गरीबी**

- ▲ गरीबी पर तेंदुलकर अनुमानों के अनुसार राज्य में 2004-05 में 31.1% से 2011-12 में 34.7% तक गरीबी दर में वृद्धि देखी गई है।
- ▲ इस रूझान को तत्काल पलटने की जरूरत है।

**कम साक्षरता**

- ▲ अरूणाचल प्रदेश सरकार की शैक्षित उपब्धियों में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।
- ▲ अरूणाचल प्रदेश में देश में बिहार के बाद दूसरी सबसे कम साक्षरता दर है (एआरपी-2. छ देखें)।
- ▲ कक्षा III के केवल 18.7% छात्र कक्षा II का पाठ पढ़ सकते हैं (अखिल भारतीय 27.3%)।

**लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा**

- ▲ राज्य की लगभग 1863 किमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अनेक गांव 'तनाव प्रवासन' से पीड़ित हैं।
- ▲ सीमावर्ती गांवों के रहने वाले लोग रोजगार की तलाश में लगातार भीतरी क्षेत्रों की ओर रहते हैं।
- ▲ सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को तेजी भरने रोजगार के स्रोत उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण अपने घरों को न छोड़ें।

**अपर्याप्त बुनियादी ढांचा**

- ▲ राज्य सरकार को अपने जमीनी संपर्क के सुधार करने के लिए एक मध्यावधि केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- ▲ अरूणाचल प्रदेश में सड़कों का जाल अत्यंत कम है।
- ▲ कोई राज्य राजमार्ग नहीं है।
- ▲ राज्य सरकार को सड़क निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी और उनकी देखरेख करनी होगी।
- ▲ अरूणाचल प्रदेश में कोई एयरपोर्ट नहीं है। इससे पर्यटन वृद्धि में रूकावट आ रही है।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

- ▲ पाँच कार्यशील पीएसयू में 1 से 17 वर्ष तक के बकाया सहित बकाया खातों की संख्या 2012-13 में 28 से 2016-17 में 35 तक बढ़ गई है।
- ▲ राज्य सरकार ने 2016-17 में पीएसयू को 4.1 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी है।
- ▲ हालांकि बजटीय सहायता महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

**विद्युत क्षेत्र में उच्च हानि**

- ▲ विद्युत क्षेत्र में एटी एंड सी हानि 55.5% तक अधिक थी (2018-19 में) और एसीएस-एआरआर अंतराल 4.27 रू. प्रति यूनिट था। यह उदय के तहत राज्य को निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक है।
- ▲ विगत कुछ वर्षों में विद्युत क्षेत्र में प्राप्ति-व्यय असंतुलन बढ़ गया है।
- ▲ राज्य सरकार में विद्युत क्षेत्र को अभी तक नहीं खोला है।
- ▲ इसे अपने विद्युत क्षेत्र को निगमित करने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि यह सही आर्थिक सिद्धांतों पर चलाया जा सके।
- ▲ राज्य को उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग सहित उदय के प्रचालनात्मक लक्ष्यों का अनुपालन करने की भी आवश्यकता है।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ राज्य को एसएफसी का गठन समय पर करना चाहिए और विधानमंडल में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात इसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
- ▲ राज्य में स्थानीय निकायों का अपना कम राजस्व है।
- ▲ राज्य सरकार स्थानीय निकायों को अपने राजस्व में सुधार करने के लिए मार्केट शुल्क, पार्किंग स्थान, आदि का उपयोग करने में मदद कर सकती है।
- ▲ राज्य सरकार को तत्काल एक पीटीबी की स्थापना करनी चाहिए जिसकी सिफारिश एफसी - XIII द्वारा की गई थी।
- ▲ आरसीबी के शेष कार्यों को तत्काल सौंपना चाहिए।


**सुधार मार्ग सूचक**

- ▲ अरूणाचल प्रदेश केन्द्र सरकार पर अत्याधिक निर्भर है चूंकि यह अपने 89.6% तक संसाधन केन्द्र से प्राप्त करता है। एनईएचएस औसत की तुलना में इसका ओटीआर से जीएसडीपी का अनुपात भी बहुत कम है। राज्य को अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए पन बिजली उत्पादन और पर्यटन सहित नवोन्मुख तरीके ढूंढने की जरूरत है।
- ▲ राज्य का राजकोषीय स्थिरता हेतु अपनी ऋण-जीएसडीपी अनुपात और एफडी-जीएसडीपी अनुपात को कम करने की आवश्यकता है।
- ▲ अरूणाचल प्रदेश का बहुत अधिक प्रतिबद्ध व्यय है। राज्य को विकास खर्च हेतु राजकोषीय स्थान उत्पन्न करने के लिए अपना व्यय और पेंशन सहित (वेतन, ब्याज भुगतान) को कम पुनःप्राथमिकता और इसमें सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य को अपने एटी एंड सी हानि और एसीएस-एआरआर अंतराल को कम करते हुए विद्युत क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि करनी होगी।
- ▲ इसे सभी पीएसयू के खातों की समयबद्ध लेखापरीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

**टिप्पणी**

1. एएसईआर (2018), शिक्षा का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2018, एएसईआर केन्द्र।
2. सीएजी (2018), अरूणाचल प्रदेश सरकार के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अरूणाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर रिपोर्ट।

## एएस-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
31.2 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.6%



**क्षेत्रफल**  
78,438 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
2.4%



**वन आच्छादन**  
28,327 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
4.0%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
36.1%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.8% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**

रु. 92,533  
रु. 1,40,422

सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)

**जीएसडीपी में कर**  
5.0%

सभी राज्यों का औसत  
6.3%



**प्रति महिला बच्चे**  
2.2


सभी राज्यों का औसत  
2.2



**शहरीकरण दर**  
14.1%


अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एएस-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)



— असम


## एएस-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## एएस-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

वर्ष	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	1,43,175	5,03,182	28.5
2012-13	1,56,864	5,63,081	27.9
2013-14	1,77,745	6,37,264	27.9
2014-15	1,95,723	6,95,474	28.1
2015-16	2,27,959	7,88,321	28.9
2016-17	2,54,382	8,67,648	29.3
2017-18	2,83,165	9,74,240	29.1
2018-19	3,15,881	10,82,901	29.2


## एएस-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




एस-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एस-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



एस-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एस-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>ख</sup> डीआईई एसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>ग</sup> डीआईईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>घ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ङ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>च</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>छ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

एस-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

एस-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एस-3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एस-3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एस- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एस- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा



एस- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा






एस- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण



एस- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय



नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एस -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एस - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एस-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




एस-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम एनईएचएस

राजकोषीय संकेतक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	92,533	1,30,427
<i>संकेतक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	20.1	23.3
ओटीआर	5.0	5.0
एनटीआर	2.6	2.0
टीई	21.6	26.7
ईएस	3.2	5.0
एसएस	8.1	8.7
जीएस	6.6	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	12.1	14.4
पूंजी व्यय	3.6	4.3
एफडी	1.5	3.4
आरडी	-2.1	-0.9
ओडी	18.8	29.6

एस- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
असम	12.4	12.8	11.7
जीएस औसत	12.6	12.1	10.7

एस- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



**सौंपे गए कार्य**

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से 7 कार्य पीआरआई को हस्तोंतरित किए गए हैं।
- ▲ राज्य सरकार ने संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुसार नगर पालिकाओं के कार्यों, कार्यवाहियों और निधियों का अंतरण नहीं किया है।
- ▲ बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से, 13 कार्यों को उनके मौजूदा पारंपरिक कार्यों में शामिल किया गया है इसलिए इन विषयों के लिए कोई अलग गतिविधि मानचित्रण आवश्यक नहीं है। शेष विषयों के लिए कोई गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है।

**लेखा-परीक्षा की स्थिति**

- ▲ आरएलबी, यूएलबी और एडीसी के खातों की लेखा-परीक्षा 2017-18 तक पूरी की गई है।

**संपत्ति कर बोर्ड**

- ▲ राज्य ने अपने पीटीबी (एफसी- XIII द्वारा अनुशंसित) का मार्च 2011 में गठन किया। यह गोलाघाट, सिलचर, बोंगईगांव, सतपग्राम, लाला, देरगांव, होजाई, और जोरहाट नगर बोर्ड में कार्यात्मक है।
- ▲ यह डेक्कुआखाना और सिलीपाथर नगर बोर्ड में चालू होने जा रहा है।

**सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक क्रम**

कार्यों का क्रम	पदाधिकारियों का क्रम	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
12	17	15	14

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

**पांचवां एसएफसी (2016-17 से 2019-20 तक):**

- ▲ पांचवें एसएफसी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 30 सितंबर 2014 और अंतिम रिपोर्ट 30 नवंबर 2016 को प्रस्तुत की। एटीआर 20 जून 2017 को सदन के पटल पर रखा गया था।
- ▲ यह अनुशांसा की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए और एकत्रित करों और शुल्कों की निवल आय का 14% (6,679.87 करोड़ रुपए) अधिनिर्णय अवधि (2019-20 से 2016-17 तक) के दौरान अनुदान और अनाबद्ध निधियों के रूप में आवंटित किया जाए।

- ▲ इस राशि में से, 4,748.70 करोड़ रुपए सामान्य क्षेत्रों को आवंटित किए जाएं - निर्धारित अनुदान के रूप में 3,356.8 करोड़ रुपए और अनाबद्ध निधियों के रूप में 1,391.9 करोड़ रुपए।
- ▲ इसके अलावा, 1,931.2 करोड़ रुपए बाहरी क्षेत्रों को आवंटित किए जाएं - 1,880.3 करोड़ रुपए निर्धारित अनुदान के रूप में और 50.9 करोड़ रुपए अनाबद्ध निधियों के रूप में।
- ▲ एसएफसी ने सिफारिश की कि आरएलबी और यूएलबी के बीच वितरण जनसंख्या (भारत 80%) और घनत्व (भारत 20%) पर आधारित होगा।
- ▲ पीआरआई के भीतर आवंटन जनसंख्या का भारत औसत (50%), भौगोलिक क्षेत्र (25%) और प्रतिलोक प्रति व्यक्ति ग्रामीण जिला घरेलू उत्पाद (25%) होना चाहिए।
- ▲ यूएलबी में आवंटन जनसंख्या (50%), क्षेत्र (25%), बुनियादी ढांचा सूचकांक (12.5%), और प्रति व्यक्ति कर संग्रह (12.5%) पर आधारित होना चाहिए।

**ऋण और हानि**


- ▲ असम सरकार ने बिजली क्षेत्र में 1,133 करोड़ रुपए का ऋण लिया है।
- ▲ राज्य एटीएंडसी घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन एसीएस-एआरआर अंतर लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम था।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	19.87	16.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	0.02	0.19

टिप्पणी : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि यूनिट औसत राजस्व की प्राप्ति आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**एस - 5. ए: एटी एवं सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018**



स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का सामाचार-पत्रिका, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उर्ध्वार्धर हस्तांतरण**

- ▲ असम ने प्रस्ताव दिया कि विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 42% से बढ़ाकर 50% की जाए।

**क्षैतिज हस्तांतरण का सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाया गया भार (%)
i)	आय अंतर	50
ii)	वन आच्छादित क्षेत्र	10
iii)	क्षेत्र	5
iv)	जनसंख्या	20
v)	सामाजिक-आर्थिक अवसरचना अंतर	15

**ठोस व्यापक-घाटा संसूचक**

- ▲ राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा मामूली स्तर पर रहा। 2011-12 से 2018-19 तक राजकोषीय घाटा 3% से नीचे रहा, सिवाय 2017-18 को छोड़कर जिसमें यह 3.3% तक पहुंच गया था।

**एफआरबीएम का अनुपालन**

- ▲ राज्य ने 2005 में अपना एफआरबीएम अधिनियम लागू किया और उसे 2005, 2007, 2009, 2011 और 2017 में संशोधित किया।
- ▲ एफआरबीएम अधिनियम के लागू होने के बाद राजकोषीय प्रबंधन में स्पष्ट परिवर्तन देखा गया।
- ▲ जीएसडीपी प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण 2011-12 में 22% से घटकर 2018-19 में 18.8% रह गया।
- ▲ राज्य ने हाल के वर्षों में अपनी एफआरबीएम सीमा का पालन किया है।
- ▲ राज्य को नए एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार ऋण मार्ग का पालन करना जारी रखना चाहिए।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	28.3	28.4	28.4	28.5	28.5	28.5	28.5
वास्तविक रूप में प्राप्त	22.0	19.5	17.9	18.1	17.1	17.3	17.4
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	1.2	1.0	2.1	2.8	-1.3	2.4	3.3

स्रोत:- असम सरकार

**भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) का प्रवेश द्वार**

- ▲ असम की सीमाएँ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, और त्रिपुरा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ 533 किलोमीटर तक फैली हुई हैं।
- ▲ असम के भौतिक बुनियादी ढांचे (विशेषकर सड़क नेटवर्क) का उपयोग पड़ोसी राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। असम में परिवहन नेटवर्क का रखरखाव न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए और देश के रणनीतिक रक्षा हितों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

- ▲ पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए असम की सड़क, रेल, वायुमार्ग और जलमार्ग कनेक्टिविटी में सुधार और रखरखाव करना महत्वपूर्ण है।

#### प्राकृतिक संसाधन

- ▲ असम में दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र हैं और इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पतझड़ी वन, नदियों के घास के मैदान, बांस के बगीचे और कई आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणालियां शामिल हैं।
- ▲ इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन हैं - कोयला, पेट्रोलियम; चूना पत्थर और प्राकृतिक गैस।
- ▲ अन्य लघु खनिजों में चुंबकीय क्वार्ट्जाइट, काओलिन, सिलिमेनाइट, लौह अयस्क, मिट्टी और फेल्डस्पार आदि शामिल हैं।
- ▲ यह भारत में सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) दूसरी सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका दुलियाजान, असम में संचालन मुख्यालय है। इन संसाधनों में अधिक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को विकसित करने की क्षमता है।

#### पर्यटन

- ▲ असम में इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का समृद्ध मिश्रण है, जिसे पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ▲ पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।
- ▲ विभिन्न त्योहारों और आयोजनों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ पर्यावरण-पर्यटन और साहसिक खेलों को प्रोत्साहन या पीपीपी मोड के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ व्यक्तिगत और साथ ही समुदाय आधारित होमस्टे को स्थानीय लोगों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। राज्य सरकार होमस्टे को ई-वाणिज्यिक कंपनियों से जोड़ने के लिए सक्रिय उपाय कर सकती है।

#### उत्पाद शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण से कम आय संग्रहण

- ▲ जबकि असम का समग्र ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात ( 5.04% ) है एनईएचएस औसत ( 4.95% ) से मामूली बेहतर है, इसका उत्पाद शुल्क संग्रहण ( 0.73% के एनईएचएस औसत की तुलना में 0.44% ) तथा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण आय ( 0.18% के एनईएचएस औसत की तुलना में 0.08% ) तुलनात्मक रूप से कम है।
- ▲ असम सात राज्यों के साथ जुड़ी अपनी छिद्रित सीमाओं की वजह से शराब की उत्पादन शुल्क में कमी होती जा रही है।
- ▲ राज्य के स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क में कमी भू-अभिलेखों सहित कम शहरीकरण दर ( 14% ) के कारण है।

#### उच्च प्रतिबद्ध देयताएं

- ▲ 2018-19 में असम की प्रतिबद्ध देयताएं ( जीआईए वेतन सहित ) टीआरई का 67.8% है जबकि एनईएचएस ( 67.6% ) के बराबर हैं, जो सभी राज्यों के औसत 50.6% की तुलना में खराब है।
- ▲ राज्य सरकार को अपने व्यय को तर्कसंगत बनाने और पुनर्गठन करने की आवश्यकता है।
- ▲ वेतन के बोझ को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ताकि अन्य विकास व्यय के लिए संसाधनों को बचाया जा सके।

#### राज्य सरकार द्वारा कम खर्च

- ▲ एनईएचएस और सभी राज्यों की तुलना में असम का प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और कुल व्यय बहुत कम है। एनईएचएस की तुलना में इसका व्यय ( जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ) भी कम है।

राज्य द्वारा खर्च

2018-19	असम	एनईएचएस	सभी राज्य
<b>राजस्व व्यय</b>			
जीएसडीपी के % के रूप में	18.0	22.4	14.1
प्रति व्यक्ति (रु.)	16,668	29,220	19,842
<b>पूँजीगत व्यय</b>			
जीएसडीपी के % के रूप में	3.6	4.3	2.6
प्रति व्यक्ति (रु.)	3,328	5,610	3,677
<b>कुल व्यय</b>			
जीएसडीपी के % के रूप में	21.6	26.7	16.7
प्रति व्यक्ति (रु.)	19,996	34,830	23,519

- ▲ पूरे असम का प्रति व्यक्ति खर्च सबसे कम है। उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय ( एनईएचएस में दूसरा सबसे कम ) असम का 1.7 गुना है।
- ▲ लंबे समय तक मॉनसून रहने और एक वर्ष में कामकाज के सीमित महीनों के साथ बजट का सही से निर्धारण न करना कम खर्च के मुख्य कारण हैं।

**लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र**

- ▲ मार्च 2018 की महालेखाकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के संबंध में राज्य सरकार का अनुपालन असंतोषजनक था क्योंकि 2001-02 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार के 53 विभागों को दिए गए 17,935.10 करोड़ रुपए के कुल अनुदान के संबंध में 9,370 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) बकाया के रूप में थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने से दुर्विनियोजन के जोखिम की आशंका बनी रहती है।'
- ▲ राज्य को आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने के लिए अपने बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

**कम प्रति व्यक्ति आय से धीमी आर्थिक वृद्धि**

- ▲ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, राज्य में बुनियादी ढांचे की कमी है, कम ऋण उपलब्धता के साथ बैंकिंग नेटवर्क ठीक नहीं है और किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण निजी निवेश का अभाव है।
- ▲ असम की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ( 2018-19 में 92,533 रुपए ) सभी राज्यों के औसत ( 1,40,422 रुपए ) की तुलना में बहुत कम है और एनईएचएस औसत ( 1,30,427 रुपए ) से भी काफी कम है।
- ▲ 31.98% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जबकि भारत का औसत 21% ( तेंदुलकर गरीबी अनुमान ) है।
- ▲ असम का रैंक 2011-12 से एनईएचएस में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार दूसरा सबसे कम है।
- ▲ राज्य के पास कम औद्योगिक और विनिर्माण आधार है और एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन आधार के बावजूद एफडीआई को प्राप्त करना मुश्किल है। द्वितीयक क्षेत्र से राज्य की जीएसडीपी की हिस्सेदारी उत्तराखंड के 44% और हिमाचल प्रदेश के 41% के मुकाबले मात्र 22 % है।
- ▲ व्यापारिक सुगता पर विश्व बैंक की दिनांक सितंबर 2015 की रिपोर्ट में भारत में असम को 22वां स्थान दिया गया है। राज्य सरकार को एकल केंद्रीकृत वेब आधारित अनुप्रयोग के माध्यम से डिजिटल लेनदेन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के कार्य में तेजी लानी चाहिए।
- ▲ विकास दर को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में त्वरित निवेश के साथ बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

**अत्यधिक बारिश और बाढ़**

- ▲ लंबे समय तक मॉनसून के कारण असम में 2,297.4 मि.मी. की औसत वार्षिक वर्षा होती है और बाढ़ राज्य के लिए एक बारहमासी समस्या है।
- ▲ ब्रह्मपुत्र, बराक नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ अधिक बाढ़ आने के साथ-साथ फैलने के चरण से बड़े पैमाने पर अपक्षरण का कारण बनती हैं।

- ▲ 1954 से हर वर्ष लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि का क्षय हुआ है।
- ▲ असम में तब से 4.27 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का क्षरण हुआ है, जिसके भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 7.4% भाग ने 9 लाख लोगों को प्रभावित किया है और 1.25 लाख से अधिक परिवारों को विस्थापित हुए हैं।<sup>1</sup>

#### पूँजीगत परिसंपत्तियों की उच्च लागत

- ▲ मानसून की अवधि बढ़ने और बाढ़ आने से 6 महीने के संक्षिप्त कामकाजी मौसम में क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की बहाली करना महंगा है।
- ▲ संपत्ति समय से पहले नष्ट हो जाती है और उसे बार-बार बदलने की जरूरत होती है। राज्य को इस पर भारी पूँजी लगानी पड़ती है।
- ▲ पूँजीगत परिसंपत्तियों के रखरखाव के मानदंडों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य सरकार को शेष कार्यों को तुरंत स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए।
- ▲ पीआरआई और यूएलबी के पास अपने निजी संसाधन कम हैं। स्थानीय निकायों को अपना राजस्व पार्किंग शुल्क, संपत्ति में संशोधन, बाजार शुल्क इत्यादि के माध्यम से बढ़ाने की आवश्यकता है।
- ▲ सीएजी की रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, 20 जिला परिषद (जेडपी) में 2011-2017 तक 533.24 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) लंबित थे, जो आरएलबी द्वारा वित्तीय अनुशासन और निगरानी की कमी को दर्शाते हैं।
- ▲ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने से जिला परिषदों को निधियां नहीं दी गईं। स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाएं।

#### विद्युत क्षेत्र

- ▲ (राज्य को अपनी एटीएंडसी हानि (वर्तमान में निर्धारित उदय लक्ष्यों से अधिक) का समाधान करने की आवश्यकता है।

#### अपर्याप्त बैंकिंग गतिविधियाँ

- ▲ 2016-17 के दौरान, असम में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 39.9% था (राष्ट्रीय औसत के 73.7% की तुलना में)।
- ▲ बैंकिंग नेटवर्क को व्यापक बनाने की आवश्यकता है क्योंकि मार्च 2017 तक असम में प्रति बैंक शाखा द्वारा कवर औसत जनसंख्या 13,710 है, जबकि इसकी तुलना में इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय औसत 8,800 है।<sup>2</sup>

#### खराब सामाजिक और मानव विकास संसूचक

- ▲ असम नीति आयोग (2019) द्वारा एसडीजी रैंकिंग में सभी राज्यों में 23वें स्थान पर है।
- ▲ इसके मानव विकास संकेतक जैसे आईएमआर, साक्षरता दर का अनुपात, संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय औसत से भी बदतर हैं (एएस-2.घ देखें)।
- ▲ स्वास्थ्य (1,245 रुपए) और शिक्षा (4,516 रुपए) पर प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय प्रति वर्ष एनईएचएस औसत (क्रमशः 1,987 रुपए और 5,970 रुपए) से कम है।
- ▲ राज्य को अपने मानव विकास संकेतकों को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

#### सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय विविधता

- ▲ 26 अनुसूचित जनजातियों के साथ असम अपनी विशिष्ट जनसांख्यिकी में विशिष्ट है, जो जनसंख्या का 12.44% हैं तथा अनुसूचित जातियों की 22 श्रेणियां जनसंख्या का 7.15% हैं।
- ▲ यह की पर्याप्त जनसंख्या का गढ़ धार्मिक अल्पसंख्यकों - 33 जिलों में से 17 जिलों में 118 विकास खंडों को अल्पसंख्यक ब्लॉक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ▲ जनसांख्यिकीय विविधताएं विभिन्न प्रकार की विकास चुनौतियां प्रस्तुत करते हुए असंख्य सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम<sup>3</sup>**

- ▲ 30 सितंबर 2018 तक, 30 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 26 के 183 खातों में बकाया राशि की सीमा 25 वर्ष तक की थी।
- ▲ इसके अलावा, 16 गैर-कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 15 में 35 वर्ष तक का बकाया था।
- ▲ असम सरकार को गैर-कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के परिसमापन में तेजी लाने की आवश्यकता है।
- ▲ पर्याप्त बजटीय समर्थन को देखते हुए लेखों की लेखा-परीक्षा न करना गंभीर नकारात्मक जोखिम पैदा कर सकता है।

**सुधार के संकेतक**


- ▲ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद, राज्य के पास हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों की तुलना में द्वितीयक क्षेत्र का अपेक्षाकृत कम आधार है।
- ▲ राज्य का ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात एनईएचएस औसत से थोड़ा बेहतर है। तथापि, उत्पादक शुल्क, स्टॉप और पंजीकरण से होने वाली इसकी आय अपेक्षाकृत कम है। राज्य को अपने राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने, द्वितीयक क्षेत्र का आधार बढ़ाने और राजस्व आय बढ़ाने के लिए अभिनव तरीके खोजने की आवश्यकता है।
- ▲ जैसा कि पहले देखा गया था, राज्य ने जीएसडीपी के अनुपात के रूप में उच्च प्रतिबद्ध व्यय किया है। राज्य सरकार को अपने खर्च को तर्कसंगत बनाने और पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। प्रतिबद्ध व्यय के बोझ को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ताकि विकास व्यय के लिए संसाधन जुटाए जा सकें।
- ▲ एनईएचएस की तुलना में राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय बहुत कम है। यह राजस्व अधिशेष होने के बावजूद है। राज्य को आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने के लिए अपने बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

**टिप्पणियाँ**

1. असम सरकार का ज्ञापन।
2. वही।
3. सीएजी (2018), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2018 की रिपोर्ट सं.1, असम सरकार।



## बीएच - 1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**104.1** मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**8.7%**



**क्षेत्रफल**  
**94,163** वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**2.9%**



**वन आच्छादन**  
**7,306** वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**1.0%**  
**7.8%**  
2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.1%** ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. **44,652**  
रु. **1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
**5.5%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**



**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चे**  
**3.4**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**




**शहरीकरण दर**  
**11.3%**  
अखिल भारतीय औसत  
**31.1%**

बीएच-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




बीएच-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




बीएच-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	2,47,144	77,44,945	3.2
2012-13	2,82,368	88,27,195	3.2
2013-14	3,17,101	1,00,07,392	3.2
2014-15	3,42,951	1,09,93,257	3.1
2015-16	3,71,602	1,21,91,256	3.0
2016-17	4,21,052	1,37,80,737	3.1
2017-18	4,68,746	1,54,20,126	3.0
2018-19	5,30,363	1,72,83,813	3.1


बीएच-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




बीएच-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




बीएच-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



बीएच - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




बीएच -2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

**बीएच-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)**




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

**बीएच - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर**




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

**बीएच -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी**




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

बीएच- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

बीएच- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


बीएच- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




बीएच- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



बीएच- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




बीएच- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।

बीएच-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



बीएच - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



बीएच-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




बीएच-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	44,652	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	24.8	13.4
ओटीआर	5.5	6.4
एनटीआर	0.8	1.1
टीई	27.8	16.1
ईएस	5.3	3.1
एसएस	11.1	5.4
जीएस	7.2	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	8.7	5.8
पूँजी व्यय	4.2	2.5
एफडी	2.6	2.5
आरडी	-1.3	0.2
ओडी	31.9	25.0

## बीएच- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
बिहार	14.6	14.6	11.7
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## बीएच- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से 7 कार्य पीआरआई को हस्तांतरित किए गए थे।
- ▲ तथापि, संविधान (अग्नि शमन सेवाओं को छोड़कर) की बारहवीं अनुसूची के 18 कार्यों में से 17 कार्य यूएलबी को सौंप दिए गए थे।

## लेखा-परीक्षा की स्थिति

- ▲ पीआरआई और यूएलबी दोनों के खातों की 2017-18 तक लेखा-परीक्षा की गई थी।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य ने एफसी- XIII द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार पीटीबी की स्थापना की है।

## सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक क्रम

कार्यों का क्रम	पदाधिकारियों का क्रम	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
15	15	16	20

स्रोत : भारत सरकार (2016), अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## पांचवा एफएफसी (2015-16 से 2019-20)

- ▲ राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, बिहार द्वारा राज्य वित्त आयोग रिपोर्टों के अवलोकन के अनुसार, बिहार ने अपने छठे एफएफसी का गठन कर लिया है।
- ▲ कार्यान्वयन के अंतर्गत पांचवें एफएफसी की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं-
  - » 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए विभाज्य पूल राज्य के निवल ओटीआर का 8.5% होना चाहिए।
  - » स्थानीय निकाय अनुदान का ग्रामीण-शहरी अनुपात 70:30 होना चाहिए।
  - » पीआरआई को पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, स्मार्ट पंचायत, ई-शासन और पंचायत सरकार भवन पर खर्च करना चाहिए।


**ऋण और हानि**

- ▲ राज्य ने 2016-17 के दौरान उदय के तहत 2,331.79 करोड़ रुपए का बकाया डिस्कोम ऋण लिया है।
- ▲ 31 मार्च 2019 तक, डिस्कोम द्वारा लिया गया कुल उधार 5,052 करोड़ रुपए (सभी राज्यों के कुल डिस्कोम उधार का 1.1%) था जिसमें राज्य सरकार से लिया गया 386 करोड़ रुपए का उधार शामिल है।
- ▲ जबकि राज्य ने एसीएस-एआरआर अंतर का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, 2018-19 में एटीएंडसी हानि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	30.94	21.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	0.39	0.41

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि यूनिट औसत औसत राजस्व की प्राप्ति आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**बीएच- 5. ए: एटी एवं सी हानिया (%) वित्त वर्ष 2018**

स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उध्वाधर अंतरण**

▲ बिहार ने सिफारिश की है कि करों के समग्र विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% की जाए।

**उध्वाधर अंतरण के लिए सूत्र**

क्रम सं.	मापदंड	सुझाव की गई भार (%)
i)	बराबरी के मानदंड के रूप में आय अंतर	50.0
ii)	जनसंख्या (2011)	17.5
iii)	सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से गणना किए गए वंचित परिवार सूचकांक के अनुसार वंचित परिवार	10.0
iv)	जनसंख्या घनत्व (सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे पर दबाव के एक उपाय के रूप में)	10.0
v)	वृद्धिशील हरित क्षेत्र	7.5
vi)	दक्षता के 'व्यापक' सूचकांक पर आधारित राजकोषीय दक्षता	5.0

**राजकोषीय संकेतक**

- ▲ बिहार राज्या में अतिरिक्त राजस्व मौजूद है जिससे पूंजीगत व्यय के लिए उसके राजकोषीय बजट में पर्याप्त संभावनाएं हैं।
- ▲ हालांकि हाल के वर्षों में बिहार के पूंजीगत व्यय में कुल व्यय के प्रतिशत के साथ-साथ जीएसडीपी के रूप में सुधार हुआ है, लेकिन ये अनुपात 2018-19 में बिगड़ गए हैं।
- ▲ तथापि, इसने हाल ही में ऋण-जीएसडीपी अनुपात में 2012-13 के 27.1% की तुलना में 2018-19 में 31.9% तक वृद्धि दर्ज की है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने 2006 में अपना एफआरबीएम अधिनियम लागू किया था, और 2009, 2010 और 2016 में इसमें संशोधन किया था।
- ▲ इसने 2015-16 से एफआरबीएम लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।
- ▲ 2015-16 और 2016-17 में इसने एफडी-जीएसडीपी लक्ष्य का पालन नहीं किया, लेकिन 2017-18 से फिर से पालन करना शुरू कर दिया।
- ▲ एफसी- XV द्वारा निर्धारित ऋण संबंधी निर्देश के अनुसार, राज्य को राष्ट्रीय लक्ष्य का अनुसरण करने के लिए 2025-26 तक उचित ऋण-जीएसडीपी लक्ष्य प्राप्त करना है।
- ▲ इसलिए, राज्य को विश्वसनीय ऋण मार्ग अपनाने और भविष्य में आय के साधनों का सृजन करने के लिए व्यय का सावधानीपूर्वक सुधार करने की आवश्यकता है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	46.4	44.6	43	41.6	अनिर्धारित	अनिर्धारित	अनिर्धारित
वास्तविक रूप में प्राप्त	27.4	27.1	27.4	28.9	31.4	32.9	33.4
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	2.4	2.3	2.6	3.2	3.2	3.9	3.0

स्रोत:- बिहार सरकार



**बालिका शिक्षा**

- ▲ राज्य सरकार ज्ञापन के अनुसार, बिहार ने माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए लड़कियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करने की पहल की है।
- ▲ इसने पंचायत स्तर पर और अधिक माध्यमिक विद्यालय खोले हैं।
- ▲ इस पहल के माध्यम से लड़कियों के माध्यमिक स्कूल दाखिले में 30% की वृद्धि हुई है।
- ▲ 2005-06 से 2015-16 के दौरान, कम से कम 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करने वाली महिलाओं का अनुपात एनएफएचएस-3 के अनुसार 13.2% से बढ़कर एनएफएचएस-4 में 22.8% हो गया।

**महिलाओं के लिए आरक्षण**

- ▲ बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 में महिलाओं और पिछड़े समुदायों के लिए 50% ग्राम पंचायत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
- ▲ 2016 में, राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित कीं।

**पर्यटन**

- ▲ भारतीय पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में 2020 के अनुसार, 2019 में विभिन्न भारतीय राज्यों में 3.5% विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में बिहार 9वें स्थान पर रहा।<sup>1</sup>
- ▲ बिहार में भारत के सभी प्रमुख धर्मों - हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, और इस्लाम धर्मों के तीर्थ स्थान हैं।
- ▲ बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत राज्य में जगह-जगह फैले अनगिनत प्राचीन स्मारकों से परिलक्षित होती है।
- ▲ राज्य को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की रक्षा के लिए, उत्कृष्ट कला के इन केंद्रों की सुरक्षा, संरक्षण, पुनरुद्धार, और विकास करने की आवश्यकता है।

**संसाधनों को बचाने के लिए व्यय की गुणवत्ता में सुधार**

- ▲ राज्य के महालेखापरीक्षक के अनुसार, बिहार को विद्युत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली में सुधार करके अपने अपव्यय और घाटे पर लगाम लगाने की जरूरत है।
- ▲ इसके अलावा, उदय के प्रमुख मानकों के अनुरूप संतोषजनक निष्पादित न होना भी चिंता का विषय है।
- ▲ यदि राज्य बिजली पर खर्च को कम कर सकता है, तो यह अपने संसाधनों का उपयोग महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों और पूंजीगत परिसंपत्तियों पर कर सकता है।

मापदंड	एमओयू के अनुसार लक्षित अवधि	लक्ष्य		प्राप्ति (2017-18)	
		एनबीपीडीसीएल <sup>१</sup>	एसबीपीडीसीएल <sup>२</sup>	एनबीपीडीसीएल	एसबीपीडीसीएल
<b>वित्तीय</b>					
सकल ट्रांसमिशन और वाणिज्यिक हानि (%) में कमी (%)	2016-17	<34	<38	32.9 (प्राप्त)	42.8 (अप्राप्त)
	2017-18	<28	<30	34.3 (अप्राप्त)	38.8 (अप्राप्त)
बिलिंग दक्षता (%)	2016-17	>72	>66	70.7 (अप्राप्त)	60.4 (प्राप्त नहीं हुई)
	2017-18	>76	>70	76.0 (अप्राप्त)	71.6 (प्राप्त)
संग्रह करने की दक्षता (%)	2016-17	>92	>94	95.4 (प्राप्त)	88.9 (अप्राप्त)
	2017-18	>95	100	86.5 (अप्राप्त)	86.1 (अप्राप्त)

मापदंड	एमओयू के अनुसार लक्षित अवधि	लक्ष्य		प्राप्ति (2017-18)	
		एनबीपीडीसीएल <sup>१</sup>	एसबीपीडीसीएल <sup>२</sup>	एनबीपीडीसीएल	एसबीपीडीसीएल
<b>प्रचालन</b>					
फीडर मीटरिंग (ग्रामीण) (सं.)	30 जून 2016	650	240	310 (अप्राप्त)	332 (प्राप्त)
बिना बिजली कनेक्शन वाले परिवारों को बिजली (सं.)	2019-20	46.66 लाख	39.14 लाख	23.8 लाख (अप्राप्त)	28.1 लाख (अप्राप्त)

<sup>१</sup> नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्री ब्यूशन कंपनी लिमिटेड | <sup>२</sup> सॉउथ बिहार पॉवर डिस्ट्री ब्यूशन कंपनी लिमिटेड ।

स्रोत : एजी, बिहार, एफसी- XV को प्रस्तुत।

### सामाजिक संकेतक

- ▲ सभी स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रतिकूल हैं (देखें बीएच 2. घ)।
- ▲ शिक्षा और स्वास्थ्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति खर्च, प्रति व्यक्ति आय के साथ राज्यों के वर्ग औसत से कम है (नीचे तालिका देखें)।
- ▲ इन क्षेत्रों में और अधिक धनराशि प्रदान करना बेहद जरूरी है।

### 2018-19 में प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय (रु. में)

शिक्षा	स्वास्थ्य	राज्य
बिहार	520	2,267
झारखंड	840	2,093
मध्य प्रदेश	798	3,161
ओडिशा	1,166	3,624
उत्तर प्रदेश	707	2,113

### स्वास्थ्य अवसंरचना

- ▲ राज्य को बुनियादी स्वास्थ्य क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता है।
- ▲ डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों, स्वास्थ्य केंद्रों, और अस्पताल के बेड की उपलब्धता सभी औसत से कम है (देखें बीएच-3.क से 3.घ)।

### नीति आयोग (2019) के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग

- ▲ राज्य का एसडीजी सूचकांक मूल्य 50 है (60 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में) है और भारतीय राज्यों में 28वां रैंक (सबसे कम) है।
- ▲ तथापि, इसने एसडीजी-10 (असमानता कम करने) में अच्छी प्रगति दिखाई है और इस गति को बनाए रखने की जरूरत है।
- ▲ इसे एसडीजी-1 कोई गरीबी नहीं, एसडीजी-2 कोई भूखमरी नहीं, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य, एसडीजी-4 गुणवत्ता शिक्षा, एसडीजी-5 लिंग समानता, एसडीजी-12 सतत खपत और उत्पादन, और एसडीजी-13 जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
- ▲ इसे अपने निवेश पर नए सिरे से ध्यान देने और परिणामों पर बारीकी से नज़र रखने की जरूरत है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम<sup>2</sup>

- ▲ यह खुलकर करने वाला है कि 74 एसपीएसयू में से 65 के खातों में बकाया था, कुछ तो 1977-1978 तक का है।
- ▲ इन सभी की लेखा-परीक्षा करने की एक निश्चित समय-सीमा तय करते हुए इस मुद्दे पर प्राथमिकता पर ध्यान देने की जरूरत है।

- ▲ 31 मार्च 2017 तक राज्य सरकार ने 74 एसपीएसयू के लिए 53,892 करोड़ रुपए का दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराया था।
- ▲ इसमें से, पिछले पांच वर्षों के दौरान 39,492 करोड़ रुपए पाँव एसपीएसयू में निवेश किए गए (2012 में राज्य बिजली बोर्ड को पांच कंपनियों के समूह में बांटने के बाद)।
- ▲ बिहार ने राज्यों के पुनर्गठन के बाद से दो दशकों के बाद भी बिहार और झारखंड के बीच सात एसपीएसयू की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विभाजन पूरा नहीं किया है।
- ▲ बकाया देनदारियों, एसपीएसयू को पर्याप्त बजटीय सहायता और खातों में भारी बकाया को देखते हुए, राज्य को आकस्मिक देनदारियों के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो अतिरिक्त राजकोषीय बोझ डाल सकती है।
- ▲ एसपीएसयू के पुनर्गठन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम को उनके निष्पादन में आने वाली प्रमुख बाधा से निपटने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

### भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

- ▲ डिजिटल भारत भू-अभिलेखों से उपलब्ध सूचना के अनुसार आधुनिकीकरण कार्यक्रम, बिहार को अभी संपत्ति पंजीकरण सहित भू-अभिलेखों का एकीकरण, अधिकार अभिलेख का अद्यतीकरण (आरओआर) और भूकर संबंधी मानचित्रण का कार्य पूरा करना है।
- ▲ भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण के बिना राज्य निजी निवेश को आकर्षित नहीं कर सकता है।

### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार, 2011-2016 के दौरान आरएलबी को सौंपी गई और हस्तांतरित कुल निधियां में से 8,175 करोड़ रुपए (38%) का प्रयोग नहीं किया जा सका था।
- ▲ 2011-2016 के दौरान आरएलबी को सौंपी गई और हस्तांतरित कुल निधियों में से 4,637 करोड़ रुपए (38.6%) का प्रयोग नहीं किया जा सका था।
- ▲ बिहार में 28 यूएलबी ने हाल के वर्षों में उपलब्ध निधियों का 40% से कम उपयोग किया। यह संसाधन उपयोग में स्थानीय निकायों की कमजोर प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है।<sup>3</sup>
- ▲ यह स्थानीय निकायों की कमजोर प्रशासनिक क्षमता को इंगित करता है। इसलिए, राज्य को अगले पांच वर्षों में स्थानीय निकायों की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने में क्षमता में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- ▲ राज्य को स्थानीय निकायों के उनके प्रभावी सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक कर, भूमि जोतों, पथकर और प्रयोक्ता शुल्क जैसी कराधान शक्तियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार, पीआरआई जोतों, व्यावसायिक और पथकर और प्रयोक्ता शुल्क लगा सकती हैं। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि पीआरआई को अभी तक न तो इन राजस्वों को जुटाने के लिए अधिकृत किया है और न ही राज्य सरकार ने करों, शुल्क आदि की कोई दर अधिसूचित की है।
- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280(3)(खख) और (ग) में प्रतिष्ठीपित है, भारतीय वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान सिफारिशें करता है। राज्य सरकार को मार्च 2024 तक या उससे पहले एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, तथा उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित विवरणात्मक ज्ञापन को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

### प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाना

- ▲ जबकि बिहार सरकार ने एफसी- XV के साथ अपने कर्मचारियों की सूची साझा नहीं की, श्रम रोजगार पर ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (2015) पर श्रम ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि बिहार सरकार केरल और तमिलनाडु की तरह प्रति लाख जनसंख्या की तुलना में कम कर्मचारियों को नियुक्त करता है।
- ▲ प्रशासनिक प्रणाली और प्रभावी सेवा सुपुर्दगी को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

## राज्य सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
- ▲ बिहार उस समूह का हिस्सा है जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं।

## सुधार संकेतक

- ▲ बिहार के टीआरई का टीजीआर 2011 से 2019 तक 14.6% था, जबकि इसी अवधि के दौरान यह 11.7% का ओआरआर ओजीआर था। यह स्थिरता आर्थिक रूप से राज्य के लिए स्थिर नहीं है।
- ▲ बिहार राजस्व के अन्य स्रोतों (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) जैसे विद्युत शुल्क को जुटाने में सफल नहीं रहा है। दूसरी ओर, ओडिशा ने कैप्टिव पावर प्लांटों पर विशेष बिजली शुल्क लगाकर अपने ओटीआर (2018-19 में) का 10.7% विद्युत क्षेत्र में पूंजी निवेश के रूप में इस प्रकार सृजित राजस्व को खर्च करने की प्रतिबद्धता की है। बिहार सहित ऐसे सभी खनिज उत्पादक राज्यों द्वारा राजस्व अर्जित करने के ऐसे उपायों का पता लगाया जाना चाहिए।
- ▲ बिहार के ओआरआर के विभिन्न घटकों की अन्य राज्यों से तुलना का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:


राज्य	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में (2018-19)					ओटीआर प्रतिशत के रूप में (2018-19)				
	वैट/जीएसटी	स्टाम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य	वैट/जीएसटी	स्टाम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य
बिहार	4.1	0.8	0.0	0.1	0.6	74.4	14.2	0.0	0.9	10.5
झारखण्ड	3.9	0.2	0.4	0.1	0.4	79.1	3.1	7.3	1.4	9.0
मध्य प्रदेश	3.5	0.7	1.2	0.3	0.6	55.9	10.4	18.7	5.1	9.9
उड़ीसा	3.9	0.3	0.8	0.7	0.5	63.5	4.1	12.9	10.7	8.7
उत्तर प्रदेश	4.2	0.9	1.4	0.2	0.5	58.2	13.1	19.9	2.5	6.3
औसत	3.9	0.7	1.0	0.2	0.5	61.6	10.9	15.7	3.8	8.0
सभी राज्य	4.1	0.7	0.8	0.2	0.5	65.8	10.4	12.4	3.5	7.7

- ▲ 2018-19 में बिहार का 74.6व टीआरआर भारत सरकार से प्राप्त हुआ था, अपने संसाधन आधार में सुधार करने और अपने ओआरआर को कई गुना बेहतर बनाने का दायित्व राज्य का है।
- ▲ बिहार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अपने समान अन्य राज्यों की तुलना में भी सामाजिक संकेतकों में पीछे है।
- ▲ इसे अपने सामाजिक क्षेत्र पर अधिक दक्षता के साथ यह सुनिश्चित करते हुए अधिक खर्च करना चाहिए कि कम से कम समय में बेहतरीन परिणाम प्राप्त हों।
- ▲ तदनुसार, राज्य वार्षिक लक्ष्य के साथ एक रूपरेखा तैयार कर सकता है और एफसी-इंडेक्स की पांच वर्ष की अधिनिर्णय अवधि के दौरान वित्तीय आवंटन निर्धारित कर सकता है।
- ▲ इस प्रकार, एफसी-इंडेक्स अनुशांसा करता है कि बिहार व्यापक रूप से वित्तीय सुधारों के साथ-साथ इन मुद्दों पर विचार करे ताकि उन्नत संसाधनों के स्थायी उपाय सुनिश्चित हो सकें।
- ▲ अगले पाँच वर्षों में बिहार के सामाजिक और आर्थिक संकेतकों को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने के लिए, महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में निवेश, स्थिर पूंजी अवसंरचना में निवेश के अनुरूप किया जाना चाहिए।
- ▲ बिहार को बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करके अपव्यय और घाटे पर अंकुश लगाना चाहिए।

**टिप्पणियां**

- 1 सीएजी (2018), 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2018 की रिपोर्ट सं.1, बिहार सरकार।
- 2 भारत सरकार (2020), भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में - 2020, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।
- 3 सीएजी (2017), 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2017 की रिपोर्ट सं.4, बिहार सरकार।

## सीएच-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
25.6 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.2%



**क्षेत्रफल**  
1,35,192 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
4.1%



**वन आच्छादन**  
55,611 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
7.9%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
41.1%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.1% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,05,424  
रु. 1,40,422

(वि.व. 2019)  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
7.1%

(वि.व. 2019)  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%



**टीएफआर**  
प्रति महिला बच्चों  
2.2


(वि.व. 2019)  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
23.2%

(वि.व. 2019)  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## सीएच-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## सीएच-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## सीएच-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (रु. करोड़)

विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	1,58,074	77,44,945	2.0
2012-13	1,77,511	88,27,195	2.0
2013-14	2,06,833	1,00,07,392	2.1
2014-15	2,21,118	1,09,93,257	2.0
2015-16	2,25,163	1,21,91,256	1.9
2016-17	2,50,882	1,37,80,737	1.8
2017-18	2,74,042	1,54,20,126	1.8
2018-19	3,04,063	1,72,83,813	1.8


## सीएच-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




सीएच-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




सीएच-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



सीएच - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




सीएच-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>आ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>क</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एक</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>आ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

सीएच-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

सीएच - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


सीएच -3. बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार




सीएच- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स/फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

सीएच- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

सीएच- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




सीएच- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



सीएच- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




सीएच- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


सीएच-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



सीएच - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



सीएच-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




सीएच-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	1,05,424	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	21.4	13.4
ओटीआर	7.1	6.4
एनटीआर	2.5	1.1
टीई	24.2	16.1
ईएस	8.2	3.1
एसएस	7.9	5.4
जीएस	4.9	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	8.6	5.8
पूँजी व्यय	3.0	2.5
एफडी	2.7	2.5
आरडी	-0.2	0.2
ओडी	22.0	25.0

## सीएच- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
छत्तीसगढ़	15.7	15.0	9.4
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## सीएच- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित सभी 29 कार्य पीआरआई को हस्तांतरित किए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से, 17 कार्य यूएलबी को सौंप दिए गए हैं।

## लेखा-परीक्षा की स्थिति

- ▲ पीआरआई और यूएलबी दोनों के खातों की 2016-17 तक लेखा-परीक्षा की गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ एफसी- XIII द्वारा की गई अनुशंसा के बावजूद राज्य को अभी पीटीबी की स्थापना करनी है।

## सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक

कार्यों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
16	8	16	16

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## दूसरा एसएफसी (2012-2017)

- ▲ दूसरे एसएफसी ने सिफारिश की थी कि राज्य के निवल कर राजस्व का 8% स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाए।
- ▲ विभाज्य पूल में यूएलबी का हिस्सा 6.2% और यूएलबी का 1.9% होने की सिफारिश की गई थी।
- ▲ राज्य सरकार ने अंतरण से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

## तीसरा एसएफसी (2017-2022)

- ▲ तीसरे एसएफसी का गठन 2016 में किया गया था जिसने सितम्बर 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तथापि, एटीआर को अभी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है।
- ▲ राज्य सरकार ने वर्तमान में पालन किए जा रहे संसाधन के अंतरण संबंधी मानदंडों की जानकारी साझा नहीं की थी।
- ▲ राज्य सरकार एसएफसी के बारे में प्रासंगिक सांविधिक प्रावधानों और सिफारिशों का समय पर कार्यान्वयन करने के लिए कड़ाई से अनुपालन नहीं कर रही है।


**ऋण और हानि**

- ▲ 31 मार्च, 2019 को डिस्कोम का कुल ऋण 4,167 करोड़ रुपए हैं, जिसमें राज्य सरकार का ऋण 86 करोड़ रुपए है।
- ▲ यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली सब्सिडी बिना किसी बाधा के वांछित लाभार्थी तक पहुंचे, ठोस प्रणालीगत सुधार किए जाने की जरूरत है।
- ▲ राज्य को राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए उदय मानकों के निष्पादन में सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य 2018-19 में न तो एटीएंडसी घाटे और न ही एसीएस-एआरआर अंतराल के उदय लक्ष्य को प्राप्त कर सका।

महत्वपूर्ण उदय बैरोमीटर 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	27.3	15.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	0.4	-0.5

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**सीएच - 5. ए: एटी एवं सी हानिया (%) वित्त वर्ष 2018**

स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**कार्यक्षेत्र हस्तांतरण**

- ▲ छत्तीसगढ़ ने सिफारिश की है कि करों के समग्र विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% की जाए।

**क्षेत्रीय हस्तांतरण के लिए सूत्र**

क्रम सं.	मापदंड	भार (%)
i)	आय अंतर	35
ii)	वंचित परिवार (एसईसीसी 2011 के अनुसार)	15
iii)	क्षेत्र	15
iv)	जनसंख्या	15
v)	वन आच्छादित क्षेत्र	10
vi)	राष्ट्रीय जीएसवीए को खनन का योगदान	10

**राजकोषीय संतुलन**

- ▲ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनाए गए राजकोषीय संतुलन से एफडी-जीएसडीपी अनुपात 2014-15 में 3.6% से घटकर 2018-19 में 2.7% हो गया।
- ▲ छत्तीसगढ़ ने 2015-16 में सबसे कम 16.8% ऋण-जीएसडीपी अनुपात (सभी राज्यों में) हासिल किया, जो 2018-19 में 22.0% था।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने 2005 में एफआरबीएम अधिनियम लागू किया तथा 2011 और 2016 में इसमें संशोधन किया।
- ▲ राज्य ने 2014-15 में एफडी-जीएसडीपी अनुपात को छोड़कर, 2011-15 से 2014-15 के बीच कमोबेश सभी एफआरबीएम लक्ष्यों का पालन किया।
- ▲ तथापि, 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात लक्ष्य से अधिक था।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	22.5	23	23.5	23.9	13.7(*)	15.5(*)	17.1(*)
वास्तविक रूप में प्राप्त	10.8	10.9	12.0	14.0	16.8	17.6	22.0
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5(*)	3.5(*)	3.5(*)
वास्तविक रूप में प्राप्त	0.5	1.5	2.4	3.6	2.4	1.6	2.5

\* राज्य के एफआरबीएम संशोधन अधिनियम, 2016 में उल्लिखित एफसी- XIV की सिफारिशों के आधार पर। राज्य सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य प्रदान नहीं किए थे।

स्रोत : छत्तीसगढ़ सरकार

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

- ▲ छत्तीसगढ़ की आदर्श पीडीएस के रूप में सराहना की जाती है।
- ▲ इसने जनता को राशन वितरण में रिसाव और अक्षमता को दूर करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग किया है।
- ▲ पीडीएस की कार्यप्रणाली से प्राप्त लाभ बढ़ाने के लिए उपाए किए जाते रहने चाहिए।

**जिला खनिज फाउंडेशन**

- ▲ छत्तीसगढ़ सरकार ने डीएमएफ के तहत सभी 27 जिलों में 4,246.62 करोड़ रुपए प्राप्त किए ( जून 2019 तक की स्थिति )।
- ▲ इन धनराशि का उपयोग संवितरण के वित्तीय वर्ष के भीतर निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।
- ▲ यदि ये सावधि जमा में बेकार पड़े हैं तो यह दर्शाता है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध अप्रत्यक्ष निधियों का कम उपयोग किया गया है।
- ▲ राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान उनका शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

**वन और पर्यटन**

- ▲ छत्तीसगढ़ का लगभग 41% क्षेत्र वन आच्छादित है।
- ▲ राज्य को इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतियां विकसित करनी चाहिए, जिससे इस क्षेत्र से अधिक से अधिक संसाधनों का सृजन हो सके।

**लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना**

- ▲ जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों को सहायता देने के लिए 2013-14 में एमएफपी के लिए एक एमएसपी योजना शुरू की थी।
- ▲ तथापि, अप्रभावी खरीद प्रणाली के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी।
- ▲ इसलिए, राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक मंच और अन्य मौजूदा कार्यक्रमों जैसे ई-एनएएम का उपयोग करना चाहिए ताकि एक ठोस खरीद प्रणाली बनाकर योजना को लागू किया जा सके।

**वित्तीय दबाव बनना**

- ▲ हालांकि 2015-16 में 16.8% ऋण-जीएसडीपी अनुपात सभी राज्यों में सबसे कम था, फिर भी 2011-12 में इसमें 10.8% की वृद्धि हुई थी, जो दबाव के धीरे-धीरे बढ़ने का संकेतक है।
- ▲ 2018-19 में, संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत एफडी-जीएसडीपी अनुपात की 3% की सीमा की तुलना में राज्य ने 0.49% अतिरिक्त उधार लिया।<sup>1</sup>

**कम कृषि उत्पादकता**

- ▲ छत्तीसगढ़ को ‘‘भारत का धान का कटोरा’’ में गणना किए जाने के बावजूद, छत्तीसगढ़ में 2015-16 में धान की उपज केवल 31.88 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी ( 37.90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर राष्ट्रीय औसत की तुलना में )।<sup>2</sup>
- ▲ छत्तीसगढ़ सरकार ने धान किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए धान किसानों को 1,750 रुपए प्रति क्विंटल ( 2018-19 ) के अतिरिक्त 750 रुपए का बोनस दिया। इसे दीर्घावधि में धान की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी की उपलब्ध कराकर सहायता देनी चाहिए।
- ▲ इसके अलावा, राज्य को सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ठोस प्रयास करने की जरूरत है।

**शिक्षा**

- ▲ जनगणना 2011 के अनुसार 70.3% अखिल भारतीय साक्षरता की तुलना में छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर 73% थी।
- ▲ एएसईआर 2018 के अनुसार, सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा III में बच्चों का प्रतिशत 19.3% था ( पूरे भारत में 28.2% की तुलना में )।<sup>3</sup>
- ▲ इसलिए, राज्य को अपने शैक्षिक परिणामों में सुधार करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।

**स्वास्थ्य**

- ▲ राज्य को प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए ठोस पहल करने की आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है, जैसे कि प्रति 100,000 जीवित जन्म (2016) पर पूरे भारत में 130 मृत्यु दर (अन्य लोगों के लिए, सीएच-2घ देखें) की तुलना में यह 173 है।
- ▲ छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है:<sup>4</sup>
  - » 652 की स्वीकृत संख्या की तुलना में सीएचसी में विशेषज्ञों की 595 रिक्तियां (91.2%),
  - » 793 की स्वीकृत संख्या की तुलना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की 434 रिक्तियां (54.7%)।
- ▲ स्थिति से निपटने के लिए, राज्य दूर-दराज और आदिवासी क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए, एमबीबीएस डॉक्टरों को विशेषज्ञों में बदलने के लिए चिकित्सक और सर्जन कॉलेज से डिप्लोमा को मान्यता देने के महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण कर सकता है।
- ▲ इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में कमी को दूर करने के लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है।

**नीति आयोग (2019) के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग**

- ▲ राज्य भारतीय राज्यों की तुलना में 21वें रैंक पर है।
- ▲ राज्य एसडीजी-5 लिंग समानता, एसडीजी-6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, एसडीजी-11 स्थायी शहर और समुदाय, और एसडीजी-15 भूमि पर जीवन में अग्रणी है।
- ▲ राज्य को एसडीजी-1 कोई गरीबी नहीं, एसडीजी-2 कोई भुखमरी नहीं, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्यता, एसडीजी-7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-8 प्रतिष्ठित कार्य और आर्थिक विकास में सुधार करने की जरूरत है।

**पिछड़ापन**

- ▲ छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से 10 को आकांक्षी जिले माना जाता है।
- ▲ इसके अलावा, राज्य में 2011-12 में सभी राज्यों में उच्चतम गरीबी दर (39.9%) थी (तेंदुलकर पद्धति के अनुसार)।
- ▲ राज्य सरकार को कम आय के चुंगल से बाहर आने और सामाजिक परिणामों में सुधार करने के लिए एक समग्र कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है।
- ▲ इसके अलावा, राज्य नीति आयोग द्वारा निगरानी किए गए आकांक्षी जिलों की तर्ज पर, निचले पायदान पर 20% ब्लॉकों के विकास को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में लक्षित कर सकता है।

**वाम विंग चरमपंथी**

- ▲ राज्य के 27 जिलों में से, 14 जिले वाम विंग चरमपंथी से प्रभावित हैं।<sup>5</sup>
- ▲ इसके अलावा, 10 आकांक्षी जिलों में से 8 जिले देश के सबसे बुरी तरह प्रभावित 35 वाम विंग चरमपंथी जिलों में से हैं, जो उनके विकास के मार्ग में गंभीर बाधाएं उत्पन्न करते हैं।
- ▲ केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों को शामिल करते हुए एक ठोस और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने से इस स्थिति का समाधान हो सकता है।

**पाइप द्वारा जल आपूर्ति**

- ▲ छत्तीसगढ़ के केवल 9% ग्रामीण परिवारों को पीडब्ल्यूएस कनेक्शन उपलब्ध है (18.3% राष्ट्रीय औसत के आधे से कम)।
- ▲ राज्य को वर्षा जल संचयन और पेयजल के शुरु से अंत तक मूल्य श्रृंखला प्रबंधन जैसे किफायती और नवीन दृष्टिकोणों में संसाधनों का निवेश करने की आवश्यकता है।

**व्यापक गरीब जनसंख्या**

- ▲ अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के सामाजिक-आर्थिक संकेतक, भारत की सामान्य जनसंख्या ही नहीं बल्कि कई अन्य गरीब जनसंख्या समूहों की तुलना में भी काफी खराब हैं।

- ▲ छत्तीसगढ़ की 30% से अधिक जनसंख्या (जीएस में सबसे अधिक) अनुसूचित जनजाति है, जो बड़ी विकास कमी को दर्शाता है जिसे राज्य सरकार को दूर करना है।

### विद्युत क्षेत्र

- ▲ डिस्कॉम 2016 और 2019 के बीच एटीएंडसी घाटे में लक्षित कमी प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है। इसलिए, एटीएंडसी हानि को प्राथमिकता के आधार पर कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।
- ▲ डिस्कॉम को डीटी मीटरिंग (शहरी) (5% प्रगति), डीटी मीटरिंग (ग्रामीण) (7% प्रगति), फीडर पृथक्ता (13% प्रगति), स्मार्ट मीटरिंग (0% प्रगति) और एसीएस-एआरआर अंतर (0% प्रगति) जैसे उदय मापदंडों के आधार पर अपने कार्य-निष्पादन में काफी सुधार करने की आवश्यकता है।<sup>6</sup>

### स्थानीय निकाय

- ▲ यूएलबी के 18 कार्यों में से शेष 3 कार्यों को हस्तांतरित करने के उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- ▲ 2016 में गठित तीसरे एसएफसी ने अपनी रिपोर्ट सितंबर, 2018 में प्रस्तुत की थी। तथापि, एटीआर को अभी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है।
- ▲ एफसी- XIII की सिफारिशों के बावजूद, राज्य को अभी पीटीबी कर गठन करना है।
- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280(3)(खख) और (ग) में निहित होने के कारण, भारतीय वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान सिफारिशें करता है। राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, तथा राज्य विधायिका के समक्ष मार्च 2024 तक या उससे पहले व्याख्यात्मक ज्ञापन और उससे संबंधित की गई कार्रवाई प्रस्तुत करनी चाहिए।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम<sup>7</sup>

- ▲ 31 दिसंबर 2018 तक राज्य में कार्यरत नौ पीएसयू के 15 खातों में 1 से 4 वर्ष तक का बकाया था। इसके अतिरिक्त, एक गैर-कार्यरत पीएसयू के खाते में भी बकाया था।
- ▲ राज्य सरकार ने 10 राज्य पीएसयू में से पांच के लिए 2,597.3 करोड़ रुपए ( अनुदान के रूप में 302.4 करोड़ रुपए और राजसहायता के रूप में 2,294.9 करोड़ रुपए) प्रदान किए हैं, जिनके बही खातों को 31 दिसंबर 2018 तक अंतिम रूप दिया जाना है।
- ▲ वर्ष 2015-16 में 13 कार्यात्मक पीएसयू का 120.8 करोड़ रुपए का मुनाफा 2017-18 में घटकर 93.9 करोड़ रुपए रह गया। इनमें से दस पीएसयू ने कुल 94.3 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था जबकि तीन पीएसयू को घाटा हुआ था। उनमें से आठ ने एकाधिकार लाभ लेते हुए बजटीय सहायता, प्रतिशत, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि से आय सुनिश्चित की तथा 97.4% लाभ (91.8 करोड़ रुपए) कमाया।

### राज्य का सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ उस समूह का हिस्सा है जिसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब शामिल हैं।

### सुधार संकेतक

- ▲ राज्य ने राजस्व बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और अनुपालन में सुधार के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार को वि.आ.-XV की अधिनिर्णय अवधि के दौरान भी सुधार और राजस्व सृजन की गति को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
- ▲ छत्तीसगढ़ बिजली के अलावा सड़क, सिंचाई, और पानी की आपूर्ति तथा स्वच्छता में लगातार निवेश कर रहा है। यह रुझान काफी अच्छा है और दीर्घावधि में इसका सकारात्मक लाभ मिलेगा।
- ▲ अपने वर्ग के राज्यों में, छत्तीसगढ़ (खनिज) और राजस्थान (तेल) को रॉयल्टी से अधिकतम आय प्राप्त हुई। राज्यों को भविष्य में भी इस प्रगति को बनाए रखना चाहिए।




- ▲ एक आदर्श पीडीएस होने के नाते राज्य को पीडीएस में प्राप्त लाभ को सुदृढ़ करना जारी रखना चाहिए।
- ▲ राज्य सरकार को दीर्घावधि आधार पर धान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- ▲ इसके अलावा, राज्य को अपने 31.2% सिंचाई क्षेत्र को कम से कम 48.6% के राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।

#### टिप्पणियाँ

- 1 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2 भारत सरकार (2018), कृषि सांख्यिकी, 2018, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 3 एएसईआर (2018), वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018, एएसईआर केंद्र।
- 4 भारत सरकार (2018), ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 5 फरवरी 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा साझा किए गए अनुसार।
- 6 उदय वेबसाइट पर प्रदर्शित अनुसार 31 मार्च 2019 को स्थिति।
- 7 सीएजी (2020), 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2020 की रिपोर्ट सं. 01, छत्तीसगढ़ सरकार।

## गो-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
1.5 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
0.1%



**क्षेत्रफल**  
3,702 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
4.1%



**वन आच्छादन**  
2,237 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
60.4%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.4% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
₹ 4,76,370  
₹ 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
6.7%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
1.7  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
62.2%  
अखिल भारत औसत  
31.1%

## गो-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## गो-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## गो-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (₹ करोड़)


राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर	
2011-12	42,367	77,44,945	0.6
2012-13	38,120	88,27,195	0.4
2013-14	35,921	1,00,07,392	0.4
2014-15	47,814	1,09,93,257	0.4
2015-16	55,054	1,21,91,256	0.5
2016-17	62,976	1,37,80,737	0.5
2017-18	69,352	1,54,20,126	0.5
2018-19	73,170	1,72,83,813	0.4

## गो-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


गो-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




गो-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



गो - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




गो -2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>अ</sup> डीआई एसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक साराणियां) | <sup>अ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>अ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>अ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>अ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

गो-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

गो - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

गो -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

गो- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति परिचारिका /फार्मसिस्ट (गोवा के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है )




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

गो- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


गो- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




गो- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



गो- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




गो- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय



नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


गो -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



गो - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



गो-4. जी: जीएसडीपी से पूंजीव्यय का अनुपात




गो-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक(2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	4,76,370	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	15.6	13.4
अन्य	6.7	6.4
एनटीआर	3.9	1.1
टीई	18.1	16.1
ईएस	4.2	3.1
एसएस	5.9	5.4
जीएस	5.0	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	7.4	5.8
पूँजी व्यय	3.0	2.5
एफडी	2.5	2.5
आरडी	-0.5	0.2
ओडी	27.9	25.0

## गो- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
गोवा	10.8	11.6	8.1
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## गो- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## त्रिस्तरीय

- राज्य सरकार के अनुसार गोवा में 191 ग्राम पंचायतों के रूप में पीआरआई का केवल एक स्तर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 ख(2) में यह प्रावधान है कि यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। 2011 में गोवा की जनसंख्या 14.59 लाख थी।
- तथापि पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि बेहतर प्रशासन के लिए गोवा में जिला पंचायतों का गठन किया जाए हालांकि यह एक संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है।

## सौंपे गए कार्य

- संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से 8 को पूरी तरह से और 2 आंशिक रूप से यूएलबी को सौंपे गए हैं।
- राज्य सरकार ने आरएलबी को सौंपे गए कार्यों की सूचना नहीं दी।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- यूएलबी के खातों की लेखापरीक्षा 2017-18 तक और आरएलबी की लेखा परीक्षा 2016-17 तक पूरी हो चुकी है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- एफसी XIII द्वारा अनुशंसित पीटीबी को अभी गोवा में स्थापित किया जाना है।

## सभी राज्यों में अंतरण सूचकांक रैंक

कार्य रैंक	कार्यकर्ता रैंक	वित्तक रैंक	नीति रैंक में कुल अंतरण
16	12	16	17

स्रोत: भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।

## पहला एसएफसी

- पहले एसएफसी का गठन अप्रैल 1999 में हुआ था और एटीआर नवंबर 2001 में प्रस्तुत की गई थी।

## दूसरा एसएफसी

- दूसरे एसएफसी का गठन अगस्त 2005 में हुआ था और रिपोर्ट दिसंबर 2007 में प्रस्तुत की गई थी। यूएलबी को दिया जाने वाला कर राजस्व का कार्य मुख्य रूप से भूमि राजस्व और खानों और खनिजों की रॉयल्टी का प्रतिशत होगा।

- ▲ पीआरआई के लिए निर्धारित अंतरण राज्य के अपने राजस्व का 2% होगा।
- ▲ दूसरे एसएफसी की एटीआर को अभी विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना है।

### तीसरा एसएफसी

- ▲ तीसरा एसएफसी का गठन जनवरी 2017 में किया गया था। तथापि इसकी रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत नहीं की गई है। आदर्श रूप से पांचवें एसएफसी को अब तक स्थापित कर दिया जाना चाहिए था।

### अन्य टिप्पणियां


- ▲ एफसी.XV के लिए गोवा सरकार के ज्ञापन के अनुसार पंचायत निदेशालय गोवा सरकार ने दूसरे एसएफसी की विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन करने और तदनुसार तीसरे एसएफसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित करने की मांग की है। राज्य सरकार ने वर्तमान में स्थानीय निकायों के संसाधनों को अंतरित करने के लिए अपनाए जा रहे मानदंडों की सूचना प्रदान नहीं की है।
- ▲ राज्य सरकार एसएफसी का गठन करने और सिफारिशों को लागू करने में प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं कर रही है।

प्रमुख उदय बैरोमीटर (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटीएंडसी हानि (%)	15.7	15.0
एसीएसएआरआर अंतर (रुपए प्रति यूनिट)	0.4	-0.2

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

### गो- 5. ए: एटी एवं सी हानिया (%), वित्त वर्ष 2018



स्रोत- भारत सरकार (2019) उदय समाचार.पत्रिकाए जनवरी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार



**लंबवत हस्तांतरण**

- ▲ गोवा ने प्रस्ताव किया है कि करों के समग्र विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% की जाए।

**क्षैतिज हस्तांतरण का फार्मुला**

क्रमांक	मानदंड	भारत (%)
i)	जनसंख्या 2011 और जनसांख्यिकी परिवर्तन (1971 के अर्धधीन)	25.0
ii)	आय अंतर	45.0
iii)	वित्तीय अनुशासन	5.0
iv)	मापनीय निष्पादन	10.0
v)	क्षेत्र	7.5
vi)	वन आच्छादन	7.5

**केंद्रीय हस्तांतरण पर कम निर्भरता**

- ▲ 2018-19 में, केंद्रीय हस्तांतरण गोवा के टीआरआर के 33% (जीएस और सत 44%) से कम था।
- ▲ राज्य ने लगातार 2011-12 से 2016-17 तक सभी राज्यों में से जीएसडीपी अनुपात का उच्चतम गैर-कर राजस्व प्राप्त किया।
- ▲ यह राज्य के स्वयं के संसाधनों पर अधिक निर्भरता दर्शाता है यह ऐसा रुझान है जिसे राज्य को निरंतर बनाए रखना चाहिए।

**उच्चतम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**

- ▲ गोवा 2011-12 से 2018-19 तक लगातार सभी राज्यों में उच्चतम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी प्राप्त करने में सक्षम रहा है। राज्य को ऐसी नीतियों को लागू करना जारी रखना चाहिए जो इस रुझान को बनाए रखें।

**नीति आयोग (2019) के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग**

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड, 2019.20 के अनुसार राज्य भारतीय राज्यों में 7वें स्थान पर है।
- ▲ इसके अलावा राज्य ने 2011-12 में सभी राज्यों में 5.1% की निम्नतम गरीबी दर हासिल की थी जबकि उस वर्ष में भारत की गरीबी दर 21.9% थी (तेंदुलकर पद्धति)
- ▲ राज्य एसडीजी-2 कोई भुखमरी नहीं, एसडीजी-8 प्रतिष्ठित कार्य और आर्थिक विकास में सुधार, एसडीजी-11 स्थायी शहर और समुदाय, एसडीजी-15 भूमि पर जीवन और एसडीजी-16 शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थान के क्षेत्र में अग्रणी है।
- ▲ राज्य को ऐसे नीतिगत कार्य करना जारी रखना चाहिए जिनसे ऐसे सामाजिक परिणामों का विस्तार हो।

**समग्र जल प्रबंधन सूचकांक**

- ▲ नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2019 के अनुसार, गोवा को 2017-18 में 17 गैर-हिमालयी राज्यों में चौथा स्थान दिया गया है।
- ▲ 2016-17 में राज्य ने अपनी रैंक में पर्याप्त सुधार करके इसे 11वें स्थान पर पहुंचाया है।
- ▲ इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य अपनी कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं को जारी रखे।

**पाइप द्वारा जल आपूर्ति**

- ▲ गोवा ने इस मापदंड पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है क्योंकि यह 78% पीडब्ल्यूएस कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों का तीसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है, जबकि अखिल भारतीय कवरेज केवल 18.3% है।

**पर्यटन प्रोत्साहन**

- ▲ गोवा को देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन-स्थल माना जाता है।
- ▲ फिर भी इस राज्य को एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास किये जाने से इसे पर्यटकों के एक सर्वोत्तम स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है और आय और रोजगार में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है।

**राजकोषीय अनुशासन**

- ▲ गोवा को ऋण-जीएसडीपी अनुपात इस समय अस्थिरता के स्तर पर है, यद्यपि यह 2013-14 के 35.3% से घटकर 2018-19 में 27.9% तक हो गया था।

**एफआरबीएम का अनुपालन**


- ▲ इस राज्य ने 2006 में एफआरबीएम अधिनियम तैयार किया था और इसमें 2014 में संशोधन भी किया था।
- ▲ गोवा 2013-14 और 2015-16 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात के एफआरबीएम लक्ष्य हासिल नहीं कर सका था और 2013-14 में एफडी-जीएसडीपी अनुपात भी हासिल नहीं कर पाया था।
- ▲ इसके अलावा 2016-17 और 2017-18 में ऋण जीएसडीपी अनुपात एमआरबीएम लक्ष्य से मामूली ही कम था।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	30.0	30.0	30.0	30.0	27.0	27.0	27.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	22.6	29.5	35.3	29.0	28.3	26.7	26.8
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	2.1	3.0	3.8	2.0	2.7	1.5	2.3

स्रोत:- गोवा सरकार

**बेरोजगारी की दर**

- ▲ 2017-18 के सामान्य स्तर (प्रधान और सहायक) के अनुसार पिछले 15 और इससे भी अधिक वर्षों में लोगों की बेरोजगारी की दर के मामले में सभी राज्यों में गोवा का दूसरा सबसे बड़ा स्थान रहा है।
- ▲ अतः इस राज्यों में श्रम आधारित क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि और अधिक रोजगार पैदा किये जा सकें।

**जीओ-5 ख:- भारत के प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी की दर सामान्य प्रधान स्तर दृष्टिकोण % में**

स्रोत:- भारत सरकार 2018 अधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

**विद्युत क्षेत्र**

- ▲ राज्य सरकार ने आज की तारीख तक विद्युत विभाग को अलग नहीं किया है। अतः इस सम्बंध में यथोचित कार्रवाई किये जाने की जरूरत है।
- ▲ यद्यपि राज्य को 2016-17 और 2018-19 में लक्षित एटीएण्डसी हानि हुई थी, फिर भी तब तक अर्जित लाभ भी उल्टा हो गया, ऐसा लगता है, 2018-19 में एटीएण्डसी हानि 15.7% तक पहुंच गई थी (जब कि उस वर्ष लक्ष्य 15%) का था।
- ▲ भविष्य में इस राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए इस राज्य की यूडीएवाई के बैरोमीटर्स में पर्याप्त सुधार किये जाने की जरूरत है।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ बाकी कार्य स्थानीय निकायों को सौंपने के लिए उपाय किये जाने की जरूरत है।
- ▲ एसएफसी का गठन नियमित रूप से नहीं किया है। दूसरी एसएफसी जिसका गठन 2005 में किया गया था, की सिफारिशों पर राज्य सरकार अभी भी विचार कर रही है। तीसरी एसएफसी का गठन 2016 में किया गया था ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।
- ▲ राज्य को अभी भी अपने पीटीबी का गठन करना है जबकि एफसी-13 की सिफारिशों को 2014-15 तक लागू कर दिया जाना चाहिए था।
- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) और (ग) के अनुसार एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर ही वित्त आयोग स्थानीय निकायों को अनुदानों की सिफारिश करता है। अतः राज्य सरकार को एसएफसी का गठन अवश्य करना चाहिए और उसकी सिफारिशों का अनुपालन करना चाहिए तथा इस प्रकार की गई कार्रवाई से सम्बंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन को मार्च 2024 तक या उसके पहले राज्य विधान मंडल के समस्त अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए।

**सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान<sup>2</sup>**

- ▲ गोवा में कार्यरत 15 सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में से 13 प्रतिष्ठानों का 46 खातों में बकाया रह रहा था (और यह बकाया 1 से लेकर 11 वर्षों तक का था)
- ▲ जिन वर्षों में लेखा पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है उन वर्षों में राज्य सरकार ने 441.90 करोड़ रुपये का बजट समर्थन दिया है।
- ▲ खातों की लेखा परीक्षा न किये जाने से राजकोष पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और लक्ष्य को न प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है जिसके लिए वित्तीय समर्थन भी देना पड़ा है।

**राज्य का सुधार समूह**

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्यों को उनकी प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर उनके समूहों में बांटा गया है। गोवा जिस समूह में है उसमें गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और हरियाणा आते हैं।

**सुधार के संकेतक**

- ▲ 2011 और 2019 के बीच गोवा के टीआरई और टीजीआर 10.8% पर रहे और आरआर और टीजीआर से अधिक हो गया है। जिसे लम्बे समय में वित्तीय दृष्टि से हासिल करना नामुमकिन हो जायेगा। अतः इस राज्य को अपने ओआरआर में पर्याप्त सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ गोवा के पास अपने ओटीआर के प्रतिशत के रूप में अपने राजस्व में सुधार करने की पर्याप्त गुंजाइश है ऐसा विशेषकर उत्पाद शुल्क, पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क में किया सकता है।
- ▲ यदि खनन उद्योग को पर्यावरण की दृष्टि से संभव नहीं पाया जाता है तो इस राज्य को राजस्व के वैकल्पिक संसाधनों का पता लगाना पड़ेगा।


**नोट:**

- 1 जीओआई (2018) एन्यूअल रिपोर्ट ऑफ पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-2018 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार।
- 2 सीएजी 2016 अध्याय-3 सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान और सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक क्रिया कलाप 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट, गोवा सरकार द्वारा प्रकाशित।

(



## जीजे -1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**60.4 मिलियन**  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**5.1%**



**क्षेत्रफल**  
**1,96,244 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**6.0%**



**वन आच्छादन**  
**14,857 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
**2.1%**  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**7.6%**

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.7%** ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
**रु. 2,22,487**  
**रु. 1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**जीएसडीपी को कर**  
**5.3%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**




**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चों**  
**2.0**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**




**शहरीकरण दर**  
**42.6%**  
अखिल भारत औसत  
**31.1%**

## जीजे-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## जीजे-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## जीजे-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (रु. करोड़)


वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	6,15,606	77,44,945	8.0
2012-13	7,24,495	88,27,195	8.2
2013-14	8,07,623	1,00,07,392	8.1
2014-15	9,21,773	1,09,93,257	8.4
2015-16	10,29,010	1,21,91,256	8.4
2016-17	11,67,156	1,37,80,737	8.5
2017-18	13,29,095	1,54,20,126	8.6
2018-19	15,02,899	1,72,83,813	8.7

## जीजे-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


जीजे -2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




जीजे -2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



जीजे - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




जीजे -2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>अ</sup> डीआईई एसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>अ</sup> डीआईईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>अ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>इ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>अ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

जीजे-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कमी (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

जीजे - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


जीजे -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार




जीजे- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

जीजे- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


जीजे 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




जीजे- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



जीजे- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




जीजे- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


जीजे-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



जीजे - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



जीजे-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




जीजे-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	2,22,487	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	9.1	13.4
ओटीआर	5.3	6.4
एनटीआर	0.9	1.1
टीई	10.8	16.1
ईएस	2.1	3.1
एसएस	3.6	5.4
जीएस	3.1	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	3.3	5.8
पूंजी व्यय	2.0	2.5
एफडी	1.8	2.5
आरडी	-0.2	0.2
ओडी	19.0	25.0

## जीजे- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
गुजरात	11.7	11.1	8.6
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## जीजे- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की आठवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से 19 कार्यों को राज्य ने आरएलबी को सौंप दिया है।
- ▲ संविधान की 12वीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों को यूएलबी को सौंप दिया गया है।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ नगर निगमों की लेखा परीक्षा 2013-14 तक की और नगरपालिकाओं की 2016-17 तक की पूरी हो चुकी है।
- ▲ जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों की लेखा परीक्षा 2016-17 तक की और ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा 2015-16 तक की पूरी हो चुकी है।

## सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ एफसी-13 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पीटीबी के कार्यों को 2011 में गुजरात म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड (जीएमएफबी) गांधी नगर को सौंप दिए गए हैं।
- ▲ बोर्ड यथा अपेक्षित सौंप गये कार्य को पूरा कर रहा है।

## सभी राज्यों में सौंपे गये कार्य का सूचकांक स्तर

कार्य रैंक	कार्यकारिणी रैंक	वित्तीय रैंक	पॉलिसी रैंक में सकल अंतरण
4	8	12	10

स्रोत: भारत सरकार डिबोल्डिंग इन्डेक्स रिपोर्ट

## द्वितीय एसएफसी 2005-06 से 2009-10

- ▲ सीएजी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार दूसरे एसएफसी की 41 सिफारिशों, जो कि आरएलबी पीआरआई से सम्बंधित थी, मे से 20 (49) को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था और अंततः केवल 7 (17%) को ही लागू किया गया था।
- ▲ दूसरे एसएफसी की 42 सिफारिशों जो कि यूएलबी से सम्बंधित थी, मे से 20 (48%) को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था और अंततः केवल 14 (33%) को ही लागू किया गया था।

## तीसरा एसएफसी (2013-14 से 2019-20)

- ▲ यद्यपि तीसरे एसएफसी ने दिसम्बर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, फिर भी एटीआर को अभी एसेम्बली के पहल पर रखा जाना है।

## ऋण और हानि


- ▲ 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम की कुल इक्विटी और देयता 673 करोड़ रुपये की थी जिसमें राज्य सरकार पर उधारी 187 करोड़ रुपये की थी।
- ▲ गुजरात ने 2018-19 में यूडीए वाई के अंतर्गत एटी एण्ड सी हानि के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है और एसीएस-ए आरआर के अंतर को कम कर दिया है।

प्रमुख उदय बैरोमीटर	उपलब्धि	लक्ष्य
एटीएण्ड सी हानि (%)	14.0	13.0
एसीएस-एआरआरअंतराल	-0.02	-0.06

नोट:- (-) एसीएस-एआरआर अंतराल यह दर्शाता है कि प्रति ईकाई राजस्व की प्राप्ति आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

## जीजे 5 ए- एटी एण्ड सी हानियां (%)



स्रोत:- भारत सरकार 2019 न्यूज लेटर ऑफ यूडीए वाई ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार

**ऊर्ध्वाधर अंतरण**

- ▲ गुजरात का विचार है कि राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर विभाज्य पूल 50 % तक कर दिया जाये

**क्षैतिज अंतरण का सूत्र**

क्र.सं.	मानक	भार
i)	जनसंख्या (2011)	25.0
ii)	शहरीकरण	5.0
iii)	क्षेत्रफल	15.0
iv)	आयगत दूरी	35.0
v)	आय अंतर	12.5
vi)	राजकोषीय विषय	7.5

**राजकोषीय विषय**

- ▲ इतने वर्षों में गुजरात के द्वारा इस राजकोषीय मार्ग का अनुसरण करने से इक्स एफडी-जीएसडीपी अनुपात 2012-13 के 2.3% से घटकर 2018-19 से 1.8 % तक आ गया था।
- ▲ अतः इस राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर्ज का सहारा नहीं लिया है।
- ▲ इस अवधि में इस राज्य का ऋण-जी एसडीपी अनुपात 23% से कम होकर 19.0% हो गया था।
- ▲ जहां एक ओर यह रुख यह दर्शाता है कि वित्तिय गुन्जाइश में बढ़ोत्तरी हुई है, इसी अवधि के दौरान वहीं दूसरी ओर पूंजीगत व्यय-जीएसडीपी अनुपात 3.1% से कम होकर 2.0% तक आ गया था।
- ▲ सरकार के लिये यह बुद्धिमत्ता की बात होगी कि उपलब्ध संसाधनों को लाभपूर्ण ढंग से पूंजीगत व्यय में लगाया जाये जिससे कि भविष्य में राजस्व की धारा प्रवाहित होती रहे।

**एमआरबीएम अनुपालन**

- ▲ इस राज्य ने 2005 में एफआरबीएम एक्ट बनाया था 2011 में इसमें संशोधन भी किया गया था।
- ▲ हालांकि ऋण -जीएसडीपी अनुपात हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि राज्यों के एफआरबीएम एक्ट में केवल पब्लिक ऋण-जीएसडीपी का अनुपात दिया गया होता है और इस लोक लेखा की देयता को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

Ratios as %	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	25.3	22.0	20.6	19.8	18.2	18.2	18.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	24.5	23.0	22.7	21.9	21.5	20.8	19.3
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	2.8	2.8	2.5	2.5	2.5
वास्तविक रूप में प्राप्त	1.8	2.3	2.3	2.0	2.2	1.4	1.6

नोट:- राज्यों के एफआरबीएम एक्ट में केवल पब्लिक ऋण-जी एसडीपी अनुपात का लक्ष्य दिया गया होता है। अतः लोक लेखा को राज्यों के एफआरबीएम एक्ट का लक्ष्य नहीं बनाया जाता है।

स्रोत गुजरात सरकार

### अपने ही कोष पर उच्च निर्भरता

- ▲ गुजरात का ओटीआर 2018-19 के ओआरआर का 85.7% और टीआरआर का 58.9% था जबकि इसी अवधि में सभी राज्यों का (औसत) ओटीआर ओआरआर का 84.3% और टीआरआर का 45.2% था।

### जीएसवीए में गैर प्राथमिक क्षेत्र की उच्च हिस्सेदारी

- ▲ 2015-16 और 2018-19 में, जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 17.6% और 16.4% थी, जिससे पता चलता है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौशल परक श्रमिकों की अच्छी मौन है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था का 80% होता है।
- ▲ अन्य राज्यों से ढरे सारे श्रमिक लाभप्रद काम की तलाश में गुजरात चले जा रहे हैं।

### पत्तन-परिणामी अर्थ व्यवस्था

- ▲ राज्य को चाहिए कि यह अपने पत्तनों के विकास और उन्नयन पर लगातार ध्यान देता रहे कि आर्थिक विकास की गति बनी रहे।

### नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक 2019 में स्थान

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी इण्डिया इंडेक्स एण्ड डैशबोर्ड के अनुसार भारत के सभी राज्यों में इस राज्य का नौवां स्थान है।
- ▲ एसडीजी-6 क्लीन वाटर एण्ड सैनिटेशन एसडीजी-7 एफोर्डबल एण्ड क्लीन इनर्जी एसडीजी-8 डिसेट वर्क एण्ड इकोनामिक ग्रोथ और एसडीजी-9 इन्डस्ट्री इनोवेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में इस राज्य ने अच्छा काम किया है।
- ▲ फिर भी इस राज्य को अभी एसडीजी-1 नो पार्वी, एसडीजी-2 जैसे हैंगर, एसडीजी-3 गुड हेल्थ एण्ड वेलबींग, एसडीजी-5 जेन्डर इक्विटी, एसडीजी-10, रिड्यूएड इनटूक्रीटीज, एसडीजी-11 सस्टेनबल सिटीज एण्ड कम्यूनिटीज और एसडीजी-15 लाइफ आन लैंड के क्षेत्र में अपने कार्य को और बेहतर करने की जरूरत है।
- ▲ गुजरात को ऐसी नीतियों और कार्यों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे और अधिक विद्युत क्षेत्र, सामाजिक परिणाम प्राप्त हो सके।

### विद्युत क्षेत्र

- ▲ डिस्कॉम्स ने 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में एटीएण्ड सी हानि को कम करने में बहुत ही बढ़िया काम किया है और ऐसा मुख्य रूप से लगातार किये जा रहे क्षमता सुधार उपायों के कारण हुआ है।
- ▲ इस राज्य के चारो डिस्कॉम्स 2010-11 से लगातार लाभ अर्जित कर रहे हैं।
- ▲ 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार यूडीएवाई बैरोमीटर्स के लगभग सभी लक्ष्यों (स्मार्ट मीटरिंग को छोड़कर) में यह राज्य अग्रणी रहा है।
- ▲ मजबूत और सुव्यवस्थित सुधार की जरूरत है ताकि बिना किसी गड़बड़ घोटाला के विद्युत सब्सिडी वांछित लाभानुभोगियों तक पहुंच सके।

### आकांक्षी जिले

- ▲ नर्मदा और दाहोद जिलों को नीति आयोग ने विकास और मानीटरिंग के लिए आकांक्षी जिलों के रूप में अभिज्ञान किया है।

### पाइप जल आपूर्ति:-

- ▲ गुजरात ने इस प्रतिमान में बहुत ही बढ़िया काम किया है जबकि यहां पर जल की कमी भी है।
- ▲ पीडब्ल्यू एस कनेक्शन्स से ग्रामीण घरों में जल की आपूर्ति कने में गुजरात की प्रतिशतता दूसरी सबसे बड़ी है (79%) जबकि अखिल भारतीय औसत केवल 18.3% है।

### प्रतिषेध की नीति

- ▲ गुजरात सरकार ने बताया है कि जो प्रतिषेध नीति के कारण 10,000 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है, अपराध की दर में कमी आने, महिलाओं की सुरक्षा आदि के बढ़ने से उसकी भरपाई हो गयी है और इससे इस राज्य में स्वास्थ्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश पैदा हो गया है।

**ओटीआर में उछाल**

- ▲ 2011-2017 की अवधि के मापन पद ओटीआर में उछाल 0.5.3 था वह 2014-17 जीएसटी के पूर्व समय में 0.20 कम था। इस प्रकार की कमी से जाहिर होता है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर कर संसाधनों को पैदा करने में इस राज्य की कमजोरी प्रकट हुई है।

**ओआरआर में गिरावट**

- ▲ 2018-19 में गुजरात का ओआरआर/टीआरआर 68.8% जो कि हरियाणा (76.7%) से पीछे है यद्यपि इन दोनों के प्रति व्यक्ति आय एक जैसी ही है।

**ब्याज का भुगतान**

- ▲ 2011-12 और 2016-17 के बीच गुजरात को आरई के 17%-18% तक का ब्याज अदा करना पड़ा है।
- ▲ ब्याज लागत की दृष्टि से गुजरात का स्थान भारत के शीर्षस्थ तीन राज्यों में आता है।
- ▲ पूंजीगत और सामाजिक क्षेत्रीय निवेश के लिए संसाधनों को मुक्त कराने के लिए ब्याज का भुगतान कम करना पड़े, इसके लिए इस राज्य को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

**परिवहन क्षेत्र**

- ▲ गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ( जीएसआरटीसी ) को 2011-12 से लगातार घाटा हो रहा है, जिससे राज्य सरकार पर भार बढ़ता जा रहा है।
- ▲ जीएसआरटीसी का कुल संचित घाटा 4722 करोड़ रुपये 2014-15 का था
- ▲ 2012-13 से 2014-15 तक के तीन वर्षों में इसका निवल मूल्य ऋणात्मक रहा है।

**स्वास्थ्य**

- ▲ गुजरात कुछ प्रमुख सूचकांकों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहा है।
  - ▲ उदाहरण के तौर पर एनएफएचएस-4 (2015-16) के अनुसार गुजरात के 26.4% बच्चे बेकार हो जाते हैं जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 21% का है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिससे यह प्रकट होता है कि अनसूचित जनजाति के बच्चों की स्थिति बहुत ही खराब है।
  - ▲ यद्यपि इस राज्य के टीकाकरण की स्थिति में सुधार आया है जो कि, एनएफएचएस-3 (2005-2006) के 45.2 % से बढ़कर 2015-16 में 50.4 % (राष्ट्रीय औसत 62%) हो गया है। इस प्रकार इस दृष्टि से 28 राज्यों में गुजरात का 26 वां स्थान होता है।
  - ▲ 2016-17 में, स्वास्थ्य पर जीएसडीपी का 0.7% खर्च हुआ है। जबकि जीएस औसत 0.8% का रहा है।

**शिक्षा**

- ▲ गुजरात को अपने शिक्षा सम्बंधी कई मानकों में सुधार किये जाने की जरूरत है।
  - 2016-17 में, द्वितीयक निवल नामांकन अनुपात 47.9 % का (राष्ट्रीय औसत 51.8%) और उच्च द्वितीयक एनईआर 27.1% का (राष्ट्रीय औसत 31.0%) (यूडीआईएसई 2016-17 के अनुसार)
  - यूडीआईएसई, 2016-17 के अनुसार, शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कों की तुलना में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात गुजरात में राष्ट्रीय औसत से कम रहा है (जेन्डर पैरिटी इन्डेक्स के अनुसार)

स्तर	लिंग समानता सूचकांक, गुजरात	लिंग समानता सूचकांक, गुजरात
प्रारंभिक	1.0	1.1
माध्यमिक	0.9	1.0
उच्चतर माध्यमिक	0.9	1.0
स्त्रोत: यूडीआईएसई, 2016-2017	0.9	1.0

- 2016-17 में गुजरात में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 6.5 था ( जबकि राष्ट्रीय औसत 5.7 था) यहीं स्थिति सेकन्डरी लेवल पर 24.1 (राष्ट्रीय औसत 19.9) और हायर सेकन्डरी लेवल पर 6.56 (राष्ट्रीय औसत 6.0) थी।
- इस राज्य में ग्रेड-3 में ऐसे बच्चों का औसत जो जोड़-घटा के सवाल पर लेते थे 25.7 था जबकि राष्ट्रीय औसत 28.2 था।
- ▲ गुजरात और भारत के शिक्षा सूचकांकों के बीच अंतर को कम करने के लिए इस राज्य को बहुत प्रयास करने की जरूरत है।
- ▲ 2016-17 में शिक्षा पर होने वाले खर्च के मामले में गुजरात जीएसडीपी का प्रतिशत 1.7 था जबकि जीएस औसत 2.6 था।

#### स्थानीय निकाय:-

- ▲ संविधान की आठवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से 10 कार्य को अभी पीआर आई को सौंपा जाना है। इस अंतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपाय किये जाने की जरूरत है।
- ▲ हर पांच साल बाद एसएफसी का गठन करने के कार्य में गुजरात नियमित नहीं रहा है।
- ▲ तीसरे एसएफसी ने अपने गठन के चार वर्ष बाद 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है एटीआर को अभी विधान सभा के समक्ष रखा जाना है।
- ▲ जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 280(3) (ख ख) और (ग) विनिर्दिष्ट है भारत का वित्त आयोग एसएमसी की सिफारिशों के आधार पर ही स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के बारे में अपनी सिफारिशें देता है। राज्य सरकार एसएफसी का गठन अवश्य करना चाहिये, इसकी सिफारिशों का अनुपालन करना चाहिये और की गई कार्रवाई से सम्बंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन को मार्च 2024 तक था उसके पहले राज्य के विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिये।

#### सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम<sup>3</sup>

- ▲ 2018-19 (नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार) में कुल सक्रिय 61 एसपी एसयू में से 44 को कुल 2487.28 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था और 15 को 2569.64 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी थी। इन 61 सक्रिय एसपीएसयू में से 39 के वित्तीय एसपीएसयू में से 39 के वित्तीय विवरण 1 से 4 तक बकाया रह रहे थे।
- ▲ 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 10 एसपीएसयू में कुल 1,06, 844.09 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। गुजरात सरकार ने विद्युत क्षेत्र के तीन एसपीएसयू को बजट समर्थन दिया था जो कि 2014-15 से 6,144.63 करोड़ रुपये 2018 में 10,223.10 करोड़ रुपये का बाकी सात एसपीएसयू में कोई कुछ भी धन नहीं लगाया गया था।
- ▲ 2018-19 में विद्युत क्षेत्र की पीएसयू को 10,223.10 करोड़ रुपये को बजट सहायता दी गयी थी जिसमें 2813.37 करोड़ रुपये की इक्रिटी और 7,40973 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।

#### एनएएमपी के अंतर्गत यथा मानीटर किया गया उच्च प्रदूषण (पीएम 10)

- ▲ गुजरात में चार शहर ऐसे हैं जिनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है, जैसे अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट, जिनको विकास का इंजन कहा जाता है। हालांकि इनके यहां बढ़ते वायु प्रदूषण (जैसा कि एनएएमपी के अंतर्गत मानीटर किया गया था) भविष्य में इनका विकास अवरूद्ध हो सकता है।

#### पीएम 10 माइक्रोग्राम्स प्रति घन मीटर।

शहर	2016	2017	2018	औसत
अहमदाबाद	108	120	236	154.7
राजकोट	92	106	203	133.7
सूरत	92	106	176	124.7
बड़ोदरा	92	108	188	129.3

नोट- एनएएमपी ने प्रति घन मीटर 90 माइक्रो ग्राम का एक पीएम सीमा निर्धारित की है।



**राज्य के सुधार समूह**

- ▲ विश्लेषण की दृष्टि से राज्यों को उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहबद्ध किया गया है। गुजरात जिस समूह में है उसमें गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और हरियाणा भी आते हैं।
- ▲ गुजरात के महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिमानों की तुलना इसके समूह के अन्य राज्यों से की गई है (केवल गोवा को छोड़कर क्योंकि यह एक बहुत ही छोटा राज्य है।)


**सुधार सूचक**

- ▲ यद्यपि गुजरात को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है फिर भी इसकी प्रति व्यक्ति आय अपने वर्ग में सबसे कम है।
- ▲ इसकी ओटीआर बायोन्सी:- जो कि 0.53 (2011-12 से 2018-19) है, अपने वर्ग ने सबसे कम है (जिसमें महाराष्ट्र 0.99 पर सबसे अधिक है)
- ▲ इसका ओटीआर, टीजीआर, जो कि 7% (2011-12 से 2018-19) है, अपने वर्ग के औसत 11.5% की तुलना में बहुत ही खराब है।
- ▲ अतः राज्य को अपने ओटीआर का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए और अपनी बायोन्सी को बढ़ाने के लिये रणनीति तैयार करनी चाहिए जिससे कि यह एफसी-15 की, निर्धारित अवधि कम से कम अपने वर्ग के औसत 0.83 तक पहुंच जाये।
- ▲ जहां एक ओर इस राज्य का टीआरई 11.7% (2011-12 से 2018-19) की दर से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी अवधि में ओआरआर टीजीआर के वल 8.6% रहा है जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे वित्तीय दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता है।
- ▲ 2014 और 2018 के बीच टीआरआर में वैट/जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन और उत्पाद शुल्क की हिस्सेदारी घटती रही है। पेट्रोलियम पर लगाये जाने वाले वैट से प्राप्त राजस्व की स्थिति अच्छी रही है जो कि ओटीआर का 25% जबकि पेट्रोलियम पर वैट की वसूली कम होती गई है (अपने वर्ग के महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल की स्थिति के विपरीत जहां खास सुधार की बात कही गई है। कुल बायोन्सी में सुधार लाने के लिए गुजरात सरकार राजस्व के इन स्रोतों की समीक्षा भी कर सकती है।
- ▲ जहां एक ओर गुजरात अपने दम खर्च के बारे में बता रहा है वहां दूसरी ओर इसके बजट और लेखा प्रणाली को लेकर कई विवाद पैदा हो गये हैं। उदाहरण के तौर पर जहां यह बताया गया था कि 2018-19 में वेतन के मद पर -के वल 11,650 करोड़ रुपये खर्च हुए थे वहीं इसी अवधि में सहायता अनुदान की राशि भारी भरकम 58,000 करोड़ रुपये थी। यद्यपि जीआईए वेतन और गैर वेतन घटकों पर अंकुश लग सकता है, लेकिन यह टीआरई का ही एक हिस्सा होता है और इसका लेखा-जोखा रखना पड़ेगा।
- ▲ गुजरात में अतिरिक्त राजस्व पैदा होता है और इसका आरडी-एफडी अनुपात भी अच्छा है। इसके बावजूद इसका पूंजीगत व्यय पिछले कुछ वर्षों में 3.1% (2012-13) से कम होकर 2% (2018-19) हो गया है इसके लिए तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है ताकि भविष्य में राजस्व की प्राप्ति निरंतर बनी रहे।

**नोट:**

- 1 सी एजीसीएजी (2017), 2017 की रिपोर्ट नं. 1, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गुजरात, भारत लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गुजरात सरकार द्वारा प्रकाशित
- 2 एएसईआर (2018), शिक्षा रिपोर्ट का वार्षिक सर्वे 2018 एएसईआर केन्द्र
- 3 सीएजी (2020), लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष पर रिपोर्ट, गोवा सरकार

एचआर-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
25.4 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.1%



**क्षेत्रफल**  
44,212 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
1.4%



**वन आच्छादन**  
1,602 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
0.2%  
3.6%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.9% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 2,60,286  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
5.8%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%





**टीएफआर**  
प्रति महिला बच्चे  
2.1  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
34.8%  
अखिल भारत औसत  
31.1%

एचआर-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %) एचआर-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




एचआर-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (रु. करोड़) एचआर-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान


विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शंयर
2011-12	2,97,539	77,44,945	3.8
2012-13	3,47,032	88,27,195	3.9
2013-14	3,99,268	1,00,07,392	4.0
2014-15	4,37,145	1,09,93,257	4.0
2015-16	4,95,504	1,21,91,256	4.1
2016-17	5,61,610	1,37,80,737	4.1
2017-18	6,49,592	1,54,20,126	4.2
2018-19	7,34,163	1,72,83,813	4.2




एचआर-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एचआर-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



एचआर - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एचआर -2. डी : प्रमुख सामाजिक सूचकांक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>ख</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>ख</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>ख</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ग</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>ख</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>ख</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

एचआर-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

एचआर - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एचआर -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एचआर- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मसिस्ट



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एचआर- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एचआर- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एचआर- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एचआर- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एचआर- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एचआर -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एचआर - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एचआर-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




एचआर-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू० में	2,60,286	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	9.0	13.4
ओटीआर	5.8	6.4
एनटीआर	1.1	1.1
टीई	12.7	16.1
ईएस	2.6	3.1
एसएस	4.1	5.4
जीएस	3.8	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	5.6	5.8
पूंजी व्यय	2.2	2.5
एफडी	3.0	2.5
आरडी	1.5	0.2
ओडी	25.1	25.0

## एचआर- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
हरियाणा	14.1	12.1	10.9
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## एचआर- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित सभी 29 कार्य पीआरआई को सौंपे गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित सभी 148 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं।

## लेखा-परीक्षा स्थिति

- ▲ निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, हरियाणा ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं।
- ▲ पीआरआई और यूएलबी के लेखे 2016-17 तक लेखा परीक्षित थे।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, हरियाणा सरकार ने अपने संपत्ति कर बोर्ड का गठन सितंबर 2012 में किया।

## सभी राज्यों में हस्तंतरण सूचकांक क्रम

कार्यों का क्रम	पदाधिकारियों का क्रम	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
13	18	11	11

Source: GOI (2016), Devolution Index Report 2015-16, Ministry of Panchayati Raj, Government of India.

## पांचवां एसएफसी (2016-17 से 2020-21)

राष्ट्रीय लोक लेखा और नीति संस्थान द्वारा राज्य वित्त आयोग रिपोर्टों का विहंगावलोकन के अनुसार पांचवें एसएफसी की सिफारिशें हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और फिलहाल कार्यान्वयनाधीन हैं। ये निम्न लिखित हैं।

- ▲ हरियाणा के ओआरआर का 7% (संग्रहण लागत 1.5%) और वैट की निवल राशि, तथा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का 2% शहरी स्थानीय निकायों की ओर से एकत्रित किया जाएगा।
- ▲ पीआरआई और यूएलबी के बीच वितरण अनुपात 55.45 नियत किया गया है।
- ▲ राज्य स्तरीय शहरी साझा सेवा केन्द्र (250 करोड़ रुपये) और स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोष प्रबंधन संस्थान (एसजेएचआईएफएम) (70 करोड़ रुपये) की स्थापना के लिए विशिष्ट अनुदान दिए जाएंगे।
- ▲ सुदृढ़ डाटाबेस के बारे में आंकड़ों व सूचना का भंडार एसजेएचआईएफएम में स्थापित किया जाए।


**ऋण तथा हानियां**

- ▲ राज्य ने 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 25,950 ऊ. की राशि पर यूडीवाई के तहत डीआईएससीओएम ऋण को हाथ में लिया है।
- ▲ 31 मार्च 2019 तक डीआईएससीओ एमएस द्वारा कुल उधारियां (राज्य सरकार से 3,294 करोड़ रु. की उधारियों सहित) सभी राज्यों की कुल डीआईएससीओएम उधारियों की 2.7% राशि पवाली 13,020 करोड़ रु. है।
- ▲ राज्य ने अपने एसीएस-एआरआर अंतराल लक्ष्य प्राप्त कर लिया है किन्तु एटी तथा सी हानि लक्ष्य 2018-19 प्राप्त नहीं किया है।
- ▲ राज्य को राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए यूडीवाई बैरोमीटर पर अपने प्रदर्शन में वास्तव में सुधार करने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी तथा सी हानियां (%)	18.08	15.0
एनसीएस-एआरआर (रु. प्रति इकाई)	-0.05	0.12

नोट:- (-) एसीएस-एआरआर अंतराल बताता है कि संपादित किया गया प्रति इकाई औसत राजस्व आपूर्ति की औसत लागत से बड़ा है।

स्रोत: विद्युत मंत्रालय भारत सरकार

**हरियाणा:- 5ए एटी तथा सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018**

स्रोत:- भारत सरकार (2019) यूडीवाई के समाचार पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार।



## उध्वाधर अंतरण

- ▲ हरियाणा ने सिफारिश की है कि करों के सम्पूर्ण विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से को 50% तक बढ़ाया जाए।

## क्षैतिज अंतरण के लिए सूत्र

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझावित भार (%)
i)	वृद्धि समान रूप से निम्न के मध्य विभाजित की गई <ul style="list-style-type: none"> <li>आय अंतराल बाकी राज्यों की प्रति व्यक्ति औसत आय को दुगुना करने के लिए उच्च आय वाले जनपदों की प्रति व्यक्ति आय कम है।</li> <li>पूंजीगत व्यय</li> </ul>	20.0
ii)	राजकोषीय दक्षता तथा अनुशासन, समान रूप से निम्न के मध्य विभाजित किए गए। <ul style="list-style-type: none"> <li>संसाधन जुटाना</li> <li>सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का स्वीकरण</li> </ul>	20.0
iii)	जनसंख्या, समान रूप से निम्न के बीच विभाजित की गई। <ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण-शहरी अनुपात</li> <li>लिंग अनुपात में सुधार</li> <li>कनिष्ठ जनसांख्यिकी प्रोफाइल</li> </ul>	17.5
iv)	क्षेत्र, समान रूप से निम्न के बीच विभाजित किया गया। <ul style="list-style-type: none"> <li>वन्य आच्छादन</li> <li>फसल क्षेत्र</li> <li>सिंचाई क्षेत्र</li> </ul>	15.0
v)	राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान, समान रूप से निम्न के मध्य विभाजित किया गया <ul style="list-style-type: none"> <li>खाद्य अनाज के केन्द्रीय पूल में अंशदान</li> <li>सैन्य बल</li> <li>खेल</li> </ul>	27.5

## एफआरबीएम अनुकूलता

- ▲ राज्य ने 2005 में कार्यान्वित अपने एफआरबीएम अधिनियम में 2006, 2009, 2010 तथा 2011 में संशोधन किए।
- ▲ राज्य हालिया वर्षों में अपी एफआरबीएम सीमा के मुताबिक चला है।
- ▲ तथापि हालिया वर्षों में यह अपने एफडी-जीएसडीपी लक्ष्य से भटक चुका है।
- ▲ इस प्रकार इसे आय के भविष्य में होने वाले प्रवाह को बनाने के लिए एक विश्वसनीय ऋण पथ तथा सतर्क अंशशोधन की आवश्यकता है।

(%) के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	22.6	22.7	22.8	22.9	25.0	25.0	25.0
वास्तविक उपलब्धि	18.3	18.7	19.1	20.2	24.4	26.1	25.3
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक उपलब्धि	2.4	3.0	2.1	2.9	6.4	4.7	2.9

स्रोत- हरियाणा सरकार

**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**

- ▲ भारत में हरियाणा तथा उ.प्र. के हिस्सा के साथ-साथ दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा एनसीआर स्थापित करते हुए) मौजूदा समय में कुल एफडीआई का 20(%) आकर्षित कर रहा है।
- ▲ उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2017 में जारी की गई व्यापार करने की सहजता (ईओडीबी) श्रेणी में इस राज्य का तीसरा स्थान रहा।
- ▲ तथापि यह राज्य अपने पिछले प्रदर्शन पर वापस आने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए एक यांत्रिकी के आविष्कार की आवश्यकता का संकेत देते हुए 2019 में 16वें स्थान पर आ गया।

**अन्य क्षेत्र**

- ▲ राज्य ने 2004-05 में 24.1% से 2011-12 में 11.2% पर गरीबी कम करते हुए एसडीजी-1 में शानदार प्रगति की है।
- ▲ राज्य के पास जीएस को मिलाकर द्वितीय उच्चतम प्रति व्यक्ति आय है (गोवा के बाद)।
- ▲ आवास आवंटन में ई-नीलामी, अध्यापक स्थानान्तरण नीति, कैरोसीन मुक्त राज्य तथा कर अनुवीक्षण तथा संग्रहण में महत्वपूर्ण सुधार ध्यान देने योग्य है।
- ▲ राज्य में तथा राज्य से बाहर सरकारी भूमि/सम्पत्तियों दोनों के विकास अथवा मुद्रीकरण को बढ़ाने के लिए एक सम्पत्ति प्रबंधन सेल बनाई गई है।
- ▲ हरियाणा सरकार ने सरकार से एंड-यूजर के लिए निधियों के प्रवाह के वास्तविक-अवधि ऑनलाइन अनुवीक्षण के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमए) तथा पीएफएमएस कार्यान्वित करते हुए राजकोष प्रबंधन में भी सम्बंधित प्रगति की है।

**राजकोषीय संकेतक**

- ▲ ब्याज भुगतान हरियाणा के लिए एक बड़ी देयता है।
- ▲ 2011-12 तथा 2018-19 के मध्य, टीआरई के प्रतिशत के रूप में ब्याज 12.5% से 17.6% की सीमा में रह रहे हैं (भारत में उच्चतम)

**सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम**

- ▲ हरियाणा राज्य के पास 28 कार्यकारी पीएसयू (26 कंपनियां तथा दो संवैधानिक निगम) तथा निष्क्रिय कम्पनियां हैं।
- ▲ 31 मार्च 2018 तथा, 32 पीएसयू में सरकारी निवेश (चुकाया गया, उज्ज्वल डीआईसीओएम आन्रसन योजना के अन्तर्गत दीर्घकालिक ऋण) तथा अनुदान/सहायता 30, 683 करोड़ रु. था।
- ▲ राज्य सरकार ने 2017-18 में 14 पीएसयू में इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सहायता में 16.255 करोड़ रु. का अंशदान दिया।
- ▲ 28 कार्यकारी पीएसयू में से 21 पीएसयू खाते बकाया हैं।
- ▲ बकाया देयताओं, एसपीएसयू को पर्याप्त बजटीय सहायता तथा खाते में अधिक बकाया को देखते हुए राज्य को आकस्मिक देयताओं के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है जिनसे अतिरिक्त राजकोषीय भार बढ़ सकता है।
- ▲ एसपीएसयू की पुनः संरचना के समयबद्ध कार्यक्रम को उनके प्रदर्शन में आने वाली मुख्य बाधाओं से निपटने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

**नीति आयोग 2019 की एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग**

- ▲ नीति आयोग की एसडीजी सूची में स्थान (2019)-राज्य का एसडीजी सूची में स्थान 57 (राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में) तथा भारत के राज्यों में 18 वां स्थान है।
- ▲ राज्य, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण एसडीजी-4 शिक्षा गुणवत्ता, एसडीजी-6 साफ पानी तथा स्वच्छता, एसडीजी-7 वहनीय तथा स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-8 शानदार कार्य तथा आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-9 उद्योग, नवप्रवर्तन तथा अवसंरचना तथा एसडीजी-16 शांति, न्याय तथा मजबूत संस्थाओं में अग्रणी है।

- ▲ राज्य को, एसडीजी-2 शून्य भुखमरी, एसडीजी-5 लिंग समानता, एसडीजी-11 संधारणीय शहर तथा समुदाय, एसडीजी-12 संधारणीय क्षतिपूर्ति तथा उत्पादन, एसडीजी-13 जलवायु परिवर्तन, तथा एसडीजी-15 भूमि पर जीवन।

### लिंग समानता

- ▲ हरियाणा में लिंग अनुपात (सूचकांक 2001 में 861 तथा सूचकांक 2011 में 879 के बीच) पिछले दशकों में लगातार राष्ट्रीय औसत (सूचकांक 2001 में 933 तथा सूचकांक 20011 में 943 के बीच) के नीचे रहा है। राज्य को इस मामले पर ध्यान देने के लिए निश्चित कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।
- ▲ नीति आयोग की एसडीजी भारत सूची तथा डैशबोर्ड 2019-20 के अनुसार, राज्य 0.32 सम्पूर्ण भारत की तुलना में मात्र 0.21 के श्रम बल भागीदारी बल (एलएफपीआर) के महिला से पुरुष अनुपात की सूचना देता है।

### अवसंरचना

- ▲ दिल्ली से भारी वाणिज्यिक अन्तरराज्यीय ट्रैफिक, हरियाणा की सड़कों तथा वातावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है।
- ▲ हरियाणा, भूमिबद्ध होते हुए, आयात तथा निर्यात के लिए एक बड़ी प्रति इकाई परिवहन लागत वहन करता है।
- ▲ यद्यपि गुरुग्राम सूचना प्रौद्योगिकी तथा शुरू की गई सेवाओं, जटिल क्षेत्रों जैसे विद्युत प्रबंधन मानव संसाधन विकास तथा संपूर्ण जिले तथा शेष हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण विनियामक बाधाओं हेतु उत्कृष्टता केन्द्र है।

### स्थानीय निकाय

- ▲ एजी, हरियाणा के अनुसार, पीआरआई, पीआरआईए खातों का उचित रूप में अनुरक्षण नहीं कर रही है। उनके पास कई अपूर्ण प्रविष्टियां हैं।
- ▲ यहां गांव से जिले तथा अंततः राज्य स्तर पर पीआरआई खातों के एकीकरण के लिए कोई प्रणाली नहीं है।
- ▲ आंतरिक लेखापरीक्षा यांत्रिकी का अभाव तथा पेशेवर शहरी संवर्ग यूएलबी की सुपुर्दगी क्षमता में गंभीर रूप से रुकावट डाल रहा है।
- ▲ जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) तथा (ग) में प्रतिष्ठापित है, भारतीय वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों पर आधारित स्थानीय निकायों के लिए अनुदान सिफारिशें करता है। राज्य सरकार को आवश्यक रूप से एफएफसी का गठन करना चाहिए उनकी सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए तथा मार्च 2024 से पहले राज्य विधानसभा के समक्ष की गई कार्रवाई से सम्बंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

### विद्युत क्षेत्र

- ▲ राज्य ने अभी तक अपने एटी तथा सी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है तथा राज्य को मुख्य यूडीएवाई बैरोमीटर पर अपने प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है।
- ▲ मजबूत सर्वांगी सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है कि बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए बिजली सब्सिडी बिना किसी रहस्योद्घाटन के लाभार्थियों तक पहुंचती है।

### आकांक्षापूर्ण जिले

- ▲ नूह, आकांक्षी जिले के सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार एक नीति आदेश सूचक होना चाहिए।

## राज्य के सुधार दल

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहित किया गया है। हरियाणा उस समूह का हिस्सा जिसमें गुजरात, तमिलनाडू, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक एवं गोवा शामिल है।

## सुधार संकेत


- ▲ भारत के कुल क्षेत्र के 1.35 % हिस्से एवं 2.53 करोड़ व्यक्तियों के साथ हरियाणा एक छोटा राज्य है।
- ▲ पूरे राज्य में केवल 0.2% वनाच्छादित क्षेत्र के साथ वनाच्छादित के अन्तर्गत (राज्य क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में) हरियाणा के पास सबसे कम क्षेत्र है।
- ▲ राज्य में परिवर्तन हो रहे हैं (हालांकि एकतरफा है) जिससे में जीएसडीपी में 60% (1960-1980) से 20% तक (वर्तमान) में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान से आर्थिक संरचना में बदलाव आए है।
- ▲ व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन सेवा (एफडीआई अंतर्वाह के मुख्य स्रोत के रूप में) के वैश्विक केन्द्र के रूप में गुरुग्राम जिले के लाभ के कारण यह हुआ है।
- ▲ इसके अतिरिक्त देश में निर्मित 66% सवारी कार, 50 % टैक्टर और 60 % मोटरसाइकिल का निर्माण हरियाणा में किया जाता है।
- ▲ हरियाणा का आधे से अधिक क्षेत्र (57%) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आता है जो कि एक अवसर एवं चुनौती दोनों है।
- ▲ मुख्य अग्रिम जिला गुरुग्राम (एनसीआर का हिस्सा) और मुख्य पिछड़े हुए नुह जिला के बीच अन्तर राज्जीय असमानताएं लड़खड़ा रही है। गुरुग्राम के समीकरण के बिना हरियाणा की जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में तेजी से कमी आएगी।
- ▲ 2008-09 तक राजस्व अधिकता वाला राज्य रहा उसके पश्चात से हरियाणा लगातार कमी में रही। अब ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक टीजीआर के व्यय (विशेषकर ब्याज भुगतान एवं वेतन में) और ऋण भार (विशेषकर विद्युत क्षेत्र के कारण) यह अपने वर्ग के राजकोषीय स्तर में सबसे खराब है।
  - यूडीएवाई ने 25950 करोड़ रुपये का डिस्कॉम ऋण 2015-17 के दौरान अनुदानों (7785 करोड़ रु.), के रूप में लिया है इसके बाद 2017-18 और 2018-19 में ऋण को इक्विटी के रूप में बदल दिया गया।
  - 2011-12 और 2018-19 के बीच में बकाया ऋण में टीजीआर के 20.2% की वृद्धि हुई।
  - ऋण-जीएसडीपी अनुपात में 18.33% (2011-12) से 25.09% (2018-19) तक वृद्धि हुई है।
  - राज्य की आरडीएफडी अनुपात में समय के साथ वृद्धि हुई और वर्तमान में 51.4% (2018-19) है जो कि यह इंगित करता है कि राज्य की अधिकतर उधारे अपनी आरडी का वित्त पोषण कर रही है।
  - सब्सिडी टीआर का लगभग 12% बनती है (जिसमें से कि विद्युत सब्सिडी 87% का हिस्सा है।
  - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण टीआर का लगभग 10% है जिसमें मुख्य हिस्सा विभिन्न प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों इत्यादि के लिए 25 लाख से अधिक पेंशनधारी का है।
  - अधिक प्रति व्यक्ति आय होने के बावजूद राज्य में लगातार प्रतिकूल लिंगानुपात और रक्ताल्पता के अधिक मामले हैं फिर भी स्वास्थ्य व्यय टीआर का केवल 4.8% है।
  - महामारी के अलावा स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य कर्मी पेशेवर की उपलब्धता राज्य में इसकी नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है।
- ▲ महामारी के अलावा स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य कर्मी पेशेवर की उपलब्धता राज्य में इसकी नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है।
- ▲ इसलिए, हरियाणा को आवश्यकता है।
  - प्राथमिक आधार पर स्वास्थ्य निवेश ऋणों में कमी
  - बकाया ऋण को कम करना।

- संबंधित ब्याज बोझ को पूरा करने के क्रम में विद्युत में निवेश लागत की वसूली के लिए तंत्र स्थापित करना।
- लागत वसूली सिद्धांत सहित महत्वपूर्ण पूंजी व्यय (विद्युत को छोड़कर) पर ध्यान केंद्रित करना।
- अंतर राज्यिक असमानता को कम करने के लिए आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करना।

**टिप्पणी:-**

1. भारत सरकार (2016), अतरण सूची रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. भारत सरकार (2019), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर तथ्य शीट (अप्रैल 200 से मार्च 2019), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
3. सीएजी (2019), 2019 की रिपोर्ट नं. 2 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित।

## एचपी -1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
6.9 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
0.6%



**क्षेत्रफल**  
55,673 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
1.7%



**वन आच्छादन**  
15,434 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
2.2%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
27.7%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
2.2% ↑



रु० 2,11,325  
रु० 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
4.9%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
1.9  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**10.0%**  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एचपी-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %) एचपी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




हिमाचल प्रदेश



## एचपी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (रु. करोड़)


वर्ष	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएसमें राज्य का (%) शेयर
2011-12	72,720	5,03,182	14.5
2012-13	82,820	5,63,081	14.7
2013-14	94,764	6,37,264	14.9
2014-15	1,03,772	6,95,474	14.9
2015-16	1,14,239	7,88,321	14.5
2016-17	1,25,634	8,67,648	14.5
2017-18	1,38,351	9,74,240	14.2
2018-19	1,53,845	10,82,901	14.2

## एचपी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


एचपी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



एचपी-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



एचपी- 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एचपी -2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

एचपी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कमी (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

एचपी - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एचपी -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार




एचपी- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति परिचारिका /फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एचपी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एचपी- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




एचपी- 4. बी: जीएसडीपी की % के रूप में राजकोषीय घाटा



एचपी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एचपी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एचपी -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एचपी- 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एचपी-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




एचपी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संकेतक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संकेतक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	2,11,325	1,30,427
<b>संकेतक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	20.1	23.3
ओटीआर	4.9	5.0
एनटीआर	1.8	2.0
टीई	22.4	26.7
ईएस	4.2	5.0
एसएस	7.6	8.7
जीएस	7.3	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	13.0	14.4
पूंजी व्यय	3.3	4.3
एफडी	2.3	3.4
आरडी	-1.0	-0.9
ओडी	35.3	29.6

एचपी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
हिमाचल प्रदेश	11.4	12.5	8.5
जीएस औसत	12.6	12.1	10.7

एचपी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान के 11वीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से आरएलबी को 26 कार्य सौंपे गए हैं।
- ▲ संविधान के 12वीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से यूएलबी को 17 कार्य सौंपे गए हैं।

लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ आरएलबी और यूएलबी के लेखों की वर्ष 2017-18 तक लेखापरीक्षा की गई है।

सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य ने 13वीं वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार वर्ष 2011 में पीटीबी की स्थापना की है।

सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक

कार्यों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
16	4	14	15

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

पांचवी एसएफसी (2017-18 से 2021-22)

- ▲ पांचवीं एसएफसी की रिपोर्ट दिनांक 19 जनवरी 2018 को प्रस्तुत की गई थी और दिनांक 23 अगस्त 2018 को एटीआर सारणी बनाई गई थी।
- ▲ पांचवीं एसएफसी ने हस्तांतरण के लिए अंतराल पूर्ति दृष्टिकोण को अपनाया जिसमें उनके परिकलन में स्टाफ की वेतन, सदस्यों की मानदेय, कार्यालय व्यय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आदि शामिल हैं।
- ▲ राज्य ने पांच वर्षों की हस्तांतरण के लिए 1705.84 करोड़ रुपये की संस्तुति की है।
- ▲ वर्ष 2016-17 में राज्य द्वारा स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कुल राशि इसके ओआरआर का 2.7 % था।


**ऋण और हानियां**

- ▲ राज्य ने वर्ष 2016-17 में उदय के अंतर्गत 2,891 करोड़ रुपए का ने डीआईएससीओएम ऋण लिया था।
- ▲ राज्य वर्ष 2018-19 में एटीआर एंड सी हानियों और ए सी एस-ए आरआर अंतर की लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था

मुख्य उदय बेरोमीटर 2018-19	प्राप्ति	लक्ष्य
एटीएंड सी हानियां (%)	11.39	13.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रु. प्रति इकाई)	-0.07	-0.05

टिप्पणी (-) एसीएस-ए आरआर अंतर यह दर्शाता है कि औसत राजस्व प्राप्ति आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत:-विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**हिमाचल प्रदेश:5 ए -एटी एंड सी हानियां (%) वि.व 2018**

स्रोत:- भारत सरकार (2019) उदय की समाचार पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार

**ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण**

- ▲ हिमाचल प्रदेश ने यह संस्तुति की है कि कर की कुल विभाज्य पूल में राज्य के शेयर को लगातार 42(%) रखा जाए।

**क्षैतिज हस्तांतरण के लिए सूत्र**

क्रम सं.	मापदंड	सुझावित भार (%)
i)	राजकोषीय क्षमता अंतर (13वें एफसी द्वारा यथाकलित)	47.5
ii)	क्षेत्र (2% क्षेत्र के अधिकतम तल सहित)	15.0
iii)	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या और इसका सम्मिश्रण (जनगणना 2011 की जनसंख्या पर 15% और एससी/एसटी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 5%)	20.0
iv)	वन क्षेत्र	10.0
v)	टीओआर के अनुसार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं/संसूचकों पर राज्य का निष्पादन	7.5

**घटता प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ राज्य का प्रतिबद्ध व्यय जीआईए वेतन सहित वर्ष 2012-2013 में टीआई की 80% से घटकर वर्ष 2018-19 में 72.7 हो गया।
- ▲ हिमाचल प्रदेश में प्रतिबद्ध व्यय की टीआई वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक 9.9% है ( एनईएचए के 12.1% की तुलना में )
- ▲ इसका प्रमुख कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश नियमित कर्मचारियों के स्थान पर संविदात्मक स्टाफों को रखकर वेतन की बोझ को कम कर रहे हैं।
- ▲ वर्ष 2001 में हिमाचल प्रदेश के लगभग 4.5% जनता को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिया था। यह वर्ष 2017 में घटकर 3.7% हो गया। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में कमी आई है इसके अतिरिक्त ब्याज बोझ को कम करने के लिए पुनर्गठन की संस्तुति की गई।

**पर्यटन**

- ▲ राज्य निम्नलिखित उपायों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देते हुए जीएसडीपी और राजस्व आय को बढ़ावा दे सकते हैं।
  - यात्रा की लागत को कम करने के लिए हवाई अनुयोजकता और सड़क मार्गों में सुधार किया जाना चाहिए। गगल और कुल्लु जैसे हवाई अड्डों का विस्तार करने की आवश्यकता है और बड़े आकार वाले हवाई जहाज की लैंडिंग के लिए मंडी में एक हरित क्षेत्र हवाई अड्डा तैयार किया जा सकते हैं।
  - शिमला और मनाली जैसी जनप्रिय पहाड़ी स्टेशन संतुष्ट हो जाने के कारण अवसंरचना और सेवाओं के संबंध में चम्बा और लाहौल स्पीति जैसे नए अनोखे पहाड़ी स्टेशनों को विकसित किए जाने चाहिए।
  - दूर दराज के पहाड़ी स्टेशनों के लिए हेल टैक्सी सेवाएं पीपीपी माध्यम से शुरू की जा सकती हैं।
  - पर्यावरण पर्यटन और साहसिक खेलों को प्रोत्साहन या पीपीपी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - व्यक्तिगत के साथ साथ सामुदायिक आधारित होमस्टे को स्थानीय लोगों के लिए अर्थक्षमता वैकल्पिक आय स्रोत के रूप में संबन्धित किया जा सकता है। चूंकि होमस्टे प्राथमिक रूप से महिलाओं द्वारा चलाई जाती है अतः वे भी अपनी आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक बनती हैं। सरकार होमस्टे को ई वाणिज्य से जोड़ने के लिए सक्रिय उपाय कर सकती है।

**विद्युत क्षेत्र**

- ▲ हिमाचल प्रदेश को लगभग 27 जी.डब्ल्यू जल विद्युत क्षमता मिली है जिसमें से 10.5 जी डब्ल्यू पहले ही दोहन किया जा चुका है।
- ▲ लगभग 22 जी. डब्ल्यू की क्षमता वाली परियोजनाओं को पहले ही आवंटित किया जा चुका है।
- ▲ राज्य को चल रही जल विद्युत परियोजना के निष्पादन को गति देने की जरूरत है ताकि क्षमता का दोहन किया जा सके और राजस्व आय को बढ़ाया जा सके।

**मानव विकास और सामाजिक संकेतक**

- ▲ हिमाचल प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य और जल तथा स्वच्छता से संबंधित संकेतक राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
- ▲ हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा वह राज्य है जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है।
- ▲ नीति आयोग 2019 द्वारा दिया गया एसडीजी रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश का स्थान द्वितीय है।
- ▲ राज्य में निवास करने वाले जनसंख्या में से के वाले 8% जनसंख्या गरीबी सीमा रेखा के नीचे है ( जो देश में सबसे कम है )। राज्य का स्वरूप ( 2,539 रु. ) और शिक्षा ( 7,901 रु. ) पर वार्षिक प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय एनईएचए औसत क्रमशः ( 1,987 और 5,970 रु. ) से काफी अधिक है।

**घटना ओटीआर/जीएसडीपी और कम जीएसटी संग्रहण**

- ▲ राज्य का ओटीआर-जीएसडीपी वर्ष 2012-13 में 5.6% से घटकर वर्ष 2018-19 में 4.9% हो गया।
- ▲ हिमाचल प्रदेश का ओआरआर उछाल वर्ष 2011-12 से 2018-19 (एनईएचएस के लिए 0.9) की अवधि के दौरान 0.8 था।
- ▲ जीएसडीपी से जीएसटी/वैट संग्रहण 2.94 प्रतिशत है जो वर्ष 2018-19 में 3.47% की एनईएचएस औसत की तुलना में बहुत कम है।
- ▲ जीएसटी की शुरुआत से जीएसडीपी की जीएसटी/वैट संग्रहण वर्ष 2016-17 में 3.5% घटकर वर्ष 2017-18 में 3.2% हो गया।
- ▲ हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2018-19 में 2,037 करोड़ रु. का जीएसटी क्षतिपूर्ति मिला था (एनईएचएस में सर्वाधिक)
- ▲ राज्य को जीएसटी से 59.8% ओटीआर प्राप्त हो रहे हैं जबकि एनईएचएस औसत 70% है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ हिमाचल प्रदेश का एफआर बीएम अनुपालन बहुत अधिक है जो वर्ष 2018-19 में जीएसडीपी का 35.3% है।
- ▲ राज्य ने अपने एफआरबीएम अधिनियम को वर्ष 2005 में क्रियान्वित किया था और इसके परिणाम स्वरूप इसमें वर्ष 2005 और 2011 में संशोधन किए गए थे।
- ▲ राज्य हालांकि के वर्ष में अपनी एफआरबीएम सीमा को पूरा नहीं कर पाए थे।
- ▲ राज्य को 15वां वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी लक्ष्य के लिए ऋण पूरा करना है और एफआरबीएम अधिनियम को लागू करना है।
- ▲ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली सरकारी गारंटी ऋण को नियंत्रित करना चाहिए।
- ▲ वेतन के बोझ को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ताकि विकासात्मक व्यय के लिए और अधिक राजकोषीय राशि शेष रह जाए।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	43.7	40.1	38.0	37.6	33.8	32.8	32.9
वास्तविक प्राप्ति	38.8	36.8	35.8	36.8	36.1	37.6	36.9
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा मध्य निर्धारित	2.7	2.9	2.9	5.7	2.9	3.2	3.5
वास्तविक प्राप्ति	2.3	3.6	4.2	4.1	1.9	4.7	2.8

स्रोत:- हिमाचल प्रदेश सरकार

- ▲ वेतन और पेंशन के बोझ को कम करने के बावजूद भी हिमाचल का प्रतिबद्ध व्यय (जीआई का वेतन सहित) अधिक है जो टीआरई का 72.7% है।
- ▲ हिमाचल प्रदेश में जीएसडीपी की ब्याज भुगतान एनईएचएस की औसत 2.1 की तुलना में 2.6% है। राज्य का उच्च ऋण अधिक ब्याज दर का कारण है। टीआरई का 13.7% ब्याज भुगतान एनईएचएस की 9.1 औसत की तुलना में अधिक है।
- ▲ पेंशन योगदान टीआरई की 16.9% है (एनईएचएस का 14.3%)
- ▲ राज्य को प्रतिबद्ध व्यय की बोझ को कम करते हुए अपनी व्यय को पुनर्गठित और युक्तिसंगत बनाने के लिए उपाय करने की जरूरत है।

**सड़क नेटवर्क**

- ▲ एचपी में राष्ट्रीय औसत से कम सड़क घनत्व है।
- ▲ चूंकि पहाड़ी राज्य में रेलवे और अंतर्देशीय जल परिवहन के कार्यक्षेत्र नगण्य है अतः सड़क ही एक मात्र लाइफलाइन है। अपर्याप्त सड़क नेटवर्क के कारण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की लागत बहुत अधिक होती है।
- ▲ एचपी को अभी भी जटिल इलाकों में स्थित 7,628 जनगणना वाले गांवों को जोड़ने की जरूरत है।

- ▲ सड़कों की रखरखाव में भी सुधार किए जा सकते हैं।
- ▲ सड़कों को गहन अन्तःकरण करने के लिए संस्तुति की जाती है।

#### अल्प ऋण-निक्षेप अनुपात

- ▲ आसपड़ोस के राज्य हरियाणा में 59.4 और पंजाब में 63.17 की तुलना में एचपी का ऋण निम्न अनुपात केवल 30.9 है।

#### कृषि

- ▲ राज्य सरकार की ज्ञापन के अनुसार एचपी में प्रति व्यक्ति कृषि जीएसडीपी प्रति किसान 49,000 रु. है जो देश में तृतीय निम्नवत है।
- ▲ राज्य में मसालों, आवश्यक जड़ी-बूटियों, बागवानी और फूलों की खेती जैसी उच्च मूल्य वाले फसलों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ शीत भंडारण की स्थापना के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ स्थानीय निकाय का अपना कम राजस्व है। वर्ष 2017-18 में कुल व्यय में से ग्राम पंचायत का अपना राजस्व (कम+कम भिन्न) केवल 11.37% था
- ▲ संपत्ति कर दरों में संशोधन और उपयोगकर्ता शुल्क जैसे उपाय शुरू किया जा सकते हैं।
- ▲ आरएलबी और यूएलबी के लिए शेष कार्य को तत्काल विकसित किया जाना चाहिए।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम<sup>2</sup>

- ▲ 1 से 4 वर्षों की लेखा बकाया सहित बकाय लेखों की संख्या वर्ष 2012-13 में 20 से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 27 (30 सितम्बर 2017 की स्थिति के अनुसार) हो गया है।
- ▲ 23 पीएसयू में के 09 लेखों का एक या अधिक वर्षों का लेखा परीक्षा नहीं हुआ है। राज्य सरकार को इन 09 पीएसयू के लेखों को नियमित और समयबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा करने के लिए एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है।
- ▲ राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 में पीएसयू के बजटीय सहायता को 12,657.73 करोड़ रुपए तक बढ़ाया था (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार) लेख परीक्षा न किया गया लेखों की इस पर्याप्त बजटीय सहायता में गंभीर गिरावट जोखिम पैदा कर सकता है।


#### दिशा-निर्देश संबंधी सुधार

- ▲ राज्य का जीएसडीपी की अनुपात में अधिक ऋण है। इसे एफआरबीएम अधिनियम और 15वां वित्त आयोग की संस्तुतियों की तर्ज पर सांकेतिक किए जाने की जरूरत है।
- ▲ राज्य का जीएसटी संग्रहण अच्छा नहीं है इसे ओटीआर और ओएनटीआर दोनों को बढ़ाने के लिए नवान्मेष मार्ग अपनाने की जरूरत है। राज्य को अधिक राजस्व आय की कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए पर्यटन हेतु सतत जल परियोजना और सुधार अवसंरचना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करनी चाहिए।
- ▲ राज्य को प्रतिबद्ध व्यय की बोझ को कम करते हुए अपनी व्यय को पुनर्गठन और युक्तिसंगत बनाने के लिए उपाय किए जाने की जरूरत है।

#### टिप्पणी

1. हिमाचल प्रदेश का ज्ञापन
2. सीइजी 2018, रिपोर्ट संख्या 2018 का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिमाचल प्रदेश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित।

## जेएच-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
33.0 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.8%



**क्षेत्रफल**  
79,716 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
2.4%



**वन आच्छादन**  
23,611 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
3.4%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
29.6%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.3% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
₹ 79,936

₹ 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)

**जीएसडीपी में कर**  
5.0%

सभी राज्यों का औसत  
6.3%



**प्रति महिला बच्चे**  
2.6


सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
24.1%

अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## जेएच-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## जेएच-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## जेएच-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹.)


वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	1,50,918	77,44,945	2.0
2012-13	1,74,724	88,27,195	2.0
2013-14	1,88,567	1,00,07,392	1.9
2014-15	2,18,525	1,09,93,257	2.0
2015-16	2,06,613	1,21,91,256	1.7
2016-17	2,36,250	1,37,80,737	1.7
2017-18	2,69,816	1,54,20,126	1.8
2018-19	2,97,204	1,72,83,813	1.7

## जेएच-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)







जेएच-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




जेएच-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



जेएच - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमपी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>डी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>डी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>एफ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>डी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

जेएस-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कमी (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

जेएच - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

जेएच -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

जेएच- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स/फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

जेएच- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


जेएच- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




जेएच- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



जेएच- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




जेएच- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


जेएच -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



जेएच - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



जेएच-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




जेएच-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	79,936	1,41,099
संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।		
टीआरआर	18.9	13.4
ओटीआर	5.0	6.4
एनटीआर	2.8	1.1
टीई	21.1	16.1
ईएस	4.8	3.1
एसएस	6.4	5.4
जीएस	5.9	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	7.7	5.8
पूंजी व्यय	4.1	2.5
एफडी	2.2	2.5
आरडी	-1.9	0.2
ओडी	28.2	25.0

## जेएच- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
झारखण्ड	15.6	15.7	12.3
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## जेएच- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिए किए गए 29 कार्यों में से 18 कार्यों को आरएलबी को सौंपा गया है।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में दिए गए 18 कार्यों में से 16 कार्यों को यूएलबी को सौंपा गया है।

## लख परीक्षा की स्थिति

- ▲ यूएलबी के 2015-2016 तक के खातों की लेखा परीक्षा की गई है और आरएलबी के 2016-17 तक के खातों की लेखा परीक्षा की गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ वित्त आयोग - XIII द्वारा 2011में सिफारिश किए जाने के बावजूद झारखण्ड सरकार ने अभी तक संपत्ति कर बोर्ड स्थापित नहीं की हैं।

## सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक

कर्मों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
14	14	16	17

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## प्रथम एसएससी (2003-04 से 2008-09)

- ▲ प्रथम एसएससी ने केवल यूएलबी से संबंधित सिफारिशें की।
- ▲ सिफारिशों के अनुसार झारखण्ड सरकार ने।
  - झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 कानून संलग्न
  - एक उपयुक्त नगरपालिका संवर्ग का निर्माण किया, और प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए एक शहरी विकास विभाग स्थापित की।

## द्वितीय एसएससी (2009-10 से 2013-14)

- ▲ 2009 में स्थापित द्वितीय एसएससी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी।

**तीसरी एसएफसी (2014-15 से 2019-20)**


- ▲ 2014 में स्थापित तीसरी एसएफसी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
- ▲ चौथी एसएफसी पहले से ही बाकी है।
- ▲ झारखण्ड सरकार वर्तमान में स्थानीय निकायों को संसाधन आवंटित करने के लिए किसी एसएफसी की सिफारिशों का पालन नहीं कर रही है।
- ▲ झारखण्ड सरकार एसएफसी के गठन एवं सिफारिशों के क्रियान्वयन से संबंधित संबैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं कर रही है।

**ऋण एवं हानि**

- ▲ 31 मार्च, 2019 तक डिस्कॉम्स की कुछ इक्विटी एवं देनदारी 10,149 करोड़ रू. है जिसमें से 9,863 करोड़ रू. राज्य सरकारों का ऋण है।
- ▲ झारखण्ड सरकार को भविष्य में राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए उदय मानदण्डों पर अपने निष्पादन में काफी सुधार करने की आवश्यकता है।
- ▲ झारखण्ड सरकार के एटी एवं सी हानियां तथा एसीएस-एआरआर अंतर दोनों उदय द्वारा 2018-19 के लिए निधारित लक्ष्यों से काफी दूर थे।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	28.6	15.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	0.6	0.0

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

**जेएच - 5. ए: एटी एवं सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018**

स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार

**उर्ध्वाधर हस्तंतरक्ष**

- ▲ झारखण्ड ने प्रास्ताव किया विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 50% तक बढ़ा दिया जाय।

**क्षैतिज हस्तांतरण का सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	भार (%)
i)	आय अंतर	10
ii)	जनसंख्या, 2011	50
iii)	वन क्षेत्र में हिस्सेदारी (सभी प्रकार के वन)	10
iv)	एसटी जनसंख्या में शेयर द्वारा भारित जनसंख्या	10
v)	संशोधित जनगणना क्षेत्र	10
vi)	खदान जीएसवीए में शेयर	10

**जिला खानिज संस्थान**

- ▲ केन्द्रीय खनिज मंत्रालय के अनुसार, झारखण्ड सरकार को जून, 2019 तक सभी 24 जिलों में डीएमएफ के अंतर्गत 4,330.05 करोड़ रुपए मिलें।
- ▲ इन राशियों का उपयोग उस राजकोषीय वर्ष के भीतर निर्धारित उद्देश्य के लिए करने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है।
- ▲ यदि वे सावधि जमा के रूप में पड़ी रहती हैं तो झारखण्ड के लिए भारी राजकोषीय भाग को कम उपयोग हो जाएगा, भले ही वे अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हों।
- ▲ झारखण्ड सरकार को राजकोषीय वर्ष के भीतर उनका शीघ्र उपयोग करने की विधि तैयार करनी चाहिए।

**वन एवं पर्यटन**

- ▲ चूँकि झारखण्ड का 30% हिस्सा वन क्षेत्र में आता है, अतः राजस्व उपार्जन क्षेत्र के रूप में परिस्थितिकी पर्यटन के रूप में बढ़ाने की रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
- ▲ अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासियों की सहायता के लिए 2013-14 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एमएसपी के लिए एक एसएसपी योजना आरंभ किया गया था।
- ▲ यह स्पष्ट है कि यह योजना एक निष्प्रभावी खरीद तंत्र के कारण अन्य बातों के साथ-साथ एक गैर-आरंभक रहा है।
- ▲ अतः इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों और अन्य मौजूदा कार्यक्रमों, जैसेकि ई-नाम का उपयोग करने झारखण्ड सरकार द्वारा एक सुदृढ़ खरीद तंत्र तैयार करनी चाहिए।

**राजकोषीय व्यवस्था**

- ▲ झारखण्ड के ऋण-जीएसडीपी अनुपात में 2013-14 में 19.9% से भारी वृद्धि होकर पिछले तीन वर्षों में 28% से अधिक 28.3% (2016-17), 28.6% (2017-18) और 28.2% (2018-19) वृद्धि हुई है।
- ▲ झारखण्ड का एफडी - जीएसडीपी अनुपात 2013-14 के 1.2 % से बढ़कर 2015-16 में 5.6% और 2016-17 से 4.3% और 2017-18 में 4.4% के उच्चे स्तर तक हो गया और 2018-19 में घटकर 2.2% हो गया।
- ▲ झारखण्ड सरकार को संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत 2017-18 और 2018-19 में 0.25% अतिरिक्त ऋण की सहायता मिली।
- ▲ उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड को वर्तमान अरक्षणीय स्तर से अपने घाटे एवं ऋण को कम करने की आवश्यकता है।
- ▲ इसके अलावा, एफआरबीएम अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2018 में संशोधित को ध्यान में रखते हुए, झारखण्ड को राजकोषीय समेकन पर और अधिक गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ झारखण्ड के 2007 में एफआरबीएम अधिनियम को कानून का रूप दिया और उसमें 2010, 2011, 2012 और 2015 में संशोधन किया।
- ▲ 2015-16 से 2017-18 तक झारखण्ड का ऋण-जीएसडीपी अनुपात तथा एफडी-जीएसडीपी अनुपात एफआरबीएम लक्ष्यों से अधिक थे। हाँलाकि, यह राज्य 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान एफआरबीएम लक्ष्यों का पालन किया।

% के रूप में राशन 2	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	28.5	27.8	27.3	26.9	24.2	25.2	25.8
वास्तविक रूप में प्राप्त	20.3	20.0	19.9	19.9	27.4	28.3	28.6
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.3
वास्तविक रूप में प्राप्त	1.3	1.9	1.2	3.0	5.6	4.3	4.4

स्रोत : भारत सरकार द्वारा मुहैया कराए गए एफआरबीएम अधिनियम के तहत लक्ष्य/इसके अलावा, राज्य सरकार ने उल्लेख किया कि 2015-16 से 2017-18 तक ऋण - जीएसडीपी लक्ष्य वित्त निगम XIV की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किए गए थे।

**जीएसडीपी**

- ▲ झारखण्ड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है जिसे 2015-16 में आई सुखे ने इसके विकास दर को घटाकर (-) 5.5% कर दिया।
- ▲ इस राज्य के अत्यधिक खनिज वृत्तिदान को ध्यान में रखते हुए, इसे अपनी आर्थिक आधार के विविध उपयोग तथा अन्य क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देना चाहिए।

**स्वास्थ्य**

- ▲ झारखण्ड अनेक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों पर राष्ट्रीय औसत से पिछे है।
- ▲ कुछ सबसे खराब संकेतक उन जनजातीय समुदायों से प्राप्त हुए झारखण्ड की कुछ जनसंख्या के 26% से अधिक हैं (छतीसगढ़ के बाद जीएस में से दूसरा सर्वाधिक)।
- ▲ इस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है।
- ▲ एक दीर्घकालीन समाधान के लिए, यह एमबीबीएस डॉक्टरों को विशेषज्ञों में बदलने के लिए फिजिशियनों एवं शल्यचिकित्सकों के कॉलेजों के पर्याप्त डॉक्टरों की डॉक्टरों के डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने के महाराष्ट्र मॉडल को अपना सकता है।
- ▲ इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों में आवश्यकता अंतर को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

**शिक्षा**

- ▲ झारखण्ड को अनेक शैक्षणिक मानदण्डों पर अपने निष्पादन को सुधारने की आवश्यकता है (देखे झारखण्ड -2. डी)/कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।
  - » गति दर : माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर में 66% राष्ट्रीय गति दर की तुलना में झारखण्ड की 2016-17 में गति दर केवल 47% रिपोर्ट की बताई गई (यू-डीआईएसई, 2016-17 के अनुसार)। इसके अलावा, यह गति दर लड़कों की 49% गति दर की तुलना में लड़कियों की गति दर 45% है जो कम है (66% राष्ट्रीय औसत की तुलना में) जो विद्यालय शिक्षा के उच्चतर स्तर पर बढ़ते हुए लिंग विषमता का दर्शाता है।



» शिक्षा परिणाम : एएसईआर रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, झारखण्ड कक्षा-3 के केवल 19% बच्चे कक्षा - 2 की पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ सकें (27% राष्ट्रीय औसत की तुलना में) और कक्षा -3 के 23% बच्चे कम-से-कम घटाव कर सकते थे (28% राष्ट्रीय औसत की तुलना में)

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक (2019) पर स्थान एसडीजी भारत सूचकांक और नीति आयोग के डैशबोर्ड, 2019 के अनुसार, इस राज्य का भारतीय राज्यों में 27 वाँ स्थान था।
- ▲ झारखण्ड को एसडीजी-1 कोई गरीबी नहीं, एसडीजी -2 शून्य भूखमारी, एसडीजी-3 बेहतर स्वास्थ्य एवं सूख, एसडीजी - 4 बेहतर शिक्षा, एसडीजी-5 लैंगिक समानता, एसडीजी -6 स्वच्छ जल एवं सफाई, एसडीजी- 7 किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी -8 सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास, एसडीजी -10 कम असमानता और एसडीजी - 16 शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं के आधार पर अपने निष्पादन में सुधार लाने की आवश्यकता है।

#### पिछड़ापन

- ▲ झारखण्ड के 24 जिलों में से राँची (राजधानी नगर) सहित 19 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में मान्यता दी गई है (नीति आयोग द्वारा)।
- ▲ इसके अलावा, 2011-12 में छत्तीसगढ़ के बाद झारखण्ड में दूसरी सबसे अधिक गरीबी दर 37% थी (तेंदुलकर विधि के अनुसार)।
- ▲ सबसे नीचे वाले 20% ब्लॉकों को आकांक्षी जिले के नीति आयोग द्वारा उल्लिखित आकांक्षी जिलों की भाँति रूप में विकसित करने के लिए नियोजित करने समय झारखण्ड सरकार को निम्न आय के जाल से बाहर निकलने के लिए निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है।

#### बाम मोर्चे के चरमपंथी

- ▲ झारखण्ड में केवल 6% ग्रामीण घरों में पीडब्ल्यूएस कनेक्शन है, जो 18.3% राष्ट्रीय कनेक्शन के एक तिहाई से कम है।
- ▲ झारखण्ड को अपने संसाधनों का निवेश किफायती एवं अभिनव कार्यों जैसेकि वर्षाजल संचयन तथा पेय जल का शुरु से अंत तक श्रृंखला प्रबंधन पर करने की आवश्यकता है।

#### बिजली क्षेत्र

- ▲ झारखण्ड राज्य का 2016 (34.7%) और 2019 (28.6%) के बीच एटी एण्ड सी हानियां सबसे अधिक रही जो इन वर्षों की लक्षित कमी से काफी दूर थी।
- ▲ जब तक उदय मानदण्डों पर राज्य डिस्कॉम में काफी सुधार नहीं हो जाता है, तब तक 31 मार्च, 2019 के अनुसार फीडर अलगाव (12% प्रगति), स्मार्ट मीटर लगाना (0% प्रगति), आरपीओं (13% प्रगति), भावी राजकोषीय जोखिम की संभावना बनी रहेगी।
- ▲ बिजली की सब्सिडी बिना रिजाव के अभिष्ट लाभार्थियों को पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता है।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ शेष कार्यों को आरएलबी एवं यूएलबी को हस्तांतरिक करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
- ▲ झारखण्ड को शीघ्र पीटीबी स्थापित करने की आवश्यकता है।
- ▲ जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (बीबी) और (सी) में प्रावधान किया गया है, भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान देने की सिफारिश करता है।
- ▲ राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों के आधार पर कार्य करना चाहिए और मार्च, 2024 से पहले राज्य विधान मंडल के समाक्ष उनफ की गई कार्रवाई से संबंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन। प्रस्तुत करना चाहिए।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम <sup>2</sup>**

- ▲ झारखण्ड के 21 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल 2 उपक्रमों ने वर्ष 2016-17 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है।
- ▲ 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास 54 लेखाओं का बकाया है जिनमें 1 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक का बकाया है।
- ▲ झारखण्ड ने उस अवधि जिसके दौरान लेखाएँ बकाएँ में थी, के दौरान 12 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 2659.56 करोड़ रूपए का बजटीय सहायता मुहैया कराया था।
- ▲ लेखाओं का लेख परीक्षा नहीं करने से गंभीर नकारात्मक जोखिम हो सकते थे क्योंकि राज्य सरकार बाकी बजटीय सहायता दे रही है।

**एनएएमजी के अंतर्गत की गई निगरानी के अनुसार उच्च प्रदूषण**

- ▲ झारखण्ड में तीन राज्य-धनबाद, जगशेदपुर और-राँची तीन शहरों की जनसंख्या एक मिलियन से अधिक है जो विकास के संवाहक है। तथादि उन शहरों के बढ़ते हुए प्रदूषण को यदि पूरी सक्रियता से न की गई तो उनका विकास भविष्य से बाधित हो सकता है।

**प्रति धनमीटर पीएम 10 माइक्रोग्राम**

शहर	2016	2017	2018	औसत
धनबाद	226	238	264	242.7
जगशेदपुर	136	131	128	131.7
राँची	196	142	122	153.3

नोट : एनएएमजी ने प्रति धन मीटर 90 माइक्रोग्राम की एम 10 सीमा निर्धारित की है।

**राज्य के अनुकूल सुधार**

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहों में बाँट दिया गया है। झारखण्ड उस समूह का हिस्सा है जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हैं।
- ▲ झारखण्ड के समीक्षात्मक राजकोषीय मानदण्डों की तुलना इन पाँच राज्यों से की गई है।

**सुधार संकेतक**

- ▲ यद्यपि झारखण्ड प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में खनिजों से भरा हुआ राज्य है, फिर भी इसे इसकी श्रेणी में पाँच राज्यों में तीसरे स्थान पर रखा गया है।
- ▲ इसके अलावा, एनएफएचएस 2015-16 के अनुसार, महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतकों, जैसे कि कम वजन वाले बच्चों की अधिकता, बच्चों में बौनापन, अरक्तता, औरतें जिनका बीएमआई सामान्य से कम है, और स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय सुविधा से वंचित घर के आधार पर झारखण्ड का प्रदर्शन खराब था।
- ▲ झारखण्ड की गरीबी दर अधिक (37%) है जिसमें साहिबगंज, दुमका, जाकुड़ और पश्चिम सिंहभूम जिलों की गरीबी दर 45% से भी अधिक बताई जाती है।
- ▲ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि झारखण्ड एक राजस्व अधिशेष राज्य है, अतिरिक्त राजस्व का उपयोग अनिवार्य सामाजिक क्षेत्र के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

▲ झारखण्ड बिजली क्षेत्र से राजस्व जुटाने में अपेक्षाकृत कम (1.4%) सफल रहा है। दूसरी तरफ उड़ीसा इस वचनबद्धता के साथ कैप्टिव पॉवर प्लांट पर एक विशेष बिजली शुल्क लगाकर अपने ओटीआर का 10.7% की मांग करता है कि वह इस प्रकार बिजली क्षेत्र में पूँजी निवेश के रूप में जुटाए गए राजस्व को खर्च करेगा। झारखण्ड सहित सभी खनिज उत्पादक राज्यों द्वारा राजस्व के ऐसे स्रोतों का पता लगाया जाना चाहिए।

▲ ओआरआर श्रेणी में अन्य राज्यों की तुलना में झारखण्ड के ओआरआर के विभिन्न घटकों का चित्र नीचे दर्शाए गए हैं :

समूह के राज्य	जीएसडीपी के % के रूप में					ओटीआर के % के रूप में				
	वैट/जीएसटी	स्टाम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य	वैट/जीएसटी	स्टाम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य
बिहार	4.1	0.8	0	0	0.6	74.4	14.2	0	0.9	10.5
झारखण्ड	3.9	0.1	0.4	0.1	0.4	79.1	3.1	7.3	1.4	9.0
मध्य प्रदेश	3.5	0.7	1.2	0.3	0.6	55.9	10.4	18.7	5.1	9.9
उड़ीसा	3.9	0.3	0.8	0.7	0.5	63.5	4.1	12.9	10.7	8.7
उत्तर प्रदेश	4.2	0.9	1.4	0.2	0.5	58.2	13.1	19.9	2.5	6.3
साथ के राज्यों का औसत	4.0	0.7	1.0	0.2	0.5	61.6	10.9	15.7	3.8	8.0
सभी राज्य	4.2	0.7	0.8	0.2	0.5	66.0	10.4	12.4	3.5	8.0

▲ इसके अलावा, इस श्रेणी का ओआरआर/टीआरआर 41.1% (राष्ट्रीय औसत 53.41%) है जिसका अर्थ है कि ये राज्य अपनी आय के लिए काफी हद तक केन्द्र सरकार द्वारा अंतरिक धनराशि पर निर्भर करते हैं। इस श्रेणी में झारखण्ड केन्द्रीय अंतरण का दूसरा सबसे अधिक प्राप्तकर्ता है। अतः इस दिशा में इस राज्य का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है।

▲ झारखण्ड का 2011-2019 का ओआरआर टीजीआर (12.3%) और प्लवशीलता (1.31) क्रमशः 11.2 और 0.9 के श्रेणी औसत से बेहतर है।

▲ तथापि, राजस्व प्राप्ति (ओटीआर तथा ओआरआर) टीजीआर तथा टीआरई टीजीआर के बीच अत्यधिक अंतर संभावी राजकोषीय अस्थिरता को बदलाता है। अतः ओटीआर एवं ओआरआर सुदृढ़ीकरण एवं प्रक्रिया का सरलीकरण झारखण्ड के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि झारखण्ड का 2018-19 का ओटीआर/ओआरआर 64.1 है (77.8 श्रेणी औसत की तुलना में)।

▲ झारखण्ड वैट कार्यकाल के अंतर्गत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि 2011 और 2016 के बीच टीजीआर 12.81 था (इस श्रेणी में सर्वाधिक)। इसका श्रेय कोयले पर कर को दिया जा सकता है जिसमें जीएसटी कार्यकाल में काफी गिरावट आ गई। साथ ही, एसजीएसटी पर एक समय श्रेणी प्रवृत्ति का विश्लेषण सभी राज्यों के टीजीआर का एक बेहतर चित्र प्रस्तुत कर सकता है।

▲ झारखण्ड राज्य डिस्कॉम का बिजली प्रसारण एवं उत्पादन कम्पनियों का बकाया इस श्रेणी में सबसे अधिक 4.01% है (जून 2020 के अनुसार)। इस राज्य को बढ़ती हुई एटी एण्ड सी हानि तथा बढ़ते हुए एसीएस-एआर अंतर का समाधान करना चाहिए और उदय मानदण्डों पर निष्पादन में सुधार लाना चाहिए।

▲ इसके अलावा, लम्बे समय में त्रितीयक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए पूँजीगत व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

▲ उत्पादन शुल्क से राजस्व बहुत कम है, इस मामले का इस राज्य को शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता है।

▲ प्रशासनिक प्रणाली और प्रभावी सेवा आपूर्ति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है क्योंकि झारखण्ड वैतनिक नौकरी, अपर्याप्त तकनीकी रूप से प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों तथा चिरस्थाई गरीबी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है।


▲ सामाजिक मानदण्डों से सुधार लाने के लिए व्यय का व्यापक पैमाने पर प्राथमिकता निर्धारित करना और आकांक्षी जिले/ब्लॉकों पर केंद्रित चर्चा की आवश्यकता है।

**नोट :**

1. एएसईआर (2018), शिक्षा का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018, एएसईआर केन्द्र
2. सीएजी (2017) की 2017 की झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से सं. 2, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, झारखण्ड सरकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।



## केआर-1. ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
61.1 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
5.1%



**क्षेत्रफल**  
1,91,791 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
5.9%



**वन आच्छादन**  
38,575 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
5.5%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
20.1%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
2.7% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**

रु. 2,32,874

रु. 1,40,422

सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**

6.3%

सभी राज्यों का औसत

6.3%



**प्रति महिला बच्चे**

1.8

सभी राज्यों का औसत

2.2




**शहरीकरण दर**

38.6%


अखिल भारत औसत

31.1%

## केआर-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## केआर-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## केआर-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेर
2011-12	6,06,010	77,44,945	7.8
2012-13	6,95,413	88,27,195	7.9
2013-14	8,16,666	1,00,07,392	8.2
2014-15	9,13,923	1,09,93,257	8.3
2015-16	10,45,168	1,21,91,256	8.6
2016-17	12,09,136	1,37,80,737	8.8
2017-18	13,57,579	1,54,20,126	8.8
2018-19	15,44,399	1,72,83,813	8.9


## केआर-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




केआर-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




केआर-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



केआर - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




केआर-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

केआर-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कमी (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

केआर- 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


केआर -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार




केआर- 3. सी: व्यक्ति ('000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

केआर- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


केआर- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा



केआर- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



केआर- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




केआर- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


केआर -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में अन्य



केआर - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



केआर-4. जी: जीएसडीपी से पूंजीव्यय का अनुपात




केआर-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संकेतक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	2,32,874	1,41,099
संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।		
टीआरआर	10.7	13.4
ओटीआर	6.3	6.4
एनटीआर	0.4	1.1
टीई	13.2	16.1
ईएस	3.1	3.1
एसएस	4.5	5.4
जीएस	2.7	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	2.8	5.8
पूंजी व्यय	2.5	2.5
एफडी	2.5	2.5
आरडी	-0.04	0.2
ओडी	17.5	25.0

## केआर- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
कर्नाटक	13.9	13.3	10.5
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## केआर- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 29 कार्यों को आरएलबी को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 कार्यों में से 17 कार्यों को यूएलबी को हस्तांतरित कर दिया गया है। अग्रिशनन सेवाओं को केवल ग्रेटर बैंगलूरु नगर निगम या बहुत बैंगलूरु महानगर पालिका को हस्तांतरित किया गया है।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ आरएलबी एवं यूएलबी के खातों की लेखा परीक्षा केवल 2015-16 तक पूरी की गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ कर्नाटक सरकार ने पीटीबी स्थापित नहीं की है ( वित्त आयोग 13 द्वारा अनुमोदित )

## सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक क्रम

कर्मों का क्रम	पदाधिकारियों का क्रम	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
1	9	2	2

स्रोत : भारत सरकार 2016, अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-2016, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार

## चौथा एसएफसी 2018-19 से 2020-23

- ▲ राज्य सरकार वर्तमान में चौथे एसएफसी की सिफारिशों का अनुपालन कर रही है।
- ▲ चौथे एसएफपी ने सिफारिश की थी कि राज्य के गैर-ऋण शुद्ध अपने राजस्व प्राप्तियों का 48% स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाय।
- ▲ चौथे एसएफसी ने सिफारिश की थी कि राज्य के गैर-ऋण शुद्ध अपने राजस्व प्राप्तियों ने 2022-23 तक हस्तांतरण तक क्रमशः 48%

## ऋण एवं हानि

- ▲ 31 मार्च 2019 तक डिस्कॉम्स का कुल ऋण रु. 18021 करोड़ है जिसमें से राज्य सरकार का ऋण 2552 करोड़ है।
- ▲ राज्य ने लक्ष्य एसीएस-एआरआर अंतर को पूरा कर लिया परन्तु 2018-19 में उदय के अंतर्गत लक्ष्य एटीएंडसी हानियों को पूरा नहीं किया।


- ▲ राज्य को भावी राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए इन उदय मानदण्डों पर अपने मानदण्डों में सुधार लाने तक ध्यान देना चाहिए।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	19.8	14.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	-0.7	0.0

नोट:- एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि जारी किया गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

#### केआर- 5. ए: एटी एवं सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018



स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

#### उध्वाधर अंतरण

- ▲ उध्वाधर अंतरण के अंतर्गत वित्त आयोग-15 ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय करों विभाज्य पूरक के शुद्ध आय का 41% वर्ष 2020-21 में राज्यों को हस्तांतरित किया गया।
- ▲ राज्य इस बात से संतुष्ट है कि यह तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर के शेयर के लिए समायोजित वित्त आयोग-14 द्वारा प्रस्तावित शेयर के रूप में कमोबेश बराबर है।

#### क्षैतिज हस्तांतरण का सूत्र

क्र.सं.	मानदण्ड	भार (%)
i)	आय अंतर	15
ii)	जनसंख्या, 2011	15
iii)	वन क्षेत्र में हिस्सेदारी (सभी प्रकार के वन)	10
iv)	एसटी जनसंख्या में शेयर द्वारा भारित जनसंख्या	30
v)	संशोधित जनगणना क्षेत्र	15
vi)	खदान जीएसवीए में शेयर	10
vii)	जीएसडीपी	5

**कर्नाटक सरकार द्वारा दिए गए सुझाव**

- इकट्टी मानदंड (आय अंतर) को दिए गए भार को वर्तमान 45% से कम करके 30% कम किया जाए और उस भार को अन्य मानदण्डों, प्राथमिकता निष्पादन मानदण्डों या तो कर प्रयास या जनसांख्यिकी परिवर्तनों को आवंटित किया जाये।
- दूरी के बदले प्रति व्यक्ति आय के प्रतिलोम का उपयोग किया जाये।
- आय अंतर को 0.25 मानक विचलन तक बढ़ाकर सामान्य किया जाये।

**राजकोषीय व्यवस्था**

- ▲ राज्य राजकोषीय व्यवस्था के मार्ग को अपनाकर लगातार 2004-05 से राजस्व आधिक्य बनने में सक्षम हुआ है।
- ▲ इसका एफडी-जीएसडीपी अनुपात 2011-12 से 3.1 से नीचे बना हुआ है और राज्य संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत अतिरिक्त ढ़ण का सहारा नहीं लिया है।
- ▲ इसके अलावा, ऋण जीएसडीपी अनुपात 2011-12 से 20.1 से कम रहा है।
- ▲ कर्नाटक, कर्नाटक राजकोषीय जिम्मेदारी (संशोधन) अधिनियम 2019 के माध्यम से पद कुल देयताओं की परिभाषा में अपने बजट्टेर ऋण में शामिल करके अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने 2002 में एफआरबीएम अधिनियम को कानून बनाया और उसमें 2009, 2011 और 2014 में संशोधन किया।
- ▲ राज्य ने 2002 में एफआरबीएम अधिनियम को कानून बनाया और उसमें 2009, 2011-12 और 2017-18 के बीच की अवधि के दौरान एफआरबीएम लक्ष्यों का पालन किया।

**न्यूनतम प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ कर्नाटक ने सभी 29 राज्यों में 2011-12 से 2018-19 तक अपना प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन को निम्नवत स्तर पर रखने में दूरदर्शिता दिखाई है।
- ▲ बहरहाल, यह प्रतीत होता है कि लेखांकन में कुछ समस्याएं हैं क्योंकि सहायता अनुदान वेतन को वेतन में पूर्णतः प्रदर्शित नहीं किया गया है और इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिबद्ध व्यय को कम बताया गया है।
- ▲ यह राज्य एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य एवं सुख, एसडीजी-4 बेहतर शिक्षा, एसडीजी-5 लिंगानुपात, एसडीजी-7 किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा और एसडीजी-9 उद्योग, अभिनव कार्य एवं अवसरंचना के मामले में सबसे आगे है।
- ▲ बहरहाल, राज्य को एसडीजी-1, शून्य गरीबी, एसडीजी-2 शून्य भुखमरी, एसडीजी-6 स्वच्छ जल एवं सफाई, एसडीजी-10 कम असमानता, एसडीजी-11 संधारणीय शहर एवं समाज के मामले में इसके निष्पादन में सुधार लाने की आवश्यकता है।
- ▲ राज्य को अभिनव नीतियां एवं केन्द्रित कार्रवाई करना जारी रखना चाहिए ताकि राज्य अपनी आर्थिक एवं सामाजिक संकेतकों में सुधार कर सके।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	26.0	25.7	25.4	25.2	25.0	25.0	25.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	17.0	16.8	16.6	17.3	16.8	17.5	17.2
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	2.0	2.1	2.1	2.1	1.8	2.4	2.3

स्रोत : कर्नाटक सरकार

### बंदरगाह संचालित अर्थव्यवस्था

- ▲ एक तटीय राज्य होने के कारण कर्नाटक को बंदरगाहों के विकास एवं उन्नयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी आर्थिक विकास को संभाल सके।

### वन एवं पर्यटन

- ▲ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्नाटक का लगभग पांचवां भाग वन क्षेत्र है, इस राज्य को रोजगार सृजन एवं विकास के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करने की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।

### बिजली क्षेत्र

- ▲ उदय समझौता ज्ञापन की दिशा में, डिस्कॉम्स 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में एटी एंड सी हानियों में लगभग लक्षित कमी लाने में सक्षम होने वाला था।
- ▲ इसके अलावा, राज्य 31 मार्च 2019 तक लगभग सभी महत्वपूर्ण उदय मानदण्डों को पूरा करने में सक्षम रहा है।
- ▲ पांच डिस्कॉम्स में से दो को 2016-17 में हानि हुई/राज्य को अगले 2-3 वर्षों में सभी पाँच डिस्कॉम्स को लाभप्रद बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- ▲ बिजली पर ही जाने वाली सब्सिडी बिन किसी रिसाव के अभीष्ट लाभार्थियों तक पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली सुधार की आवश्यकता है।

### स्थानीय निकाय

- ▲ इस राज्य का सभी राज्यों में आर एल बी को संपूर्ण नीति हस्तांतरण में दूसरा स्थान (केरल के बाद) है।
- ▲ राज्य ने जीआईएस आधारित संपत्ति पर प्रणाली के लिए प्रोजेक्ट आस्ति लागू किया है और संपत्ति कर मूल्यांकन को वार्षिक किराया मूल्य निर्धारण से बदलकर पूँजी मूल्य विधि कर दी है।
- ▲ इसके अलावा, कर्नाटक नगरपालिका डाटा सोसायटी (केएमडीएस) नागरिक सेवाओं के लिए नगरपालिका सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अनुप्रयोगों को लागू करता है और नगरपालिका प्रशासन यूएलबी के वेबसाइट्स का प्रबंधन करता है तथा यह नगरपालिका डाटा का संग्राहक है।

### सूखा शमन एवं सिंचाई

- ▲ यद्यपि कर्नाटक में वार्षिक वर्षा राष्ट्रीय औसत के निकट है, परन्तु राज्य के अनेक भाग वार्षिक सूखा का सामना करते हैं।
- ▲ विगत 15 वर्षों में से 13 वर्षों में भिन्न-भिन्न तीव्रता की सूखा के कारण इस राज्य में भारी क्षति हुई है।
- ▲ सूखा शमन के उपायों पर अधिक निवेश करनी चाहिए। इसके अलावा, वित्त आयोग - 15वां द्वारा निर्धारित सूखा शमन के उपायों एवं संसाधनों को राज्य सरकार द्वारा लाभप्रद रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- ▲ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई योग्य भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में एक भरोसेमंद सिंचाई प्रणाली बहुत अधिक सफल हो सकती है।
- ▲ इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य को सिंचाई के तहत सकल क्षेत्र की प्रतिशतता वर्तमान 34.2% से बढ़ाकर कम से कम 48.6% (2014-15 में राष्ट्रीय औसत) करने का प्रयास करनी चाहिए।
- ▲ ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से आधुनिक लघु-सिंचाई तकनीक के क्षेत्र को भी बढ़ाया जा सकता है।

**स्वास्थ्य**

- ▲ यद्यपि कम वजन वाले बच्चों, बच्चों में बौनापन, महिलाओं में रक्त अल्पता, संस्थागत प्रसव की प्रतिशतता, आईएमआर और एमएमआर से संबंधित कर्नाटक के स्वास्थ्य संकेतक सामान्यतः राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं, फिर भी बहुत अधिक अंतर-राज्यीय विषमताएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।
- ▲ पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए, स्वास्थ्य परिणामों को बनाए रखने एवं उनमें सुधार लाने के लिए, जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में स्वास्थ्य पर खर्चों को 0.6% (2016-17) से बढ़ाकर कम से कम 0.8% (जीएस औसत) किया जाना

**शिक्षा**

- ▲ यद्यपि राज्य शिक्षा परिणामों पर राष्ट्रीय औसत से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, परन्तु उन जिलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जिनका प्रदर्शन राज्य औसत से बहुत खराब है।
- ▲ अतः पिछड़े जिलों में शैक्षणिक परिणाम को बनाए रखने तथा अधिक सुधार लाने के लिए, शिक्षा पर व्यय (2.5% जीएस औसत की तुलना में 2016-17 में 1.6% जीएसडीपी) बढ़ा देना चाहिए।

**आकांक्षी जिले**

- ▲ विशेष ध्यान देने एवं विकास की निगरानी के लिए नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों की सूची में कर्नाटक के यादगीर एवं रायचूर जिला दर्शाए गए हैं।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ वित्त आयोग - XIII की सिफारिशों के बावजूद राज्य ने पीटीबी की स्थापना नहीं की है।
- ▲ जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) और (ग) में प्रतिष्ठापित है, भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की सिफारिशों करता है। राज्य सरकार की एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, मार्च 2024 को या उससे पहले राज्य विधान मंडल के समक्ष उनपर की गई कार्रवाई से संबंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

- ▲ बकाए खातों की संख्या 2013--14 के 49 से बढ़कर 2017-18 में 79 हो गई है जिनमें 1 से 5 वर्षों तक का बकाया है।
- ▲ जिन वर्षों के दौरान खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, उनमें राज्य सरकार ने बिजली क्षेत्र को दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक में ₹1,931.33 करोड़ रुपए और 60 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 25 में 9,857.73 करोड़ रुपए (बिजली क्षेत्र के अलावा अन्य) का निवेश किया।

**राज्य के सुधार कार्य**

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से, राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कर्नाटक उस वर्ग का भाग है जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाणा, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा और गोवा शामिल हैं।
- ▲ इस वर्ग में कर्नाटक के महत्वपूर्ण राजकोषीय मानदण्डों की तुलना अन्य राज्य के मानदण्डों के से (गोवा, जो बहुत छोटा है, को छोड़कर) की गई है।

**सुधार संकेतक**

- ▲ कर्नाटक भारत का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है जिसका राष्ट्रीय जीडीपी में काफी योगदान है और जिसका सामाजिक संकेतक राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है।

- ▲ बहरहाल, 2013-13 (वित्त आयोग - XIII प्रक्षेपों के लिए प्रयुक्त नवीनतम विश्लेषण वर्ष) से 2018-19 (वित्त आयोग - XIV के लिए उपलब्ध नवीनतम वर्ष) तक का इसका राजकोषीय निष्पादन इसकी श्रेणी के अन्य राज्यों की तुलना में ऋणात्मक दर्शाता है।
- ▲ उदाहरण के लिए, यद्यपि 2011-12 से 2018-19 तक का कर्नाटक की जीएसडीपी टीजीआर 14% श्रेणी औसत की तुलना में 14.8% था, परन्तु 2018-19 में ओटीआर वृद्धि (0.75) श्रेणी औसत (0.83) से कम भी जो महाराष्ट्र के ओटीआर के काफी पीछे है।
- ▲ उसी प्रकार, श्रेणी औसत (67.4%) और तेलंगना (76.9% पर आगे चल रहा है) की तुलना में ओटीआर का टीजीआर 10.6% (श्रेणी औसत 11.5%) और ओरआरआर/टीआरई (63.1%) था।
- ▲ 2011-12 और 2018-19 के बीच 13.9% टीआरई टीजीआर उसी अवधि के ओआरआर टीजीआर से 3.4% अंक अधिक है जो राजकोषीय अस्थिरता का साधन तैयार करता है।
- ▲ जब तक ओआरआर टीजीआर वित्त आयोग - 15वां की पंचाट अवधि के दौरान ओआरई टीजीआर से आगे नहीं बढ़ जाता है तब तक राज्य महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के निवेश बढ़ाने या राजस्व उपार्जन पूँजी आस्तियों के निर्माण में सक्षम नहीं होगा।
- ▲ कर्नाटक जीएसडीपी का लगभग 2.5% पूँजीगत व्यय के लिए आर्बिट्रिट करता है और इसका आरडी-एफडी अनुपात 1.77% या (2018-19)। इसे दीर्घकालिक राजकोषीय समेकन के लिए इस स्तर पर प्रदर्शन करना जारी रखना चाहिए।
- ▲ कर्नाटक 2017-18 में आठ राज्यों का भुगतान किए गए कुल जीएसटी क्षतिपूर्ति में से 40% राशि जीएटी सबसे अधिक प्राप्त करने वाला राज्य था। बहरहाल, यह 2018-19 में गिरकर 31% हो गया जो इस राज्य के कर राजस्व (जीएसटी के बाद) में उतना सुधार नहीं हुआ है जितना इस श्रेणी के राज्यों का सुधार हुआ है और 2022 के बाद यह कर्नाटक के लिए एक चुनौती खड़ा कर सकता है।
- ▲ यद्यपि कर्नाटक अपनी श्रेणी में सबसे कम प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय की जानकारी दी, परन्तु सहायता अनुदान के अंतर्गत भुगतान किए गए वेतन को पूर्णतः नहीं दर्शाया गया है।
- ▲ कर्नाटक द्वारा शिक्षा पर किया गया व्यय (टीआरई के प्रतिशत के रूप में) तेलंगना (11.6%) के बाद इस श्रेणी में सबसे कम व्यय वाला दूसरा राज्य है। इस श्रेणी का औसत व्यय 16.4% है जिसमें महाराष्ट्र 18.8% के सबसे आगे है। यदि यह राज्य राजस्व स्थिति में सुधार लाता है, तो यह शिक्षा में अपना निवेश बढ़ा सकता है।
- ▲ यद्यपि स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता पर कर्नाटक का खर्च इस श्रेणी के औसत से अधिक है, परन्तु यह पोषण पर व्यय के मामले में पीछे चल रहा है।


#### नोट :

1. भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
2. भारत सरकार (2019), कृषि संबंधी आंकड़, 2018 कृषि, सहयोग एवं कृषि कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा III, V और VIII के लिए 13 नवम्बर, 2017 को संपूर्ण भारत में किए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के परिणामों द्वारा यथा प्रदर्शित
4. कर्नाटक सरकार द्वारा प्रकाशित सीएजी (2019), 2019 की रिपोर्ट सं. 4 कर्नाटक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।





## केएल-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
33.4 मिलियन  
सभी राज्यों की जनसंख्या का 2.8%



**क्षेत्रफल**  
38,852 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों के क्षेत्रफल का 1.2%



**वन आच्छादन**  
21,144 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं का वन क्षेत्र 54.4%  
2017 से 2019 तक वन आच्छादन में परिवर्तन 4.0% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
₹ 2,25,484  
₹ 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**कर और जीएसडीपी का अनुपात**  
6.5%  
सभी राज्यों का औसत 6.3%




**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चों की संख्या**  
1.6  
सभी राज्यों का औसत 2.2




**शहरीकरण दर**  
47.7%  
अखिल भारतीय औसत 31.1%

## केएल-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## केएल-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## केएल-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (₹ करोड़)


विव. (वर्ष)	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) श्रेयर
2011-12	3,64,048	77,44,945	4.7
2012-13	4,12,313	88,27,195	4.7
2013-14	4,65,041	1,00,07,392	4.6
2014-15	5,12,564	1,09,93,257	4.7
2015-16	5,61,994	1,21,91,256	4.6
2016-17	6,34,886	1,37,80,737	4.6
2017-18	7,01,577	1,54,20,126	4.5
2018-19	7,81,653	1,72,83,813	4.5

## केएल-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




## पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


## केएल-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



## केएल-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



## केएल - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




## केएल-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक



<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>आ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 |


<sup>आ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एए</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>आ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

केएल-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

केएल - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं प्रति आयुष डॉक्टर



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


केएल -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य

केएल- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति परिचारिका /फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

केएल- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


केएल- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




केएल- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



केएल- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




केएल- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


केएल-4. ई: जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



केएल - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



केएल-4. जी: जीएसडीपी और पूंजी व्यय का अनुपात




केएल-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹0 में	2,25,484	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	11.9	13.4
ओटीआर	6.5	6.4
एनटीआर	1.5	1.1
टीई	15.4	16.1
ईएस	1.6	3.1
एसएस	4.9	5.4
जीएस	6.5	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	8.6	5.8
पूंजी व्यय	1.2	2.5
एफडी	3.4	2.5
आरडी	2.2	0.2
ओडी	30.9	25.0

## केएल- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
केरल	13.4	13.8	11.6
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## केएल- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर अंतरण एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## हस्तांतरित कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 29 कार्यों को पीआरआई को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 कार्यों में से 17 कार्यों को यूएलबी को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- ▲ 2016-17 के दौरान, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के पास उपलब्ध धनराशि का 71% राज्य का अनुदान था। भारत सरकार के अनुदान का हिस्सा 22 % और ऋण सहित राज्य की निधि 7% थी।
- ▲ केरल देश का पहला राज्य है जिसके पास 2000 से केवल एलएसजीआई के लिए लोकपाल है।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ सभी एलएसजीआई में कम्प्यूटर आधारित अभिवृद्धि लेखा प्रणाली (संख्या सॉफ्टवेयर) कार्यान्वित है।
- ▲ यूएलबी के लिए राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली भी कार्यान्वित की जा रही है।
- ▲ आरएलबी और यूएलबी के खातों की 2017-18 तक के लेखा परीक्षा कर दी गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य ने वित्त आयोग 13 द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अपने पीटीबी की स्थापना कर दी है। यह एक कार्यशील निकाय है जो सभी यूएलबी के लिए कार्य योजनाएं तैयार करता है।

## सभी राज्यों का अंतरण सूचकांक रैंक

कार्य रैंक	विभागीय रैंक	आय रैंक	पॉलिसी रैंक में कुल अंतरण
2	1	1	1

स्रोत: भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

### पांचवां एसएफसी (2016-17 से 2020-21)

- ▲ राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा की गई राज्य वित्त आयोगों के रिपोर्ट की समीक्षा के अनुसार केरल सरकार ने पांचवे एसएफसी की सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जिसने सुझाव दिया था कि राज्य के वार्षिक ओटीआर के शुद्ध आय का 20% विकास निधि, अनुरक्षण निधि और सामान्य प्रयोजन निधि के रूप में स्थानीय शासन को अंतरित किया जाए।
- ▲ केरल इस समय चौथे एसएफसी की सिफारिशों को क्रियान्वित कर रहा है।


### ऋण एवं हानि

- ▲ 31 मार्च 2019 के अनुसार, डिस्कॉम द्वारा लिया गया कुल ऋण 18,354 करोड़ ( सभी राज्यों में डिस्कॉम द्वारा लिए गए कुल ऋण का 3.8% ) था।
- ▲ केरल सरकार ने उदय के अंतर्गत कोई वित्तीय देयता नहीं ली है। यह इसे दीर्घकालीन बनाने के लिए केरल राज्य बिजली बोर्ड लि. (केएसईबीएल) की परिचालनिक कुशलता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है
- ▲ ताकि राज्य ने 2018-19 में अपना सही एटी एवं सी हानि (%) लक्ष्य हासिल कर लिया है। परन्तु एसीएस-एआरआर लक्ष्य को हासिल नहीं किया है।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानियां (%)	9.1	11.0
एसीएस एआरआर अंतर (रु. प्रति इकाई)	0.11	-0.06

नोट:- एसीएस-एआरआर अंतर यह दर्शाता है कि वसूल किया गया प्रति इकाई औसत राजस्व आपूर्ति लागत से अधिक है  
 स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

### केएल-5 ए एटी एवं सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018



स्रोत:- भारत सरकार 2019, उदय न्यूजलेटर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार



**उध्वाधर अंतरण**

- ▲ केरल ने सिफारिश की कि कर के संपूर्ण विभाज्य पूल में राज्य हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% कर दिया जाये।

**क्षैतिज अंतरण का सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझावित भार (%)
i)	जनसंख्या 2011	30
ii)	जनसांख्यिकीय उपलब्धि (1971 की जनसंख्या द्वारा प्रति पवित )	30
iii)	आय अंतराल	20
iv)	क्षेत्रफल	10
v)	वन क्षेत्र	10

**नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग**

- ▲ एसडीजी भारत सूचकांक और नीति आयोग के डैशबोर्ड 2019-20 के अनुसार केरल का प्रथम स्थान है।
- ▲ राज्य का 70 एसडीजी सूचकांक मूल्य है (राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में)
- ▲ यह राज्य एसडीजी-1 कोई गरीबी नहीं, एसडीजी-2 शून्य भूखमरी, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य एवं सुख एसडीजी-4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एसडीजी-6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, एसडीजी-7 किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-9 उद्योग, अभिन्नता और अवसरचना, एसडीजी-10 घटी हुई असमानता, एसडीजी-15 राज्य में जीवन और एसडीजी-16 शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान में सबसे आगे है।

**सामाजिक संकेतक**

- ▲ मानव विकास मानदण्डों पर केरल की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर दोनों पर अभिस्वीकृत किया गया है।
- ▲ भारत में केरल में सबसे अधिक साक्षरता, विद्यालयी पंजीकरण और अवधारण है।

**प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण और तीसरा स्तर**

- ▲ राज्य निधियों, कार्यों पदाधिकारियों के हस्तांतरण और एसएसजी के सशक्तिकरण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता रहा है।
- ▲ केरल में विकेन्द्रीकरण जन योजना अभियान के माध्यम से अभियान के रूप में किया गया था।

**स्थानीय निकायों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति पहल**

- ▲ राज्य सरकार के अनुसार, केरल ने केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के क्रियान्वयन के कारण हुई राजस्व क्षति के लिए स्थानीय निकायों की क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व उपाजर्न का वैकल्पिक तंत्र स्थापित किया है।
- ▲ इसने 2017-18 के दौरान मनोरंजन कर की क्षति की प्रतिपूर्ति के रूप 2018-19 के बजट में 133 करोड़ की व्यवस्था की थी। इसे राशि 2015-16 के दौरान प्रत्येक स्थानीय शासन द्वारा संग्रह किए गए मनोरंजन कर के अनुपात में स्थानीय शासनों के बीच विभाजित किया जाना था।

**पर्यटन सामर्थ्य**

- ▲ केरल घरेलू एवं विदेशी पर्यटन दोनों के लिए विशाल एवं अप्रत्युक्त सामर्थ्य प्रदान करता है।
- ▲ केरल के जीएसडीपी में पर्यटन का 10% योगदान है और यह एक बहुत बड़ा रोजगार उत्पादक है।
- ▲ केरल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला भारत का 7 वां सबसे लोकप्रिय स्थान है और उसने यह 2019 में सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में किए गए पर्यटन का 3.8% पर्यटकों को आकर्षित किया।
- ▲ बहरहाल यह अभी भी घरेलू पर्यटक भ्रमणों के लिए सर्वश्रेष्ठ 10 राज्यों की सूची में दिखाई नहीं देता है और इसे भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

**एफआरबीएम का अनुपालन**

- ▲ केरल एफआरबीएम अधिनियम 2003 में पारित किया गया था और 2011 एवं 2018 में संशोधित किया गया था।
- ▲ यह राज्य हाल के वर्षों में अपने एफआरबीएम सीमा का पालन नहीं कर रहा है।
- ▲ अतः इस राज्य को अपने भावी स्रोतों का सृजन करने के लिए एक विश्वसनीय ऋण मार्ग एवं व्यय का सावधानी पूर्वक जांच की आवश्यकता है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	32.3	31.7	30.7	29.8	25.4	26.8	30.4
वास्तविक रूप में प्राप्त	25.6	26.3	26.7	27.7	28.6	29.9	30.6
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.5	3.5	3.0	3.0	3.1	3.5	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	3.5	3.6	3.6	3.6	3.2	4.2	3.8

नोट:-चूंकि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए वित्त आयोग XIV के लक्ष्यों के अनुसार एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया, अतः यहां उन वर्षों के मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में दिए गए लक्ष्यों का प्रयोग किया गया है।

स्रोत:- केरल सरकार

**बुजुर्गों की अधिक आबादी**

- ▲ राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार अपने स्वास्थ्य विद्यालय शिक्षा और प्रत्यक्ष जनसांख्यिकी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, केरल ने 1988 के शुरुआत में ही प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर हासिल कर दिया था।
- ▲ केरल की भारत में जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है पुरुषों के लिए 71.8 वर्ष और महिलाओं के लिए 77.8 वर्ष।
- ▲ इस प्रकार इस राज्य में बुजुर्गों के अनुपात में तीव्र वृद्धि हुई है।
- ▲ 1991 की जनगणना में भारत की वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 12.2 और 2011 की जनगणना में 14.2 था केरल का तदनुसूची अनुपात क्रमशः 14.4 और 19.6 था जो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है।
- ▲ केरल में बुजुर्गों की संख्या देश के शेष भागों से तेजी से बढ़ रही है।
- ▲ इसलिए, इस राज्य को बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रणाली में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

**उच्च प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ सभी राज्यों में 2018-19 में केरल का टीआरई से पेंशन का सबसे अधिक अनुपात 17.2 था।
- ▲ इस राज्य का जीएस औसत की तुलना में टीआरई के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय भी सबसे अधिक था।

टीआरई के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जीएस की माध्यिका केरल	47	45	44	41	40	43	44
	62	62	59	61	61	67	61

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम <sup>3</sup>

- ▲ इस राज्य में 118 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनमें से 30 सितम्बर 2018 तक 107 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 281 खाते बकाए में थे। बकायों की अवधि 1-11 वर्ष है।
- ▲ 2013-14 और 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निवेशित पूंजी पर प्रतिफल 3.03% और 6.8% के बीच था।
- ▲ निवेशित पूंजी पर प्रतिफल 2017-18 में 1% से अधिक बढ़ गया जो मुख्यतः केरल राज्य वित्त उद्यम लि. के ब्याज एवं करपूर्व आय (310 करोड़) में वृद्धि के कारण है।
- ▲ 2013-14 और 2017-18 की अवधि के दौरान, बिजली क्षेत्र के उपक्रमों का निवेशित पूंजी पर प्रतिफल (रोस) 0.67% और 9.6% के बीच था।
- ▲ 2016-17 की तुलना में 2017-18 में निवेशित पूंजी पर प्रतिफल में भारी कमी आई जो केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि. के ऋण (₹ 11665 करोड़) और हानि (₹ 366 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

### प्रवासन


- ▲ विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विकास एवं प्रवासन सारपत्र 2017 के अनुसार भारत का आवक विप्रेषण 2015 में 68.2 बिलियन से 9% गिरकर 2016 में 62.7 बिलियन हो गया।
- ▲ चूंकि विप्रेषण का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, अन्यथा केरल पर इस गिरावट का निःसंदेह प्रभाव पड़ा होता।
- ▲ चूंकि केरल से लोग विश्व के अनेक देशों में प्रवास करते हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में जाता है।
- ▲ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट के परिणामस्वरूप केरल में अनेकों बार झटके महसूस किए गए हैं।
- ▲ इसके साथ-साथ केरल में रबर और अन्य नगदी फसलों के मूल्यों में गिरावट के कारण इसका उपयोग व्यय कम हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व कम हो गया है तथा राजकोषीय दबाव बढ़ गया है।
- ▲ अप्रवासन से अर्थव्यवस्था के लिए नए कुशल लोगों का आगमन होता है। केरल उनका सेवा क्षेत्र में समुचित हस्तक्षेप करके इन कौशलों का उपयोग करने की रणनीति बना सकता है।

### बेरोजगारी

- ▲ बड़े भारतीय राज्यों में, केरल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 11.4% (अखिल भारतीय स्तर पर 6% की तुलना में) है।
- ▲ केरल में एक बड़ी युवा जनसंख्या (23%) को उत्पादक रोजगार अवसरों की तलाश है।
- ▲ इस लक्ष्य की दिशा में, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के लिए वर्तमान कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना चाहिए।

### केरल-5बी: राज्य द्वारा बेरोजगारी (%) सामान्य प्रमुख स्थिति 2017-18

#### स्थानीय निकाय



- ▲ जैसा कि संविधान के अनुच्छेद (3) (ख ख) और (ग) में प्रतिस्थापित है, भारत का वित्त आयोग राजकीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए और मार्च 2024 से पहले विधान मंडल के समक्ष उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

## राज्य का सुधार कार्य

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। केरल उस वर्ग का भाग है जिसमें गुजारात, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और गोवा है।

## सुधार संकेतक

- ▲ केरल देश के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संकेतक दर्शाने वाला भारत का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है।
- ▲ केरल की कुछ विशिष्ट राजकोषीय विशेषताएं हैं।
  - **विप्रेषण:** आरबीआई के अनुसार, केरल को 2017 में भारत के विप्रेषण का 19% अर्थात् 85,092 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस राशि में से 60% राशि परिवार अनुरक्षण पर खर्च किया गया, 20% बैंक जमा के रूप में रखा गया, 8.3% का निवेश किया गया और 12.6% को अन्य कार्यों पर खर्च किया गया। यह केरल के उपयोग आधारित अर्थव्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति दर्शाता है जो इसके अधिक कर वृद्धि में अंशतः योगदान करता है।
  - **स्थानीय शासन:** केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें राज्य विधान मंडल प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायों के लिए बजट पारित करता है और कार्य, पदाधिकारी और निधि-तीनों को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया है। एलएसजीआई का अनुदान, राज्य सहायता अनुदान का 70-75% है। राज्य के बजट में कुल जीआईए इसके टीआई का लगभग 17% है। चूंकि एलएसजीआई का जीआईए प्रतिवद्ध व्यय का यह एक हिस्सा है, अतः टीआई में इसका हिस्सा इस श्रेणी के राज्यों में केरल में सबसे अधिक होता है।
  - **मसाला कांड:-** भारत की पहली उप-संप्रभु इकाई, केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (के आईआईएफबी) ने 2019 में 9.7% प्रतिवर्ष पर 2,150 करोड़ रुपए के मसाला बांड्स के लाभ को बंद करके अपतटीय ऋण बाजार में पहुंच बनाई। इसके बदले के आईआईएफबी को अन्य वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण प्राप्त करने में मदद मिली। ऐसे उप से प्रम ऋणों का बकाया ऋण से कम होने के कारण राज्य के लिए दीर्घकालीन राजकोषीय हानि होती है।
  - केरल एक मात्र राज्य है जिसे अपने एनटीआर में **राजकीय लॉटरियों** से भारी राजस्व प्राप्त होता है। 2018-19 में लॉटरियों से रु. 9,625 करोड़ (जीएसडीपी) का लगभग 1% की आय हुई। जब उसकी तुलना अन्य राज्यों के टीआई और एनटीआर से की गई तो वह आय केरल का बढ़ गया क्योंकि उनके पास ऐसे संसाधन नहीं थे। उदाहरण के लिए 2018-19 में
    - केरल का लॉटरी को छोड़कर टीआई-जीएसडीपी अनुपात 10.7% था परन्तु लॉटरी के साथ 11.9%।
    - लॉटरी से होने वाली आय रु. 9,625 करोड़ (92,854 करोड़ के टीआई से) थी और लॉटरी पर खर्च 7,819 करोड़ रु. 1,10,316 करोड़ रु. के टीआई से था।
  - **स्टेट ट्रेजरी सेविंग बैंक (एसटीएसबी)** राज्य विभागों राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और केरल के स्वायत्तशासी संस्थाएं प्रत्येक वर्ष के अंत में राज्य के समेकित नीधि से खर्च न की गई जमा राशि एसटीएसबी खाते में अंतरित करते रहे हैं। ऐसी राशियों को बढ़ी हुई अवधि तक एसटीएसबी के खाते में रहती है।
    - इससे राज्य के सरकारी खाते में बकाया राशि बढ़ गई है जिसके कारण केरल सरकार की कुल देनदारी में वृद्धि हो गई है।
    - जब टीआई का हिसाब किया गया तो एसटीएसबी में धनराशि पड़े रहने के कारण व्यय के आंकड़ों में अंतर आ गया।
    - उदाहरण के लिए 2016-17 में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर किया गया व्यय 22.9% तक बढ़ गया परन्तु 2017-18 में 7812 करोड़ रु. का अधिक भुगतान वसूल किया गया।
- ▲ राज्य कुछ संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं।
  - जमीन की कमी एवं जनसंख्या का अधिक घनत्व।

- अधिक वन क्षेत्र के कारण ईको-संवेदनशीलता
  - वेतन, ब्याज पेंशन और एलएसजीआई के लिए जीआईए पर प्रतिबद्ध व्यय के कारण ऋण दबाव जो टीआई का 80% से लेकर 85% तक है।
  - लगातार नगदी का बेमेल होना और प्रतिकूल आर्थोपाय स्थिति और
  - जीएस में भारत में अधिक बेरोजगारी दर
- ▲ राजस्व के मामले में, इस राज्य ने उत्साहबर्द्धक प्रदर्शन किया है।
- जीएसडीपी से टीआईआर का अनुपात 11.9% (2018-19) है।
  - 6.5% ओटीआई-जीएसडीपी अनुपात (2018-19) इस श्रेणी में तीसरा सबसे बड़ा अनुपात है।
- ▲ अच्छा राजस्व रूझान का कारण संभवतः
- वित्त आयोग-XIV द्वारा अधिक कर अंतरण
  - आवर्धित जीआईए (2015-2018 के दौरान 9,519 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान)
  - सीएसएस का यौक्तिकरण (लेखांकन कार्य में बदलाव जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजस्व में वृद्धि हुई)
  - इसकी अर्थव्यवस्था में उछाल लाने में मदद करने के लिए अधिक विदेशी विप्रेषण और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार घटक का कृषि से सेवा में शिफ्ट हो जाना (जीएसबीए में तृतीयक क्षेत्र का शेयर 2011-12 के 57.5% से बढ़कर 2018-19 में 63.7% होना था)
- ▲ यह राज्य राजकोषीय मामले में दबाव में है।
- इसका 2018-19 में टीआई का 61.9 प्रतिबद्ध व्यय है जो इस श्रेणी में सर्वाधिक है।
  - वेतन का हिस्सा टीआई का 29.4% है, जो इस श्रेणी में दूसरा सर्वाधिक है।
  - 11.5% वेतन टीआई इस श्रेणी में सर्वाधिक था
  - ब्याज भुगतान का टीआई 15.1% था (गुजरात द्वारा सबसे कम दर की तुलना में (इस श्रेणी में 9.3%))
  - टीआई अनुपात का ब्याज भुगतान 2011-12 और 2018-19 के बीच 13%-15% के बीच रहा जो इस श्रेणी में सर्वाधिक है।
  - 2018-19 में पेंशन टीआई 13.9% और टीआई से पेंशन का अनुपात 11.7% श्रेणी औसत की तुलना में 17.2% था।
- ▲ केरल अत्यधिक ऋणग्रस्त है।
- केरल ने इस श्रेणी में 2018-19 में 3.4% का अत्याधिक एफडी-जीएसडीपी अनुपात सूचित किया।
  - इसने 2018-19 में 2.2% का आरडी-जीएसडीपी सूचित किया।
  - इसका 2018-19 में ओडी-जीएसडीपी अनुपात 30.9% था।
  - यह राज्य आरडी-एफ अनुपात के असामान्य स्तर (2018-19) में 65% के साथ अपने एफआरबीएम लक्ष्यों का उल्लंघन करता रहा है। यह निहितार्थ बतलाता है कि राज्य ने क्यों अपने आरडी के वित्त पोषण के लिए उधार लेने का सहारा लिया।
- ▲ केरल का पूंजी व्यय टीआई और साथ ही जीएसडीपी दोनों के प्रतिशत के रूप में इस श्रेणी के राज्यों की तुलना में बहुत कम है।
- ▲ बहरहाल, राज्य स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे अच्छा सामाजिक संकेतक दर्शाता है।
- इन दो क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय इस समूह के औसत से अधिक है।
  - देश में इस राज्य में प्रति जिला मेडिकल कॉलेजों का सबसे अधिक अनुपात तथा प्रति जिला ब्लड बैंको का सबसे अधिक अनुपात है।
  - इस राज्य का न केवल स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय सबसे अधिक है, बल्कि प्रति व्यक्ति फुटकर व्यय भी सबसे अधिक है, जो यह दर्शाता है कि राज्य बड़ी संख्या में सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत अधिक निर्भर है।


- हाल में राज्य अन्य के मुकाबले जल आपूर्ति और स्वच्छता पर प्रति व्यक्ति कम व्यय कर रहा है।

**टिप्पणी:-**

1. भारत सरकार 2016 डिवोल्यूशन रिपोर्ट 2018-19 वेयर लोकल डेमोक्रेसी एण्ड डेवल्यूशन इन इण्डिया आर हैडिंग टुवाईस, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. भारत सरकार (2020), टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लैन्स 2020, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।
3. कैग 2020, 2020 की रिपोर्ट संख्या 1:- 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लोक क्षेत्र उपक्रम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट केरल सरकार द्वारा प्रकाशित।
4. भारत सरकार 2018 पीरियोडिक लेबल फोर्स सर्वे 2012-18 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।



## एमपी-1ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
72.6 मिलियन  
सभी राज्यों की  
जनसंख्या का  
6.1%



**क्षेत्रफल**  
3,08,252 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों के  
क्षेत्र का  
9.4%



**वन आच्छादन**  
77,482 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
25.1%

सभी राज्यों के  
वन क्षेत्र का  
11.0%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.1% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 99,025  
सभी राज्यों का औसत  
रु. 1,40,422



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**कर और जीएसडीपी का अनुपात**  
6.3%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चों की संख्या**  
2.3  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
27.6%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एमपी-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एसपी-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## एमपी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (₹ करोड़)

वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	3,15,562	77,44,945	4.1
2012-13	3,80,925	88,27,195	4.3
2013-14	4,39,483	1,00,07,392	4.4
2014-15	4,79,939	1,09,93,257	4.4
2015-16	5,41,068	1,21,91,256	4.4
2016-17	6,49,823	1,37,80,737	4.7
2017-18	7,24,729	1,54,20,126	4.7
2018-19	8,09,592	1,72,83,813	4.7


## एमपी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)






पंद्रहवां वित्त आयोग खंड - XIV, राज्य


एमपी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एमपी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति बच्चे महिला)



एमपी-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमपी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक



<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष


एमपी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)



गरीबी दर 2011-12 तेन्दुलकर अनुमान


टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

एमपी-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमपी-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमपी-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/औषध विक्रेता




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमपी-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमपी-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एमपी-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एमपी-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया देनदारी




एमपी-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पण : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज, भुगतान, और पेंशन


एमपी-4, ई: जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एमपी-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एमपी - 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




एमपी-4. एच : प्रमुख राजकोषीय संसूचक- राज्य बनाम सकल राज्य

राजकीषीय संकेतक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू 0 में	99,025	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	18.6	13.4
आटीआर	6.3	6.4
एनटीआर	1.6	1.1
टीई	21.3	16.1
ईएस	4.7	3.1
एसएस	7.3	5.4
जीएस	4.6	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	6.2	5.8
पूंजी व्यय	3.8	2.5
एफडी	2.7	2.5
आरडी	-1.1	0.2
ओडी	23.9	25.0

**एमपी-4. आई : टीआरई और ओआरआर अंतराल**

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
मध्यप्रदेश	15.9	14.0	8.7
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

एमपी - 4. जे : टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर अंतरण एवं सहायता अनुदान (बिल आयोग और वित्त आयोग से भिन्न)}



**सौंपे गए प्रकार्य**

- ▲ ग्रामीण स्थानीय निकायों को सौंपे गए सभी 29 प्रकार्यों की परिकल्पना संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में की गई है।
- ▲ शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए सभी 18 प्रकार्यों की परिकल्पना संविधान की बारहवीं अनुसूची में की गई है।

**लेखापरीक्षा की स्थिति**

- ▲ ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा 2016-17 तक पूरी कर ली गई है।

**संपत्ति कर बोर्ड (पीटीबी)**

- ▲ तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार ने अपने पीटीबी की स्थापना 2011 में की, जो तब से इसको सौंपे गए प्रकार्यों को निपटा रहा है।

**सभी राज्यों की अंतरण सूचकांक रैंक**

प्रकार्य रैंक	पदाधिकारियों की रैंक	वित्त रैंक नीति	रैंक में कुल अंतरण
13	3	12	12

स्रोत: भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

**चौथा राज्य वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20)**

- ▲ चौथे राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्य के निवल ओटीआर के 7.5% का अंतरण स्थानीय निकायों को कर दिया जाए - ग्रामीण स्थानीय निकायों को 5.5% और शहरी स्थानीय निकायों को 2%।
- ▲ राज्य सरकार ने चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि राज्य को किया गया अंतरण प्रस्तावित माइलस्टोन से पहले से ही कहीं अधिक था।
- ▲ फिलहाल यह स्थानीय निकायों को संसाधनों के आबंटन के लिए तीसरे राज्य वि4A आयोग की सिफारिशों का पालन कर रहा है।

**पांचवां राज्य वित्त आयोग (2020-21 से 2024-25)**

- ▲ मार्च 2017 में गठित पांचवें राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल 2019 को प्रस्तुत की। तथापि, रिपोर्ट की कृत कार्रवाई रिपोर्ट विधान सभा में प्रस्तुत की जानी अभी बाकी है।


**देनदारी और हानियां**

- ▲ विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की कुल इक्रिटी और देयताएं 31 मार्च 2019 की स्थिति तक 46,052 करोड़ रुपये है, जिसमें से राज्य सरकार की उधारी 31,857 करोड़ रुपये की है।
- ▲ राज्य सरकार उदय के अंतर्गत 2016-17 से 2020-21 तक डिस्कॉम की 26,055 करोड़ रुपये मूल्य की देनदारी का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है।
- ▲ 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा 7,360 करोड़ रुपये मूल्य के बंधपत्र बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित बकाया ऋणों का अधिग्रहण करने के लिए जारी किए गए थे।
- ▲ शेष राशि में राज्य सरकार के स्वयं के ऋण शामिल हैं जो उन्होंने डिस्कॉम को दिए थे जिनके लिए उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं।

प्रमुख उदय मापयंत्र (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानियां (%)	36.0	17.0
एसीएस-एआरआर अंतराल (रु. प्रति यूनिट)	1.4	0.03

टिप्पण: (-) एसीएस-एआरआर अंतराल दर्शाता है कि प्रति यूनिट औसत अर्जित राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।  
 स्रोत: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

**एमपी - 5. ए: एटी एवं सी हानियां (%), वित्त वर्ष 2018**



स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**ऊर्धाधर अंतरण**

- ▲ मध्यप्रदेश ने प्रस्ताव किया था की विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% कर दी जाए।

**क्षैतिज अंतरण का फार्मूला**

क्र.सं.	मानदंड	महत्व (%)
i)	सम्मिश्र जनसंख्या सूचकांक (क+ख) 2011 की जनसंख्या में हिस्सेदारी एससी/एसटी जनसंख्या में हिस्सेदारी	25.0 12.5 12.5
ii)	प्रति व्यक्ति आय अंतर	50.0
iii)	क्षेत्र	15.0
iv)	वन क्षेत्र	10.0

**कम प्रतिबद्धता वाला व्यय**

- ▲ राज्य सं.अ. के प्रतिशत के रूप में अपने प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन) को अपेक्षाकृत कम (सभी राज्यों के लिए 44.7% के तुलना में 2018-19 में 35.7%) रखने में न्याय संगत रहा है।

**जिला खनिज प्रतिष्ठान**

- ▲ संघ के खान मंत्रालय द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार ने डीएमएफ के अंतर्गत जून 2019 तक राज्य के सभी 51 जिलों में 2,428.83 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
- ▲ इन निधियों का उपयोग निर्धारित प्रयोजनों के लिए उसी राजकोषीय वर्ष में किए जाने की आवश्यकता है जिसमें यह राशि एकत्रित की गई थी।
- ▲ यदि ये निधियां सावधि जमाओं के रूप में निष्क्रिय पड़ी रहती हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश राज्य के लिए कम प्रयुक्त रह जाएगी।
- ▲ राज्य सरकार को राजकोषीय वर्ष में ही राशि के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही एक तंत्र स्थापित करना होगा।

**वन और पर्यटन**

- ▲ राज्य का एक-चौथाई भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है।
- ▲ इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य को चाहिए कि रणनीतियां बनाए ताकि इस सेक्टर से और अधिक संसाधनों का सृजन हो सके।
- ▲ एमएफपी के लिए एमएसपी स्कीम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासियों के लिए 2013-14 के दौरान आरंभ की गई थी, जो एमएफपी के संग्रहण और उनको बेचने पर आश्रित हैं। यह स्कीम अपने खराब अधिप्राप्ति तंत्र की वजह से शुरू ही नहीं हो सकी।
- ▲ मध्यप्रदेश सरकार को सुदृढ़ अधिप्राप्ति तंत्र के निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनिक मंचों और अन्य मौजूदा कार्यक्रमों जैसे कि ई-नेम का उपयोग करते हुए इस स्कीम को पुनरुज्जीवित और कार्यान्वित करना चाहिए।

**राजकोषीय अनुशासन**

- ▲ राज्य का राजकोषीय अनुशासन-राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एफडी-जीएसडीपी) अनुपात 2013-14 में 2.3% से बढ़कर 2016-17 में 4.3% हो गया और फिर उसके बाद 2018-19 में गिरकर 2.7% हो गया।
- ▲ इसके अतिरिक्त ऋण- जीएसडीपी अनुपात 2013-14 में 22- से बढ़कर 2016-17 में लगभग 23.7- हो गया और फिर उसके बाद 2018-19 में बढ़कर 23.9% हो गया।
- ▲ राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत 2016-17 (0.49%), 2017-18 (0.21%) और 2018-19 (0.05%) के साथ एफडी-जीएसडीपी अनुपात के 3% से अधिक अतिरिक्त उधार लेने का अवलंब लिया।
- ▲ उपर्युक्त को देखते हुए, राज्य को अपने घाटों और देनदारी के स्तर को काफी कम करने की आवश्यकता है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने एफआरबीएम अधिनियम 2005 में लागू किया और 2012, 2015 और 2017 में संशोधन किया।
- ▲ राज्य 2016-17 में एफडी-जीएसडीपी अनुपात के एफआरबीएम लक्ष्यों पर अडिग नहीं रह सका था।
- ▲ ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2015-16 से 2017-18 तक लक्ष्यों से केवल आंशिक रूप से ही कम रहा था।

Ratios as %	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण- जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	37.6	36.8	36.0	35.3	25.0	25.0	25.0
वास्तव में हासिल	25.9	23.6	22.0	22.7	23.5	23.7	23.8
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5
वास्तव में हासिल	1.8	2.5	2.2	2.4	2.6	4.3	3.1

स्रोत: मध्य प्रदेश सरकार

#### कृषि और संबद्ध सेक्टरों पर उच्च और बढ़ती हुई निर्भरता

- ▲ अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्षेप से लगाई गई आशाओं के विपरीत, जीएसवीए (वर्तमान कीमतों पर) में कृषि, वानिकी, और मात्स्यिकी सेक्टरों की हिस्सेदारी 2011-12 में 33% से बढ़कर 2018-19 में 40% हो गई है।
- ▲ राज्य को अपने आर्थिक आधार का विविधीकरण करने और अन्य सेक्टरों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे और अधिक कुशल रोजगार भी सृजित हो सकेंगे।

#### अधूरी परियोजनाएं

- ▲ 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, राज्य के पास जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 9,557.16 करोड़ रुपये मूल्य की 242 अधूरी परियोजनाएं हैं, जिसमें से 24 परियोजनाओं में 4,800.14 करोड़ रुपये की अधिलागत की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- ▲ राज्य सरकार को नियोजित संसाधनों के लाभदायक उपयोग और लागत नियंत्रण के लिए ऐसी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

#### स्वास्थ्य

- ▲ मध्य प्रदेश निम्नलिखित स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिकों की गम्भीर कमी का सामना कर रहा है: 2
- ▲ 1,236 स्वीकृत संस्था की तुलना में सीएचसी में विशेषज्ञों के 988 रिक्त पद (80% कमी); और
- ▲ 1,771 स्वीकृत संस्था की तुलना में पीएचसी में चिकित्सकों के 659 रिक्त पद (37% कमी)।
- ▲ वहनीय समाधान के लिए, राज्य पर्याप्त पूर्ति के लिए काय चिकित्सकों और शल्य चिकित्सकों के महाविद्यालय से प्राप्त डिप्लोमाओं को मान्यता देने के महाराष्ट्र के मॉडल का अनुसरण कर सकता है ताकि एमबीबीएस चिकित्सकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों में परिवर्तित किया जा सके जिससे कि वे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकें।
- ▲ इसके अतिरिक्त इस क्षेत्रों में आवश्यकता के अंतर को पूरा करने के लिए टेली मेडिसिन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ राज्य को प्रमुख स्वास्थ्य संसूचकों, जो राष्ट्रीय औसत से कम हैं, जैसे की मातृत्व मृत्यु दर जो 173 प्रति 100,000 जीवित जन्म (2016) है जबकि अखिल भारत औसत 130 है (अन्यों के लिए, एमपी-2.डी देखें)।
- ▲ ये सुझाव है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य पर वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय अन्य राज्यों और राष्ट्र औसत के अनुरूप किया जाए। 3

#### शिक्षा

- ▲ राज्य को शैक्षणिक परिणामों में सुधार लाने के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए, जो वर्तमान में राष्ट्रीय औसत नीचे है।



	कक्षा 3 में बच्चों का % जो कक्षा 2 का पाठ पढ़ सकते हैं		कक्षा 3 में बच्चों का % जो कम से कम गणित में घटा सकते हैं	
	2016	2018	2016	2018
मध्यप्रदेश	16.6	17.6	13.8	13.9
भारत	25.2	27.3	27.7	28.2

स्रोत: एएसईआर (2018), वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट सर्वेक्षण, 2018, एएसईआर केन्द्र; जनगणना, 2011

- ▲ इस दिशा में, मध्य प्रदेश में शिक्षा पर वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 2,616 रुपये (2016-17) से बढ़ाकर कम से कम सकल राज्य औसत अर्थात् 2,876 रुपये किया जाना चाहिए।

#### नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग (2019)

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2019-20 के अनुसार राज्य भारतीय राज्यों के बीच 15वें स्थान पर है।
- ▲ राज्य को एसडीजी-1 कोई निर्धनता नहीं, एसडीजी-2 शून्य क्षुधा, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, एसडीजी-4 गुणता शिक्षा, एसडीजी-5 लिंग समानता, एसडीजी-6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, एसडीजी-7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-8 उपयुक्त कार्य और आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-9 उद्योग, नवाचार और अवसरचना, एसडीजी-10 असमानता में कटौती, और एसडीजी-16 शान्ति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान।

#### पिछड़ापन

- ▲ राज्य के 52 जिलों में से, आठ आकांक्षी जिलों के रूप में अभिज्ञात किए गए हैं।
- ▲ इसके अतिरिक्त, 2011-12 में राज्य की निर्धनता दर 31.65% थी (तेंदुलकर कार्यपद्धति) (21.92% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में)। तथापि, 2004-05 और 2011-12 के बीच, मध्य प्रदेश में निर्धनता दर तेजी से कम हो रही है।
- ▲ तदनुसार, न्यून-आय जाल को तोड़ने और बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए राज्य सरकार को निर्णयात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।
- ▲ इसके अतिरिक्त, राज्य चाहे तो नीति आयोग द्वारा निगरानी किए जा रहे आकांक्षी जिलों की तर्ज पर नीचे के 20% ब्लॉकों का विकास 'आकांक्षी' ब्लॉकों के रूप में करने का लक्ष्य रख सकता है।

#### पाइप से जलापूर्ति

- ▲ राज्य में मात्र 11% ग्रामीण परिवारों के पास पाइप से जलापूर्ति होती है, जो 18.3% के अखिल भारत कवरेज के दो-तिहाई से कम है।
- ▲ राज्य को लागत प्रभावी नवोन्मेष कार्यों जैसे कि वर्षा जल संचयन और पेयजल के एण्ड टू एण्ड वैल्यू चेन प्रबंधन में निवेश करने की जरूरत है।

#### विद्युत सेक्टर

- ▲ डिस्कॉम 2016-17, 2017-18, और 2018-19 के दौरान एटी एवं सी हानियों में लक्षित कटौती हासिल नहीं कर पाई है।
- ▲ इसके बजाय, एटी एवं सी हानियां वास्तव में 2016-17 में 25.7% से बढ़कर 2018-19 में 36.01% हो गई हैं।
- ▲ डिस्कॉम के एसीएस और एआरआर के बीच अंतर 2016-17 में 0.81 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 2018-19 में 1.41 रुपये प्रति यूनिट हो गया है।
- ▲ राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए, राज्य को उदय मापयंत्र पर अपने निष्पादन में काफी सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ उद्देशित लाभार्थियों तक बिना किसी रिसाव के विद्युत सब्सिडी पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रणालीगत सुधारों की भी आवश्यकता है।

### स्थानीय निकाय

- ▲ जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 280(3) (खख) (ग) में दिया गया है, भारत का वित्त आयोग राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की सिफारिश करता है। राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, उनके द्वारा दी गई सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और उस पर की गई कार्रवाई से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन मार्च, 2024 अथवा उससे पहले राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करना होगा।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ सार्वजनिक क्षेत्र के 63 उपक्रमों में से, 28 उपक्रमों ने नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 को अथवा उससे पहले लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2017-18 के लिए अपने लेखाओं को प्रस्तुत कर दिया है जबकि 35 उपक्रमों द्वारा अपने लेखाओं को प्रस्तुत किया जाना शेष है।
- ▲ राज्य सरकार ने राज्य के 27 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 11 उपक्रमों को 1,431.94 करोड़ रुपये (इक्रिटी: 10.03 करोड़ रुपये, ऋण: 53.08 करोड़ रुपये, अनुदान: 375.81 करोड़ रुपये और सब्सिडी: 993.02 करोड़ रुपये) प्रदान किए हैं, जिनके लेखाओं को 31 दिसम्बर, 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।
- ▲ राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उपक्रमों (परिसमापनाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपक्रमों को छोड़कर) को बंद करने संबंधी उचित निर्णय लेगी जो पिछले 6 से 28 वर्षों से अकार्यात्मक हैं।
- ▲ इस रिपोर्ट में सम्मिलित राज्य के 38 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर) द्वारा 2015-16 में अर्जित 280.85 करोड़ रुपये का लाभ 2017-18 में बढ़कर 330.40 करोड़ रुपये हो गया। राज्य के इन कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के अनुसार, 18 उपक्रमों ने 380.01 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया और 8 ने 49.61 करोड़ रुपये की हानि उठाई।
- ▲ लाभ अर्जित करने वाले 18 उपक्रमों में से, 16 ने 98.3% अपना लाभ (373.67 करोड़ रुपये) या तो एकाधिकार की लाभकारी स्थिति अथवा बजटीय सहायता, सेंटेंज, कमीशन, बैंक जमा राशियों पर 4याज आदि से हुई सुनिश्चित आय अर्जित किया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम अपनी स्थिरता के लिए राज्य सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं।

### एनएएमपी के अंतर्गत यथा अनुवीक्षित अधिक प्रदूषण (पीएम 10)

- ▲ राज्य में दस लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों में पीएम 10 (प्रति घन मीटर 90 माइक्रोग्राम से कम) के लिए एनएएमपी सीमा से अधिक प्रदूषण हुआ है।
- ▲ राज्य को अर्थव्यवस्था के केन्द्रों और निवेश हब के रूप में उभरने के साथ-साथ ऐसे नगरों में श्वास लेने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक योजना तैयार करने की जरूरत है।

#### पीएम 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर

नगर	2016	2017	2018	औसत
भोपाल	89	93	135	105.7
ग्वालियर	96	110	134	113.3
इंदौर	95	80	88	87.7
जबलपुर	71	74	119	88.0

**सुधार रूपरेखा****राज्य के सुधार का समूह**

-विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए, राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश उस समूह का भाग है जिसमें बिहार, उ्‍ार प्रदेश, झारखण्ड और ओडिशा शामिल हैं।


**सुधार संबंधी दिशासूचक चिह्न**

- ▲ इसके राजस्व अधिशेष को देखते हुए, अत्यावश्यक सामाजिक से 1टर के खर्चों का प्राथमिकीकरण करने से मध्य प्रदेश अपनी कमजोरियों पर काबू पाते हुए अपने समूह के राज्यों में शामिल हो सकता है।
- ▲ मध्य प्रदेश के ओटीआर टीजीआर (9.1%) और उछल (0.64) के संदर्भों में सकल राजकोषीय शिथिलता देखी जा सकती है जोकि इसके समूह के ओटीआर टीजीआर (10.9%) और उछल (1.12) की तुलना में कम है। राज्य का ओटीआर/टीआरआर (33.9%) इसके समूह (समूह औसत 32%) दूसरा सबसे अच्छा है। यही नहीं, मध्य प्रदेश का ओटीआर/ओआरआर (79.3%) इसके समूह औसत 77.8% से ऊपर है।
- ▲ टीआरई टीजीआर तथा ओटीआर और ओआरआर के टीजीआर के बीच अंतर के फलस्वरूप राजकोषीय अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः ओटीआर और ओआरआर का सुदृढीकरण और प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना मध्य प्रदेश के लिए उचित मार्ग है।
- ▲ जीएसवीए (वर्तमान कीमतों पर) में कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी से 1टरों की हिस्सेदारी 2011-12 में 33% से बढ़कर 2018-19 में 40% हो गई है। राज्य को अपने आर्थिक आधार का विविधीकरण करने और अन्य सेक्टरों को सुदृढ करने की आवश्यकता है जिससे और अधिक कुशल रोजगार भी सृजित हो सकेंगे।
- ▲ प्रशासनिक प्रणाली और प्रभावी सेवा प्रदायगी को सुदृढ करने की आवश्यकता है। व्यय का व्यापक पुनः प्राथमिकीकरण तथा सामाजिक प्राचलों में सुधार लाने के लिए राज्य के 'आकांक्षी' 4लॉकों और जिलों पर और अधिक संकेन्द्रित दृष्टिकोण आवश्यक है।
- ▲ मध्य प्रदेश नि6नलिखित स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिकों की गम्भीर कमी का सामना कर रहा है। वहनीय समाधान के लिए, राज्य पर्याप्त पूर्ति के लिए काय चिकित्सकों और शल्य चिकित्सकों के महाविद्यालय से प्राप्त डिप्लोमाओं को मान्यता देने के महाराष्ट्र के मॉडल का अनुसरण कर सकता है ताकि एमबीबीएस चिकित्सकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों में परिवर्तित किया जा सके जो फिर दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकें। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्रों में आवश्यकता के अंतर को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

**टिप्पणियां**

1. 52वां जिला, निवाड़ी, 2018 में टीकमगढ़ जिले में से बना था।
2. भारत सरकार (2018), ग्रामीण और स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3. 15वें वित्त आयोग ने मिलती-जुलती मुख्य विशेषताओं के साथ राज्यों के राजकोष, सामाजिक और सामान्य प्राचलों के आधार पर सभी राज्यों को समूहबद्ध किया है।
4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (2019), 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार।

## एमएच -1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**112.4** मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**9.4%**



**क्षेत्रफल**  
**3,07,713** वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**9.4%**



सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
**7.2%**

**वन आच्छादन**  
**50,778** वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**16.5%**

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.2%** ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
**रु. 2,16,376**  
**रु. 1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**7.1%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**





**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चे**  
**1.9**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**



**शहरीकरण दर**  
**45.2%**  
अखिल भारत औसत  
**31.1%**

एमएच-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)


एमएच-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




एमएच-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

एमएच-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)


वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	12,80,369	77,44,945	16.5
2012-13	14,59,629	88,27,195	16.5
2013-14	16,49,647	1,00,07,392	16.5
2014-15	17,79,138	1,09,93,257	16.2
2015-16	19,66,225	1,21,91,256	16.1
2016-17	21,98,324	1,37,80,737	16.0
2017-18	23,82,570	1,54,20,126	15.5
2018-19	26,32,792	1,72,83,813	15.2




एमएच -2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एमएच -2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



एमएच - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमएच -2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

एमएच-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

एमएच- 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमएच -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमएच- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमएच- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमएच- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




एमएच- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एमएच- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एमएच- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एमएच -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एमएच - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एमएच-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय



एमएच-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस


राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	2,16,376	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	10.6	13.4
ओटीआर	7.1	6.4
एनटीआर	0.6	1.1
टीई	11.5	16.1
ईएस	2.0	3.1
एसएस	4.2	5.4
जीएस	3.2	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	3.2	5.8
पूँजी व्यय	1.4	2.5
एफडी	0.9	2.5
आरडी	-0.5	0.2
ओडी	16.6	25.0



एमएच- 4. आई : टीआई एवं ओआई अंतर

टीआई % 2011-2019	टीआई	टीआई	ओआई
महाराष्ट्र	11.6	12.0	10.6
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

एमएच- 4. जे: टीआई के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 प्रकारों में से 24 प्रकार्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित सभी 18 प्रकार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं।

लेखापरीक्षा की स्थिति

- ▲ ग्रामीण स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा 2016-17 और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा 2017-18 तक पूरी कर ली गई थी।

संपत्ति कर बोर्ड (पीटीबी)

- ▲ यद्यपि पीटीबी की स्थापना 2011 (13वें वित्त आयोग द्वारा यथा संस्तुत) में की गई थी, इसने अभी तक प्रभावी रूप से काम करना आरंभ नहीं किया है।

सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक

कार्यों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
5	2	5	3

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

तीसरा राज्य वित्त आयोग (2006-7 से 2010-11)

- ▲ राज्य सरकार फिलहाल तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन कर रही है।

चौथा राज्य वित्त आयोग (2011-12 से 2015-16)

- ▲ राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों का विहंगावलोकन के अनुसार, चौथे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में विलंब हुआ था।
- ▲ महाराष्ट्र के चौथे राज्य वित्त आयोग के मामले में विचारार्थ विषयों के अनुसार रिपोर्ट वास्तव में प्रस्तुत करने की तारीख और प्रस्तुत करने की अधिदेशित तारीख के बीच 60 माह का अंतर था।
- ▲ राज्य सरकार ने चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया था।

- ▲ महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया था कि चौथे राज्य वित्त आयोग ने राज्य के संसाधनों के 40% का अंतरण उस राशि का परिकलन किए बगैर सीधे स्थानीय निकायों को करने की सिफारिश की थी जो अपनी वित्तीय संसाधनों की स्थिति और अपनी प्रतिबद्धताओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी रूप से उपलब्ध कराई जा सकती है।

**पांचवां राज्य वित्त आयोग (2019-20 से 2024-25)**

- ▲ मार्च 2018 में गठित पांचवें राज्य वित्त आयोग (2019-20 से 2024-25) ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट की कृत कार्रवाई रिपोर्ट विधान सभा में प्रस्तुत की जानी अभी बाकी है।

**देनदारी और हानियां**


- ▲ राज्य ने एटी एवं सी हानियों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। तथापि, वर्ष 2018-19 के लिए एसीएस-एआरआर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।
- ▲ राज्य ने 2016-17 के दौरान उदय के अंतर्गत 4,960 करोड़ रुपये के डिस्कॉम ऋण अधिग्रहण कर लिया है।
- ▲ 31 मार्च, 2019 की स्थिति तक, डिस्कॉम द्वारा कुल 35,196 करोड़ रुपये उधार (राज्य सरकार से 2,004 करोड़ रुपये के उधार सहित) (सभी राज्यों के डिस्कॉम उधारों का 7.4%) लिए गए हैं।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	14.73	14.98
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	-0.16	-0.39

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति यूनिट औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**एमएच- 5. ए: एटी एवं सी हानिया (%) वित्त वर्ष 2018**



स्रोत : भारत सरकार (2019), उदय का समाचार पत्र जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**ऊर्ध्वाधर अंतरण**

- ▲ महाराष्ट्र ने प्रस्ताव किया है। की विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% कर दी जाए।

**क्षैतिज अंतरण का फार्मूला**

क्र. सं.	मापदंड	महत्व (%)
i)	जनसंख्या (2011)	35.0
ii)	क्षेत्र	15.0
iii)	आय अंतर	15.0
iv)	वंचन (एसईसीसी ग्रामीण): एसईसीसी आंकड़ों का उपयोग करते हुए सभी राज्यों के कुल वंचित परिवारों के प्रतिशत के रूप में राज्य के कुल वंचित ग्रामीण परिवार	15.0
v)	शहरीकरण	10.0
vi)	राजकोषीय दक्षता (राजकोषीय अनुशासन+कर प्रयास)	7.5
vii)	वन क्षेत्र	2.5

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने अपना एफआरबीएम अधिनियम 2006 में कार्यान्वित किया, 2008 और 2016 में इसमें संशोधन किया। राज्य हालिया कुछ वर्षों से अपनी एफआरबीएम सीमा का पालन कर रहा है।
- ▲ राज्य बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भों में तब से अग्रणी है और इसका राजकोषीय घाटा जीएसडीपी की 3% की सीमा से काफी कम बना हुआ है।
- ▲ ऋण-जीएसडीपी अनुपात भी महाराष्ट्र राजवित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन नियामावली (एमएफआरबीएम, 2011) द्वारा निश्चित की गई सीमा के भीतर है। प्रतीत होता है विगत 10 वर्षों में ऋण सम्मिश्र को उच्च लागत ऋण से कम लागत वाले उधारों परिवर्तित करने का सचेत प्रयास किया है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	26.1	25.8	25.5	25.3	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
वास्तविक रूप में प्राप्त	19.2	18.4	17.8	18.0	17.9	18.0	18.1
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	1.6	0.9	1.6	1.8	1.4	1.8	1.0

स्रोत:- महाराष्ट्र सरकार

**विद्युत सेक्टर**

- ▲ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचित 2017 की ऊर्जा सांख्यिकी दर्शाती है। महाराष्ट्र के पास लगभग 64.32 गीगावाट सौर ऊर्जा की संभावना है, जिसमें से 0.39 गीगावाट का दोहन पहले से ही हो रहा है। राज्य को अपनी क्षमता का दोहन करने और राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिए जारी सौर परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लानी चाहिए।

**आकस्मिक देयताएं**

- ▲ ज्यादातर गारंटियां सहकारी संस्थान प्राप्त कर रहे हैं। सहकारी सेक्टर में ही, सबसे अधिक गारंटियां चीनी और कपास सहकारी संस्थानों को दी गई है। राज्य को गारंटियां देने से पहले प्रणालीगत मूल्यांकन अथवा परियोजनाओं की रेटिंग को सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

**मिलियन-प्लस शहर**

- ▲ सभी राज्यों में, महाराष्ट्र में मिलियन-प्लस (10 लाख से अधिक आबादी) शहरों (औरंगाबाद, कल्याण-डोम्बिवली, नागपुर, नाशिक, नवी-मुम्बई, पिंपरी-चिंचवाड़, पुणे, ठाणे, बृहन मुम्बई और वसई-विरार शहर) की संख्या अधिकतम है।
- ▲ शहर देश के सामाजिक-आर्थिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य को अवसंरचना और लॉजिस्टिक में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक केन्द्रों के रूप विकसित किया जा सके और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
- ▲ यद्यपि मुम्बई जैसे शहरों के पास पर्याप्त आंतरिक संसाधन हैं, स्थानीय निकायों को बेहतर निवेश माहौल बनाने के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना का सृजन, स्तरोन्नयन और अनुरक्षण करने के लिए स्वयं की कर प्राप्तियों (ओटीआर) में और अधिक वृद्धि करने की जरूरत है। सड़कों, पुलों, रेल, जल निकासी प्रणाली, शहरी बाढ़ प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उन्नयन, झुग्गी-झोपड़ियों, खुली जगहों और पार्कों आदि में सुधार को वहनीय शहर रूपरेखा के माध्यम से व्यापक रूप से देखे जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अनिवार्य है की शहरी स्थानीय निकाय अग्रणी की भूमिका निभाएं।

**नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक पर रैंक (2019)**

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक के अनुसार, 64 एसडीजी अंक (अखिल भारतीय अंक 60) प्राप्त करके सभी राज्यों में से महाराष्ट्र 10वें स्थान पर है। राज्य एसडीजी-4 गुणता शिक्षा, एसडीजी-6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, एसडीजी-7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-8 समुचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-10 असमानता में कमी, एसडीजी-15 भूमि पर जीवन और एसडीजी-16 शान्ति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान में अग्रणी है तथापि, राज्य को एसडीजी-1 कोई निर्धनता नहीं, एसडीजी-2 शून्य क्षुधा, एसडीजी-5 लिंग असमानता और एसडीजी-11 धारणीय नगरों और समुदायों पर सुधार करने की आवश्यकता है।

**कम एनटीआर-जीएसडीपी अनुपात**

- ▲ सकल राज्यों के बीच महाराष्ट्र का एनटीआर-जीएसडीपी अनुपात कम है। राज्य को आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के प्रावधान में से लागत वसूलियों में वृद्धि करने संबंधी उपाय करने की आवश्यकता है।

**एनटीआर-जीएसडीपी अनुपात, 2018-19**

महाराष्ट्र	सकल राज्य	चतुर्थक 1	मध्यरेखा	चतुर्थक 3	सभी राज्य
0.6	1.1	0.8	1.3	1.93	1.2

**पैरास्टेटलों के लिए समुचित लेखांकन**

- ▲ राज्य ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि बड़ी संख्या में पैरास्टेटल जैसे कि मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास प्राधिकरण (एमएसआरडीसी), नगर और औद्योगिक विकास निगम (सीआईडीसीओ), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) आदि ने अवसंरचना का सृजन करने के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक (2013-14 से 2018-19 तक) का निवेश किया है जो राज्य के बजट में प्रतिबिम्बित नहीं किया है।

- ▲ राज्य को राज्य विधान सभा के प्रति जबावदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत है, अन्यथा दीर्घावधि में राज्य की राजकोषीय क्षमता पर अतिरिक्त बजटीय उधारों का जोखिम बढ़ जाएगा।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य को 3 एफ- फंड्स (निधियों), फंक्शन्स (प्रकारों) और फंक्शनरीज (पदाधिकारियों) का प्रभावी विकेंद्रीकरण करने के लिए उपाय करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल सभी 29 प्रकारों को पीआरआई को अंतरित करने की जरूरत है।
- ▲ चौथे राज्य वित्त आयोग ने प्रशासनिक और तकनीकी पदों में बहुत पहले से पड़ी रिक्तियों का संज्ञान लिया जिसकी वजह से आंकड़ा एकत्रण और विश्लेषण में बाधा उत्पन्न हुई है। सही और अद्यतनीकृत आंकड़ों की कमी आयोग की कार्यात्मकता में एक बड़ी बाधा थी। राज्य को इन मुद्दों का निवारण करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में राज्य वित्त आयोग दक्षतापूर्वक कार्य कर सके।
- ▲ जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 280(3) (ख ख) (ग) में दिया गया है, भारत का वित्त आयोग राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की सिफारिश करता है। राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, उनके द्वारा दी गई सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और उस पर की गई कार्रवाई से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन मार्च, 2024 अथवा उससे पहले राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करना होगा।

#### कृषि, जल प्रबंधन और सिंचाई

- ▲ राज्य को जल-बचत प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ जल-विभाजन प्रबंधन कार्यनीतियों का संवर्धन करने की आवश्यकता है।
- ▲ 2014-15 और 2015-16 में लगातार पड़े सूखे के फलस्वरूप कृषि मूल्य वर्धन में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। सूखे की वजह से लगातार फसल खराब होने और कम कीमतों के कारण किसान ऋण नहीं चुका सके और किसानों की निराशा और कर्ज में बने रहने का दुष्प्रक्र सतत जारी है।
- ▲ इसके बुवाई वाले क्षेत्र का मात्र 18% सिंचित होने (48.6 राष्ट्रीय औसत की तुलना में) से महाराष्ट्र को सूखा-संभावित राज्यों की सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है।

#### सिंचित बुवाई वाले क्षेत्र का प्रतिशत

महाराष्ट्र	चतुर्थक 1	मध्यरेखा	चतुर्थक 3	सभी राज्यों का औसत
18	18.7	34.2	49.5	48.6

स्रोत: भारत सरकार (2017), कृषि सांख्यिकी 2017, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

- ▲ यद्यपि, 2012- 2017 के दौरान पूंजीगत व्यय का 27% से 33% के बीच मुख्य और लघु सिंचाई पर व्यय हुआ था, लेकिन जितना व्यय होता है उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए थे। सिंचाई की कई सारी फंसी पहलों की वजह से, राज्य 20 वर्षों से अधिक समय से 190 से भी ज्यादा अधूरी परियोजनाओं से परेशान है।

#### तीव्र सामाजिक और आर्थिक विषमता

- ▲ अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर राजकोषीय और मैक्रो संसूचकों के बावजूद, महाराष्ट्र को विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र तथा बाकी राज्य के बीच अत्यधिक विकास विषमता को पूरा करना शेष है। राज्य के 36 जिलों में से, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में पड़ने वाले 16 जिलों ने जो प्रति व्यक्ति आय सूचित की है वह राज्य और राष्ट्रीय औसत, दोनों की तुलना में कम है। इस विकास अंतर को भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक सुदृढ़ और संकेन्द्रित दृष्टिकोण आवश्यक है।

**एनएएमपी के अंतर्गत यथा अनुवीक्षित अधिक प्रदूषण (पीएम 10)**

- ▲ राज्य में दस लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों में पीएम 10 (प्रति घन मीटर 90 माइक्रोग्राम से कम) के लिए एनएएमपी सीमा से अधिक प्रदूषण हुआ है। राज्य को अर्थव्यवस्था के केन्द्रों और निवेश हब के रूप में उभरने के साथ-साथ ऐसे नगरों में श्वास लेने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक योजना तैयार करने की जरूरत है।

**पीएम 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर**

नगर	2016	2017	2018	औसत
मुम्बई	119	151	166	145.3
नागपुर	118	102	103	107.7
पुणे	107	102	106	105.0
ठाणे	122	125	108	118.3

**लिंग अनुपात**

- ▲ दशकीय जनगणना से प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र में लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या) अच्छा नहीं है और वास्तव में विगत वर्षों के दौरान इस अनुपात में और कमी आई है। ये देखते हुए की महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की भांति देश में सबसे से अधिक आबादी वाला राज्य है, गुम हुई महिलाओं की पूर्ण संख्या महत्वपूर्ण है। राज्य को इस समस्या का निवारण करने के लिए एक निश्चित और तत्काल कार्रवाई योजना बनाने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र	1981	1991	2001	2011
लिंग अनुपात	937	934	922	929

**अधिशेष नकद शेष राशि का निवेश**

- ▲ राज्य को अपने नकद अधिशेष का उपयोग या तो आय युक्त खजाना हुडियों या फिर पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से करने का उपाय खोजना है।

**विद्युत क्षेत्र**

- ▲ राज्य को स्मार्ट मीटरिंग (200 से 500 किलो. वाट घंटा तक), स्मार्ट मीटरिंग (500 किलो. वाट घंटा से अधिक), और डीटी मीटरिंग (शहरी) के उदय मापयंत्रों में अपने निष्पादन को बेहतर करने और उसका स्तरोन्नयन करने की आवश्यकता है।

**राज्य के सुधार का समूहन**


- ▲ विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए, राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहबद्ध किया गया है। महाराष्ट्र उस समूह का भाग है जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और गोवा शामिल हैं।

**सुधार संबंधी दिशासूचक चिह्न**

- ▲ महाराष्ट्र के पास अच्छा-खासा नकद शेष है। सीएजी की नवीनतम रिपोर्ट में वित्त वर्ष के अंत में 12%-14% की बजट संबंधी बचतें दर्शाई गई हैं। अतः राज्य स्पष्ट रूप से अंतर क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने और सामाजिक संसूचकों को सुधारने के लिए अपनी पहलों में इस संसाधनों का निवेश कर सकता है।
- ▲ महाराष्ट्र अपने वर्ग में अन्य राज्यों की तुलना में पेयजल और स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कम खर्च करता है, जो इसकी आबादी के अपेक्षाकृत खराब स्वास्थ्य संसूचकों को प्रतिबिम्बित करता है। वार्षिक रूप से अत्यधिक नकद शेष होने के बावजूद, आवश्यकताओं की तुलना में सामाजिक क्षेत्र का व्यय, विशेषकर मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे पिछड़े इलाकों में बहुत ही खराब है।

- ▲ कुल राजस्व व्यय (टीआरई) के प्रतिशत के रूप में वर्ग में (आठ राज्यों में से) स्वास्थ्य पर व्यय पिछले वर्षों के दौरान बढ़ा है तथापि, 4.5% पर यह महाराष्ट्र के लिए राष्ट्रीय औसत (5.3%) तथा हरियाणा (4.8%) और कर्नाटक (5.1%) से भी कम है।
- ▲ महाराष्ट्र का ओटीआर 2009-2013 में 19.44% था जो 2014-2017 में 8.16% रह गया। राज्य को अपने ओटीआर की गिरावट को नियंत्रित करने की सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पैरास्टेटलों के जरिए इसने अत्यधिक बजटेतर उधार (ओबीबी) लिए हैं, जिससे औसत आय 7.6% की औसत ब्याज लागत की तुलना में 0.04% (2012-2017) हुई है। आसन्न राजकोषीय झटके से बचने के लिए इसका ध्यानपूर्वक प्रबंधन किया जाना बहुत जरूरी है।
- ▲ इसके अतिरिक्त, राज्य कोविड-19 के दौरान तथा उसके पश्चात आर्थिक कार्यकलापों की निरंतरता के लिए बृहत मुंबई जैसे महानगर में और उसके आस-पास बेहतर सामाजिक अवसंरचना के लिए बृहत मुंबई नगर निगम जैसे पैरास्टेटलों के पास उपलब्ध बड़ी मात्रा में नकद शेष का दोहन भी कर सकता है।
- ▲ 17%-18% के ऋण-जीएसडीपी अनुपात के साथ राज्य के पास उधार लेने की गुंजाइश है। यह अतिरिक्त संसाधनों का नवाचार से नियोजन और राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करके वैश्विक महामारी के कारण श्रमिकों के राज्य से बाहर पलायन को वापस राज्य के भीतर करने और औद्योगिक कार्यकलापों को गतिशील करने के लिए अपनी इस क्षमता उपयोग कर सकता है।

## एमएन-1ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
2.9 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
0.2%



**क्षेत्रफल**  
22,327 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
0.7%



**वन आच्छादन**  
16,847 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
75.5%

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
2.4%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
2.9% ↓



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 82,792  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
3.8%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**प्रति महिला बच्चे**  
2.6  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
30.2%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एमएन-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एमएन-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## एमएन-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)


विव.	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	12,915	5,03,182	2.6
2012-13	13,743	5,63,081	2.4
2013-14	16,182	6,37,264	2.5
2014-15	18,129	6,95,474	2.6
2015-16	19,531	7,88,321	2.5
2016-17	21,294	8,67,648	2.5
2017-18	25,789	9,74,240	2.7
2018-19	27,869	10,82,901	2.6

## एमएन-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)







एमएन-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एमएन-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



एमएन-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमएन-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>एफ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018

एमएन-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)




टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

एमएन-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर (सूचना उपलब्ध नहीं है मणिपुर के लिए)




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमएन-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमएन-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमएन-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड



स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमएन-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एमएन-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एमएन-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया देनदारी




एमएन-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पण : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज, भुगतान, और पेंशन

एमएन-4, ई: जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एमएन-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एमएन- 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




एमएन-4. एच : प्रमुख राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम एनईएचएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	82,792	1,30,427
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	37.9	23.3
ओटीआर	3.8	5.0
एनटीआर	0.6	2.0
टीई	41.2	26.7
ईएस	9.1	5.0
एसएस	9.7	8.7
जीएस	14.2	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	20.7	14.4
पूँजी व्यय	6.2	4.3
एफडी	3.3	3.4
आरडी	-2.9	-0.9
ओडी	37.6	29.6

एमएन-4. आई : टीआरई और ओआरआर अंतराल

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
मणिपुर	10.7	8.9	8.4
एनईएचएस	12.6	12.1	10.7

एमएन - 4. जे : टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर अंतरण एवं सहायता अनुदान (बिल आयोग और वित्त आयोग से भिन्न)}



**तीसरा टियर**

- 167 पीआरआई 27 यूएलबी के अतिरिक्त, मणिपुर के पास पर्वतीय क्षेत्रों में मणिपुर (पर्वतीय क्षेत्रीय) जिला परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत स्थापित 6 स्वायत्त जिला परिषदें (एडीसी) हैं।

**सौंपे गए कार्य**

- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 प्रकार्यों में से 4 प्रकार्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं।
- संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 प्रकार्यों में से 17 प्रकार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं।
- पर्वतीय क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास से मुख्य रूप से संबंधित 24 विभागों की शक्तियां और दायित्व एडीसी को सौंपे गए हैं।

**लेखापरीक्षा की स्थिति**

- सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा 2017-18 तक और एडीसी की 2018-19 तक पूरी कर ली गई है।

**संपत्ति कर बोर्ड (पीटीबी)**

- 2016 में स्थापित पीटीबी ने सितम्बर, 2018 से कार्य करना आरम्भ कर दिया था।

**सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक**

कार्यों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
16	9	10	15

स्रोत: भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

**तीसरा राज्य वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20)**

- तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अपने रिपोर्ट दिसम्बर, 2014 में प्रस्तुत की थी।
- कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सभा के पटल पर 17 दिसम्बर, 2015 को प्रस्तुत की गई थी।
- तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, मणिपुर का स्वयं का 10व और केन्द्रीय करों और शुल्कों में इसके हिस्से को ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा गया था।

## देनदारी और हानियां


- ▲ तत्काल मणिपुर विद्युत विभाग को बांट दिया गया और 1 फरवरी, 2014 की तिथि से दो राज्य स्वामित्व वाले स्वतंत्र रूप से कार्यशील परवर्ती संस्थाओं में बदला दिया गया।
- ▲ राज्य द्वारा केवल प्रचालनात्मक दक्षता के लिए ही उदय करार पर हस्ताक्षर किया गया।
- ▲ मणिपुर राज्य के ए टी और सी घाटे और ए सी एस - ए आर आर अंतराल लक्ष्यों से उच्च थे।

प्रमुख उदय मापयंत्र 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एंड सी हानियां (%)	29.79	15.0
एसीएस-एआरआर अंतराल (रु. प्रति यूनिट)	0.1	-0.36

टिप्पण : (-) एसीएस-एआरआर अंतराल दर्शाता है कि प्रति यूनिट औसत अर्जित राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

## एम एन-5, ए, एटी और सी घाटे(%), वित्त वर्ष 2018



स्रोत : भारत सरकार (2019), उदय का समाचारपत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

## ऊर्ध्वाधर अंतरण

- ▲ उपकरणों और प्रभारों के बढ़ते अंश के आलोक में मणिपुर राज्य वे राज्यों को दिए जाने वाले उर्ध्वाधर कर को 42% से 50% तक बढ़ाने की अनुशंसा की है।

## क्षैतिज अंतरण का फार्मूला

क्र.सं.	मानदंड	महत्व (%)
i)	जनसंख्या	15
ii)	आय अंतर	55
iii)	क्षेत्र	15
iv)	वन आच्छादित क्षेत्र	15

### अच्छा जी एस टी संग्रहण

- ▲ मणिपुर राज्य ने उपभोक्ता राज्य होने के नाते जी एस टी के प्रारंभ के साथ राजस्वों में सुधार देखा है।
- ▲ मणिपुर अपने ओ टी आर में से 91% ओ टी आर वैट / जी एस टी से प्राप्त कर रहा है (एन ई एच एस के औसत 70% से उलट)।
- ▲ राज्य को शायद ही कोई जी एस टी मुआवजा की जरूरत है।
- ▲ 2016-17 के दौरान वैट / जी एस टी 38% था (एन ई एच एस औसत 12%)।

### पर्यटन

- ▲ मणिपुर में लोकटक झील, कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क, भिन्न-भिन्न प्रकार के वानस्पतिक व जैविक सम्पदा साथ ही साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिनका कि पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- ▲ राज्य ने संगई उत्सव, शिरूली लिलि आदि जैसे उत्सवों, मेलों और आयोजन पहले ही शुरू कर दिए हैं जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों दोनों को आकर्षित करना है।
- ▲ मणिपुर धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है।
- ▲ ईको- पर्यटन को प्रोत्साहनों अथवा पी पी जी मोड के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ व्यक्ति विशेष साथ ही साथ समुदाय आधारित होमस्टे को स्थानिय लोगों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। राज्य सरकार होम स्टे को ई-कॉमर्स के विशेषज्ञों से जोड़ने हेतु सक्रिय कदम उठा सकती है।

### अंतरराष्ट्रीय सीमा

- ▲ मणिपुर राज्य में दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश मार्ग के रूप में कार्य करने की संभावना है चूंकि ये राज्य म्यांमार के साथ लंबी सीमा साझा करता है। तथापि म्यांमार के साथ व्यापार पिछले कुछ वर्षों में घटा है क्योंकि इण्डो-म्यांमार करार, 1994 के अधीन रियायतें और न्यूनतम विकसित देश (एल डी सी) स्कीम वापस ले ली गई है।
- ▲ एकट ईस्ट नीति की तर्ज पर म्यांमार के साथ व्यापार को बढ़ावा देने हेतु मोरे पर एकीकृत चैक-पौस्ट विकसित करने की जरूरत है।
- ▲ म्यांमार के साथ व्यापार को बढ़ावा देने हेतु ई-वीजा और मनी चेंजर की प्रणाली सहायक हो सकती है।

### प्राकृतिक संसाधन

- ▲ **वन सम्पदा:** मणिपुर इण्डो-वर्मा जैवविविधता हॉट स्पॉट का एक महत्वपूर्ण भाग है और उसका 75.5% क्षेत्र वन आच्छादित है।
- ▲ **पर्याप्त वर्षा:** मणिपुर में वर्षण राष्ट्रीय औसत से कई अधिक है और इसका वर्षा-जल संचयन के माध्यम से दोहन किया जाना चाहिए। भारी वर्षा से से होने वाले नुकसान को बेहतर जल निकासी प्रणाली से कम किया जा सकता है।
- ▲ **विविध वन-सम्पदा:-** राज्य को अपने औषधीय पौधों, बांस उत्पादों, एग्रो-उद्यान-विज्ञान उत्पादों, पुष्पोत्पादन और औषध उद्योग को बढ़ावा देने हेतु पहले शुरू करनी चाहिए।

### मानव विकास संकेतक

- ▲ स्वास्थ्य और शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति मणिपुर विकास की विशिष्टता है। (एम एन-2,डी देखें)
- ▲ छोटे राज्यों के बीच, मणिपुर बहुत से संकेतकों पर वार्षिक वृद्धि निष्पादन की दृष्टियों से अग्रिम पंक्ति पर है जैसे कि एच आई वी संक्रमित लोगों की संख्या में कमी, प्रसव पूर्व पहली तिमाही पंजीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की गुणवत्ता, तीन मुख्य राज्य-स्तरीय अधिकारियों की औसत उपलब्धता और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम पर रिपोर्टिंग (आई डी एस पी)।
- ▲ संयुक्त स्वास्थ्य सूचकांक पर छोटे राज्यों के मध्य संपूर्ण निष्पादन की दृष्टियों से ये राज्य दूसरे स्थान पर आता है।<sup>2</sup>

**संघ सरकार पर उच्च निर्भरता**

हाल के वर्षों में अच्छे जी एस टी एकत्रणों के बावजूद मणिपुर का जी एस डी पी अनुपात में स्वामित्व- राजस्व एन ई एच एस औसत से बहुत नीचा है।

- ▲ यह अपने स्वयं के राजस्वों से अपने टी आर आर का मात्र 11.5% ही प्राप्त करता है।
- ▲ राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों का 88.5% संघ सरकार से आ रहा है।

**मणिपुर के राजस्व की तुलना में एन ई एच एस**

क्र.सं.	वर्ष 2018-19 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	मणिपुर	एन ई एच एस
ए	कुल राजस्व प्राप्तियां (बी + ई)	37.9	23.3
बी	स्वामित्व वाले राजस्व प्राप्तियां (सी +डी)	4.4	7.0
सी	स्वामित्व वाले कर राजस्व (सी(i) से सी(v))	3.8	5.0
i	वेट/जी0एस0टी0	3.4	3.5
ii	स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीकरण	0.1	0.2
iii	राज्य कर	0.0	0.7
iv	विद्युत ड्यूटी	0.0	0.1
v	अन्य कर	0.3	0.5
डी	गैर कर राजस्व	0.6	2.0
ई	कुल केन्द्रीय अंतरण (ई(i)+ई(ii))	33.6	16.3
i	केन्द्रीय करों में अंश	16.9	8.1
ii	सहायता अनुदान	16.7	8.2

- ▲ मणिपुर महा निषेध अधिनियम 1991 के कारण राज्य कर में सुधार कठिन है।
- ▲ तथापि एन ई एच एस में (मिजोरम और उत्तराखण्ड के बाद) सर्वाधिक शहरी करण दर (30.2%) के साथ मणिपुर स्टॉम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से राजस्वों को बढ़ाने की स्थिति में होना चाहिए।
- ▲ मणिपुर को एन टी आर से राजस्व बढ़ाने हेतु अभिनव तरीके खोजने की जरूरत है। वर्ष 2014-15 में विद्युत क्षेत्र के निगमीकरण के कारण उसका एन टी आर टी जी आर 2011-2019 के दौरान -8.4% था।

**उच्च प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ एन ई एच एस (67.6%) और सभी राज्यों के औसत (50.6%) की तुलना में मणिपुर में उच्च प्रतिबद्ध देयताएं (टी आर ई का 71%) हैं।
- ▲ एन ई एच एस के औसत 44% की तुलना में वेतन (जी आई ए वेतन सहित) में टी आर ई का 49% शामिल हैं।
- ▲ राज्य सरकार को अपने व्यय को तर्कसंगत बनाने और उसकी पुनर्संरचना करने की जरूरत है।
- ▲ प्रतिबद्ध व्यय के बोझ को कम करने के प्रयासों से अन्य विकास व्यय हेतु संसाधनों में सुगमता रहेगी।

**घटता पूंजीगत व्यय**

- ▲ जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 2011-12 में 13.1% से 2017-18 में घटकर 5.6% हुआ और 2011-12 में कुल व्यय के 25 % से 2018-19 में घटकर 15% हो गया।
- ▲ राज्य को अपनी प्रतिबद्ध व्यय को तर्कसंगत बनाने और अवसंचना विकास पर अधिक खर्च करने की जरूरत है।



**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने अपने एफआरबीएम अधिनियम को 2005 में कार्यान्वित किया और उसमें 2006, 2010, 2011 और 2017 में संशोधन किए।
- ▲ राज्य ने हाल के वर्षों में एफआरबीएम लक्ष्य स्थापित नहीं किए हैं।
- ▲ मणिपुर को अत्यधिक उच्च ऋण के बोझ वाले राज्यों में गिना जाता है, इसके ऋण को 15 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय मार्ग अनुसार समेकित किए जाने की जरूरत है।
- ▲ ऋण और अग्रिम गारंटी पर्याप्त लागत-लाभ विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए और यह अतिरिक्त राजकोषीय भार से बचने के लिए एक उचित निष्पादन मूल्यांकन के बाद होनी चाहिए।
- ▲ राज्य को एक एफआरबीएम अधिनियम और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तर्ज पर अपने ऋण-जीएसडीपी अनुपात को नीचे लाने की आवश्यकता है। अतः राज्य को आय के भावी स्रोतों को पैदा करने हेतु एक विश्वसनीय ऋण मार्ग और व्यय का सजग अंशांकन करने की जरूरत है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा सुझाए अनुसार	62.9	60.1	57.0	54.3	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
वास्तव में प्राप्त	49.4	49.5	43.6	40.6	41.6	41.4	37.1
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा सुझाए अनुसार	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तव में प्राप्त	8.1	0	-1.7	3.3	1.8	2.6	1.3

स्रोत: मणिपुर सरकार

**प्रति व्यक्ति निम्न आय और अत्याधिक गरीबी**

- ▲ वर्ष 2018-19 में एनईएमएस में से मणिपुर का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम था।
- ▲ तेंदुलकर पद्धति अनुसार भारत में (छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद) 36.89% पर गरीबी का अनुपात भारत में तीसरे स्थान पर सबसे उच्च है। राज्य में गरीबी के अनुपात में 2004-05 से 2011-12 तक उतनी कमी नहीं दिखाई दी है।
- ▲ उदारीकरण पश्चात जीएसडीपी में कृषि का अंश निम्न प्राथमिक क्षेत्र उत्पादकता दर्शाते हुए रोजगार में अंश में अनुपातिक घटत के बिना घटा है।

**स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी संकेतक**

- ▲ मणिपुर में 0.26%<sup>3</sup> के राष्ट्रीय प्रसार की तुलना में 1.15% की उच्चतम वयस्क एचआईवी प्रसार है। सतत प्रयास के साथ मणिपुर ने एचआईवी पीड़ित गर्भवती महिलाओं के प्रतिशत को 2006 में 1.3 % से 2017 में 0.47 % तक कम कर दिया। तथापि, इस स्थिति से बचने के लिए और ध्यान केन्द्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- ▲ बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) में 2001 के 957 से 2011 में 930 तक कमी देखी गई है। राज्य में बालिकाओं की घटती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

**बढ़ता बेरोजगार**

- ▲ मणिपुर में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी दोनों ही चरम पर है।
- ▲ राज्य में निजी पंजी को आकर्षित कर और रोजगार-परक आर्थिक बढ़त को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित करने की जरूरत है।

**मणिपुर में बेरोजगारी (आम स्थिति):**  
**श्रमिक वर्ग में प्रति 1000 व्यक्तियों पर बेरोजगार व्यक्ति**

वर्ष	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1977-78	9	1	12	27
1999-00	24	25	74	103
2011-12	35	50	58	129

स्रोत:- भारत सरकार (विभिन्न वर्ष) इम्प्लॉयमेंट एण्ड अनइम्प्लॉयमेंट इन इण्डिया, एनएसएसओ राउण्ड 32, 55 एण्ड 68 नेशनल सर्वे ऑफिस, स्टेटिस्टिक्स एण्ड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन, गवर्नमेंट आफ इंडिया।

### स्थानीय निकाय

- ▲ संविधान में परिकल्पित अनुसार स्थानीय निकायों को सभी कार्य सौंपने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।
- ▲ एडीसी और पीआरआई अत्यन्त न्यून राजस्व की उगाही करते हैं और संसाधनों हेतु वे राज्य और संघ सरकार पर निर्भर हैं।
- ▲ संपत्ति कर दें, उपयोगकर्ता प्रभारे, बाजार शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि के संशोधन जैसे उपायों का पता लगाने की आवश्यकता है।
- ▲ राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के क्षमता विकास पर ध्यान देने की जरूरत है।

### अवसंरचना घाटा

- ▲ राज्य द्वारा जहां आवश्यक हो पीपीपी मोड के माध्यम से अपने भौतिक अवसंरचना को अद्यतन करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।
- ▲ विद्युत: मात्र 45 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ राज्य को अपनी विद्युत आवश्यकताओं का 90 % खरीदना होता है। 938 के डब्ल्यू एच (2016-17) के अखिल भारतीय औसत की तुलना में राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता केवल 263 के डब्ल्यू एच है। राज्य में धीमें विकास के लिए विद्युत का अभाव मुख्य कारण है।<sup>5</sup>
- ▲ सड़क: राष्ट्रीय औसत से सड़क घनत्व काफी कम है।
- ▲ रेलमार्ग:- रेल संपर्क को अब भी प्रचालनरत करने की जरूरत है।

### विप्लव का भार:-

- ▲ राज्य सरकार के कुल कर्मचारी संख्या के लगभग 40% हिस्सा पुलिसकर्मियों का है।
- ▲ पुलिस पर व्यय राज्य टीआरई के 14% के लगभग है (एनईएचएस औसत 8%)
- ▲ वर्ष 2018-19 में पुलिस पर जो 1,370 करोड़ रु. का व्यय 1,212 करोड़ रु. के ओरआरआर से उच्च था।
- ▲ राज्य में कमी करने हेतु सक्रिय विकास उपाय करने की आवश्यकता है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:-<sup>6</sup>

- ▲ दिनांक 30 सितम्बर 2018 की स्थिति के अनुसार 10 कार्यशील पीएसयू के 94 खाते एरियर में थे। एरियर की अवधि 2 से 30 वर्षों के बीच थी।
- ▲ राज्य सरकार ने इतने वर्षों में इक्विटी में 2.10 करोड़ रु. लगाए और है पीएसयू में 1,599.43 करोड़ रु.के अनुदान संवितरित किए जिसके लिए उनके खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।
- ▲ पीएसयू के खातों की समय-समय पर देखरेख और लेखपरीक्षा सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है।


### सुधार दिशा सूचक

- ▲ हाल के वर्षों में अच्छे जीएसटी एकत्रण के बावजूद मणिपुर के जीएसडीपी अनुपात में स्वामित्व वाले -राजस्व एनईएचएस औसत से कई गुना न्यून है। राज्य अपने स्वयं के राजस्वों से इसके आरआर का मात्र 11.5% ही प्राप्त करता है। अतः उसकी संघ सरकार पर निर्भरता अधिक है। मणिपुर को अपने कर व्यवस्था को सुदृढ़ करने की और अपने स्वयं के राजस्वों को बढ़ाने के अभिनव तरीके ढूंढने की जरूरत है।
- ▲ मणिपुर में 37.5 % का अत्यधिक ऋण है राज्य को एक एफआरबीएम अधिनियम और 15 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसाओं की तर्ज पर अपने ऋण जीएसडीपी अनुपात तक लाने की आवश्यकता है। राज्य को आय के भावी स्रोत सूजित करने हेतु एक विश्वसनीय ऋण मार्ग और व्यय को सावधानीपूर्वक आशांकन की जरूरत है।
- ▲ राज्य में अत्यधिक उच्च प्रतिबद्ध व्यय है। दूसरी ओर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में उसका पंजी व्यय 2011-12 में 13.1 % से 2017-18 में 5.6 % तक घटा और 2011-12 में कुल व्यय के 25 % से 2018-19 में 15% तक घटा। राज्य को अपने प्रतिबद्ध क्रम को तर्कसंगत बनाने और अवसंचना विकास पर खर्चों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

### टिप्पणियां:-

1. भारत सरकार (2019) हैल्दी स्टेट्स, प्रोग्रेसिव इण्डिया: रिपोर्ट ऑफ दी रैंक्स आफ स्टेट्स एण्ड यूनियन टेरिटरीज, नीति आयोग, दी वर्ल्ड बैंक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2. आईबीआईडी।
3. भारत सरकार (2015) इंडियन एमआईवी एस्टीमेशन्स 2015: टेकनिकल रिपोर्ट, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. भारत सरकार (2017) एचआईवी सेन्टिनल, सर्विलेंस 2016-17, टेकनिकल रिपोर्ट, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5. मणिपुर सरकार (2017), इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ मणिपुर-2016-17, अर्धशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, मणिपुर सरकार।
6. सीएजी (2019), 2019 की रिपोर्ट सं. 2 सामाजिक, आर्थिक (पीएसयू से इतर) आर्थिक (पीएसयू), राजस्व और सामान्य क्षेत्र भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, मणिपुर सरकार द्वारा प्रकाशित।

## एमजी-1. ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**3.0 मिलियन**  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**0.3%**



**क्षेत्रफल**  
**22,429 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**0.7%**



**वन आच्छादन**  
**17,119 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
**2.4%**  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**76.3%**  
2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.2%** ↓



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
**रु. 96,016**  
**रु. 1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
**5.4%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**




**टीएफआर**  
**3.0**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**




**शहरीकरण दर**  
**20.1%**  
अखिल भारत औसत  
**31.1%**

## एमजी-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एमजी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## एमजी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	19,918	5,03,182	4.0
2012-13	21,872	5,63,081	3.9
2013-14	22,938	6,37,264	3.6
2014-15	23,235	6,95,474	3.3
2015-16	25,117	7,88,321	3.2
2016-17	27,439	8,67,648	3.2
2017-18	29,508	9,74,240	3.0
2018-19	33,481	10,82,901	3.1


## जेएच-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




एमजी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एमजी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



एमजी - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमजी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018

एमजी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

एमजी - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमजी -3. बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमजी- 3. सी: व्यक्ति ('000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमजी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमजी- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एमजी- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एमजी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण



एमजी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


जेएच -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



जेएच - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एमजी-4. जी: जीएसडीपी और पूंजी व्यय का अनुपात



एमजी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस


राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	96,016	1,30,427
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	29.0	23.3
ओटीआर	5.4	5.0
एनटीआर	1.3	2.0
टीई	35.1	26.7
ईएस	7.8	5.0
एसएस	12.9	8.7
जीएस	9.9	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	14.8	14.4
पूँजी व्यय	4.5	4.3
एफडी	6.1	3.4
आरडी	1.6	-0.9
ओडी	31.7	29.6



एमजी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
मेघालय	11.5	11.2	9.0
एनईएचएस	12.6	12.1	10.7

एमजी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



सौंप गए कार्य

- ▲ मेघालय में आरएलबी में तीन स्वायत्त विकास परिषदें ( एडीसी ) गारो, खासी और जैन्तिया शामिल है।
- ▲ मेघालय में जहां तीन मुनिसिपल बोर्ड है, इनके लिए सन् 1972 में राज्य के सृजन के समय से बोर्ड कमिशनर के चुनाव नहीं हुए है।
- ▲ मेघालय को संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधनों से छूट दी गई है और अतः 3 एफ को सौंपने की स्थिति राज्य हेतु एक संबंधित आंकड़ा नहीं है।
- ▲ 10 क्रिया कलाप यू एल बी को सौंप दी गई।

लेखा परीक्षा स्थिति

- ▲ यू एलबी के खातों को 2017-18 तक लेख परिक्षित कर लिया गया है।
- ▲ एडीसी खाते: गारो का लेखा परीक्षण 2011-12 तक खासी का 2016-17 तक, जैन्तिया का 2013-14 तक लेखा परीक्षण किया गया है।

सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ यद्यपि 13 वें वित्त आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा अनुसार राज्य ने मार्च 2012 में अपनी पी टी वी स्थापित की है, ये अभी कार्यशाल नहीं है।

एसएफसी

- ▲ संविधान के 73 वें और 74वें संशोधन से छूट प्राप्त मेघालय एक मात्र राज्य है जहां एसएफसी कभी भी संगठित नहीं किया गया।

**ऋण और हानियां**


- ▲ उदय के अधीन, मेघालय सरकार ने अनुदान और इक्रिटी के रूप में 125 करोड़ रु. की राशि के डिस्कॉम ऋण लिए।
- ▲ मेघालय ने वर्ष 2018-19 में ना तो एटी और सी घाटों में अपने लक्ष्य प्राप्त किए और ना ही एसीएस एआरआर अंतराल में लक्ष्य प्राप्त किए।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	35.22	22.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रु. प्रति इकाई)	0.85	0.35

टिप्पणी : (-) ए सी एस - ए आर आर अंतराल संकेत देता है कि प्रति इकाई औसत प्राप्त राजस्व आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**एमजी - 5.ए : ए टी और सी घाटे (%), वित्तवर्ष 2018**



स्रोत : भारत सरकार (2019), न्यूजलैटर ऑफ उदय, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उध्वाधर अंतरण**

- ▲ मेघालय ने अनुशांसा की है कि उध्वाधर अंतरण को 42% से 48% तक बढ़ाया जा सकता है।

**क्षैतिज हस्तान्तरण हेतु फार्मूला**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाया गया भार (%)
i)	जनसंख्या 2011	17.5
ii)	अनुसूचित जन जाति आबादी	7.5
iii)	आय अंतर <sup>क</sup>	50
iv)	क्षेत्र <sup>ख</sup>	15
v)	वन क्षेत्र	10

<sup>क</sup> मूल्य अक्षमताओं के चलते पवर्तीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को मूल्य अंतरों हेतु समायोजित किया जाना चाहिए।

<sup>ख</sup> छोटे राज्यों हेतु सामान्य सीमा 2% पर निर्धारित होनी चाहिए और 3डी क्षेत्र का उपयोग पवर्तीय राज्यों के लिए किया जाना चाहिए।

**बढ़ता ओ टी आर**

- ▲ ओटीआर/जीएसडीपी 2011-12 में 3.5% से 2018-19 में बढ़कर 5.4% हो गया।
- ▲ वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक ओटीआर टीजीआर 12.75% था (एन ई एच एस से ऊच्च 11%)।
- ▲ ओ टी आर उत्लावकता 1.8 पर (वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक) 0.95 के एन ई एच एस औसत से कहीं अधिक था।
- ▲ समान अवधि पर 14.04% वैट/जीएसटी से एकत्रणों हेतु टी जी आर एन ई एच एस औसत से अन्य भी था।
- ▲ राज्य ने स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्कों से अपने एकत्रणों का बढ़ाने में अच्छा प्रयास किया है यद्यपि जी एस डी पी के 0.08% पर के अब भी एन ई एच एस औसत 0.18% से पीछे ही है।
- ▲ एन टी आर/जी एस डीपी के संबंध में भी मेघालय एन ई एच एस से काफी निम्न स्था पर है। वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक राज्य हेतु एन टी आर टी जी आर ऋणात्मक था।
- ▲ संघ सरकार से प्राप्तियों पर राज्य की निर्भरता टी आर आर के 77.1% पर उच्च ही रहता है।
- ▲ मेघालय को केन्द्र पर निर्भरता कम करने हेतु अपना कर आकार आगे और सुधारने की आवश्यकता है।

**कृषि**

- ▲ राज्य में कृषि उद्योगों हेतु संभाव्यता बहुत अधिक है चावल और मक्के के मुख्य खाद्य फसलों के अलावा राज्य अपने बागवाली से जुड़ी फसलों जैसे कि संतरा, नीबू, अनानास, अमरूद, लीची, केला, कटहल और समशीतोष्ण फलों जैसे कि आलू बुखारा, नाशपाती और आड़ू के लिए भी जाना जाता है। मेघालय ने इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से क्षेत्रीय मिशन की भी शुरुआत की है जैसे मिशन लखडोंग, मिशन कटहल, मशरूम मिशन, मुगा मिशन आदि।
- ▲ उसके भू-जलवायु दशाओं के कारण राज्य पुष्प कृषि हेतु एक बेहतर स्थान है (कट-फलोवर उत्पादन)
- ▲ खाद्य प्रसंस्करण, शीत भंडारण और कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं से इन उत्पादनों से तुलनात्मक लाभ देने में मदद मिल सकती है।

**खनिज-आधारित उद्योग**

- ▲ मेघालय में कोयला, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, चिकनी, मिट्टी और अन्य खनिजों जैसे खनिज भण्डरों की समझ के साथ अथाह औद्योगिक संभावना है।
- ▲ राज्य को इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु सड़कमार्ग और विद्युत नैटवर्क सहित बेहतर अवसंरचना विकसित करने की जरूरत है।

**जल संसाधन**

- ▲ राज्य विश्व में सबसे आर्द्र क्षेत्रों में आता है। उसके जल संसाधन एव समृद्ध जलीय जैवविविधता के अनुकूल है और पोटैबल और सिंचाई जल उपलब्ध कराता है।
- ▲ कुछ जल निकाय इनलैण्ड फिशरियों और एक्वा- पर्यटन के विकास हेतु संभाव्यता रखते हैं।
- ▲ मेघालय का हाइड्रो और अन्य अक्षय ऊर्जा में संभाव्यता का दोहन करने की जरूरत है।

**पर्यटन**

- ▲ राज्य के भी सड़क नैटवर्क को सुधारने चाहिए।
- ▲ चूंकि राज्य वन सम्पदा में समृद्ध है तो उसे सही सूचना और सेवाओं के माध्यम से पर्यटन अभिरूचि के कम प्रचलित स्थलों को विकसित करना चाहिए।
- ▲ ईको- पर्यटन और साहसिक क्रीड़ाओं को प्रोत्साहनों अथक पी पी पी मोड के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- ▲ होमस्टे चाहे तो व्यक्ति विशेष हेतु हो या साथ ही समुदाय- आधारित हो, इसे आय के व्यवहार्य वैकल्पिक स्रोत के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है। चूंकि होमस्टे प्राथमिक रूप से महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, वो उनकी आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। राज्य सरकारें होमस्टे करे ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के साथ जोड़ने हेतु सक्रिय कदम उठा सकती है।

**लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा**

- ▲ मेघालय मुख्यतः कच्चे माल और शीघ्र खराब होने वाले सामान उत्पादित करता है जिन्हे आस-पास के देशों को निर्यातित किया जाता है। राज्य को खनिजों को प्रोसेसिंग और तैयार सामग्रियों के नियति में खर्च करने और साथ ही साथ उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
- ▲ भूमि कस्टम स्टेशनों के चारों ओर अपर्याप्त अवसंरचना (दावकी को छोड़कर) है। राज्य सरकार को स्रोत और डिलीवरी बिन्दुओं को जोड़ने वाली सभी - मौसमों हेतु अनुकूल संपर्क सड़कें बनाने की जरूरत है ताकि बड़े वाहन आसानी से आ सकें।
- ▲ राज्य को चट्टोग्राम बंदरगाह के साथ जोड़ने हेतु सक्रिय उपायों को करने की जरूरत है।

**निम्न विषमता और गरीबी**

- ▲ जहां मेघालय की प्रति व्यक्ति जी एस डी पी 96,016 रुपए (2018-19) पर सभी राज्यों के 1,40,422 रु. से काफी कम है वहीं राज्य के गरीबी की दशा 11.87% पर (2011-12 तेंदुलकर पद्धति) 21.9% के राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है। यह दर्शाता है कि राज्य में आय विषमता संपूर्ण देश में व्याप्त विषमता से काफी निम्न है।

**उच्च ऋण**

- ▲ वर्ष 2018-19 में 31.7% का ऋण /जी एस डी पी (2011-12 में 25.6% से बढ़ते हुए) 29.6% के एन ई एच एस अनुपात से उच्च है (2018-19)।
- ▲ ऋण को 15वें वित्तीय आयोग द्वारा राजकोषीय मार्ग के अनुसार समेकित किया जाना चाहिए।
- ▲ पर्याप्त लागत-लाभ विश्लेषणों पर आधारित ऋणों और अग्रिमों को अतिरिक्त राजकोषीय भार से बचने के लिए उपयुक्त निष्पादन के बाद ही बढ़ाना चाहिए।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	32.7	32.7	32.7	31.7	27.04	27.3	27.6
वास्तविक रूप में हासिल	25.6	22.7	27.3	29.1	28.5	32.7	32.1
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में हासिल	5.4	1.8	1.7	4.2	2.2	2.6	0.5

स्रोत : मेघालय सरकार

**निम्न और घटता हुआ पूंजीगत व्यय**

- ▲ पूंजीगत व्यय 2018-19 में एन ई एच एस के 16% की तुलना में कुछ व्यय का केवल 12.81% है।
- ▲ राज्य में पूंजी व्यय 2011-12 से 2018-19 के दौरान 12.0% के एन ई एच एस औसत की तुलना में केवल 5.4% के टी जी आर तक ही बढ़ा।
- ▲ जी एस डी पी के प्रतिशत के रूप में पूंजी व्यय 2011-12 में 4.6% से 2018-19 में घटकर 4.5% हुआ।
- ▲ टी आर ई के प्रतिशत के रूप में (जी आई ए वेतन सहित) वेतनों का अंश भी 2018-19 में 45.22% पर बहुत उच्च है। इसे विकास गतिविधियों हेतु राजकोषीय स्थान सृजित करने के लिए कम किए जाने की जरूरत है।

**निम्न जी एस डी पी बढ़त दर**

- ▲ मेघालय की जी एस डी पी बढ़त दर (सतत् मूल्यों पर) एण ई एच एस साथ ही राष्ट्रीय औसत दोनों ही से काफी निम्न रही है। मेघालय की जी एस डी पी टी जी आर (2011-2019) सभी एन ई एच एस के बीच सबसे न्यून है (मिजोरम में 16.2 % से हिमाचल प्रदेश में 11% तक)
- ▲ मेघालय सरकार का 15वें वित्तीय आयोग को ज्ञापन यह दर्शाता है कि गत 10 वर्षों के दौरान उसकी साख-जमा अनुपात 35% से 40% तक था (60% के राष्ट्रीय औसत के विपरीत)

**पुराना तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र विकास : कोयला खनन पर प्रतिबंध**

- ▲ वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित प्रधिकरण ने मेघालय में कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया। तदनुसार, 2014-15 में खनन की जी एस डी पी 59% तक घटी और जी एस डी पी 2014-15 में केवल 1.3% तक ही बढ़ी। चूँकि खनन का अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ सुदृढ़ अग्रगामी और पृष्ठगामी संबंध है, मेघालय की जी एस डी पी वास्तव में 2014-15 में घटी। इसका राज्य में रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा।
- ▲ द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 2011-12 में 31% से 2018-19 में लगभग आधा होकर 18% हो गया।
- ▲ खनन पर प्रतिबंध के चलते राज्य सरकार ने राजस्व में उल्लेखनीय घाटा का अनुमान किया है।
- ▲ राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु वैकल्पिक प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, कृषि-आधारित उत्पादों पुष्प कृषि और मत्स्यपालन को दोहन किया जाना चाहिए।
- ▲ कच्ची सामग्री बेचने के अतिरिक्त राज्य सरकार को बेहतर मूल्यों हेतु उत्पाद की प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए।
- ▲ राज्य में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु आगे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ राज्य सरकार को नगरपालिका बोर्डों में वार्ड कमिशनरों के चयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए - 1972 से लंबित।
- ▲ स्थानीय निकायों पर कैग रिपोर्टों ने खराब वित्तीय रिपोर्टिंग और रिकार्डों के रखरखाव में अनियमितता को मुख्यता से दर्शाया है।
- ▲ जनजातीय परम्पराओं के विकास और संरक्षण के लिए बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य को व्यापक नीतिगत समीक्षा और अपने एडीसी की पुनर्संरचना करने की आवश्यकता है।

**खराब भौतिक और सामाजिक अवसंरचना**

- ▲ मेघालय में अवसंरचना की कमी शेष भारत से कई गुना अधिक है।
- ▲ मेघालय में सड़कों घनत्व राष्ट्रीय औसत से कई गुना कम है।
- ▲ शिलांग शहर में गंभीर सड़क अवरोधक चुनौतियों का सामना किया जा रहा है।
- ▲ परिवारों को पेयजल के उन्नत स्रोत की प्रतिशत उपलब्धता भी राष्ट्रीय औसत (एम जी - 2. डी देखें) से कम है।
- ▲ मेघालय को राज्य में पर्यटन और औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु अपनी अवसंरचना को पुर्ननिर्मित करने की आवश्यकता है।
- ▲ बहुत से स्वास्थ्य और शिक्षा संकेत राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं (एम जी-2. डी देखें)।
- ▲ सबसे खराब स्वास्थ्य संकेतक को वाले जिलों ब्लॉकों का ध्यान में रखते हुए एक केन्द्रित दृष्टिकोण रखना अच्छा उपाय हो सकता है।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

- ▲ भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग द्वारा 15वें वित्तीय आयोग के लिए संचालित मेघालय के राज्य वित्तों पर अध्ययन के मुख्यबिन्दु निम्नवत है।
- ▲ मेघालय के 15 एस जी एस यू में से केवल वन विकास निगम मेघालय ने 2016-17 के अंत में संचित लाभ प्राप्त किया।
- ▲ मेघालय के विद्युत क्षेत्र एस जी एस ए में 1,836 करोड़ रु. का संचित घाटा जो कि जी एस डी पी का 6.5% है।
- ▲ तथापि - एस पी एस यू (विद्युत क्षेत्र में एक इकाई सहित) ने वर्ष 2016-17 में लाभ दर्शाया है।

- ▲ गत कुछ दशकों में विद्युत की बढ़ती मांग के साथ मेघालय विद्युत - बाहुल्य राज्य से विद्युत आक्रांत राज्य में तब्दील हो गया, परिणामतः अत्यधिक ऋण एकत्रण हुआ।
- ▲ एस पी एस ए की संकटग्रस्त स्थिति (विशेषतः विद्युत में) बढ़ते राजकोषीय देयताओं के साथ मध्यम अवधि ऋण धारणीयता को आकर्षित करती है। राज्य को इन एस पी एस ए को व्यापक निष्पादन मूल्यांकन संचालित करना चाहिए और बढ़ते घाटों को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त कार्रवाई करनी चाहिए।
- ▲ कैग रिपोर्ट 2018 के मुख्य बिन्दु निम्नवत है।
- ▲ 2016-17 में 16 एस पी एस ए के 46 खाते एरियर में थे।
- ▲ राज्य सरकार में वर्षों के दौरान 14 एस पी एस ए को 25% 02 करोड़ रु. के बजटीय सहायता का विस्तार किया है जिसके लिए खाते एरियर में थे।
- ▲ खातों की लेखापरीक्षा न करने से सतत् बजटीय सहायता के चलते एक गंभीर अधोगाभी-जोखिम पैदा हो सकता है।


### सुधार दिशा सूचक

- ▲ राज्य में जी एस डी पी के अनुपात में बहुत अधिक ऋण है जिसे 15वें वित्तीय आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप समेकित किए जाने की जरूरत है।
- ▲ समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए मेघालय राज्य को अपना द्वितीयक क्षेत्राधार विस्तारित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे पर्यटन पर्यटन को आगे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन पहलों से राज्य को राजस्व अर्जनों में मदद मिल सकती है।
- ▲ एक ओर मेघालय में निम्न और घटता पूंजी व्यय है (पिछले कुछ वर्षों में देखा गया)। दूसरी ओर राज्य को भौतिक अवसंरचना में बड़े निवेश की जरूरत है। राज्य में घटते पूंजी व्यय की स्थिति को बदलने चाहिए और बड़े अवसंरचना घाटे के वित्तीयन हेतु अभिनव तरीके ढूंढने चाहिए।
- ▲ एस पी एस ए की संकटग्रस्त स्थिति (विशेष रूप से विद्युत) के चलते बढ़ते राजकोषीय देयताओं के साथ मध्यम अवधि ऋण स्थायित्व जोखिम पैदा होती है। अतः राज्य को इन एस पी एस ए का विस्तृत संवर्धन मूल्यांकन संचालित करना चाहिए और बढ़ते घाटों को नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।

- 1 कैग (2018), रिपोर्ट नं. 3 ऑफ 2018, सोशल, इकॉनॉमिक, जर्नल एण्ड इकॉनॉमिक (पीएस ए) सैक्टर, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट, मेघालय सरकार द्वारा प्रकाशित।



## एमजेड -1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
1.1 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
0.1%



**क्षेत्रफल**  
21,081 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
0.6%



**वन आच्छादन**  
18,006 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
2.6%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
85.4%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
1.0% ↓



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,64,586  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
3.7%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%





**टीएफआर**  
प्रति महिला बच्चे  
2.3  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
51.5%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एमजेड-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %) एमजेड-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## एमजेड-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹) एमजेड-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान


	राज्य	सभी एनईएस में राज्य	एनईएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	7,259	5,03,182	1.4
2012-13	8,362	5,63,081	1.5
2013-14	10,293	6,37,264	1.6
2014-15	13,509	6,95,474	1.9
2015-16	15,139	7,88,321	1.9
2016-17	17,192	8,67,648	2.0
2017-18	18,740	9,74,240	1.9
2018-19	19,520	10,82,901	1.8






पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


एमजेड-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एमजेड-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति बच्चे महिला)



एमजेड- 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमजेड- 2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>एफ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018

एमजेड-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

एमजेड - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमजेड -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमजेड- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमजेड- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमजेड- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा



एमजेड- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एमजेड- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण



एमजेड- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एमजेड -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एमजेड - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एमजेड-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




एमजेड-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम एनईएचएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹0 में	1,64,586	1,30,427
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	46.3	23.3
ओटीआर	3.7	5.0
एनटीआर	2.3	2.0
टीई	48.2	26.7
ईएस	9.6	5.0
एसएस	15.3	8.7
जीएस	13.5	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	20.9	14.4
पूंजी व्यय	9.8	4.3
एफडी	1.8	3.4
आरडी	-7.9	-0.9
ओडी	37.5	29.6

## पीबी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
मिजोरम	9.7	13.6	18.9
जीएस औसत	12.6	12.1	10.7

## पीबी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## आरएलबी

- ▲ तीन स्वायत्त विकास परिषद (एडीसी)-लाई, मारा और चकमा और 804 ग्राम परिषद (वी सी) है।
- ▲ एडीसी संविधान की छठी अनुसूची में आता है। वीसी लुशाई पर्वतीय जिला (ग्राम परिषद) अधिनियम 1953 के अनुसार स्थापित किए गए है।
- ▲ मिजोरम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एम (2) के माध्यम से 73 वें संशोधन से बाहर रखा गया है। अतः मिजोरम हेतु 3 एफसी रैकिंग पंचायती राज मंत्रालय की अंतरण सूचकांक रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।

## यूएलबी

- ▲ राज्य में केवल एक मुनिसिपल निकाय है, दि. 1 जुलाई 2000 को मिजोरम मिनिसिपालिटी अधिनियम के अधीन गठित एजॉल मिनिसिपल निगम (एएमसी)
- ▲ एएमसी में पहला चुनाव दि. 3 नवम्बर 2010 को हुआ था।

## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की बारहवी अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से 15 एएमसी को अंतरित किए गए।
- ▲ लुशाई हिल्स जिला (ग्राम परिषद) अधिनियम 1953 बीसी को निश्चित नियम बनाने का अधिकार देता है जैसे कि स्वच्छता, सफाई और अग्नि पर नियंत्रण से संबंधित। वो न्यायालयों के रूप में भी कार्य करते है। भू-राजस्व का संचालन करते है और गांवों में विकास संबंधी कार्यों को देखते हैं।

## लेखा परीक्षा स्थिति

- ▲ पिछली अवधियों हेतु तीन एडीसी के खातों की लेखा परीक्षा की गई है-2017-18 में लाई, 2016-17 तक मारा और 2014-15 तक चकमा।
- ▲ केवल कु छ वीसी ने 2017-18 तक अपने खातों की लेखा परीक्षा पूर्ण की है।
- ▲ एजॉल मुनिसिपल कॉरपोरेश के खातों की लेखा परीक्षा 2018-19 तक पूर्ण कर ली गई है।

## सम्पत्ति कर बोर्ड (पीटीबी)

- ▲ 15 वे वित्तीय आयोग की अनुशंसा अनुसार, राज्य ने सितम्बर 2011 में पीटीबी स्थापित किया। यह कार्यशील है। पहली एसएफसी (2015-16 से 2019-20 तक)

**प्रथम एसएफसी (2015-2016 से 2019-20)**

- ▲ मिजोरम को एसएफसी की स्थापना से छूट दी गई है। तथापि, पहला एसएफ सी 30 सितम्बर 2011 को गठित किया गया था और 2015-2020 की एवार्ड अविध हेतु दि. 14 दिसम्बर 2015 को तालिकाबद्ध किया गया है।
- ▲ पहली एसएफसी ने स्थानीय निकायों को राज्य के ओटीआर के 15% का अंतरण करने की अनुशंसा की है।

**ऋण और हानियां**

- ▲ मिजोरम सरकार के ज्ञापन अनुसार उसका डिसकॉम सब्सिडी प्राप्त दरों पर विद्युत की बिक्री के कारण बड़े घाटे में चल रहा है।
- ▲ राज्य में विद्युत की मांग और संस्थापित क्षमता में बड़ा अंतर देखा गया है।

वर्ष	विद्युत खरीद पर व्यय करोड़ रुपये	विद्युत बिक्री से प्राप्ति करोड़ रुपये	घाटा करोड़ रु.
2013-14	178.4	109.6	68.8
2014-15	194.8	140.3	54.5
2015-16	210.0	163.8	46.2
2016-17	291.7	199.5	92.2
2017-18	332.7	211.1	121.7

स्रोत: मिजोरम सरकार का ज्ञापन

- ▲ राज्य एटी और सी घाटों हेतु लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम था।

मुख्य उदय बैरोमीटर (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी और सी घाटे (%)	16.2	20.0
एसीएस-एआरआर अंतराल (प्रति इकाई रुपये)	एन.ए.	एन.ए.

नोट:- एसीएस-एआरआर अंतराल संबंधी डाटा राज्य द्वारा उदय पोर्टल पर नहीं डाला गया है।

स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उर्ध्वधर अंतरण**

- ▲ मिजोरम ने राज्य अंश को करों के संपूर्ण विभाज्य पूल में 42% से 50% बढ़ाने की अनुशंसा की है।

**क्षैतिज अंतरण हेतु फार्मूला**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाया वजन (%)
i)	जनसंख्या	25.0
ii)	आय अंतर	40.0
iii)	राजकोषीय अनुशासन	7.5
iv)	क्षेत्र	10.0
v)	वन क्षेत्र	10.0
vi)	ऐतिहासिक अवसंचना अंतराल	7.5

**तेजी से घटता ऋण-जीएसडीपी अनुपात**


- ▲ मिजोरम राज्य ने अपी ऋण जीएसडीपी को 2011-12 में 62.7% से 2018-19 में 37.5% तक तेजी से कम कर दिया। राज्य ने स्वयं द्वारा स्थापित एफआरबीएम लक्ष्यों का भी अनुपालन किया है।
- ▲ राज्य का एफडीजीएसडीपी भी 2011-12 में 6.6% से 2018-19 में 1.8% तक घटा है।
- ▲ राज्य को 15 वे वित्तीय आयोग की अनुसंशाओं और नए एफआरबीएम लक्ष्यों की तर्ज पर ऋण-जीएसडीपी अनुपात में कमी करने का आगे प्रयास करना चाहिए।

% में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएस द्वारा प्रस्तावित अनुसार	85.7	82.9	79.2	74.8	—	—	—
वास्तव में प्राप्त	62.7	61.2	54.5	48.5	42.3	39.1	39.0
<b>एफडी- जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएस द्वारा प्रस्तावित अनुसार	6.4	5.2	4.1	3.0	—	—	—
वास्तव में प्राप्त	6.6	6.9	7.3	7.7	-2.7	-1.5	1.7

स्रोत:- मिजोरम सरकार

**उच्च जीएसडीपी बढ़त**

- ▲ मिजोरम ने हाल के वर्षों में जीएसडीपी की बहुत उच्च विकास दर देखी है। मिजोरम की न्यूनतम जीएसडीपी 2011 से 2019 तक 16.20% के टीजीआर पर बढ़ी जो कि अन्य एनईएचएस से कई अधिक है।
- ▲ तथापि बढ़त दर परिवर्तित होती रही।
- ▲ 2013-14 और 2014-15 में उल्लेखनीय बढ़त वानिकी और लॉगिंग एवं खनन और क्वॉरिंग से आई।
- ▲ राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि बढ़त दर सतत रहे और ये प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण में स्थिरता और उसका त्वरित दोहन की ओर ना ले जाए।
- ▲ राज्य को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आर्थिक बढ़त के लाभ समाज के सभी तबको तक पहुंचें।

**एम जैड-5 ए: जीएसडीपी का टीजीआर 2011 से 2019****अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं**

- ▲ राज्य पर्वतीय और दूरस्थ है, लेकिन इसका दक्षिण एशिया में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही साथ भू राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव हेतु सामरिक महत्व है।
- ▲ ये राज्य बंगलादेश और म्यांमार के साथ 722 किमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांझा करती है। राज्य सरकार को पड़ोसी देशों में निर्यात करने हेतु स्थानीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु अवसरचर्चागत दशाओं में सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ कलादन मल्टी-मॉडल नदी परियोजना पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और रोजगार को बढ़ाने में मददगार हो सकती है। इस परियोजना का निर्माण अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया था किन्तु विकास की गति बहुत धीमी रही है। संघ सरकार द्वारा इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु म्यांमार के साथ सहयोग को बढ़ाना होगा जिससे कि समूचा एनईआर म्यांमार में बंदरगाह मार्ग तक पहुंच सके।

**मानव विकास संकेतक**

- ▲ मिजोरम का स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी संकेतक राष्ट्रीय औसत से कई गुना अच्छा है (एम जैड-2 डी देखें)।
- ▲ यह सेवा क्षेत्र कि संवर्धन के माध्यम से आर्थिक विकास हेतु संभावना इंगित करता है।
- ▲ राज्य का स्वास्थ्य और शिक्षा पर राजस्व व्यय एनईएचएस औसत से कई गुना बेहतर है।

**वार्षिक प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय (रुपए में)**

	शिक्षा	स्वास्थ्य
मिजोरम	11,466	4,137
एनईएचएस	5,970	1,987
सभी राज्य	3,438	1,095

**निम्न स्वामित्व वाले राजस्व और संघ सरकार पर उच्च निर्भरता**

- ▲ मिजोरम में ओटीआर/जीएसडीपी 4.95% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 2018-19 में 3.72% ही है।
- ▲ दूसरी ओर 2.0% के एनईएचएस औसत की तुलना में 2.31% पर एनटीआर/जीएसडीपी रही।
- ▲ मिजोरम में विद्युत से राजस्व उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।
- ▲ 2011-12 से 2018-19 की अवधि के दौरान वैट/जीएसटी, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण और उत्पाद शुल्क से एकत्रणों हेतु राज्य का टीजीआर बहुत अधिक रहा है।
- ▲ संघ सरकार पर राज्य की निर्भरता केन्द्र से आ रही उसकी टीआरआर के 87% के साथ उच्च बनी रही।
- ▲ राज्य को अपने स्वयं के राजस्वों को बढ़ाने हेतु उपायों को करने की जरूरत है।

ब्यौरा	टीजीआर ( वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक )	
	मिजोरम	एन ई एच एस
कुल राजस्व प्राप्तियां	13.6	12.1
वैट/जीएसटी	21.8	11.0
स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीकरण	20.9	11.1
राज्य कर	32.0	6.7
विधुत ड्यूटी	83.7	14.8
अन्य कर	—	9.9
गैर कर राजस्व	9.5	8.2
कुल केन्द्रीय अंतरण	15.4	10.0
केन्द्रीय करों में अंश	29.1	22.8
सहायता अनुदान	6.4	6.7

**उच्च प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ राज्य के पास वर्ष 2018-19 में कुल टीआरई के 64.9% सहित बहुत उच्च प्रतिबद्ध व्यय (जीआईए आय सहित) है।



- ▲ राज्य को और अधिक उत्पादक गतिविधियों पर व्यय को कम करने और उसे तर्कसंगत बनाना चाहिए।

#### जीएसडीपी में विनिर्माण का निम्न अंश

- ▲ राज्य विनिर्माण से अपने जीएसडीपी का मात्र 11% ही प्राप्त करता है।

#### बढ़ती गरीबी

- ▲ तेंदुलकर पद्धति अनुसार राज्य ने 2014-05 में 15.3% से 2011-12 में 20.4% तक गरीबी की दर में बढ़ोत्तरी देखी है। इस रूझान में तुरंत बदलाव लाने की जरूरत है।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ छह कार्यशील एसपीएसयू में से दो एसपीएसयू ने 1 अक्टूबर 2011 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान पिछले वर्षों हेतु दो वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिया है। दो कार्यशील कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान प्रधान महालेखाध्यक्ष को दो लेखापरिष्कृत खाते अग्रेषित किए हैं। छह एसपीएसयू से संबंधित 24 वार्षिक खाते एरियर में थे।
- ▲ मिजोरम सरकार ने छह कार्यशील राज्य पीएसयू में से छह को 29.2 करोड़ रु. उपलब्ध कराए ( 8.49 करोड़ रु. इक्रिटी के रूप में और 20.7 करोड़ रु. अनुदानों के रूप में, जिनके खातों को 30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रस्तावित अनुसार)
- ▲ यद्यपि बजटीय सहायता उल्लेखनीय नहीं है, राज्य सरकार द्वारा खातों का नियमित रखरखाव और लेखा परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ स्थानीय निकायों के पास निम्न स्वामित्व प्राप्त राजस्व है। ग्राम परिषदों के पास पशुओं पर कर को छोड़कर जो कि नगण्य है, राजस्व का अन्य कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है।
- ▲ वर्ष 2017-148 में वीसी का स्वामित्व प्राप्त राजस्व कर+गैर कर कुल व्यय का मात्र 3.68% था सम्पत्ति कर और जल प्रभावों जैसे उपायों को नया रूप देना चाहिए।
- ▲ कैग द्वारा प्रस्तावित खातों के संशोधित प्रारूपों को वीसी द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है। निधियों की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए संशोधित कैग प्रारूपों को अपने और क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है।

#### विद्युत क्षेत्र

- ▲ राज्य को विद्युत क्षेत्र को विभाजित करने और उसे निगमित करने हेतु उपाय करने चाहिए और उसे दुरुस्त आर्थिक सिद्धांतों पर चलने देना चाहिये।
- ▲ राज्य में विद्युत की मांग और संस्थापित क्षमता में भारी अंतर है। मिजोरम राज्य में लगाग 4,500 मेगावाट की हाइड्रो-विद्युत संभाव्यता है जिसमें से केवल 0.6% का दोहन किया गया है। राज्य को विद्युत की कमी को पूरा करना चाहिए और राजस्वों के भावी स्रोतों में सुधार करना चाहिए।

#### सड़क नेटवर्क

- ▲ 952.8 (2015 की स्थिति अनुसार) के राष्ट्रीय औसत की तुलना में मिजोरम में प्रति 1000 वर्ग किमी के क्षेत्र पर मात्र 345.2 किमी का सड़क मार्ग है।
- ▲ पवर्तीय राज्यों हेतु सड़कें एकमात्र जीवनरेखा हैं। अपर्याप्त सड़क नेटवर्क से सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
- ▲ राज्यों को अपनी सड़क अवसंरचना सुधारने की जरूरत है।

#### शहरीकरण का बोझ

- ▲ मिजोरम, आईजॉल (उसका एक मात्र शहर) में रह रही 51.5% की उसकी आबादी के साथ भारत के सबसे शहरीकृत राज्यों में से एक है।

- ▲ ये सड़क संकुलन, कठिन भू-भाग, दूरस्थ अवस्थिति और खराब यातायात प्रणाली की चुनौतियों का सामना करता है।
- ▲ आईजॉल में प्लास्टिक और ई-वेस्ट का निपटान एक चुनौती है।
- ▲ आईजॉल को अपनी सड़के और भवन की योजना बनाने की जरूरत है।
- ▲ योजनाबद्ध अवसंरचना को शहर पर बोझ को कम करने हेतु आईजॉल के पास के क्षेत्र में विकसित किए जाने की भी जरूरत है।


- ▲ एनईएचएस औरसत की तुलना में राज्य में बहुत निम्न ओटीआर/जीएसडीपी है। राज्य की संघ सरकार पर निर्भरता बहुत अधिक बनी रही जिसमें राज्य का 87% टीआरआर केन्द्र से आत है। तथापि उसका एनटीआर/जीएसडीपी एनईएचएस औरसत से उच्च है। साथ ही वेट/जीएसटी स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण और उत्पाद शुल्क से एकत्रण हेतु राज्य का टीजीआर वर्ष 2011-12 से 2018-19 की अवधि के दौरान बहुत उच्च रहा। राज्य को अपने द्वितीयक क्षेत्र को सुदृढ़ करने के और उपाय करने चाहिए। राज्य को अपने राजस्वों को बढ़ाने के उपाय करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य ने गत कुछ वर्षों में जीएसडीपी अनुपात में अपना ऋण घटा दिया है। तथापि में अब भी उच्च ही रहता है। अतः राज्य को न एफआरबीएम अधिनियम और 15 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसाओं की तर्ज पर अपने ऋण को पुनः समेकित करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य के पास बहुत अधिक प्रतिबद्ध व्यय है और अतः इन्हें व्यय को कम करने और अधिक उत्पादक गतिविधियों की ओर ले जाकर तर्कसंगत बनाने का प्रयास करना चाहिए।

#### टिप्पणियां

1. कैग (2019), रिपोर्ट 2 ऑफ 2019:- रिपोर्ट ऑफ दि कंम्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जर्नल ऑफ इण्डिया ऑन सोशल, जर्नल, इकॉनॉमिक एण्ड रेवेन्यू सेक्टर्स फॉर दि इयरएण्डेड 31 मार्च 2018 मिजोरम सरकार।



## एनजी 1:ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
2.0 मिलियन  
सभी राज्यों की  
जनसंख्या का  
0.2%



**क्षेत्रफल**  
16,579 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों के  
क्षेत्र का  
0.5%



**वन आच्छादन**  
12,486 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
75.3%

सभी राज्यों के  
वन क्षेत्र का  
1.8%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0%



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,29,981  
सभी राज्यों का औसत  
रु. 1,40,422



**कर और जीएसडीपी  
का अनुपात**  
3.1%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**प्रति महिला बच्चे  
की संख्या**  
2.7  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
29.0%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एनजी 1 बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एनजी 1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## एनजी 1 डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (₹ करोड़)

वर्ष	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	12,177	5,03,182	2.4
2012-13	14,121	5,63,081	2.5
2013-14	16,612	6,37,264	2.6
2014-15	18,401	6,95,474	2.7
2015-16	19,524	7,88,321	2.5
2016-17	21,722	8,67,648	2.5
2017-18	24,492	9,74,240	2.5
2018-19	27,283	10,82,901	2.5


## एनजी 1 ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




एनजी 2 ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



एनजी 2 बी : कुल प्रजनन दर (प्रति बच्चे महिला)



एनजी 2 सी : नीति आयोग का एसडीजी संसूचक (2019)




एनजी 2 डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक

संकेतक	नागालैंड	भारत	संकेतक	नागालैंड	भारत
<b>EDUCATION</b>			<b>HEALTH</b>		
साक्षरता दर (%) <sup>ए</sup>	79.6	73.0	जीवन प्रत्याशा (वर्ष) <sup>अ</sup>	931	943
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात <sup>ब</sup> (प्राथमिक विद्यालय में)	6.0	25.0	लिंग अनुपात (♀ प्रति 1000 ♂ वर्ष) <sup>ए</sup>	16.7	35.8
सफल भर्ती अनुपात <sup>ब</sup> (उच्चतर माध्यमिक हेतु)	36.3	55.4	कम वजन वाले बच्चे (%) <sup>अ</sup>	28.6	38.4
स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता <sup>ब</sup> (% परिवारों में)	80.6	89.9	बच्चों में बौनापन (%) <sup>अ</sup>	26.4	58.6
शौचालयों की उपलब्धता <sup>ब</sup> (% घरों में)	98.3	61.1	सामान्य बीएआई से कम की महिलाएं (%) <sup>अ, ब</sup>	12.3	22.9
			महिलाओं में रक्त अल्पता (%) <sup>अ</sup>	27.9	53.1
			नवजात मृत्यु दर <sup>एफ</sup> (मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्मों में से)	4.0	32.0
			सांस्थानिक प्रसव (%) <sup>अ</sup>	32.8	78.9
			कुल व्यय (वि.व. 2019) के % के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय (राजस्व + पूंजी)	5.0	5.2
			प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय (वि.व. 2019 रुपये में)	2,968	1,218


<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>अ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>ब</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>अ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>एफ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>अ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

**एनजी 3 ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)**




टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

**एनजी3 ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर**




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

**एनजी 3 बी : व्यक्ति ('000) प्रति उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी**




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एनजी 3 सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/औषध विक्रेता




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एनजी 3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एनजी 4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एनजी4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एनजी 4ग: जीएसडीपी के % रूप में बकाया ऋण




एनजी 4घ: राजस्व व्यय के % रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पणी: प्रतिबद्ध व्यय में वेतन ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एनजी 4ड: जीएसडीपी के % रूप में ओटीआर



एनजी 4च: जीएसडीपी के % रूप में एनटीआर



एनजी 4छ: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
रू प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	1,29,981	1,30,427
<b>जीएसडीपी की प्रतिशत के रूप में संसूचक</b>		
टीआरआर	41.9	23.3
ओटीआर	3.1	5.0
एनटीआर	0.9	2.0
टीई	45.9	26.7
ईएस	10.1	5.0
एसएस	12.2	8.7
जीएस	17.8	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	26.6	14.4
पूंजी व्यय	5.9	4.3
एफजी	4.0	3.4
आरडी	-1.9	-0.9
ओडी	42.7	29.6



## एनजी 4झ: टीआरई और आरआर अंतर

टीजीआर%, 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओसीआर
नागालैंड	12.6	11.4	12.0
एनईएचएस	12.6	12.1	10.7

## एनजी 4ज: टीआरआर की प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय अंतरण कर विचलन एवं सहायता अनुदान(एफसी और गैर-एफसी)



## तृतीय टियर

- नागालैंड में मान्यता प्राप्त सभी 1,428 गावों को गांव परिषद (बीसी) और गांव विकास बोर्ड (बीडीबी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- बीसी और बीडीबी की गठन और कार्य को नागालैंड गांव एवं क्षेत्र परिषद अधिनियम में परिभाषित किया गया है।
- नागालैंड के यूएलबी में 3 नगर पालिका परिषद, 29 नगर परिषद और 5 शहरी केन्द्र समिति शामिल हैं।
- नागालैंड नगर पालिका परिषद अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत नागालैंड में वर्ष 2004-05 में नगर पालिका सहित किया गया है।

## कार्य

- बीसी और बीडीबी गांव विकास स्कीम तैयार करते हैं और पानी की आपूर्ति सड़क, वन, शिक्षा और अन्य कल्याण संबंधी कार्यकलापों की उचित रख रखाव के लिए पर्यावेक्षण करते हैं।
- संविधान की 12वीं अनुसूची में यथा परिकल्पित 18 कार्य में से यूएलबी में 14 कार्यों का विकास किया गया है।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- आरएलबी और यूएलबी की खातों की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 तक पूरी हो गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- राज्य सरकार द्वारा अब तक XIII वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत पीटीबी की स्थापना नहीं की गई है।

## द्वितीय कर बोर्ड

- नागालैंड को 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत एसएफसी गठन से छूट प्राप्त है।
- तथापि, राज्य के द्वारा पंचाट अवधि 2015-2020 के लिए दिनांक 01 जून 2013 को एसएफसी गठित की गई थी। परन्तु इस संबंध में अब तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

**ऋण और हानियां**

- ▲ राज्य सरकार के केवल संचालन दक्षता के लिए यूडीएवाई करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ▲ विद्युत विभाग की प्राप्ति और हानियां नीचे सारणी में दी गई हैं।

मदें (करोड़ ₹)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
प्राप्ति	74.0	94.3	102.8	88.3	98.9	458.3
व्यय	219.61	292.06	341.78	293.83	340.53	1,487.8
हानि	145.6	197.8	239.0	205.5	241.6	1,029.5

स्रोत: नागालैंड सरकार

- ▲ यूडीएवाई पोर्टल पर दर्शाई गई यूटीएंडसी की हानियां और एसीएस-एआरआर अंतराल संबंधित डाटा राज्य सरकार के प्राप्त नहीं हुई है

**ऊर्ध्वाधर अंतरण**

- ▲ नागालैंड सरकार ने संस्तुति की है कि XIIIवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को आबंटित विशेष श्रेणी के लिए अलग से रखे जाने वाले कुल अंतरण को 11.53 की तुलना में 25 किया जाय।
- ▲ राज्यों को अंतरित 25 में से नागालैंड जैसे उन प्रत्येक राज्यों को 3 प्रतिशत आबंटन किया जाए जिनका राज्य का भू-राजनीतिक महत्व है।

**क्षैतिज अंतरण के लिए सूत्र**

- ▲ नागालैंड सरकार ने क्षैतिज अंतरण के लिए कोई अंतरण सूत्र का प्रस्ताव नहीं किया था।

**टीआरई में सब्सिडी की शेर**

- ▲ वर्ष 2018-19 में नागालैंड की टीआरई में सब्सिडी की शेर वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक बहुत कम थी।

**पर्यटन**

- ▲ नागालैंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन संवर्धन के लिए प्रभावी किया जा सकता है।
- ▲ इस राज्य ने पहले से ही हार्नबिल, सुक्रेणी और औलियांग जैसी उत्सव और कार्यक्रम कर दी है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करता है।
- ▲ पर्यावरण पर्यटन को प्रोत्साहन और पीपीपी मोड के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- ▲ व्यक्तिगत के साथ-साथ सामुदायिक आधारित होमस्टे को अर्थनीति के वैकल्पिक आय के स्रोत के रूप में संवर्धन किया जा सकता है। राज्य सरकार ई-वाणिज्यिक कंपनियों के साथ होमस्टे को जोड़ने के लिए सक्रिय उपाय कर सकती है।

**सामाजिक संकेतकों का चयन**

- ▲ वर्ष 2018-19 में औसतन एनईएचएस (क्रमशः 5970रू और 1987रू) की तुलना में शिक्षा (8336रू) और स्वास्थ्य (2933रू) पर नागालैंड की वार्षिक प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय अधिक की है।
- ▲ सामाजिक व्यय की यह प्राथमिकता नागालैंड की प्रमुख मानव विकास सूचकांक में दिखाई देता है जो राष्ट्रीय औसत से काफी अच्छा है (संस्थागत वितरण को छोड़कर)(नागालैंड 2 घ देखें)
- ▲ राज्य की जनता की अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा क्षेत्र में विकास के क्षेत्र को दर्शाता है।

### ▲ उच्च ऋण

- ▲ देश में अधिकतर ऋण लेने वाले राज्य नागालैंड का दूसरे स्थान पर है
- ▲ यद्यपि ऋण/जीएसडीपी तुलना में यह वर्ष 2011-12 में 55.5 से घटकर वर्ष 2018-19 में 42.7 हुआ है तथापि यह 29.61 की एनईएचएस औसत से काफी अधिक है।
- ▲ ऋण, एफआरबीएम अधिनियम और XVवें वित्त आयोग की संस्तुति के समान समेकित हानी चाहिए।

### उच्च प्रतिबद्ध व्यय और घटती पूंजी व्यय

- ▲ राज्य को अपने व्यय प्राथमिकताओं को पुनः निर्माण और पुनः व्यय गठन करने की आवश्यकता है
- ▲ जबकि वर्ष 2018-19 में नागालैंड की प्रतिबद्ध व्यय ( जीआईए वेतन सहित ) अपने टीआरई की 67.3 थी ( सभी राज्यों का औसत 50.6 )
- ▲ दूसरी ओर वर्ष 2011-12 और 2018-19 में नागालैंड की पूंजी व्यय जीएसडीपी ( 5.9 से 10.3 ) और कुल व्यय( 20.4 से 12.8 ) की प्रतिशत के रूप में घटी थी।
- ▲ विकास व्यय के लिए संसाधन को स्वतंत्र करने के लिए प्रतिबद्ध व्यय की बोझ को कम करने के लिए उपाय किया जाना चाहिये।
- ▲ साथ ही पूंजी व्यय और पीपीपी जैसी वित्तपोषण की वैकल्पिक संसाधनों में वित्तपोषण बढ़ाकर राज्य को अपनी अवसंरचना घाटे को कम करने की जरूरत है।

### केन्द्र सरकार पर अधिक निर्भरता

- ▲ वर्ष 2018-19 में नागालैंड की ओटीआर/जीएसडीपी केवल 3.1 थी ( एनईएचएस औसत 5 )
- ▲ राज्य द्वारा एकत्रित वेट/जीएसटी, स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क और उत्पाद शुल्क एनईएचएस औसत की तुलना में बहुत कम है। तथापि, जीएसटी के कार्यान्वयन के इसके संग्रहण में सुधार हुआ है।
- ▲ एनईएचएस औसत की तुलना में राज्य का एनटीआर केवल 0.94 है।
- ▲ इसका 90 टीआरआर केन्द्र के अंतरित होता है। ( सभी राज्य से सर्वाधिक )
- ▲ राज्यों को अपने राजस्व में सुधार लाने के लिए कर आधार को बृहत करके तथ्य इसके कर प्रशासन को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

### क्षेत्रीय विषमता

- ▲ नागालैंड के 11 जिलों में से मोन, ट्वेनचांज, लॉंगलेन और किफिर सुदूर पूर्वी जिला है जिसमें राज्य का 36 क्षेत्र शामिल है और 28% लोग इसमें निवास करते हैं जो अपेक्षाकृत पिछड़ा है।
- ▲ राज्य को इन क्षेत्रों को और इसके भौतिक और डिजिटल संपर्क के साथ-साथ इन क्षेत्र में अन्य भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में सुधार करने के लिए अधिक ध्यान देने की जरूरत है।



संकेतक	पूर्वी नागालैंड	नागालैंड के शेष भाग
सड़क ( किमी प्रति वर्ग किमी )	71	96
पानी की आपूर्ति कवरेज ( घरेलू न. )	32	41
सरकारी स्कूलों की संख्या	711	1,544
सरकारी महाविद्यालयों की संख्या	4	15
निजी महाविद्यालयों की संख्या	1	46
पुरुष साक्षरता ( % )	69	88
महिला साक्षरता ( % )	61	82
शहरीकरण दर ( % )	16.7	33.8

स्रोत: नागालैंड सरकार का ज्ञापन

### ▲ नीति आयोग की एसडीजी सूची (2019) में रैंकिंग

- ▲ नीति आयोग द्वारा 29 राज्यों की एसडीजी रैंकिंग 2019 में नागालैंड को 19वें स्थान पर रखा गया है।
- ▲ यद्यपि नागालैंड ने कोई गरीबी नहीं एसडीजी 1 पर वापसी की है जबकि नागालैंड के राज्य में दरिद्रता की घटना वर्ष 2004-05 में 9 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 18.88 हो गई है। इसमें पिछले कुछ वर्षों में समुचित आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई थी।
- ▲ राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि समाज की सभी वर्गों का आर्थिक विकास का लाभ पहुंचे।

### द्वितीयक क्षेत्र के कम शोयर

- ▲ नागालैंड की जीएसडीपी का केवल 12 द्वितीयक क्षेत्र से आता है।
- ▲ नागालैंड में द्वितीयक क्षेत्र अपनी सुदूर भारत के भू-भाग से संपर्क में कमी और कम ऋण विक्षेप अनुपात के कारण पहले से ही पिछड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त यह उग्रवाद से भी बाधित है।
- ▲ राज्य में तृतीयक क्षेत्र को क्षमता निर्माण कार्यक्रमलाप, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विकासशील स्वदेशी कौशल पाठ्यक्रम और सभी जिलों में पारंपरिक कौशल संसाधन केन्द्र की स्थापना करके प्रोत्साहित किया जा सकता है।

### विद्युत क्षेत्र

- ▲ राज्य में अपने ज्ञापन में उच्च एटी एंड सी हानियां दर्ज की है।
- ▲ विद्युत क्षेत्र में प्राप्ति व्यय अंतराल भी व्यापक है।
- ▲ विद्युत क्षेत्र निगमीकरण करने और उसे विभाजित करने के लिए प्रस्ताव अभी भी परीक्षाधीन है। राज्य को जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि इसके विद्युत क्षेत्र ठोस वाणिज्यिक और आर्थिक सिद्धांतों पर कार्य कर सके।
- ▲ हानियों की बोझ कम करने और राजकोषीय जोखिम को सुरक्षित करने के लिए प्रीपेड मीटर स्थापन, स्मार्ट मीटर स्थापन, सहायक एकतीकरण और बिजली चोरी के खिलाफ अभियान जैसी उपाय तत्काल रूप से करना आवश्यक है।

### स्थानीय निकाय

- ▲ स्वामित्व वाले संसाधनों को कम करना
- ▲ गांव परिषद, नगर पालिका परिषद, नगर परिषदों के पास कम संसाधन हैं।
- ▲ स्थानीय निकायों की संसाधनों में सुधार करने और जल्द से जल्द एफ पीटीबी स्थापन करने के लिए राज्यों को उपयोगकर्ता शुल्क, पार्किंग शुल्क, संपत्ति कर बाजार शुल्क आदि विकल्पों को खोजने की जरूरत है।

### निर्वाचन

- ▲ नगर पालिका का निर्वाचन वर्ष 2004-05 से नहीं हुआ है क्योंकि राज्य में महिलाओं के लिए 33 सीट के आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मुकदमों के अधीन है।
- ▲ राज्य सरकार ने नगरपालिका और नगर परिषद में सीईओ और प्रशासनिक अधिकारी नामित किए हैं।
- ▲ राज्य को आरक्षण के मामले को तत्काल निपटान करने और स्थानीय निकायों को गणतांत्रिक रूप से कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द निर्वाचन आयोजित करने की जरूरत है।

### एसएफसी

- ▲ राज्य को पंचाट अवधि के शुरू होने से पहले एसएफसी की गठन, समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एटीआर की सूचीबद्ध सुनिश्चित करना चाहिये।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ बकाया खातों की संख्या वर्ष 2013-14 में 18 से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 21 हो गई थी। तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में (नागालैंड औद्योगिक विकास निगम, नागालैंड राज्य खनिज विकास निगम और नागालैंड औद्योगिक और उपादान और आपूर्ति निगम लिमिटेड, डिमापुर) ने दिनांक 30 सितम्बर 2018 तक छह खातों को अंतिम रूप दिया है, जबकि शेष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने

किसी भी खाते को अंतिम रूप नहीं दिया था। संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल द्वारा संकलन/अंगीकरण में हुई विलम्ब के कारण इन सार्वजनिक क्षेत्र के खातों को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुई है। उपरोक्त के अतिरिक्त एक गैर कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 16 वर्षों (2002-2018) की खातों का बकाया है।

- ▲ उपरोक्त को देखते हुए यह संस्तुति की जाती है कि सरकार समय-समय पर जारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आदेशों और कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप खातों का देखरेख और उनका समय पर अंतिम रूप देना सुनिश्चित करे। खातों का समय पर लेखा परीक्षा भी सुनिश्चित करें।


#### दिशा निर्देश संकेत में सुधार

- ▲ राज्य का 42.7 जीएसडीपी अनुपात ऋण है जो देश में अधिक ऋण लेने वाले राज्यों में से एक है। ऋण को नई एफआरबीएस अधिनियम और XV वें वित्त आयोग के अनुरूप संमकित किया जाना चाहिए।
- ▲ राज्य का सबसे अधिक प्रतिबन्ध व्यय है जबकि पूंजी व्यय वर्षों से घट रहा है। विकास व्यय के बिना संसाधनों को स्वतंत्र करने हेतु वेतन के बोझ को कम करने के बिना उपाय किया जाना चाहिये। साथ ही पूंजी व्यय और पीपीपी जैसी वित्तपोषण के वैकल्पिक संसाधनों में वित्तपोषण बढ़ाकर राज्य को अपनी अवसंरचना घाटे को कम करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य में शेष एचईएसएस की तुलना में जीएसडीपी अनुपात में सबसे कम ओटीआर है, यद्यपि जीवन ही संग्रहण से राज्य की संग्रहण में सुधार हुआ है, इसे अपनी कर आधार को व्यापक बनाने की जरूरत है और आपकी राजस्व में सुधार लाने के लिए अपनी कर प्रशासन को सुदृढ़ करना है।

#### टिप्पणी:

सीएजी(2019), 31 मार्च 2019 के अंत तक सामाजिक आर्थिक राजस्व और सामान्य क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, 2019 कारिपोर्ट 2, नागालैंड सरकार।

## ओडि-1ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
42 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
3.5%



**क्षेत्रफल**  
1,55,707 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
4.8%



**वन आच्छादन**  
51,619 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
33.2%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.5%↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु.1,12,907  
रु.1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
6.2%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
प्रति महिला बच्चे  
2.1  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
16.7%  
अखिल भारत औसत  
31.1%

ओडि-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




ओडि-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




ओडि-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	2,30,987	77,44,945	3.0
2012-13	2,61,700	88,27,195	3.0
2013-14	2,96,475	1,00,07,392	3.0
2014-15	3,14,250	1,09,93,257	2.9
2015-16	3,28,550	1,21,91,256	2.7
2016-17	3,92,708	1,37,80,737	2.9
2017-18	4,40,517	1,54,20,126	2.9
2018-19	4,92,229	1,72,83,813	2.9


ओडि-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान




ओडि-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




ओडि-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



ओडि-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




ओडि-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (पलेश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

ओडि-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)




टिप्पणी : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

ओडि-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर



स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


ओडि-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी



स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार




ओडि-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/फार्मासिस्ट



स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ओडि-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


ओडि-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




ओडि-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



ओडि-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया देनदारी




ओडि-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पण : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज, भुगतान, और पेंशन


ओडि-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



ओडि-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



ओडि - 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय



ओडि-4. एच : प्रमुख राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम सकल राज्य


राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	1,12,907	1,41,099
संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।		
टीआरआर	20.2	13.4
ओटीआर	6.2	6.4
एनटीआर	2.9	1.1
टीई	22.4	16.1
ईएस	4.8	3.1
एसएस	7.6	5.4
जीएस	4.7	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	7.3	5.8
पूँजी व्यय	5.0	2.5
एफडी	2.1	2.5
आरडी	-2.9	0.2
ओडी	22.0	25.0

## ओडि-4. आई : टीआरई और ओआरआर अंतराल

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
ओडिशा	13.5	14.1	10.8
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## ओडि - 4. जे : टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण

{कर अंतरण एवं सहायता अनुदान (बिल आयोग और वित्त आयोग से भिन्न)}



## हस्तांतरित कार्य

- ▲ संविधान के ग्यारहवीं अनुसूची में आरएलबी को यथा परिकल्पित 29 में से ओडिशा को 21 कार्य हस्तांतरित किए गए हैं।
- ▲ संविधान के बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से यूएलबी को 17 कार्य हस्तांतरित किए गए हैं।

## लेखा-परीक्षा की स्थिति

- ▲ आरएलबी और यूएलबी की खातों का लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 तक की तय है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ संपत्ति कर मूल्यांकन के लिए ओडिशा आवास और शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मूल्यांकन संगठन यूएलबी को स्वतंत्र और पारदर्शी कार्यपद्धति स्थापन करने में मदद कर रहा है।

## सभी राज्य का अंतरण सूचक रैंक

कार्य के रैंक	अधिकारियों की रैंक	वित्तीय रैंक	नीति रैंक में कुल अंतरण
13	12	6	8

स्रोत:- भारत सरकार (2016) अंतरण सूचक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## चौथी एसएफसी (2015-16 से 2019-20)

- ▲ राज्य सरकार ने वर्ष 2015-2020 के दौरान स्थानीय निकायों पीआरआई और यूएलबी के बीच 75:25 के अनुपात में वितरण की जाने वाली निवल कर राजस्व के 3% की अंतरण के मिला चौथी एसएफसी के संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है तथा वर्तमान में उनका अनुपालन भी कर रहे हैं।

## पांचवीं एसएफसी (2020-21 से 2024-25)

- ▲ मई, 2018 गठित पांचवी एसएफसी ने दिनांक 02 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- ▲ तथापि एटीआर अभी भी विधान सभा के समक्ष रखी नहीं गई है।

**ऋण और हानियां**

- ▲ दिनांक 31 मार्च, 2019 तक की डीआईएससीओएम की कुल उधार 4,487 करोड़ रुपए हैं जिसमें से राज्य सरकार का उधारी 219 करोड़ रुपया है।
- ▲ चूंकि, ओडिशा में सभी डीआई एस सीओएम को निजीकरण किया गया है अतः राज्य को उदय स्कीम के अंतर्गत लाभ लेने के लिए अर्हत नहीं दी गई है।

प्रमुख उदय मापयंत्र (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एंड सी हानियां (%)	29.2	उपलब्ध नहीं है
एसीएस-एआरआर अंतराल (रु. प्रति यूनिट)	0.6	उपलब्ध नहीं है

टिप्पणी : (-) एसीएस-एआरआर अंतराल दर्शाता है कि प्रति यूनिट औसत अर्जित राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत:- ओडिशा सरकार

**ऊर्ध्वाधर अंतरण**

- ▲ ओडिशा ने यह प्रस्ताव किया है कि विभाज्य मूल में राज्य के हिस्से को 50% तक बढ़ाया जाए

**क्षैतिज अंतरण का फार्मूला**

क्रम सं.	निर्धारक	भार (यदि 1971 के जनसंख्या को अपनाया गया है)	भार (यदि 2011 के जनसंख्या को अपनाया गया है)
i)	संमिश्रित जनसंख्या सूचक (1971)	25	
ii)	संमिश्रित जनसंख्या सूचक (2011)		10
iii)	1971 और 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की विपर्यय		15
iv)	आय में अंतर	50	50
v)	संमिश्रित क्षेत्र सूचक (समायोजित)	15	15
vi)	वन अच्छादन	10	10

**राजकोषीय अनुशासन**

- ▲ ओडिशा 2005-06 से राजकोषीय रूप में अनुशासित और राजस्व अधिशेष का रखरखाव कर रहा है।
- ▲ वर्ष 2011-12 से इसका एफडी जीएसडीपी अनुपात 3.1 से कम रहा है (यहां तक कि 2011-12 में राजकोषीय अधिशेष प्राप्त किया है)
- ▲ अतः राज्य ने संविधान के धारा 293 (3) के अंतर्गत अतिरिक्त उधार नहीं ली थी।
- ▲ इसके अतिरिक्त 2011-12 और 2016-17 के बीच ऋण जीएसडीपी अनुपात 20% से कम रहा है।
- ▲ तथापि राजकोषीय दबाव ऋण जीएसडीपी अनुपात के रूप में क्रमशः बढ़ रहा है जो 2013-14 में 15.1% से बढ़कर 2018-19 में 22.1% हो गया।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने एफआरबीएम अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया और वर्ष 2006, 2011 और 2016 में इसमें संशोधन किए।
- ▲ राज्य ने वर्ष 2011-12 से 2017-18 की अवधि के दौरान एफआरबीएम लक्ष्यों का अनुसरण किया था।

अनुपात प्रतिशत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण -जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	30.6	30.2	29.8	29.5	25.0	25.0	25.0
वास्तव में हासिल	18.4	16.6	15.1	16.1	18.2	18.2	22.1
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.5	-3.5
वास्तव में हासिल	-0.3	0.0	1.6	1.7	2.2	2.4	2.1

टिप्पणी:- (-) चिह्न अधिशेष को दर्शाता है और (+) घाटा दर्शाती है।

स्रोत:- ओडिशा सरकार

#### पतन को नेतृत्व करने संबंधी औद्योगिकीकरण

- ▲ यद्यपि ओडिशा में 480 किमी का समुद्री तट है अतः इसमें तीन पतन है-पाराद्वीप (मुख्य पतन), धमारा (छोटा) और गोपालपुर (छोटा)
- ▲ राज्य को औद्योगिकीकरण और आर्थिक वृद्धि के लिये प्रोत्साहित करने के लिए अन्य पतनों को भी जल्द से जल्द विकास करने की जरूरत है।

#### जिला खनिज प्रतिष्ठान

- ▲ केन्द्रीय खनिज मंत्रालय द्वारा सांझा किए गए डाटा के अनुसार ओडिशा सरकार को मई 2019 तक राज्य के सभी 30 जिलों में डीएमएफ (21 राज्यों में सर्वाधिक) के अंतर्गत 7, 496.72 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं।
- ▲ इन निधियों को उन निर्धारित प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग किए जाने की जरूरत है जिसके लिए यह राशि एकत्रित किया गया था।
- ▲ यदि यह राशि सावधि जमा के रूप में निरुपयोग पड़ा रहता है भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध हो तथापि राज्य के पर्याप्त राजकोषीय राशि निर्धारित सीमा तक उपयोग होने से शेष रह जाता है।
- ▲ राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के भीतर शीघ्रतापूर्वक अपने उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेंगे।

#### वन और पर्यटन

- ▲ राज्य का 33% भौगोलिक क्षेत्र वन के अंतर्गत आते हैं।
- ▲ राज्य को आर्थिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक चिंतन करने की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र से अधिक से अधिक संसाधन सृजन कर सके।
- ▲ एमएफपी की संग्रहण और बिक्री के आधार पर अनुसूचित जनजाति और वन में रहने वाले अन्य लोगों को मदद करने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा एमएफपी के लिए एक एमएसपी स्कीम शुरू कर दी गई थी। यह स्कीम अपने खराब प्रापण प्रणाली के कारण अभी भी शुरू नहीं हो पाई है।
- ▲ ओडिशा सरकार को मजबूत प्रापण प्रणाली निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग और मौजूदा कार्यक्रम जैसे ई-एनएएम का उपयोग करते हुए इस स्कीम को पुनः जीवित और क्रियान्वित करना चाहिए।

**सिंचाई**

- ▲ राज्य में राष्ट्रीय औसत (वर्ष 2017 में 1,127 मीमी) से अधिक वार्षिक बारिश (वर्ष 2017 में 1,344.5 मीमी) हुई है।<sup>1</sup>
- ▲ अतः राज्य को सिंचाई क्षेत्र सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचर्यु क्षेत्र का प्रतिशत 28.7% से बढ़ाकर वर्ष 2014-15 (अंतरिम) के न्यूनतम 48.6% तक ले जाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।<sup>2</sup>

**स्वास्थ्य**

- ▲ ओडिशा में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की बहुत अधिक कमी है :<sup>3</sup>
  - » सीएचसी में विशेषज्ञों की 1,276 रिक्तियां 83.5% कमी जहां स्वीकृत कार्यबल 1,529 है ;और पीएचसी में
  - » डाक्टरों की 409 रिक्तियां 30.8 % कमी जहां स्वीकृत कार्यबल 1,326 है।
- ▲ सतत समाधान के लिए यह राज्य पर्याप्त मात्रा में एमबीबीएस डॉक्टरों को विशेषज्ञ के रूप में जो बाद में दूरदराज और जनजातीय क्षेत्र में सेवा दे सकते हैं। रूपांतरित करने के लिए चिकित्सक और सर्जन महाविद्यालय से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा वाले महाराष्ट्र के रूपरेखा को देख सकते हैं।
- ▲ इसके अतिरिक्त इन क्षेत्र में आवश्यक अंतराल को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ राज्य को प्रमुख स्वास्थ्य सांकेतिकों को सुधार करने के लिए मजबूत पहल करना चाहिए जो राष्ट्रीय औसत से कम है जैसे कि 150 की मातृ मृत्यु दर प्रति 100,000 जीवित जन्म (2016) जो पूरे भारत में 113 के विपरीत है )( अन्य के लिए ओडिशा-2घ देखें )<sup>4</sup>

**शिक्षा**

- ▲ शैक्षिक मापदंड जैसे शिक्षण परिणाम (ग्रंड 111 में उन बच्चों का प्रतिशत जो कम से कम घटाव और ग्रेड 11 पाठ पढ़ सके है।)<sup>5</sup> विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर विद्यालय)<sup>6</sup> साक्षरता दर, इत्यादि<sup>7</sup>की दृष्टिकोण से ओडिशा का निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक है (राष्ट्रीय औसत की तुलना में)
- ▲ तथापि, ओडिशा में शिक्षा पर वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय को 2,707 रुपए (2016-17) से बढ़ाकर कम से कम 2, 876 रुपए की जीएस औसत किया जाना चाहिए।

**शहरीकरण**

- ▲ भारत के 29 राज्यों में से देश के 31.2% की राष्ट्रीय औसत के स्थान पर सबसे कम शहरीकरण दर (16.7 %) में ओडिशा का स्थान चौथा है।
- ▲ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में कोई भी ऐसी शहर नहीं है जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक हो।
- ▲ चूंकि, शहरी क्षेत्र अर्थव्यवस्था की संचालक होती है अतः राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

**नीति आयोग एसडीजी सूचक पर रैंकिंग (2019)**

- ▲ भारत के राज्यों में ओडिशा 16 वें स्थान पर है।
- ▲ राज्य को कोई गरीबी नहीं एसडीजी-1 शून्य भुखमरी एसडीजी-2 अच्छी स्वास्थ्य और सेहत एसडीजी-3, गुणवत्ता शिक्षा एसडीजी-4, स्वच्छ पानी और स्वच्छता एसडीजी-6, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा एसडीजी-7, प्रतिष्ठित कार्य और आर्थिक वृद्धि एसडीजी-8, उद्योग, नवोन्मेष और अवसंरचना एसडीजी-9 संवहनीय शहर और समुदाय एसडीजी-11 और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान एसडीजी-16 पर अपनी निष्पादन में सुधार करने की जरूरत है।

**पिछड़ापन**

- ▲ राज्य के 30 जिलों में से 10 जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में मान्यता दी गई है।
- ▲ इसके अतिरिक्त राज्य में वर्ष 2011-12 में 32.6% दरिद्रता दर थी। (तेंदुलकर पद्धति) (21.92% की राष्ट्रीय औसत की तुलना में)।

- ▲ राज्य को निम्न आय परिधि को खत्म करने और सामाजिक परिणाम में सुधार करने के लिए निर्णयात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
- ▲ इसके अतिरिक्त, राज्य नीति आयोग द्वारा देखरेख की जाने वाली महत्वाकांक्षापूर्ण जिले की तर्ज पर महत्वाकांक्षापूर्ण ब्लॉक के रूप में नीचे की 20% ब्लॉकों को विकास करने के लिए लक्ष्य बना सकता है।

#### वामपंथी उग्रवाद

- ▲ राज्य के 30 जिलों में से 15 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है।<sup>8</sup>
- ▲ इसके अतिरिक्त 10 महत्वाकांक्षात्मक जिलों में 2 जिले ऐसे हैं, जिनमें देश के 35 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लक्ष्य हैं जो उनके विकास कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न करते हैं।
- ▲ इस स्थिति को हल करने के लिए केन्द्र सरकार और पड़ोस के राज्य द्वारा किए जाने वाले सम्मिलित और समन्वयात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है।

#### पाइप के द्वारा पानी की आपूर्ति

- ▲ राज्य में 4% ग्रामीण गृहस्थी पीडब्ल्यू एस से जुड़ी हुई है, जो 18.3% की अखिल भारतीय कवरेज के एक चौथाई से भी कम है।
- ▲ राज्य को वर्षा जल संचयन और पेयजल की समाप्ति से समाप्ति मूल्य चैन प्रबंधन ऐसी किफायती और नवीन दृष्टिकोण में निवेश करने की जरूरत है।

#### विद्युत क्षेत्र

- ▲ यद्यपि यह राज्य उदय में भागीदारी लेने के लिए समक्ष नहीं है चूंकि विद्युत क्षेत्र निजीकरण कर दिया गया है अतः एटीएंड सी हानियों को 29.2% की उच्च स्तर (2018-19) से कम करने के लिए प्रभावी उपाय करना चाहिए।
- ▲ मजबूत प्रणालीगत सुधार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि बिजली की सब्सिडी बिना किसी रिसाव के दृष्टि लाभार्थियों तक पहुंचे।
- ▲ राज्य को राजकोषीय जोखिम को कम करने के लिए प्रमुख विद्युत क्षेत्र बैरोमीटर की अपनी निष्पादन में सतत रूप से सुधार करने की जरूरत है।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ संविधान के अनुसूची 280 (3) (ख)(ख) और (ग) यथा संरक्षित है भारत के वित्त आयोग एसएफसी के सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदानों की संस्तुति करते हैं। राज्य सरकार को उनके सिफारिशों के आधार पर अनिवार्य रूप से एसएफसी का गठन करना चाहिए और मार्च 2024 को या उससे पहले की गई कार्यवाई से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम<sup>9</sup>

- ▲ वर्ष 2012-13 में बकाया खातों की संख्या 47 से बढ़कर वर्ष 2016-17 64 हो चुकी थी। इससे यह पता चलता है कि बकाया खातों की समाशोधन में कुछ हद तक सुचारू हुई थी। सितम्बर, 2017 तक 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 53 खातों को अंतिम रूप दिया गया था। इनमें से 39 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बकाया 1 वर्ष के 8 वर्ष तक का था।
- ▲ यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इकटि, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के लिए राज्य के वर्ष कर बजटीय परिव्यय में बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2015-16 के दौरान यह 2, 369.06 करोड़ रु. की सर्वाधिक ऊंचाई को छुआ था जो वर्ष 2016-17 में घटकर 1, 601.17 करोड़ रु. हो गया था।

#### आवर्तक चक्रवात

- ▲ राज्य को आवर्तक चक्रवात से काफी नुकसान हुआ है वर्ष 2013 में चक्रवात तितली और वर्ष 2019 में चक्रवात फोनी के कारण भयानक हुआ था।

- ▲ राज्य को आपदा तत्परता और रोकथाम उपायों में अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए।
- ▲ शमन उपाय और निर्धारित संसाधनों पर 15वीं वित्त आयोग की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा लाभप्रद रूप से विकास करना चाहिए।

### राज्य का सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के प्रयोजन के लिए राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूह में बाटा गया है, ओडिशा ऐसे समूह का हिस्सा है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्यप्रदेश शामिल है।

### दिशा-निर्देश संबंधी सुधार

- ▲ कम वजन बच्चों में बौनापन, रक्ताल्पता, महिला जिनकी बीएमआई सामान्य से कम है और पेजयल और प्रसाधन सुविधा रहित गृहस्थ से संबंधित सामाजिक, आर्थिक सांख्यिकी पर यह अच्छा कार्य कर रहा है।
- ▲ प्रस्तुत है कि ओडिशा एक अधिशेष राज्य है दूसरे राज्य के सांख्यिकी स्तर के समान अपने राज्य को बनाना सुनिश्चित करने के लिए यह सामाजिक क्षेत्र के व्यय को बढ़ा सकता है।
- ▲ कुछ राजकोषीय कमी अभी भी बरकरार है जिसके परिणाम स्वरूप ओटीआर और ओआरआर की तुलना में टीआरई में टीजीआर अधिक हो गई है। यह राजकोषीय अस्थिरता के कारण हो सकता है। अतः राज्य के लिए ओटीआर और ओआरआर की सुदृढकरण और प्रक्रिया को मुख्यधारा में लाना महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओडिशा की ओआरआर की प्रतिशत के रूप में ओटीआर 68 प्रतिशत है। अपने स्तर पर राज्य के लिए 77.8% की औसत की तुलना में।
- ▲ यदि उपयुक्त पूंजी व्यय के माध्यम से ओडिशा के जीएसडीपी संमिश्रण को अंततः तृतीय क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में रूपांतरित किया जाए तो यह आदर्श स्वरूप होगा।
- ▲ वाणिज्यक नीतिगत सिफारिशों के लिए गैर-राजकोषीय उपायों के अंतर्गत इसमें प्रशासनात्मक पद्धति और प्रभावी सेवा वितरण को सुदृढकरण करने की जरूरत है।
- ▲ नीति आयोग द्वारा देखरेख की जाने वाली महत्वाकांक्षी जिलों के तर्ज पर महत्वाकांक्षी ब्लॉक के रूप में ओडिशा के नीचे के 20% ब्लॉक के विकास के लिए व्यय की व्यापक पुनः प्राथमिकता और अधिक दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है।


### टिप्पणी:-

- 1 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग।
- 2 भारत सरकार (2018) कृषि सांख्यिकी 2018, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
- 3 भारत सरकार, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 4 भारत सरकार (2016, 2017 और 2018), नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2016-2018, महापंजीयक और भारतीय जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- 5 एएसईआर 2018, शिक्षा वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2018 एएसईआर केन्द्र।
- 6 एनयूईपीए 2016 भारत में स्कूली शिक्षा, यू-डीआईएसई, 2015-16, राष्ट्रीय शैक्षिक और प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार।
- 7 भारत सरकार 2011, भारत की जनगणना 2011, महापंजीयक और भारतीय जनगणना का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- 8 फरवरी, 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा सांझा किया जाने के रूप में।
- 9 सीएजी 2018, 31 मार्च, 2017 की समाप्ति के मिला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा परीक्षक की रिपोर्ट, ओडिशा सरकार।





## पीबी-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
27.7 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.3%



**क्षेत्रफल**  
50,362 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
1.5%



**वन आच्छादन**  
1,849 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
3.7%  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
0.3%  
2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.7% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,71,907  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
6.0%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**प्रति महिला बच्चे**  
1.6  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
37.5%  
अखिल भारत औसत  
31.1%

## पीबी-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## पीबी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## पीबी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)


विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	2,66,628	77,44,945	3.4
2012-13	2,97,734	88,27,195	3.4
2013-14	3,32,147	1,00,07,392	3.3
2014-15	3,55,102	1,09,93,257	3.2
2015-16	3,90,087	1,21,91,256	3.2
2016-17	4,26,988	1,37,80,737	3.1
2017-18	4,70,834	1,54,20,126	3.1
2018-19	5,26,376	1,72,83,813	3.0

## पीबी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




## पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


पीबी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



पीबी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



पीबी - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




पीबी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

पीबी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

पीबी - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

पीबी -3. बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

पीबी- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स/फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

पीबी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


पीबी- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




पीबी- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



पीबी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




पीबी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


पीबी-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



पीबी - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



पीबी-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




पीबी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	1,71,907	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	11.8	13.4
ओटीआर	6.0	6.4
एनटीआर	1.4	1.1
टीई	15.0	16.1
ईएस	3.4	3.1
एसएस	3.5	5.4
जीएस	6.9	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	8.9	5.8
पूँजी व्यय	0.7	2.5
एफडी	3.1	2.5
आरडी	2.5	0.2
ओडी	40.3	25.0

## पीबी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
पंजाब	11.3	12.1	8.5
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## पीबी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान के ग्यारहवीं अनुसूची में आरएलबी को यथा परिकल्पित 29 में से पंजाब को 9 हस्तांतरित किया गया है और संविधान के बारहवीं अनुसूची में आरएलबी को परिकल्पित सभी 18 कार्य इस राज्य को हस्तांतरित किए गए हैं।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय पंजाब ने यह सूचना दी है कि स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा 2017-18 तक की गई है।

## सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य ने 13वीं वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार वर्ष 2013 में पीटीबी की स्थापना की है, तथापि यह अब तक कार्यशील नहीं है।

## सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक

कार्यों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
15	15	16	18

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## पांचवीं एसएफसी (2016-17 से 2020-21)

राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान के राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट की विहंगावलोकन के अनुसार पंजाब ने अपनी छठी एसएफसी (2021-22 से 2025-26) का गठन पहले ही कर लिया है और वर्तमान में वहां पांचवीं एसएफसी की संस्तुतियां क्रियान्वयन अधीन है, इसकी प्रमुख संस्तुतियां निम्नानुसार हैं।

- ▲ निवल कुल कर राजस्व (संग्रह की कम लागत) में से स्थानीय निकायों को 4% हस्तांतरित किया जा सकते हैं।
- ▲ 16वीं वित्त आयोग द्वारा की गई ग्राम पंचायत अनुदान के अलावा, पंचायत समिति और जिला परिषदों को सलाना 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा सकता है।
- ▲ पीआरआई 14वीं वित्तीय आयोग द्वारा अनुसंसित निष्पादन अनुदानों का दावा नहीं कर सके (जैसाकि पांचवें एसएफसी द्वारा किया गया था) चूंकि वे अच्छी गुणवत्तपरक डाटा कर एकत्र को रखरखाव नहीं कर सकते थे।

**ऋण एवं हानियां**


- ▲ यद्यपि पंजाब ने एटी और सी हानियों के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है फिर भी वर्ष 2018-19 में एसीएस ए आर आर अंतराल लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए।
- ▲ यह राज्य वर्ष 2015-16 और 2016-2017 के दौरान उदय के अंतर्गत 15,628 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ▲ दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम (राज्य सरकार से लिए गए आधार सहित) द्वारा लिए गए कुल ऋण 30,473 करोड़ रु. है जो सभी राज्यों की कुल डी डिस्कॉम उधारों का 6.4% है।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	11.28	14
एसीएस-एआरआर अंतर (रु. प्रति इकाई)	-0.05	-0.09

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**पीबी - 5. ए: एटी एवं सी हानिया (%), वित्त वर्ष 2018**



स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार



**उध्वाधर हस्तांतरण**

▲ पंजाब ने यह संस्तुति की है कि कर की कुल विभाज्य पूल में राज्य के शेयर को 50(%) तक बढ़ाई जाए।

**क्षेत्रीय हस्तांतरण के लिए सूत्र**

क्रम सं.	मापदंड	सुझाव की गई भार (%)
i)	जनसंख्या (2011) • जनसंख्या 2011 के लिए 20% • अजा/अजजा जनसंख्या को 5%	25
ii)	क्षेत्रफल • कुल क्षेत्रफल को 12.5% • भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पंजाब सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के हिस्से का 2.5(%)	15
iii)	आय अंतर	45
iv)	कुल जीडीपी में जीएसडीपी का शेयर	10
v)	संवहनीय सूचक • वन अच्छादन के 4.1% • कुल आरईएस विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली पंजाब के माध्यम से विद्युत उत्पादन के शेयर का 1 %	5

**गरीबी में कटौती**

- ▲ गरीबी में कमी में पंजाब ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और इसके तहत एसडीजी-1 के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है।
- ▲ इसकी गरीबी दर वर्ष 2004-05 (तेदुलकर पद्धति) में 20.9% से घटकर वर्ष 2011-12 में 8.3 हो गया है।

**नीति आयोग (2019) की एसडीजी सूचक पर रैंकिंग**

- ▲ राज्य का एसडीजी सूचक मूल्य 62 है (राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में)
- ▲ यह राज्य एसडीजी 3 अच्छा स्वास्थ्य और सेहत, एसडीजी 4 गुणवत्ता शिक्षण, एसडीजी-6 स्वच्छ पानी और स्वच्छता एसडीजी-7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-8 उचित कार्य और आर्थिक विकास, एसडीजी-9 उद्योग, नवाचार और अवसररचना और एसडीजी-16 शांति न्याय और मजबूत संस्थान के मामले में अग्रणी है।
- ▲ तथापि राज्य को एसडीजी-5 लिंग समरूपता और एसडीजी-12 संवहनीय खपत और उत्पादन में सुधार करने की आवश्यकता है।

**भौतिक अवसररचना**

- ▲ राज्य सरकार को ज्ञापन के अनुसार पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले गांव में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, सर्वत्रयत्विक सड़कों के माध्यम से गांवों को 100 % जुड़ने, ग्रामीण क्षेत्रों को मंडियों से जुड़ने और गांव में प्रतिदिन प्रति घंटा के अनुसार पानी की आपूर्ति की स्थिति प्राप्त की है।
- ▲ राज्य में 133 प्रति वर्ग किमी के सड़क धनत्व के साथ शत-प्रतिशत सड़के प्रमुख मार्गों से जुड़ी हुई है।
- ▲ राज्य प्रकोष्ठ, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2018 में विभिन्न राज्यों में से साज्येसामान सुगमता पर भारत में पंजाब द्वितीय स्थान पर था।
- ▲ पंजाब में हस्तांतरण और विवरण (टीएंडडी) हानियां वर्ष 2013-14 में 16.95% से घटकर वर्ष 2017-18 में 13.6% हुआ था।

### सीमा क्षेत्र में पशुधन किसानों का कौशल विकास

- ▲ राज्य सरकार की ज्ञापन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ने वाली पंजाब की 553 किमी उच्च दुधारू पशु उपज मिलद रवि भैंस और साहिवाल गाय के लिए विख्यात है
- ▲ अतः पशुधन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सीमा क्षेत्र को सामयिक रूप से विकास करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य इन क्षेत्र में पशुपालन, पोषण, स्वास्थ्य और आश्रय प्रबंधन में निवेश कर सकता है।

### राजकोषीय संसूचक

- ▲ यह ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2012-13 में 31% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 40.2 % हो गया था कारण निम्नानुसार है।
  - » केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के लिए दीर्घावधिक अवधि के लिए, खाद्य ऋण पर नकद ऋण सीमा ( सीसीएल ) अंतराल के परिवर्तन के कारण संचयी ऋण की उत्तरदाव 31,000 करोड़ रुपए है।
  - » विद्युत क्षेत्र के हानियों के कारण अतिरिक्त ऋण का बोझ जो उदय ( 15,628 करोड़ रुपए ) के अंतर्गत लिया गया था।
- ▲ प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है जो वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का 75% है।
- ▲ पंजाब का ब्याज भुगतान 26.2% पर 2018-19 में टीआरआर अनुपात सभी राज्यों में उच्च है।
- ▲ राज्य के लिए विकासात्मक कार्य के कुछ कार्यक्षेत्र को छोड़कर पंजाब का सकल धरा उधार मूल और ब्याज भुगतान की अदायगी पर इसके व्यय को पूरा करने में अपर्याप्त है।

### एफआरबीएम का अनुपालन

- ▲ पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को वर्ष 2003 में क्रियान्वित किया गया था और इसको वर्ष 2005, 2007, 2011 और 2018 में संशोधित किया गया था।
- ▲ हाल के वर्षों में यह राज्य अपने एफआरबीएम सीमा का पालन नहीं कर रहा है।
- ▲ राज्य को भावी राजस्व शाखाओं के सृजन के लिए पर्याप्त संसाधन सहित विश्वसनीय ऋण मार्ग और सावधानीपूर्वक अंशांकन करने की जरूरत है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	41.8	41.0	39.8	38.7	32.1	31.5	30.9
वास्तविक रूप में प्राप्त	31.2	31.0	30.8	31.6	33.0	42.7	41.4
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	3.2	3.1	2.6	3.1	4.5	12.4	2.7

स्रोत:- पंजाब सरकार

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ पंजाब में 33 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ( 29 कम्पनी और चार संवैधानिक कॉरपोरेशन ) और 20 निष्क्रिय कम्पनी है।
- ▲ कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 27 पीएसयू ने सितम्बर 2018 तक 37 लेख प्रस्तुत की है। इनमें से 13 खातों में 115.6 करोड़ रु. का फायदा हुआ है और 16 खातों में 5,081.5 करोड़ रु. का नुकसान देखा गया है।

- ▲ पंजाब में कार्यरत 33 पीएसयू में से 24 पीएसयू का बकाया (30 सितम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार) है जिनका बकाया 1-4 वर्ष का है।
- ▲ वृहत बजटीय सहायता देकर राज्य की पहले की अनिश्चयता राजकोषीय वाले जोखिम को कम करने के लिए एसपीएसयू खातों का समय पर लेखा परीक्षा करना कठिन है।

### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य को 3 एफ-वित्त, कार्य और अधिकारियों को तीसरे नियम में प्रभावी रूप से हस्तांतरित करने की जरूरत है।
- ▲ परीक्षक, स्थानीय निधि और खाता (ईएलएफए को) पंजाब में आरएलबी और यूएलबी खातों का संवैधानिक लेखापरिक्षक के रूप में अभी भी स्थापित किया जाना है।
- ▲ वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक से आरएलबी और यूएलबी के खातों का बकाया है।
- ▲ पीआरआई खातों को गांव खाते से ब्लॉक और उससे जिला और अंततः राज्य स्तर तक संकलित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है।
- ▲ पीआरआई में मिला आदर्श लेखांकन प्रणाली (एमएस) का अभी भी अनुपालन किया जाना है।
- ▲ 167 यूएलबी में से केवल 17 यूएलबी वर्ष 2017-18 में निष्पादन अनुदान के लिया पात्र थे।
- ▲ संविधान की अनुसूची 280 (3) (ख ख) और (ग) में जैसे कि संरक्षित है कि भारत का वित्त आयोग एसएफसी के सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदानों की संस्तुति करते हैं। राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी अनुशंसाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए और मार्च 2024 को या उससे पहले की गई कार्रवाई से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन राज्य विधामंडल के समक्ष मार्च 2024 को या उससे पहले प्रस्तुत करना चाहिए।

### कृषि संकट और भू-जल कमी

- ▲ राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार सिंचाई (71% भूमिजल और 28% सतही जल) के अंतर्गत 99% की अपनी कृषि भूमि क्षेत्र में पंजाब, भारत के सबसे अधिक सिंचाई करने वाला (204%) राज्य है।
- ▲ भारत के 1.5% भौगोलिक क्षेत्र सहित इस राज्य 2015-16 में देश के कुल गेहूँ की 17.4% और चावल का 11.3% उत्पादन किया है और 2016-17 में केन्द्रीय पुल में 29% चावल, 46.4% गेहूँ का अंशदान किया था।
- ▲ राज्य ने 1994-95 में 0.71 से 2005-06 में 0.68 और आगे 2014-15 में 0.66 तक घटते हुए फसल बहुरूपता सूचकांक में घटता रुझान दर्शाया है।
- ▲ पंजाब (जहां किसानों को मुफ्त में बिजली दिया जाता है) वर्ष 2017 में सिंचाई (34.1 बिलियन घन मीटर) के माध्यम से सर्वाधिक भूजल निर्वहन करने वाला द्वितीय राज्य है और भावी सिंचाई हेतु अनुमानित भू-जल की उपलब्धता नकारात्मक है।
- ▲ राज्य को धान और गेहूँ से हटकर बागवानी फसल सहित कम पानी लेने वाले और उच्च मूल्य वाले फसल की और जाने की जरूरत है।

### विद्युत सब्सिडी द्वारा प्रतिशत सिंचाई मोड

### पंजाब में भूजल ब्लॉकों की संख्या (2017)

वर्ष	नहर	टयूवेल	टयूवेल की संख्या (लाख)	सुरक्षित	अर्ध महत्वपूर्ण	महत्वपूर्ण	अति दोहित	खाद्य	
1996-97	43	57	7.50	पंजाब	19	2	3	76	0
2017-18	29	71	13.66	भारत	69	10	4	16	1
प्रतिशत बिन्दु में परिवर्तन (1996-2018)	-14	+14		स्रोत: ए जी पंजाब					

स्रोत: ए जी पंजाब

### लिंग असमानता

- ▲ पंजाब में उच्च आर्थिक विकास के बावजूद महिलाओं के लिए कम सामाजिक संकेतक है जो जनगणना 2011 के अनुसार 943 की अखिल भारतीय औसत की तुलना में प्रति 1000 पुरुष के अनुपात में 895 महिला लिंग अनुपात है।

### अधिक प्रदूषण (पीएम 10) जैसा कि एनएएमपी के अंतर्गत देखा गया है: पराली जलाना

- ▲ जब से संयुक्त फसल कटने की मशीन का उपयोग करते हुए यंत्रिकृत कटाई का आगमन हुआ है तब से धान/ गेहूं भूसा प्रबंधन एक चुनौती के रूप में उभर कर आई है।
- ▲ खरीफ फसल की कटाई के पश्चात भूसा जलाने के कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है।
- ▲ यह एनएमपी (90 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम पीएम 10) के बावजूद पंजाब के मिलियन आवादी वाले शहरों में यह न केवल पीएम 10 निलम्बन को बढ़ाता है बल्कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के वायु गुणवत्ता को भी बिगाड़ देता है।
- ▲ यद्यपि राज्य ने कुछ प्रभावी उपायों जैसे कि सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) जैसे कुछ प्रभावी उपाय किए हैं, वायु गुणवत्ता के प्रभावी प्रबंधन हेतु और प्रभावी और सतत प्रयासों की जरूरत है।

#### पीएम 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर

शहर	2016	2017	2018	औसत
अमृतसर	194	168	177	179.7
लुधियाना	139	162	162	154.3

स्रोत :- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

### अर्थोपाय अग्रिम

- ▲ वित्त लेखा डाटा के अनुसार पंजाब सरकार ने वर्ष 2018-19 में 170 दिनों पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेते हुए न्यूनतम संतुलन को बनाए रखा है।
- ▲ अर्थोपाय अग्रिम पर निर्भरता को बढ़ाया गया है।

### राज्य का सुधार संबंधी समूह

- ▲ विश्लेषण के प्रयोजन के लिए राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभाजित किया गया है। पंजाब एक ऐसी समूह का हिस्सा है जिसमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल है।

### दिशा-निर्देश संबंधी सुधार

- ▲ यह राज्य हाल ही के वर्षों में अरक्षणीय ऋण पैटर्न को प्रदर्शित कर रहा है।
- ▲ राज्य द्वारा सृजन किया जाने वाले राजकोषीय रक्षणीय चुनौतियों में प्राप्तियों से व्यय अधिक हो रहे हैं। पंजाब का 8.5% (2011-2019) की ओआरआर की टीजीआर की तुलना में टीआरई की टीजीआर 11.3% थी।
- ▲ वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार की (वेतन, पेंशन और ब्याज के लिए) प्रतिबद्ध व्यय सिर्फ 62% था जो राज्य की अपनी स्तर में सर्वाधिक था।
- ▲ वर्तमान संसाधन आधार पर पंजाब को या तो 15 वित्त आयोग की पंजाब अवधि के दौरान ओआरआर वृद्धि दर को 12% तक बढ़ाया अथवा टीआरई टीजीआर को 8.1% तक घटाए।
- ▲ पंजाब में अपने स्तर के राज्यों में से इससे कम कर उछाल (2011 और 2019 के बीच 0.7) है इससे राजकोषीय संकुचन होता है।
- ▲ उतपादक शुल्क प्रक्रिया और विनियामक प्रणाली को और अधिक तटस्थ पारदर्शी और दक्ष्य बनाने की जरूरत है (पश्चिम बंगाल के तर्ज पर)

- » असंतुष्ट अनाज प्रापण के लिए कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम
- » किसानों को मुफ्त बिजली की युक्तिकरण और
- » उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रहण को मुख्य धारा में लाय
- ▲ पंजाब को स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और विद्युत शुल्क में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। अच्छे राजस्व प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल द्वारा लिए गए कदमों को अनुकरण कर सकते है।
- ▲ अपने स्तरों के राज्य में से पंजाब का टीआरई के प्रतिशत के रूप में अधिकतम सब्सिडी व्यय है।

#### टीआरई की प्रतिशत के रूप में सब्सिडी

राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
छत्तीसगढ़	8	7	10	9	17	9	9	13
पंजाब	10	13	12	10	10	11	11	18
राजस्थान	6	9	9	9	10	14	16	13
पश्चिम बंगाल	3	5	4	2	4	7	8	9

टिप्पणी:- आंध्र प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि पूर्व में आंध्र प्रदेश को वर्ष 2015 में आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया था और सभी वर्षों के लिए अलग-अलग डाटा उपलब्ध नहीं है।


- ▲ इतनी बड़ी सब्सिडी बोझ सहित पंजाब का पूंजी व्यय बहुत कम है जो राज्य को आय की नई स्रोत सृजन मार्ग को रोक रहे है।
- ▲ इस तथ्य के बावजूद पंजाब ने अब तक नवीनतम वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है। इसका राजकोषीय स्थिति बहुत ही अनिश्चित है।
- ▲ यद्यपि पंजाब का प्रति व्यक्ति आय अपने स्तर के राज्यों में से सर्वाधिक है, इसका प्रमुख सामाजिक और राजकोषीय मापदंड लगातार बिगड़ रहा है।
- ▲ यद्यपि पिछले दो दशकों में लगभग सभी वित्त आयोग ने पंजाब और कुछ अन्य राज्यों के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपायों की संस्तुति की है, पंजाब अपनी राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सफल नहीं हुआ है।
- ▲ 15वाँ वित्त आयोग यह संस्तुति करती है कि राज्य सरकार इन मुद्दों को व्यापक रूप से निम्नलिखित रूपव से संबोधित करें।
  - » राजकोषीय सुधार बंधित राजस्व की सतत धारा को नेतृत्व करती है।
  - » मजबूत पूंजी अवसंरचना में निवेश किया जाए।
  - » जल सारणी और भूमि प्रजनन को सुधार करने के लिए बिजली सब्सिडी मुक्तियुक्त है।
  - » इसके अतिरिक्त, इससे यह प्रतीत होता है कि ऐसा तीन क्षेत्र है जिनका पंजाब दीर्घावधिक वित्त पर गहरा प्रभाव है, वे है (क) एपीएमसी अधिनियम सुधार जो अनाज प्रापण में एजेंटों को और अन्य अवरोध को समाप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा। (ख) कृषि के लिए मुफ्त बिजली को युक्तिमुक्त करना और (ग) उत्पादन शुल्क राजस्व संग्रहण को मुख्य धारा में लाना यदि राज्य इन मुद्दों को शुरू कर सकता है तो यह आगे की राजकोषीय फिसलन से रोकने के लिए अपने आप को मदद कर सकेगा।
  - » सामाजिक क्षेत्र में निवेश, प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार के लिए नेतृत्व करता है।
- ▲ ये कदम पंजाब के राजकोषीय स्थिति को अगले पांच वर्षों के लिए सुधार देगा और तब पंजाब को भारत के उच्च आय वाले राज्यों में गिना जाएगा।

**टिप्पणी**

1. भारत सरकार (2018), विभिन्न राज्यों के बीच साजोसामान सुगमता, राज्य प्रकोष्ठ के आज्ञा से डीमोईटी द्वारा एक अध्ययन आयोजित की गई, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
2. सीएजी (2019), 2019 की रिपोर्ट संख्या 2-31 मार्च, 2018 को समाप्त पीएसयू ( सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र ) पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।
3. भारत सरकार (2018), आर्थिक समीक्षा 2017-18 भाग-2 कृषि और खाद्य प्रबंधन, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।



## आरजे-1. ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
68.6 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
5.8%



**क्षेत्रफल**  
3,42,239 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
10.5%



**वन आच्छादन**  
16,630 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
4.9%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.3% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,23,343  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
6.1%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
प्रति महिला बच्चे  
2.4  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
24.9%  
अखिल भारत औसत  
31.1%

## आरजे-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## आरजे-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## आरजे-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)


विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	4,34,837	77,44,945	5.6
2012-13	4,93,551	88,27,195	5.6
2013-14	5,51,031	1,00,07,392	5.5
2014-15	6,15,642	1,09,93,257	5.6
2015-16	6,81,482	1,21,91,256	5.6
2016-17	7,60,750	1,37,80,737	5.5
2017-18	8,35,170	1,54,20,126	5.4
2018-19	9,42,586	1,72,83,813	5.5

## आरजे-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)







आरजे-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




आरजे-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



आरजे-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




आरजे-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

आरजे-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)




टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

आरजे-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

आरजे-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

आरजे-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/फार्मासिस्ट




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

आरजे-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


आरजे-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




आरजे-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



आरजे-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया देनदारी



आरजे-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पणी : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज, भुगतान, और पेंशन


आरजे-4. ई: जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



आरजे-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



आरजे- 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




आरजे-4. एच : प्रमुख राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम सकल राज्य

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	1,23,343	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	14.6	13.4
ओटीआर	6.1	6.4
एनटीआर	2.0	1.1
टीई	19.9	16.1
ईएस	5.0	3.1
एसएस	7.0	5.4
जीएस	5.8	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	9.7	5.8
पूंजी व्यय	2.2	2.5
एफडी	3.7	2.5
आरडी	3.1	0.2
ओडी	33.0	25.0

आरजे-4. आई : टीआरई तथा ओआरआर अंतराल

टीजीआर %, 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
राजस्थान	17.8	13.5	10.4
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

आरजे-4. जे: टीआरआर के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय स्थानांतरण {कर हस्तांतरण तथा अनुदान मांग (एफसी तथा गैर-एफसी)}



सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 कार्य में से 25 आरएलबीएस/पीआरआईएस को सौंपे गए हैं।
- ▲ निधियां तथा पदाधिकारी इन 23 कार्यों में से 15 को सौंपे गए हैं।
- ▲ संविधान की 12वीं अनुसूची के 18 कार्यों में से 16 यूएलबीएस को सौंपे गए हैं।
- ▲ जल आपूर्ति कार्य आंशिक रूप से सौंपा गया है तथा शहरी योजना अभी यूएलबीएस को सौंपी जानी है।

लेखापरीक्षा स्थिति<sup>1</sup>

- ▲ स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग (डीएलएफएडी) का महानिदेशालय को राजस्थान के आरएलबीएस तथा यूएलबीएस वैधानिक लेखापरीक्षा के साथ सौंपा गया है।
- ▲ राज्य में पीआरआईएस के जबाबदेही यांत्रिकी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग कमजोर बनी हुई है कमजोर लेखा रख-रखाव, पात्र सत्यापन की कमी, निवेश तथा बैंक खातों में वृद्धि आरएलबीएस, पारदर्शिता रखने तथा जबाबदेही के चिंता के मुख्य विषय हैं।
- ▲ राजस्थान में 10,219 आरएलबी खातों में से मात्र 6,802 (66.5%) 2017-18 में डीएफएलईडी द्वारा सत्यापित किए गए थे।
- ▲ 2017-18 में पीआरआईएस के मात्र 20% ने प्रियासॉफ्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए अपनी ईयरबुक्स बंद कर दी हैं।
- ▲ मार्च, 2018 तथा जिला पंचायत निधियों में 1,872 करोड़ रुपए तथा पंचायत समिति निधियों में 1450 करोड़ रुपए अप्रयुक्त क्लोजिंग शेष रहा।
- ▲ 2017-18 में यूएलबी खातों का 68% प्रतिशत सत्यापित किया गया।

संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ एफसी- XIII की सिफारिश के अनुसार राजस्थान सरकार ने पीटीबी स्थापित किया।

समस्त राज्यों की हस्तांतरण सूची रैंक

कार्य रैंक	पदाधिकारी रैंक	वित्त रैंक	नीति रैंक में कुल हस्तांतरण
3	16	16	11

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूची रिपोर्ट 2015-16 पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार।

**पांचवां एफएफसी (2015-16 से 2019-20)**

- ▲ राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट के अवलोकन के अनुसार, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए दो अंतरिक रिपोर्टें, की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के साथ सभा में प्रस्तुत की गई थी।
- ▲ पांचवें एफएफसी ने नवम्बर, 018 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- ▲ राज्य में कार्यान्वयन के तहत मौजूदा पांचवें एफएफसी सिफारिशों के अनुसार; राज्यों के 7.2% निवल ओटीआर स्थानीय निकायों को सौंपे जाने हैं।
- ▲ आरएलबीएस/पीआरआईएस तथा यूएलबीएस के मध्य निधियों का वितरण सेंसस 2011 के अनुसार जनसंख्या पर आधारित 75:25 के अनुपात में किया जाना है।


**ऋण तथा हानियां**

- ▲ 2018-19 में न तो एसीएस-एआरआर अंतराल लक्ष्य और न ही एटी एंड सी हानि लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- ▲ यूडीएवाई के अंतर्गत 2015-16 तथा 2016-17 की अवधि के दौरान राज्य 62,422 रूपए की राशि वाले डीआईएससीओएम ऋण पर हावी रहा।
- ▲ 31 मार्च, 2019 तक डीआईएससीओएमएस द्वारा कुल उधारियां (राज्य सरकार द्वारा 16037 करोड़ रूपए की उधारियां सहित) 54,538 करोड़ रूपए रहीं
- ▲ राज्यों को यूडीएवाई बैरोमीटर पर अपना प्रदर्शन सुधारने की आवश्यकता है। अन्यथा, निकट भविष्य में विद्युत राजकोषीय जोखिम को सामना कर सकती है।

मुख्य यूडीएवाई बैरोमीटर (2018-19)	उपलब्धियां	लक्ष्य
एटी तथा सी हानियां (%)	28.26	15.0
एसीएस-एआरआर अंतराल (रू. प्रति ईकाई)	1.5	-0.12

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतराल इशारा करता है कि सम्पादित प्रति ईकाई औसत राजस्व, आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

**आरजे-5. ए - एटी तथा सी हानियाँ (%), वित्त वर्ष 2018**

स्रोत : भारत सरकार, यूडीएवाई के सूचना पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

**उध्वाधर अन्तरण**

- ▲ राजस्थान ने सिफारिश की कि करों के सम्पूर्ण विभाज्य पूल में राज्य का हिस्सा 50% तक बढ़ाया जाये।

**क्षैतिज अन्तरण के लिए सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाव गए भार (%)
i)	जनसंख्या	15.0
ii)	क्षेत्र	20.0
iii)	वन तथा परिस्थितिकी	5.0
iv)	आय का अन्तर	45.0
v)	जनसांख्यिकी प्रदर्शन	12.5
vi)	कर प्रयास	2.5

**राजकोषीय संकेतक**

- ▲ राजस्थान में 2012-1 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 23.9% से 33.0% तक बढ़ गया था, जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक है।

**एफआरबीएम अनुकूलता**

- ▲ राज्य ने 2005 में अपना एफआरबीएम अधिनियम कार्यान्वित किया जिसमें 2007, 2009, 2011, 2014 तथा 2016 में संशोधन किया गया था।
- ▲ हालांकि, हाल के वर्षों में राजस्थान अपनी ऋण सीमा के मुताबिक रहा है, इसने अपने एफडी लक्ष्य संगृहीत नहीं किए हैं।
- ▲ इस प्रकार, राज्य को भविष्य में आय बढ़ाने के लिए विश्वसनीय ऋण कार्य प्रणाली तथा व्यय के अंशशोधन की आवश्यकता है।

% में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएस द्वारा निर्धारित	39.3	38.3	37.3	36.5	36.5	36.5	35.5
वास्तविक उपलब्धि	24.5	23.9	23.6	24.0	30.7	33.5	33.7
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएस द्वारा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक उपलब्धि	0.8	1.7	2.8	3.1	9.3	6.1	3.0

स्रोत : राजस्थान सरकार

**राजस्व जुटाने के लिए उठाए गए कदम**

- ▲ 2011-2019 के दौरान राज्य ने 1.0 का ओटीआर उछाल दर्शाया है।
- ▲ 2011-12 से इसने ओटीआर में दो-अकों की वृद्धि भी दर्ज की है (2016-17 को छोड़कर, स्टाम्प तथा वैद्युत शुल्क में इसकी नकारात्मक वृद्धि है)।
- ▲ राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पाद-शुल्क स्टाम्प शुल्क तथा खनन शुल्कों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

- ▲ स्टाम्प शुल्क दर बिक्री के लिए करार तथा अचल सम्पत्ति की बिक्री से सम्बन्धित अटार्नी अधिकार पर कम कर दी गई ताकि इन दस्तावेजों के पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके।
- ▲ स्टाम्प शुल्क की पुरानी देयताओं की बहाली के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान सर्वक्षमा योजनाओं के माध्यम से ब्याज में छूट तथा शास्ति दी गई है।
- ▲ 'डीलर सर्च' भुगतान, पैन, प्रारूप तथा प्रमाण-पत्र और आवेदनों के सभी प्रकारों की स्थिति के बारे में सूचना कहीं भी तथा किसी भी समय डीलरों के पास उपलब्ध है।
- ▲ डीलरों को आगे बढ़ाने के लिए वैट/वैद्युत शुल्क/विलासिता कर अधिनियमों/नियमों में किए गए संशोधनों, अधिसूचित वैट, प्रवेश कर (सामग्री) तथा प्रवेश कर (मोटर वाहन) के लिए सर्वक्षमा योजनाओं ने दीर्घकालिक कर बहाली में सहायता की है।
- ▲ मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए, वाहन नामक ऑनलाइन पंजीकरण की संगठित प्रणाली रखी गई है। वाहन, परिवहन विभाग की, विश्लेषण तथा वाहन पंजीकरण संकेत पूर्वानुमान में सहायता करता है तथा इस प्रकार कर संग्रहण का अनुमान लगाता है।
- ▲ ठेके पर दिए गए खनन से खनिजों का प्रेषण मात्र ई-रावनास के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार, स्टॉक/डीलर साइट से निश्चित खनिजों का प्रेषण भी मात्र ई-ट्रांजिट पास के माध्यम से आवश्यक किया गया है।
- ▲ उत्पाद-शुल्क नीति के तहत विभाग ने देसी शराब तथा भारत द्वारा निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) तथा बीयर की दुकानों के लाइसेंस शुल्क में अन्य विशेषाधिकार राशि में बढ़ोतरी की है।
- ▲ देसी शराब की उत्पाद-शुल्क तथा आईएमएफएल की शराब-भट्टी की कीमत, अनुमति शुल्क, बोतल शुल्क, शराब भट्टी के विभिन्न लाइसेंस पर ब्राण्ड तथा लेबल अनुमोदन शुल्क और बोतल बनाने वाले संयंत्रों के साथ-साथ होटल, बार तथा रेस्त्रां के लाइसेंस शुल्क को भी बढ़ा दिया गया है।

#### गरीबी उपशमन

- ▲ राज्य ने 2004-05 से 2011-12 तक गरीबी (एसडीजी-1) में 19.7% की कटौती दर्शाई है।

#### नवीकरणीय ऊर्जा

- ▲ राज्य सरकार ज्ञापन के अनुसार, राजस्थान की 3,072.43 एमडब्ल्यू की तीसरी उच्च और क्षमता (राज्यों में) है (मार्च 2019 तक)।
- ▲ वर्तमान में, 3,000 एमडब्ल्यू क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।
- ▲ राज्य सरकार सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से सौर पार्कों के विकास को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए विभिन्न समझौता ज्ञापन तथा उद्यम करार पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
- ▲ इन समझौता ज्ञापन से भूमि पार्कों में बदलती है, इससे राज्य सरकार को अत्यावश्यक राजकोषीय स्थान मिलता है।

#### पर्यटन

- ▲ राजस्थान के पास विशाल तथा अनन्वेषित पर्यटन सामर्थ्य है - राज्य में सफारी तथा कई किलों तथा स्मारकों का भ्रमण कराने वाला मरूस्थल पर्यटन तथा सांस्कृतिक पर्यटन।
- ▲ टूरिज़्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स 2020 के अनुसार, राजस्थान भारत में विदेशी पर्यटकों द्वारा किए जाने वाले भ्रमण का 5.1% होने के साथ-साथ छठा सबसे लोकप्रिय स्थान (राज्यों में) है।
- ▲ इसी प्रकार, 2019 में सभी घरेलू पर्यटकों के 2.2% के साथ उन्हें आकर्षित करने में यह 10वें स्थान पर राज्यों में है।

#### कच्चे तेल का उत्पादन

- ▲ राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार, बॉम्बे हाई ऑफशोर के बाद राजस्थान भारत में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- ▲ राज्य में तेल के क्षेत्र वर्ष भर में लगभग 80 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है, जो कुल घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन का 22% - 23% है।



- ▲ राजस्थान सरकार 18 अप्रैल 2017 को 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वालो रिफाइनरी सह प्रोटोकैमिकल कॉम्प्लैक्स की संस्थापना के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया (भारत में यह पहली बार है)। प्रस्ताव रिफाइनरी क्षेत्र में कमजोर उद्योगों तथा सेवाओं को सहारा दे सकती थी।
- ▲ यदि राज्य बढ़े हुए पर्यवेक्षण, राजशुल्क प्रक्रियाओं को समर्थन तथा प्रोत्साहन देता है तो राजकोष में वृद्धि होगी।

#### एफडीआई तथा विदेशी संयुक्त उद्यम

- ▲ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ) तथा जापान विदेश व्यापार संगठन (जेईटीआरओ) ने 2006-2016 के दौरान राजस्थान में जापानियों के व्यापार विस्तार के लिए मिलकर कार्य किया है।
- ▲ राज्य को पता लगाने की जरूरत है कि नीमराना के पास गिलोथ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के बाद ऐसे निवेश क्यों आगमनशील नहीं थे तथा इस सामर्थ्य को कैसे सिद्ध किया जाए।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य ने पाचवें एसएफसी (2015-16 से 2019-20) का गठन किया जिसने नवम्बर 2018 में अंतिम रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए 2015-16 तथा 2016-17 में अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।
- ▲ यहाँ तक कि चौथे एसएफसी ने इसकी देय तिथि के बाद डेढ़ वर्ष के विलम्ब के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इस प्रकार, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने संविधान के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।
- ▲ जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) तथा (ग) में प्रतिष्ठापित है, भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों पर आधारित स्थानीय निकायों के लिए अनुदान सिफारिशें करता है। राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए तथा मार्च 2024 को या उससे पहले राज्य विधानसभा के समक्ष की गई कार्रवाई से सम्बन्धित व्याख्यात्मक ज्ञापन पेश करना चाहिए।
- ▲ राज्य में आरएलबीएस तथा यूएलबीएस की जवाबदेही यात्रिकी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जैसा कि पहले उल्लिखित है, कमजोर बनी हुई है।

#### नीति आयोग की एसडीजी सूची में रैंकिंग (2019)

- ▲ राज्य के पास 57 का एसडीजी सूची मूल्य है (राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में)
- ▲ 2019 में, भारतीय राज्यों में इसका 20वां स्थान था जो 2018 में 14वें स्थान पर फिसल गया है।
- ▲ राज्य एसडीजी-1 निर्धनताहीन, एसडीजी-6 साफ पानी तथा स्वच्छता, एसडीजी - 8 शानदार कार्य तथा आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-10 घटती हुई असमानता, एसडीजी-15 भूमि पर जीवन, एसडीजी-16 शांति, न्याय तथा मजबूत संस्थाओं में अग्रणी है।
- ▲ हालांकि, राज्य को एसडीजी-2 शून्य भुखमरी, एसडीजी-5 लिंग समानता, एसडीजी-9 उद्योग, नवोन्मेष तथा अवसंरचना तथा एसडीजी-12 दीर्घकालिक खपत तथा उत्पादन में सुधार की आवश्यकता है।
- ▲ राज्य को एसडीजी में संकेद्रित निवेश करना चाहिए क्योंकि परिणामों की निकट देखरेख में यह पिछड़ रहा है, विशेष रूप से बारन, धौलपुर, जैसलमेर, करौली तथा तथा सिरोही जिलों की आकांक्षा में, जिनके सामाजिक आर्थिक संकेतक अच्छे नहीं हैं।

#### तकनीकी रूप में कुशल जनसंख्या का अभाव

- ▲ नीति आयोग के अनुसार, राज्य में तकनीकी रूप से पात्र कर्मियों का अभाव एक चिंता का विषय रहा है।

- ▲ राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, कुशल कर्मिकों की उपलब्धता 2.17 लाख तक अनुमानित है, जो आवश्यक आधे अनुमान से भी कम है।
- ▲ आंशिक रूप से कुशल कर्मिकों में लगभग 20 लाख व्यक्तियों की गिरावट है।
- ▲ राजस्थान सरकार को मिशन के रूप में कुशलताएँ स्थापित करने की आवश्यकता है।

#### ताजे पानी की कमी

- ▲ राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार, राजस्थान भारत की जनसंख्या के अलभग 6% लोगों का निवास स्थान है, जो राष्ट्र के सतही जल का मात्र 1.1% तथा इसके भूमि जल संसाधनों का 2.5% उपयोग करता है।
- ▲ प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता प्रति वर्ष 640 क्यूबिक मीटर है (जहाँ उपलब्धता प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 1,7000 क्यूबिक मीटर से कम है 'जल दबाव' का गठन करती है)।
- ▲ राज्य में भूमि जल की स्थिति काफी खतरनाक है। राज्य में कुछ 295 खण्डों में से, मात्र 52 खण्ड सुरक्षित है, 191 अतिरिक्त शोषित, 11 जटिल तथा आंशिक जटिल, और 3 लवणयुक्त हैं। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने 34 खण्डों को अत्यधिक जटिल बनाया है।

#### परिवहन क्षेत्र

- ▲ राज्य को अपने परिवहन क्षेत्र की समीक्षा तथा पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है।
- ▲ राजस्थान राज सड़क तथा परिवहन निगम (आरएसटीआरसी) ने पिछले कुछ वर्षों में हो रही लगातार हानियों के बारे में रिपोर्ट की है। प्रति किलोमीटर नकारात्मक निवल आय प्रति किलोमीटर राजस्व आय से प्रचालन की अधिक लागत पर बकाया है।

#### राज्य का सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य हेतु, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों का दल बन गया है। राजस्थान इस दल का हिस्सा है जिसमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब शामिल है।

#### सुधार सूचक

- ▲ 2011-12 से 13.5% पर राजस्थान ने टीआरआर के टीजीआर रिपोर्ट की क्योंकि 17.8% की टीआरई वृद्धि विरोधी रही। स्पष्ट रूप से, व्यय राजस्व से अधिक तेजी से वृद्धि कर रहा है। यह दीर्घकाल से अरक्षणिय राजकोषीय मार्ग है।
- ▲ जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, राज्य ने 2011-19 के दौरान 1.0 का एक अच्छा ओटीआर उछाल तथा 2016-17 को छोड़कर ओटीआर (2011-12 से) में दो अंको की वृद्धि दर्शाई है। राज्य ने पिछले पांच वर्षों में उत्पादकता शुल्क स्टाम्प शुल्क तथा खनन में विशेष सुधार प्रारंभ किए।
- ▲ राजस्थान राजशुल्क प्राप्त करता है क्योंकि यह भारत में तेल उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
- ▲ राजस्थान राजकोषीय रूप से काफी स्थिर राज्य रहा जब तक कि हालिया विद्युत क्षेत्र देनदारियों (यूडीएवाई के कार्यान्वयन द्वारा बिगाड़ा गया) ने राज्य में राजकोषीय संरचना को क्षति नहीं पहुंचाई।
- ▲ डीआईसीओएम से विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण कम्पनियों को कुल बकाया भुगतान लगभग 1,19,000 करोड़ रू. है, जिसमें से 35,000 करोड़ रू. की राजस्थान सरकार के ऊपर देनदारी है।
- ▲ राज्य 2018-19 में 84% का आर डी-एफडी अनुपात बनाए हुए है।
- ▲ राज्यों की श्रेणी के बीच, राजस्थान टीआरई के प्रतिशत के रूप में अधिकतम अनुदान व्यय वाले राज्यों में से एक है।

## टीआरई के प्रतिशत के रूप में अनुदान व्यय

राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
छत्तीसगढ़	8	7	10	9	17	9	9	13
पंजाब	10	13	12	10	10	11	11	18
राजस्थान	6	9	9	9	10	14	16	13
पश्चिम बंगाल	3	5	4	2	4	7	8	9

नोट : आन्ध्र प्रदेश इसमें शामिल नहीं है क्योंकि पूर्व आन्ध्र प्रदेश को 2015 में आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दो हिस्सों में बांट किया गया तथा सभी वर्षों के भिन्न-भिन्न आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

- ▲ हालांकि राजस्थान स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर इसकी टीआरई का सम्बन्धित बड़ा भाग लगा रहा है, इसके सामाजिक आर्थिक संकेतक अभी भी काफी कमजोर हैं, विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के क्षेत्र में ( राजस्थान-2. डी देखें )।
- ▲ एफसी-एक्सवी सिफारिश करता है कि राजस्थान सरकार ऊपरलिखित मुद्दों का निम्नलिखित रूप में बिस्तार से परिचयन करें :
- ▲ विस्तृत राजस्व की दीर्घकालिक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय सुधार
- ▲ स्थायी पूंजीगत अवसंरचना में निवेश
- ▲ सहायता परिमेयकरण


**भूमि तथा सतह जल प्रबंधन, तथा**

- ▲ जटिल सामाजिक क्षेत्रों में संकेद्रित तथा विस्तृत निवेश।
- ▲ यह कदम, आने वाले पांच वर्षों में राजस्थान के सम्पूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक संकेतकों में सुधार करेगा तथा भारत के अधिक आय वाले राज्यों के बीच इसे स्थान दिलाएगा।

**टिप्पणियाँ**

1. राज्य के प्रधान महालेखाकार द्वारा पंद्रहवां वित्त आयोग को प्रस्तुत।
2. भारत सरकार ( 2020 ), टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स, 2020, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।

## सिक्किम 1 ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
0.6 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
0.1%



**क्षेत्रफल**  
7,096 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
0.2%



**वन आच्छादन**  
3,342 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
0.5%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
47.1%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.1% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 4,35,204  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
3.1%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
प्रति महिला बच्चे  
1.2  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
25.0%  
अखिल भारत औसत  
31.1%

## सिक्किम 1 बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## सिक्किम 1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## सिक्किम 1 डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर	
2011-12	11,165	5,03,182	2.2
2012-13	12,338	5,63,081	2.2
2013-14	13,862	6,37,264	2.2
2014-15	15,407	6,95,474	2.2
2015-16	18,034	7,88,321	2.3
2016-17	20,687	8,67,648	2.4
2017-18	25,971	9,74,240	2.7
2018-19	28,723	10,82,901	2.7


## सिक्किम 1 ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




सिद्धि 2 ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



सिद्धि 2 बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



सिद्धि 2 सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




सिद्धि 2 डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>एफ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>फ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>आ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

**सिक्किम 2. ई : वित्तवर्ष 2005 और वित्तवर्ष 2012 के बीच गरीबी उन्मूलन (प्रतिशत व्वाइंट)**




नोट:- वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में धनात्मक गरीबी में कटौती को दिखाता है।

**सिक्किम 3 ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर**




स्रोत: भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 14 वां संस्करण, स्वास्थ्य अन्वेषण केन्द्रीय ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

**सिक्किम-3 बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी**




स्रोत: भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 14 वां संस्करण, स्वास्थ्य अन्वेषण केन्द्रीय ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

एसके-3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स/फार्मासिस्ट




स्रोत: भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 14 वां संस्करण, स्वास्थ्य अन्वेषण केन्द्रीय ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

एसके -3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एसके-4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एसके-4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एसके- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एसके- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एसके-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एसके - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एसके-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय



एसके-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम एनईएचएस


राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	4,35,204	1,30,427
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	20.6	23.3
ओटीआर	3.1	5.0
एनटीआर	2.3	2.0
टीई	22.9	26.7
ईएस	3.9	5.0
एसएस	7.3	8.7
जीएस	6.7	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	10.8	14.4
पूंजी व्यय	4.7	4.3
एफडी	2.2	3.4
आरडी	-2.4	-0.9
ओडी	22.1	29.6



एसके- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
सिक्किम	6.4	6.1	0.8
एनईएचएस	12.6	12.1	10.7

एसके- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 29 कार्य आरएलबी को सौंपे गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 18 कार्यों में से 6 यूएलबी को सौंपे गए हैं।

लेखापरीक्षण स्थिति

- ▲ आरएलबी तथा यूएलबी के लेखों का लेखापरीक्षण 2016-17 तक पूर्ण कर दिया गया है।

सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य सरकार द्वारा अभी तक पीटीबी (एफसी-13 द्वारा अनुशासित) की स्थापना नहीं की गई है।

समस्त राज्यों की अन्तरण सूची रैंक

कार्य रैंक	अधिकारिक रैंक	वित्त रैंक	नीति रैंक में सकल अवकृमि
11	7	7	6

स्रोत: भारत सरकार (2016), अन्तरण सूची रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।

चतुर्थ एसएफसी (2015-16 से 2019-20)

- ▲ चतुर्थ एसएफसी ने मई 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- ▲ पीआरआई तथा यूएलबी को 75:25 के अनुपात में सूचकांक 2011 के अस्थाई ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्यक आंकड़ों के आधार पर करों के आवंटन की सिफारिश की गई थी।
- ▲ आयोग के द्वारा 70:30 के अनुपात में प्राथमिक अनुदान तथा सुधार अनुदान में अनुदानों को विभाजित किया गया था।

**ऋण तथा हानियां**

- ▲ जबकि प्रचलनात्मक क्षमता के लिए यूडीएवाई करार पर राज्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।
- ▲ 2018-19 के लिए एटी तथा सी हानियां और एसीएस-एआरआर अन्तराल दोनों यूडीएवाई लक्ष्यों से अधिक हैं।

मुख्य यूडीएवाई बैरोमीटर	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी तथा सी हानियां (%)	31.83	15.0
एसीएस-एआरआर अन्तराल (रु. प्रति इकाई)	0.02	-0.09

नोट:- (-) एसीएस-एआरआर संकेत देता है कि प्रति इकाई औसत राजस्व आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उर्ध्वाधर अन्तरण**

- ▲ सिक्किम ने रिफारिश की थी की करो के सम्पूर्ण विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से को 50% तक बढ़ाया जाना है।

**क्षैतिज अन्तरण के लिए सूत्र**

क्र. सं.	मानदण्ड	सूचित भार (%)
i)	जनसंख्या (सूचकांक 2011)	20
ii)	क्षेत्र	20
iii)	आय अन्तर	30
iv)	जनसंख्या नियंत्रण	20
v)	वन्य स्थान	10

**राजकोषीय संकेतक**

- ▲ पिछले कुछ वर्षों में सिक्किम का राजकोषीय घाटा 3% से कम बना हुआ है।
- ▲ राज्य ने हालिया राजकोषीय वर्षों में राजस्व की अधिकता की रिपोर्ट भी दी है।
- ▲ 2018-19 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 22.06% पर सामान्य बना हुआ है। (एनईएचएस औसत 29.6%)
- ▲ राज्य एफआरबीएम के पास निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ ऋण-जीएसडीपी अनुपात रखने का सामर्थ्य है।

प्रतिशत के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण - जीएसडीपी</b>							
जैसा कि राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित किया गया है।	41.8	29.9	36.2	33.5	23.3	24.5	25.8
वास्तविक उपलब्धि	22.9	22.4	22.1	22.6	22.0	22.6	21.0
<b>एफडी - जीएसडीपी</b>							
जैसा कि एफआरबीएम द्वारा निर्धारित किया गया है	4.8	3.2	3.0	3.6	3.3	3.0	3.5
वास्तविक उपलब्धि	1.6	0.5	0.4	1.8	2.9	-0.4	1.8

स्रोत: सिक्किम सरकार

#### प्रति व्यक्ति आय तथा निर्धनता में गिरावट

- ▲ 4,35, 204 प्रति वर्ष सिक्किम की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2018-19 में 1,30,427 रु. एनईएचएस औसत से काफी अधिक है।
- ▲ सिक्किम में जनसंख्या का मात्र 8.19% भाग राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध है ( तेंदुलकर कार्य प्रणाली, 2011-12 )

#### जीएसडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा

- ▲ द्वितीयक क्षेत्र हाइडल पॉवर तथा औषध उद्योगों द्वारा प्रोत्साहित सिक्किम की जीएसडीपी का लगभग 60% अंशदान करता है।
- ▲ राज्य को सामर्थ्य का पूर्णतः प्रयोग करने तथा राजस्व आय को बढ़ाने के लिए चल रही हाइडल परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तीव्र करना चाहिए।

#### पर्यटन

- ▲ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो मानदण्ड आवश्यक थे, वे निम्नलिखित हैं-
- ▲ राज्य को पर्यटन तथा पर्यटन संचालकों के साथ अनुबंध बढ़ाने के लिए अपने अद्वितीय बोर्ड को विकसित करने की आवश्यकता है।
- ▲ यात्रा की लागत को कम करने के लिए वायु संयोजकता तथा सड़क नेटवर्क में सुधार किया जाना चाहिए।
- ▲ प्रोत्साहनों तथा पीपीपी मोड के माध्यम से ईको-टूरिज्म तथा साहसिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- ▲ समुदाय तथा व्यक्तिगत आधार पर होमस्टे को स्थानीय लोगों के लिए आय के व्यवहार्य वैकल्पिक साधन के रूप में प्रोन्नत किया जा सकता है। जब से होमस्टे को महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है, उन्हें अपने आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक बनाया जा सकता है। राज्य सरकार होमस्टे को ई-कॉमर्स प्लेयरों से जोड़ने के लिए सक्रिय मानदण्ड बना सकती है।
- ▲ सिक्किम सरकार को इसके विविध तथा अद्वितीय वनस्पति तथा पशु-पक्षियों के संरक्षण तथा प्रजनन के लिए कदम उठाने चाहिए।

#### उद्यान तथा जैविक खाद कृषि

- ▲ सिक्किम में अधिक कोल्ड-स्टोरेज बनाकर, कृषि-मूल्य कड़ियां बनाकर तथा खाद्य प्रक्रिया उद्योग को विकसित करके जैविक खाद्य कृषि तथा उद्यान में सामर्थ्य का लाभ उठाया जा सकता है।

#### सामाजिक-आर्थिक संकेतक

- ▲ सिक्किम के पास अधिक संख्या में राष्ट्रीय औसत से बेहतर मानव विकास संकेतक है ( सिक्किम-2 डी देखें)।
- ▲ यह पहला राज्य था जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया।
- ▲ सिक्किम का स्वास्थ्य पर 4,792 रु. तथा शिक्षा पर 14 ए 580 रु. प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति व्यय क्रमशः 1, 987 तथा 5, 970 रु. के एनईएचएस औसतों से काफी अधिक है।
- ▲ इसके अलावा प्रति 1, 000 पुरुषों पर 890 महिलाएं, सिक्किम का लिंग अनुपात 943 के राष्ट्रीय औसत से अधिक विपरीत है।

**कम कर राजस्व**

- ▲ जीएसडीपी में द्वितीयक अधिकतम प्रति व्यक्ति आय रखने वाले तथा द्वितीयक क्षेत्र के बड़े हिस्से के बावजूद सिक्किम के पास एनईएचएस में तीसरा सबसे निचला ओटीआर है।
- ▲ सिक्किम का ओटीआर/जीएसडीपी 2018-19 में 4.95% के एनईएचएस औसत के विरुद्ध मात्र 3.1% था। अपने लघु संसाधन के आधार पर यह राज्य केन्द्र सरकार से संसाधनों के स्थानान्तरण पर बहुत हद तक निर्भर होता है। यह संघ सरकार से इसके टीआरआर का 75% प्राप्त करता है।
- ▲ हालांकि, 2011-12 से 2018-19 तक 13.7% पर सिक्किम की ओटीआर की टीजीआर 11% के एनईएचएस औसत से अधिक है।
- ▲ 2018-19 में वैट/ जीएसटी से सिक्किम के लिए 3.5 एनईएचएस औसत के विरुद्ध मात्र 2% का संग्रहण हुआ था।
- ▲ हालांकि 2017-18 में 15% की दर पर (एनईएचएस 7%) तथा 2018-19 में 41% (एनईएचएस 16%) संग्रहण में वृद्धि हुई।
- ▲ राज्य को अधिक संसाधन जुटाकर राजस्व विस्तार के लिए अपने प्रयासों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है।

**गैर राजस्व कर में गिरावट**


- ▲ एनटीआर राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ क्योंकि यह ओआरआर के लगभग 40%-50% की निरंतरता में है। तथापि लॉटरी से राजस्व में गिरावट के कारण 2011-12 से 2018-19 तक एनटीआर के पास (-7.5%) का टीजीआर है।
- ▲ राज्य के पास हाइड्रो-पॉवर क्षेत्र तथा पर्यटन जिसका अन्वेषण किया जाना चाहिए के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने का सामर्थ्य है।

**उच्च प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ 2018-19 में प्रतिबद्ध व्यय (जीआईए वेतन सहित) सिक्किम की टीआरई का 68.3% है जो 67.7% के लगभग एनईएचएस के साथ है। यह इस तथ्य से अलग नहीं है कि यह अत्यधिक उच्च है।
- ▲ प्रतिबद्ध व्यय का टीजीआर (2011-12 से 2018-19) सिक्किम (14.2%) में एनईएचएस औसत (12.1%) से अधिक है।

**उच्च बेरोजगारी दर**

- ▲ एक बड़ा द्वितीयक क्षेत्र होने के बावजूद, सिक्किम में देश की 18.1% द्वितीय उच्चतम बेरोजगारी दर है (चूंकि 5% के सम्पूर्ण भारतीय स्तर के विरुद्ध है)

**सिक्किम-5 बी: भारत के मुख्य राज्यों में बेरोजगारी दर, सामान्य प्रमुख स्थिति दृष्टिकोण, % में।**

स्रोत:- भारत सरकार (2016) रोजगार बेरोजगारी सर्वे 2015-16, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ यूएलबी के अपने राजस्व नगण्य है।
- ▲ सिक्किम में आरएलबी स्वयं से अत्यल्प राजस्व प्राप्त करता है।
- ▲ अपने राजस्व को सुधारने के लिए राज्य सरकार, नवप्रवर्तनशील प्रक्रियाओं जैसे बाजार शुल्क, पार्किंग स्थल इत्यादि के उपयोग में स्थानीय निकायों की सहायता कर सकती है।

- ▲ राज्य सरकार द्वारा अभी तक पीटीबी की स्थापना नहीं की गई है।
- ▲ तात्कालिक रूप से शेष कार्यों को यूएलबी को सौंपने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

#### खराब संयोजकता तथा अवसंरचना

- ▲ यद्यपि सिक्किम में एक छोटा एयरपोर्ट प्रचालनात्मक है, इसकी क्षमता सीमित है।
- ▲ सिक्किम में रेल नेटवर्क का अभाव है।
- ▲ राज्य, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-10 (एनएच-10) (एकल-मार्ग) पर निर्भर है, जो देश के बाकी भाग से जोड़ने वाला एक मात्र मार्ग है।
- ▲ प्राकृतिक आपदाओं के कारण सड़कों के लगातार टूटने से राज्य में आवश्यक सामग्री की कीमतों तथा जीवन-यापन की उच्च लागत में बढ़ोत्तरी होती है।
- ▲ राज्य को पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली अदृश्य जनसंख्या को सेवाएं पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- ▲ राज्य सरकार को अवसंरचना विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जिससे स्थानीय लोगों की जीवन गुणता तथा पर्यटन को बढ़ाने में सुधार होगा।

#### उच्च विद्युत क्षेत्र हानियां

- ▲ ऊर्जा तथा विद्युत विभाग सिक्किम सरकार राज्य में उत्पादन प्रसारण वितरण तथा विद्युत व्यापार के लिए अकेला जिम्मेदार है।
- ▲ राज्य सरकार बिजली के ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए भारी सब्सिडी में विस्तार करती है।
- ▲ इसके साथ ही 31 मार्च 2017 तक 15% उपभोक्ता नहीं मापे गए थे।
- ▲ राज्य को 31.83% की काफी अधिक एटी तथा सी हानियां हुई हैं।
- ▲ राज्य सरकार को विद्युत विभाग को कोर्पोरेटाइज तथा स्वतंत्र करने और वृहद आर्थिक सिद्धांत लागू करने की अनुमति के लिए कदम उठाने चाहिए। राज्य के आकार और उसकी जरूरत को देखते हुए कोई अन्य वैकल्पिक उचित तथा व्यवहार्य उपाय खोजा जा सकता है।

#### प्राकृतिक आपदाएं

- ▲ सिक्किम पहाड़ी तथा भू-विज्ञान की दृष्टि से नवोदित है तथा इस प्रकार इसकी संरचना काफी कमजोर है।
- ▲ यह भूकंप के लिए अतिसंवेदनशील तथा भूकम्प सम्बंधी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
- ▲ इसे मानसून (मई-अक्टूबर) के दौरान आने वाली आकस्मिक बाढ़ तथा भू-स्खलन का खतरा है।
- ▲ जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियल झीलों की बाढ़ से सिक्किम हिमालय का व्यापक नुकसान हो सकता है।
- ▲ सिक्किम के पास भारी बारिश होने के कारण अवसंरचना निर्माण तथा अनुरक्षण की उच्च लागत तथा संकुचित कार्यकारी मौसम है।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ 30 सितम्बर 2017 को अंतिम प्रक्रिया के कारण 29 में से 9 कार्यकारी एसपीएसयू लंबित थे। इनमें से सोलह (55%) दो एसपीएसयू से संबंधित थे। इस अवधि के दौरान कार्यकारी एसपीएसयू द्वारा कुछ खातों को अंतिम रूप देने का संकेत देते हुए 2012-13 में कार्यकारी एसपीएसयू के लिए बचतों के साथ खातों की संख्या 18 थी।
- ▲ खातों का गैर-लेखापरीक्षण समान बजटीय सहायता देने वाला एक गंभीर नकारात्मक पहलू का जोखिम दर्शा सकता था।

## सुधार सूचक


- ▲ सिक्किम के पास द्वितीयक क्षेत्र से इसकी उच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी तथा जीएसडीपी का हिस्सा देने वाला ओटीआर अपेक्षकृत कम है। राज्य को हाइड्रो-पॉवर क्षेत्र तथा पर्यटन के माध्यम से अपने एनटीआर को भी बढ़ाना चाहिए।
- ▲ बेहतर संयोजकता के साथ-साथ बेहतर अवसंरचना सुविधाएं राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने में सहायता कर सकती है।
- ▲ जैसा की पूर्व में देखा गया है कि राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में 2011-12 से 2018-19 तक अपेक्षकृत उच्चतम दर पर वृद्धि हुई है। राज्य को अपने प्रतिबद्ध व्यय में कटौती तथा विकास क्षेत्र में बढ़ोतरी करनी चाहिए।
- ▲ राज्य को अपने एटी तथा सी हानियों ओर एसीएस-एआरआर अंतराल में कटौती करके विद्युत क्षेत्र की कार्यकुशलता को बढ़ाना चाहिए।
- ▲ इसे सभी पीएसयू के खातों की समयबद्ध लेखापरीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

## टिप्पणियां:-

1. भारत सरकार (2016), पांचवा वार्षिक रोजगार-बेराजगारी सर्वे 2015-16, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।
2. सीएजी (2018), 2018 की रिपोर्ट सं. 1: मार्च अंत 2017 के लिए समाजिक, आर्थिक राजस्व तथा सामान्य क्षेत्रों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सिक्किम सरकार।



## टीएन 1 ए : विहंगवलोकन



**जनसंख्या**  
72.2 मिलियन

सभी राज्यों की  
जनसंख्या का  
6.1%



**क्षेत्रफल**  
1,30,060 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों के  
क्षेत्र का  
4.0%



**वन आच्छादन**  
26,364 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों के  
वन क्षेत्र का  
3.7%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
20.3%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.3% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**

रु. 2,15,784  
सभी राज्यों का औसत  
रु. 1,40,422



**कर और जीएसडीपी  
का अनुपात**

6.5%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%



**प्रति महिला बच्चे  
की संख्या**


1.7  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**

48.5%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## टीएन 1 बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## टीएन 1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## टीएन 1 डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹)

वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	7,51,486	77,44,945	9.7
2012-13	8,54,825	88,27,195	9.7
2013-14	9,68,530	1,00,07,392	9.7
2014-15	10,72,678	1,09,93,257	9.8
2015-16	11,76,500	1,21,91,256	9.7
2016-17	13,02,639	1,37,80,737	9.5
2017-18	14,65,051	1,54,20,126	9.5
2018-19	16,30,208	1,72,83,813	9.4


## टीएन 1 ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)






## पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


## टीएन 2 ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




## टीएन 2 बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



## टीएन 2 सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




## टीएन 2 डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>एफ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>बी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

टीएन 3 ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)




टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

टीएन 3 ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

टीएन3 बी : व्यक्ति ('000) प्रति उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

टीएन 3 सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/औषध विक्रेता




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

टीएन 3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


टीएन 4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




टीएन 4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



टीएन 4 सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण



टीएन 4डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पणी: प्रतिबद्ध व्यय में वेतन ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


टीएन 4ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



टीएन 4एफ: जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



टीएन 4जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय



टीएन 4एच: मुख्य राजकोषीय संसूचक


- राज्य बनाम एनईएचएस

राजकोषीय संसूचक	राज्य	जीएस
रू प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	2,15,784	1,41,099
<b>जीएसडीपी की प्रतिशत के रूप में संसूचक</b>		
टीआरआर	10.7	13.4
ओटीआर	6.5	6.4
एनटीआर	0.9	1.1
टीई	14.0	16.1
ईएस	2.4	3.1
एसएस	4.3	5.4
जीएस	4.4	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	6.5	5.8
पूंजी व्यय	1.9	2.5
एफडी	2.9	2.5
आरडी	1.4	0.2
ओडी	22.6	25.0

## टीएन- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
तमिलनाडु	12.4	9.7	7.6
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## टीएन- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 कार्यों को आरएलबी/ पीआरआई को सौंपा गया था।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची के सभी 18 कार्यों को यूएलबी को सौंपा गया था।

## लेखापरीक्षण स्थिति

- ▲ तमिलनाडु स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम 2014 के क्रम में, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय (डीएलएफए) के राज्य में आरएलबी तथा यूएलबी को वैज्ञानिक लेखा परीक्षा का संचालन करता है।
- ▲ सीएजी, डीएलएफए को तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करता है।
- ▲ 2017-18 तक आरएलबी तथा यूएलबी के खातों की लेखा परीक्षा की गई थी।

## सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ जैसा कि एफसी -13वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी, राज्य वर्ष 2013 में अपना पीटीबी स्थापित करेगा। बोर्ड उचित रूप से कार्य कर रहा है।

## सभी राज्यों में अन्तरण सूची रैंक

कार्य श्रेणी	पदाधिकारी श्रेणी	वित्त श्रेणी	नीति श्रेणी में कुल अन्तरण
7	5	3	4

स्रोत:- भारत सरकार (2016), अन्तरण सूची रिपोर्ट-2015-16 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## पांचवां एसएफसी (2017-18 से 2021-22)

- ▲ राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान द्वारा राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट के सिंहावलोकन के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने पांचवें एसएफसी की सिफारिशों को स्वीकार किया था, जो अभी प्रक्रियाधीन है।
  - आयोग ने 2017-18 से शुरू होने वाली दी गई अवधि के दौरान निवल के 10% के अंतरण की सिफारिश की थी।
  - आरएलबी तथा यूएलबी के बीच उर्ध्वाधर हिस्सेदारी अनुपात 56: 44 होना चाहिए।

➤ आरएलबी के अंतर्गत जिला पंचायतों, पंचायत संघों तथा ग्राम पंचायतों के बीच उर्ध्वाधर हिस्सेदारी अनुपात 8:37:55 के रूप में सुनिश्चित किया जा सकता है।

- ▲ पांचवें एसएफसी ने आंकड़ों की गुणवत्ता के संबंध में चिंता व्यक्त की है।
- ▲ उड़ीसा (चतुर्थ एसएफसी) तथा सिक्किम (पांचवा एसएफसी) के अलावा तमिलनाडु ही संबंधित अवधि की शुरुआत से पहले अपनी एसएफसी रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला एक मात्र राज्य है।

### ऋण तथा हानियां


- ▲ राज्य ने 2018-19 में न तो एसीएस-एआर अंतराल के लिए लक्ष्य और न ही एटी तथा सी हानि% के लिए लक्ष्य की प्राप्ति की है।
- ▲ राज्य 2016-17 के दौरान यूडीएवाई के अन्तर्गत 22,815 करोड़ रु. पर डीआईएससीओएम ऋण पर हावी रहा है।
- ▲ सरकार 31 मार्च 2019 तक, डीआईएससीओएम द्वारा कुल उधारियां राज्य सरकार से 17101 करोड़ रु. की उधारियों सहित 1,13,438 करोड़ रु. (सभी राज्यों से कुल डीआईएससीओएम का 23.7%) है।
- ▲ सरकार 31 मार्च 2019 तक, डीआईएससीओएम द्वारा कुल उधारियां राज्य सरकार से 17101 करोड़ रु. की उधारियों सहित 1,13,438 करोड़ रु. (सभी राज्यों से कुल डीआईएससीओएम का 23.7%) है।

मुख्य यूडीएवाई बैरोमीटर (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी तथा सी हानियां %	17.47	13.50
एसीएस-एआर अंतराल (रु. प्रति इकाई)	1.88	-0.07

नोट : (-) एसीएस-एआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

### टीएन- 5. ए: एटी एवं सी हानिया ( % ), वित्त वर्ष 2018



स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उध्वाधर अंतरण**

तमिलनाडु ने सिफारिश की है कि कर तथा उपकरों इसमें शामिल करके करो के सम्पूर्ण विभाज्य पूल को काफी हद तक बढ़ाया जाएगा।

**क्षैतिज अंतरण के लिए सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाए गए भार (%)
i)	जनसंख्या (2011)	25
ii)	1971 से जनसंख्या वृद्धि के विपरीत आधारित जनसंख्या नियंत्रण	25
iii)	उच्च मध्यम आय वाले देशों के न्यूनतम स्तर से मापे गए आय अन्तराल	25
iv)	<ul style="list-style-type: none"> <li>केन्द्रीय करों में अंशदान</li> <li>प्रत्येक राज्य का व्यक्तिगत आय कर संग्रहण में अंशदान</li> <li>प्रत्येक राज्य को एसजीएसटी तथा आईजीएसटी के संग्रहण का निपटान किया गया।</li> <li>समान भार के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर अंशदान</li> </ul>	25

**राजकोषीय संकेतक**

- ▲ तमिलनाडु का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2012-13 में 17.2 % से बढ़कर 2018-19 में 22.6% हो गया।

**एफआरबीएम अनुकूलता**

- ▲ राज्य ने 2003 में अपना एफआरबीएम अधिनियम कार्यान्वित किया हाल के वर्षों में अपनी एफआरबीएम सीमा के मुताबिक चला है।
- ▲ आय के भविष्य प्रवाह को बढ़ाने के लिए इसे विश्वसनीय ऋण पथ पर चलने तथा व्यय के सतर्क अंशशोधन की आवश्यकता है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	24.5	24.8	25.0	25.2	25.2	25.0	25.0
वास्तविक उपलब्धि	16.9	17.3	17.2	17.9	18.9	21.8	22.3
<b>एफडी -जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	NA	3.0
वास्तविक उपलब्धि	2.3	1.9	2.1	2.5	2.8	4.3	2.7

लागू नहीं (एनए): लक्ष्य निर्धारित नहीं था क्योंकि तमिलनाडु उत्पादन तथा वितरण निगम के देयताओं को यूडीएवाई के अन्तर्गत संभाला गया था।

स्रोत: तमिलनाडु सरकार

**गरीबी उपशमन**

- ▲ 2004-05 तथा 2011-12 के बीच निर्धनता में 17.6 प्रतिशत बिन्दु की कटौती के साथ, राज्य ने एडीजी-1 में महत्वपूर्ण प्रगति की।

### नीति आयोग की एसडीजी सूची पर रैंकिंग (2019)

- ▲ राज्य के पास 67 का एसडीजी सूची मूल्य है (राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में) तथा भारतीय राज्यों में चौथी श्रेणी है।
- ▲ राज्य, एसडीजी-1 शून्य निर्धनता, एसडीजी-3 अच्छे स्वास्थ्य तथा कल्याण, एसडीजी-4 शिक्षा गुणवत्ता, एसडीजी-6 साफ पानी तथा स्वच्छता, एसडीजी-7 वहन करने योग्य तथा पूर्ण ऊर्जा, एसडीजी-8 शानदार कार्य तथा आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-10 असमानता में कमी तथा एसडीजी-15 जीवन तथा भूमि और एसडीजी-16 शांति, न्याय तथा मजबूत संस्थाओं में अग्रणी है।
- ▲ हालांकि राज्य को एसडीजी-2 शून्य भुखमरी, एसडीजी-5 लिंग समानता तथा एसडीजी-13 जलवायु कार्य में सुधार की आवश्यकता है।

### पर्यटन

- ▲ राज्य में घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए विशाल तथा अप्रयुक्त सामर्थ्य मौजूद है।
- ▲ टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स, 2020 के अनुसार, तमिलनाडु 2019 में देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा (2019 में तमिलनाडु में 22% विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ)।
- ▲ 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में सभी राज्यों में यह राज्य द्वितीय श्रेणी पर रहा (2019 में तमिलनाडु में सभी घरेलू पर्यटकों में से 21.3%) का आगमन हुआ।

### ऊर्जा

- ▲ 18 जीडब्ल्यू के सामर्थ्य वाली तमिलनाडु की कुल सौर ऊर्जा का लगभग 1.0 जीडब्ल्यू पहले ही तैयार कर लिया गया है।<sup>1</sup>
- ▲ जबकि नवीकरणीय ऊर्जा, वायु तथा सौर के उत्पादन में टीएन एक प्रवर्तक है, ग्रिड प्रबंधन पर अधिक संकेद्रण की आवश्यकता है।
- ▲ नवीकरणीय ऊर्जा में बेहतर ग्रिड प्रबंधन से भविष्य में काफी अच्छा खासा राजस्व सृजित हो सकता है।

### प्रभावी घरेलू विकाेन्द्रीकरण

- ▲ टीएन, उन कुछ राज्यों में से है जो यूएलबी के प्रोद्भवन आधारित लेखांकन की ओर गतिशील है।
- ▲ इसने सम्पत्ति कर लगाने की शक्ति को भी शहरी स्थानीय निकायों को कर दिया है।

### राजस्व बढ़ाने के लिए मत्स्यपालन की प्रोन्नति

- ▲ लगभग 1,076 किमी की तटरेखा के बावजूद, टीएन में मत्स्यपालन क्षेत्र अपने पड़ोसी राज्य, आन्ध्र प्रदेश से काफी छोटा है।
- ▲ जीडीपी अनुपात को गिरते हुए कर तथा एनटीआर के साधारण तरीके को देखते हुए, मत्स्यपालन टीएन के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व उत्पादक बन सकता है।
- ▲ राज्य के लिए वानिकी तथा पर्यटन भी महत्वपूर्ण सामर्थ्य के क्षेत्र हैं।

### अवसंरचना में एफडीआई

- ▲ एयरपोर्ट्स, सड़कों तथा बंदरगाहों का उद्योगों के लिए आवश्यक दुलाई सम्बंधी सहायता प्रदान करने के लिए विस्तार किया जा सकता है।
- ▲ राज्य को औद्योगिक वृद्धि के लिए उच्च डेटा स्पीड तथा एक डिजिटल ईकोसिस्टम बनाने के लिए बैंड चौड़ाई को बढ़ाने हेतु केवल-लैंडिंग स्टेशन (वाइजैग तथा मुंबई में उनकी तरह) की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- ▲ इस प्रकार के उद्देश्य के लिए अधिक एफडीआई आकर्षित करने की ओर तमिलनाडु को कार्य करना चाहिए। भारत में वर्तमान में कुल एफडीआई का 7% तमिलनाडु को जाता है।



**स्थानीय निकाय**

- ▲ जैसा की संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) तथा (ग) में प्रतिष्ठापित है, भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों पर आधारित स्थानीय निकायों के लिए अनुदान सिफारिशें बनाता है। राज्य सरकार उनकी सिफारिशों पर एफएससी, अधिनियम का गठन करना चाहिए तथा मार्च 2024 तक अथवा उससे पहले राज्य विधानसभा के समक्ष की गई कार्रवाई के सम्बंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

**विद्युत क्षेत्र**

- ▲ राज्य को यूडीएवाई बैरोमीटर्स अर्थात, स्मार्ट मीटरिंग (200-500 के डब्ल्यूएच) स्मार्ट मीटरिंग (500 के डब्ल्यू एच के अधिक) तथा वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग (शहरी) में अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहिए।
- ▲ तमिलनाडु को अपनी विद्युत खरीद लागत की जानकारी रखने की आवश्यकता है, जिसमें पिछले दो वर्षों में 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

**सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम<sup>4</sup>**

- ▲ तमिलनाडु के पास 68 कार्यकारी पीएसयू हैं जिनमें से 29 के खाते बचत में हैं।
- ▲ राज्य पीएसयू ने अपने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार 1,10,850.43 करोड़ रु. के टर्नओवर का पंजीकरण किया। यह टर्नओवर अर्थव्यवस्था में राज्य पीएसयू द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के साथ जीएसडीपी के 8.54% के समान था।
- ▲ पीएसयू ने अपने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार 78,854.25 करोड़ रु. की हानियां सहन कीं।
- ▲ राज्य की पीएसयू को सम्पूर्ण बजटीय सहायता 2012-13 में 13,918 करोड़ से 2016-17 में 46,127 करोड़ रु. तक बढ़ गई।
- ▲ एसपीएसयू के लिए बकाया देयताओं तथा आवश्यक बजटीय सहायता को देते हुए राज्य के लिए आवश्यक बजटीय सहायता को देखते हुए राज्य के लिए आवश्यक है कि राज्य के अतिरिक्त राजकोषीय भार को अधिरोपित करते हुए आकस्मिक देयताओं से बचने के लिए ध्यान से उनकी निगरानी करे।
- ▲ एसपीएसयू के पुनः संरचना का समयबद्ध कार्यक्रम, उनके प्रदर्शन में मुख्य बाधाओं को दूर करने के लिए जल्द ही अपनाया जाना चाहिए।

**गिरती हुई औद्योगिक वृद्धि**

- ▲ एफसी-15 के लिए मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स द्वारा शुरू किए गए राज्य वित्त पर अध्ययन के अनुसार, विनिर्माण तथा निर्माण गतिविधियों के कम होने से उद्योग में वृद्धि 10.9% (2005-2011) से 4.6% (2011-2017) तक धीमी पड़ गई।
- ▲ यह एक मुख्य चिंता का विषय है क्योंकि दोनों क्षेत्र रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

**खराब अध्ययन परिणाम<sup>5</sup>**

- ▲ राज्य दो मुख्य अध्ययन परिणामों पर सम्पूर्ण भारतीय औसत से नीचे है।

	अध्ययन परिणाम I <sup>a</sup>	अध्ययन परिणाम II <sup>b</sup>
तमिलनाडु	10.2	25.9
भारत	27.3	28.2

<sup>a</sup> श्रेणी 3 में बच्चों का प्रतिशत (सरकारी तथा निजी विद्यालयों का) जो श्रेणी 2 का पाठ पढ़ सकते हैं (2018)

<sup>b</sup> श्रेणी 3 में बच्चों का प्रतिशत (सरकारी तथा निजी विद्यालयों का) जो कम व्यवकलन कर सकते हैं (2018)

**जनसांख्यिकी सम्बंधी चुनौतियां**

- ▲ सूचकांक 2011 के अनुसार, 48.5% पर भारत के सभी राज्यों में से तमिलनाडु की शहरीकरण दर उच्चतम है। अतः इसे शहरी निर्धनता, अवसंरचना कमी तथा जनसंख्या सम्बंधी चुनौती का सामना करना पड़ता है।

- ▲ लगभग 14 लाख व्यक्ति 201-2011 में अन्य राज्यों से तमिलनाडु जाकर बस गए हैं। तमिलनाडु की विकास रणनीति का उद्देश्य होना चाहिए कि इसकी प्रवासी जनसंख्या एक जिम्मेदारी की अपेक्षा परिसम्पत्ति बनी रहे।
- ▲ इसकी 60 से ऊपर की आयु की जनसंख्या 10.4% के साथ, राज्य के तौर पर केरल (12.6%) तथा गोवा (12.2%) के बाद तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है।

### 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर

- ▲ तमिलनाडु में चेन्नई के शहरी संकुलन, कोयम्बटूर, मदुरै तथा तिरुचिरापल्ली सहित दस लाख अधिक आबादी वाले शहर हैं।
- ▲ इन शहरों की बेहतर अवसंरचना तथा संचारिकी से निवेश माहौल में सुधार हो सकता है तथा नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है, तथा इस प्रकार उन्हें आर्थिक केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- ▲ यद्यपि चेन्नई जैसे शहरों के पास बेहतर निवेश माहौल के लिए सृजन, नवीनीकरण तथा जटिल अवसंरचना के अनुरक्षण हेतु अधिक, ओन टैक्स रिसीट्स (ओटीआर) बढ़ाने के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन, स्थानीय निकाय हैं। सड़कों, पुलों, रेल तथा सीवरेज प्रणालियों का नवीनीकरण, शहरी बाढ़ प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कच्ची बस्तियों में सुगार खुली जगह तथा पार्क इत्यादि को दीर्घकालिक शहर रूपरेखा के माध्यम से विस्तार पूर्वक सीमा के आवश्यकता है। इससे यूपलबी को प्राथमिकता मिलेगी।

### ताजे पानी की कमी

- ▲ तमिलनाडु में भारत की आबादी के लगभग 6% लोग बसते हैं जो राष्ट्र के ताजी पानी संसाधनों के मात्र 3% भाग पर जीवन यापन करते हैं।
- ▲ तमिलनाडु में औसत वार्षिक वर्षा मात्र 921 मिमि है (1,200 मिमि के राष्ट्रीय औसत की तुलना में)।
- ▲ प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता प्रति वर्ष 750 क्यूबिक है। जहां प्रति व्यक्ति वर्ष 1700 क्यूबिक से नीचे की उपलब्धता (जल संकट) का संकेत देती है।
- ▲ कृषि उत्पादन में अनिश्चितता में जल संकट तथा ऋतु आधारित उतार-चढ़ाव परिणाम।
- ▲ राज्य के पास 2.84 मिलियन हेक्टेयर एचए 2016-17 का निवल सिंचाई क्षेत्र है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में इसकी सिंचाई अधिकता कम है।
- ▲ 1970-71 में 61.7 लाख हेक्टेयर (कुल क्षेत्र का 47.4%) से निवल बुवाई क्षेत्र में शहरीकरण तथा अकाल के कारण 2016-17 में 43.5 लाख हेक्टेयर (कुल क्षेत्र का 38.9%) गिरावट हुई।
- ▲ राज्य को जटिल संसाधन के रूप में ताजा पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक दीर्घकालिक रूपरेखा की आवश्यकता है।

### राज्यों का सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्या को दल बन गए। तमिलनाडु इस दल का एक हिस्सा है जिसमें गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा तथा गोवा शामिल हैं।

### सुधार सूचक

- ▲ यद्यपि राष्ट्रीय जीडीपी में दीर्घकालिक अंशदान करने वाला तथा अच्छे सामाजिक देने वाला, तमिलनाडु, भारत के राज्यों में सबसे प्रगतिशील राज्य है, इसकी श्रेणी में कुछ अन्य राज्यों से इसकी खराब तुलना की जाती है।
- ▲ राज्यों के राजकोषीय संकेतक 2012-13 (एफसी-) प्रक्षेपण के लिए विश्लेषण के हालिया वर्ष में 2018-19 एफसी-15 के लिए उपलब्ध हालिया वर्ष तक बुरी तरह से विकृत हो चुके हैं।
- ▲ तमिलनाडु ने राजस्व अधिशेष से राजस्व घाटा राज्य पोस्ट 2012-13 तक गति की है।

- ▲ 2014-2016 के दौरान फिजूलखर्ची (मई 2016 में चुनावों में ऊपर उठने में) ने शायद राज्यों के राजकोषीय संकेतकों पर अर्थपूर्ण प्रभाव डाला है।
- ▲ 2011-2019 के मध्य पूंजीगत व्यय-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट हुई है (2016-17 के यूडीएवाई वर्ष को छोड़कर)
- ▲ राजस्व घाटा-राजकोषीय घाटा (आरडीएफडी) अनुपात हालिया वर्षों में 50% तक पहुंच गया है यह सूचित करते हुए कि अधिकतर उधारियों का वित्तीय राजस्व घाटे के लिए उपयोग किया जा रहा था।
- ▲ 2014-2016 की अवधि के दौरान राज्य ने राजस्व के मुख्य साधनों (वैट/ जीएसटी, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण तथा राज्य उत्पाद शुल्क) में कम वृद्धि का अनुभव किया।

#### राजस्व में कम वृद्धि के कारण

2012-13	वैद्युत शुल्क अत्यल्प राशि है: अतः इसकी कटौती ने वृद्धि को प्रभावित नहीं किया।
2013-14	2012-13 के दौरान, उत्पादन-शुल्क ने ओटीआर के 17% का गठन किया। राज्य वेंड शुल्क तथा विशेष सुविधा शुल्क को समाप्त कर दिया तथा वार्षिक सुविधा शुल्क में कटौती की। उठाये गए इन कदमों ने उत्पाद-शुल्क में शराब पर बढ़े हुए वैट के बावजूद लगभग 60% तक उत्पादन-शुल्क को कम किया तथा अन्य करों ने ओटीआर वृद्धि को बाधित किया।
2015-16	राज्य बजट 2015-16 की घोषणा मई 2016 में चुनाव से पहले की गई थी, वैट में कई रियायतें तथा छूट दी गईं। खराब वैट वृद्धि का यह मुख्य कारण था।
2016-17	2015-16 के दौरान स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क ने 11% ओटीआर का गठन किया। 2016-17 के दौरान अनुमोदन रहित रिहायशी प्लॉटों की बिक्री पर मद्रास उच्च न्यायालय की पाबंदी ने ओटीआर वृद्धि को नीचे करते हुए स्टाम्प-शुल्क संग्रहण तथा पंजीकरण शुल्क में कटौती की।
2017-18	2017-18 राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी राज्य उत्पादन शुल्क को एक झटका देते हुए 1,000 आऊटप्लेट्स के समापन में बदल गई।


- ▲ 2017-18 के पश्चात तमिलनाडु ने अपने ओटीआर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
  - तमिलनाडु सरकार ने उत्पाद-शुल्क को बढ़ाया तथा शराब पर विशेष शुल्क लगाया है।
  - मार्च 2017 में पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट / जीएसटी बढ़ाए गए।
  - एक दशक के बाद, तमिलनाडु ने टैरिफ संरचना में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 10% पर तथा घरेलू के लिए 5% पर एक वार्षिक बढ़ोतरी करते हुए पानी के टैरिफ (2017 में) तथा सीवरेज प्रभावों (2018 में) में बढ़ोतरी की।
  - लगभग 20 वर्ष बाद तमिलनाडु ने 2008 में चेन्नई में इस शर्त पर सम्पत्ति कर बढ़ाए कि सम्पत्ति कर का सामान्य परिशोधन, रिहायशी भवनों के लिए 50% तथा गैर रिहायशी भवनों के लिए 100% से अधिक नहीं होगा। **करने की आवश्यकता है।**
- ▲ 2017-18 तथा 2018-19 में उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप तमिलनाडु ने 2018-19 में ओटीआर में 13% वृद्धि तथा ओआरआर में 15% वृद्धि प्राप्त की।
- ▲ राज्य इस अतिरिक्त क्षमता को महामारी के परिशोधन श्रम के पलायन के लिए उपयोग कर सकता तथा ऐसे अतिरिक्त संसाधनों का उन्नतशील विस्तार करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहित कर सकता है।
- ▲ राज्य को अपने पूर्व 2014 आरडीएफडी अनुपात को वापस लाने तथा पूंजीगत व्यय में सम्पूर्ण उधारियों को निवेश करने की आवश्यकता है।
- ▲ इसे आगे ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात में सुधार करने की भी आवश्यकता है।

**टिप्पणियां**

- 1 भारत सरकार (2017) ऊर्जा सांख्यिकी 2017, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2 भारत सरकार (2019) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर तथ्य शीट (अप्रैल 2000 से मार्च 2019) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
- 3 भारत सरकार (2019), उदय समाचार पत्र जनवरी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।
- 4 सीएजी (2017) 5वीं रिपोर्ट 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।
- 5 एएसईआर (2019), शिक्षा रिपोर्ट 2018 की वार्षिक प्रास्थिति एएसईआर केन्द्र।
- 6 पंद्रहवें वित्त आयोग को तमिलनाडु सरकार का ज्ञापन।



## टीएल-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
35.0 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.9%



**क्षेत्रफल**  
1,12,112 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
3.4%



**वन आच्छादन**  
20,582 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
2.9%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
18.4%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.8% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 2,25,047  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
7.5%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**प्रति महिला बच्चे**  
1.8  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
उपलब्ध नहीं  
अखिल भारत औसत  
31.1%

## टीएल: 1 बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## टीएल:1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## टीएल:1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (₹ करोड़)

	State	All GS	Share (%) of State in GS
2011-12	3,59,434	77,44,945	4.6
2012-13	4,01,594	88,27,195	4.6
2013-14	4,51,580	1,00,07,392	4.5
2014-15	5,05,849	1,09,93,257	4.6
2015-16	5,77,902	1,21,91,256	4.7
2016-17	6,58,325	1,37,80,737	4.8
2017-18	7,53,127	1,54,20,126	4.9
2018-19	8,61,031	1,72,83,813	5.0


## टीएल: 1 ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




टीएल: 2 ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



टीएल:2 बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)




टीएल: 2 सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




टिप्पणी : आंध्र प्रदेश के लिए एनएफएचएस - 2 और एनएफएचएस-3 आंकड़े पूर्व के अविभाजित राज्य से संबंधित हैं।

टीएल: 2 डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिन्दु) तेलंगाना टीएल 25 तुलनात्मक अवधि में मौजूद नहीं था। तथापि आंध्रप्रदेश अच्छा सादृश पेश करता है।




टिप्पणी:- वाय अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को टीएल-3 कः व्यक्ति (000) प्रति एलोपैथिक और आयुष चिकित्सकों पर

टीएल - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर



स्रोत:- भारत सरकार (2019) राष्ट्रीय प्रोफाइल 2019ए 14 वा संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।


टीएल -3. बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी



स्रोत:- भारत सरकार (2019) राष्ट्रीय प्रोफाइल 2019ए 14 वा संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।




टीएल 3 सी:- व्यक्ति (000) प्रति वर्ष/ फार्मासिट




स्रोत:- भारत सरकार (2019) राष्ट्रीय प्रोफाइल 2019ए 14 वा संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

टीएल - 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत:- भारत सरकार (2019) राष्ट्रीय प्रोफाइल 2019ए 14 वा संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।


टीएल- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




टीएल- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



टीएल- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




टीएल- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पणी:- प्रतिबद्ध व्यय के वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


टीएल-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



टीएल- 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



टीएल-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




टीएल-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	2,25,047	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	11.8	13.4
ओटीआर	7.5	6.4
एनटीआर	1.2	1.1
टीई	14.9	16.1
ईएस	2.7	3.1
एसएस	4.6	5.4
जीएस	4.0	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	5.1	5.8
पूंजी व्यय	3.6	2.5
एफडी	3.1	2.5
आरडी	-0.5	0.2
ओडी	22.9	25.0

## टीएल- 4. आई : टीआई एवं ओआई अंतर

टीजीआई %, 2015-2019	टीआई	टीआईआई	ओआईआई
तेलंगाणा	8.2	9.8	11.1
जीएस औसत	11.9	11.8	11.1

## टीएल- 4. जे: टीआईआई के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण (कर वियलन एवं सहायता अनुदान) एफसी और गौर एफसी हस्तांतरित प्रकार्य



## हस्तांतरित प्रकार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवी अनुसूची में कल्पित 29 प्रकार्यों के 10 प्रकार्य आरएसबी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवी अनुसूची के कल्पित 18 प्रकार्यों के 17 प्रकार्य सूएसलबी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

## लेखापरीक्षा स्थिति

- ▲ आरएसलबी और यूएलसी के लेखाओं की लेखा परीक्षा 2017-18 तक पूरी हो गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पीटीबी तेलंगाणा सरकार ने स्थापित नहीं की है।

## सभी राज्यों में अंतरण सूचकांक पायदान

प्रकार्य पायदान	प्रकार्यात्मक पायदान	वित्त पायदान	नीति पायदान में सफल हस्तांतरण
6	12	4	5

स्रोत:- भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16 पंजायती राज मंत्रालय, भारत सरकार प्रथम रावि (2020-21 से 2024-25 तक)

## प्रथम राविआ (2020-21 से 2024-25 तक)

- ▲ नए राज्य के सृजन के पश्चात, पहला राविआ 2015 में गठित किया गया था। बहरहाल, इसकी रिपोर्ट अभी भी प्रस्तुत की जाती है।

## अन्य अवलोकन


- ▲ राज्य सरकार स्थानीय निकायो को संसाधन अंतरण के वर्तमान मानदण्ड पर सूचना प्रदान नहीं की थी।
- ▲ राज्य सरकार राविआ गठित करने और उनकी अनुसंसाओं का समयबद्ध कार्यान्वयनके संवैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन नहीं कर रही है।

**ऋण और हानियां**

- ▲ 31 मार्च 2019 तक डिस्काम की कुल उधारियां 17ए 121 करोड़ रू है जिसमें से राज्य सरकार की उधारियां 11 करोड़ रू है।
- ▲ उदय के तहत राज्य सरकार ने ब्रांड के निगमन के जरिए 2016-17 में 8,923 करोड़ रू के डिस्काम के बकाया ऋण को ले लिया है।

प्रमुख उदय बैरोमीटर 2018-19	उपलब्धियां	लक्ष्य
एटीएवसी	20.0	10.0
एसीएस-एआरआर अंतराल (रू प्रति यूनिट)	1.5	0

टिप्पणी:- एसएसआरआर अंतराल संकेत करता है कि प्रति यूनिट औरसत राजस्व उगाहा हुआ आपूर्ति की औरसत लागत से अधिक है  
स्रोत:-विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**टीएल - 5 ए : एटीएस सी हानियां (%) वर्ष 2015**

स्रोत भा.स (2019) उदय का समाचार पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार

**उर्ध्वधर अंतरण**

- ▲ तेलंगाना ने प्रस्ताव किया कि विभाज्य मूल में राज्य का हिस्सा 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।

**क्षैतिज अंतरण के लिए सूत्र**

क्रम सं.	मापदंड	भार (%)
i)	जनसंख्या (2011)	20.0
ii)	क्षेत्र	20.0
iii)	आय अंतर	30.0
iv)	राजकोषीय आत्मनिर्भरता	10.0
v)	सरकारी व्यय की गुणवत्ता	7.5
vi)	जनसांख्यिकी निष्पादन	12.5

**केन्द्रीय अंतरण पर कम निर्भरता**

- ▲ 2018-19 में, केन्द्रीय अंतरण राज्य सरकार के टीआरआर के 2790 से कम था जो यह इंगित कर रहा है कि अधिकतर अन्य राज्यों से स्वयं संसाधनों पर अधिक आत्मनिर्भरता है।
- ▲ राज्य ने भी उसी वर्ष में 7.5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत उच्च ओटीआर-जीएसडीपी हासिल की थी।
- ▲ राज्य को कर और कर भिन्न दोनों अपने स्वयं के संसाधन से उच्चतर राजस्व बनाये रखने के अपने स्वयं के संसाधन से उच्च राजस्व बनाये रखने के अपने प्रयास लगातार करते रहने चाहिए।

**स्वास्थ्य संकेतक**

- ▲ तेलंगाना प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में से अधिकतर में राष्ट्रीय औसत से आगे है। कुछ नीचे सूचीबद्ध है।
- ▲ एसआरएस 2018 के अनुसार 5 के नीचे (0 से 4 वर्ष तक) प्रति 1000 जीवित जन्म पर मृत्यु : 30 (राष्ट्रीय औसत, 36)
- ▲ आधारभूत टीकाकरण द्वारा कवर किए गए बच्चों का प्रतिशत (12-23 महीने) : 68 (राष्ट्रीय औसत, 62)
- ▲ व्यर्थ बच्चे प्रतिशत : 18.1 (राष्ट्रीय औसत, 21.0)
- ▲ मानव मृत्यु प्रत 10,000 प्रसव (एसआरएस, 2016-18: 63) (राष्ट्रीय औसत, 113) नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)
- ▲ तेलंगाना एडीसी सूचकांक 2019 पर भारतीय राज्यों के बीच 5वें पायदान पर है।
- ▲ राज्य अच्छा स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता एसडीजी-3एसडीजी-8 उत्तम कार्य और आर्थिक वृद्धि और एसडीजी-10 कम हुई असमानता पर अग्रणी है।
- ▲ बहरहाल, इसे एसडीजी- गरीबी नहीं, एसडीजी-2 जीरो हंगर, एसडीजी-6 स्वच्छ जल और स्वच्छता एसडीजी-9 उद्योग नवोन्मेष और अवसंरचना और एसीजी 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान पर अपने निष्पादन को सुधारने की आवश्यकता है।

**कारोबार करने की सुगमता**

- ▲ राज्य सरकार ने बहुत सी निवेशक अनुकूल नीतियों जैसे कि टीएस-आई-पास (एकल खिड़की स्वीकृति हेतु) टी हब (स्टार्टअप प्रोत्साहित करने के लिए) इत्यादि कार्यान्वित की है।
- ▲ ये और अन्य ऐसी ही प्रेक्षक पहलो ने तेलंगाना को 2019 में सभी राज्यों की ईआडीबी रैंकिंग में तीसरे स्थान लाया था।
- ▲ औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए।

**अद्यतित भूमि रिकॉर्ड**

- ▲ महाराष्ट्र के अलावा, तेलंगाना ही केवल अन्य राज्य है जिसने अपने भू-रिकॉर्ड आंकड़े को 99 प्रतिशत से अधिक कंप्यूटरीकृत किया है।
- ▲ संशोधित और अद्यतित भूमि रिकॉर्ड सूचना पर बड़े उपायों में निर्भर स्टीक और दस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
- ▲ ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना वस्तुतः भूमि लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी और कपट के जोखिम को कम करता है।

**राजकोषीय अनुशासन**

- ▲ राज्य का एफडी-जी एसडीपी अनुपात 2016-16 में 3.3 % से 2016-17 में 5.4 % तक बढ़ गया था और इसके पश्चात 2018-19 में 3.1% तक गिर गया था।
- ▲ इसके अतिरिक्त, ऋण जीएसडीपी अनुपात 2015-16 और 2018-19 के बीच 17 % से 22.9% तक बढ़ गया था।
- ▲ कुल मिलाकर 3 % एफडीजीएसडीपी अनुपात, राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत अतिरिक्त उधारियों 2016-17 (0.50%), 2017-18 (0.50%) और 2018-19 (0.25%) की सहायता ली थी।
- ▲ अतः राज्य को इसके धारे और ऋण को सतत स्तर पर लाने की आवश्यकता है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ एफआरबीएम अधिनियम, 2005 पूर्ववर्ती अविभाजित आंध्र प्रदेश द्वारा अधिनियमित किया गया था जो कि तेलंगाना में राज्य के सृजन 2 जून 2014 से लागू है और यह राज्य सरकार द्वारा 2016-17 में संशोधित किया गया था।
- ▲ राज्य 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान एफडी-जीएसडीपी अनुपात के एक एफआरबीएम लक्ष्य के मुताबिक नहीं चला था।
- ▲ बहरहाल, ऋण-जीएसडीपी अनुपात इसी अवधि के दौरान लक्ष्य के भीतर नहीं रहा।

% के रूप में अनुपात	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>			
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	25.0	25.0	25.0
वास्तविक रूप से हासिल हुआ	17.0	20.5	22.0
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>			
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.5	3.5
वास्तविक रूप से हासिल हुआ	3.3	5.4	3.6

स्रोत:- तेलंगाना सरकार

**महालेखा परीक्षक, तेलंगाना द्वारा अवलोकन**

- ▲ यदि 2016-17 में राज्य की बजट इतर उधारियां राशि 29, 965 करोड़ रुपये के कारण उसी वर्ष में ऋण जीएसडीपी अनुपात 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाएगा।
- ▲ राज्य ने 2016-17 के दौरान 1386 करोड़ रु. का राजस्व आधिक्य दर्ज किया था। राजस्व आधिक्य अनियमित लेखा के कारण 6,778 करोड़ रु. बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था।
- ▲ इस तरह, राज्य का वास्तव में 2016-17 में 5392 करोड़ रु. का राजस्व घाटा था।
- ▲ राजस्व घाटा (35,281 करोड़ रु.) राजस्व प्राप्तियों के रूप में उधार ली गई निधियों के ऋण देने के कारण 2500 करोड़ रु. कम बताया गया था।
- ▲ सिंचाई में किया गया बड़ निवेश ने अभी तक फसल उत्पादन सुधार के संबंध में आनुपातिक प्रतिफल देने में परिणत नहीं हुआ था।
- ▲ राज्य के राजकोषीय स्थिति पर नकारात्मक जोखिम प्रमुख चुनौती रहा है।

**कालेश्वरम परियोजना की उच्च लागत**

- ▲ 80,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर कालेश्वरम उत्थान (लिफ्ट) परियोजना (तेलंगाना सरकार की प्रमुख कार्यक्रम) का उद्देश्य कृषि के 18 लाख एकड़ से अधिक की सेवा करना है।
- ▲ लिफ्ट सिंचाई परियोजना से भारी बिजली बिल बढ़ता है, जिससे प्रश्न उठता है, परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता गारंटीशुदा राजस्व के अभाव में

- ▲ राज्य को परियोजना के प्रचालन और रखरखाव लागत को कम से कम समाहित करने के लिए पर्याप्त राजस्व (प्रयोक्ता प्रभार के जरिए) सृजित करने का प्रयास करना चाहिए।

#### अंतर्राज्य विकास विषमता

- ▲ तेलंगाना के 33 जिलों में से केवल 4 जिले-रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेदचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी ही जीएसडीपी में 52 % योगदान देते हैं।
- ▲ सभी द्वितीय और तृतीय गतिविधियां इन जिलों में केन्द्रित हैं।
- ▲ तेलंगाना को सभी जिलों में समावेशी और संतुलित विकास में अन्य शहरी केन्द्रों के विकास में निवेश करना चाहिए।

#### बेरोजगारी दर

- ▲ बेरोजगारी के गिरने का ढंग तेलंगाना में 15 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के बीच 2017-18 में 5वां उच्चतम था।
- ▲ इस तरह श्रम साध्य क्षेत्र अधिक रोजगार सृजन करने के लिए राज्य में प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

#### शिक्षा

- ▲ तेलंगाना का शिक्षा परिणाम राष्ट्रीय औसत में नीचे है (जैसे की पठन क्षमता) या समयावधि में वस्तुतः खराब हो गई (जैसे कि अंकगणितीय योग्यता) जोड़ घटाव कर सकते हैं।

	तीसरी कक्षा में बच्चों का % जो दूसरी कक्षा की पुस्तक पढ़ सकते हैं।		तीसरी कक्षा में बच्चों का % जो दूसरी कक्षा के जोड़ घटाव कर सकते हैं।	
	2016	2018	2016	2018
तेलंगाना	18.6	18.1	42.2	34.5
भारत	25.2	27.3	27.7	28.2

स्रोत एएसई (2015), शिक्षा वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018, एएसईआर केन्द्र

- ▲ 2016-17 में शिक्षा पर व्यय (सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और शिक्षा खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2.6 % के जीएस औसत के खिलाफ 1.8% है।

#### पिछड़ापन

- ▲ तेलंगाना के 33 जिलों में से तीन को आकांक्षी जिलों के रूप में चिह्नित किया गया है।
- ▲ इनमें से, देश में वामपंथी उग्रवाद द्वारा सबसे बुरी तरह प्रभावित 35 जिलों में से एक जिला आता है।
- ▲ राज्य आकांक्षी ब्लाक के रूप में आकांक्षी जिलों की तर्ज पर 20% निचले विकास का लक्ष्य रख सकता है।

#### विद्युत क्षेत्र

- ▲ राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए राज्य का स्मार्ट मीटरिंग और फीडर सांगरेशन के साथ इन दो प्रमुख उदय बैरोमीटर पर इसके निष्पादन को वस्तुतः सुधारना आवश्यक है।
- ▲ मजबूत क्षेत्र सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है कि विद्युत सब्सिडी बिना कमियों के लाभार्थियों तक पहुंच रही है।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ स्थानीय निकाय को बचे कार्यों के लिए अंतरण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- ▲ प्रथम एसएफसी 2015 में गठित की गई थी जिसने चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

- ▲ राज्य को पीटीबी का गठन करने की आवश्यकता है।
- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280 (ख ख) और (ग) में यथा प्रतिष्ठापित भारतीय वित्त आयोग एसएफसी की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुशंसाएं प्रदान करवाती है। राज्य सरकार को एसएफसी गठित करना चाहिए, उनकी अनुशंसाओं पर कार्य करना चाहिए और राज्य विधानसभा के समक्ष मार्च 2024 को या उससे पहले उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन रखना चाहिए।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ 47 कार्यशील पीएसयू में से (15 पीएसयू केवल राज्य के, राज्य के विभाजन के कारण बने 28 पीएसयू और अलग करने के तहत 4 पीएसयू), 102 के 42 में बकाया था (30 दिसंबर 2017 की स्थिति तक) 1 से 9 वर्ष बकाया की मॉजूदगी से।
- ▲ 31 मार्च 2017 तक राज्य सरकार ने 43 कार्यरत पीएसयू में 58, 746.19 करोड़ रु (2016-17 में जीएसडीपी का 8.9%) निवेश किया था।
- ▲ यदि पीएसयू के लेखे की समय पर लेखा परीक्षा नहीं की जाती है तो यह बहुत जरूरी बजटीय सहायता को देखते हुए राज्य सरकार को गंभीर नकारात्मक जोखिम प्रस्तुत कर सकता है।

#### राज्य के दल में सुधार

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से, राज्यों का प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर समूह बनाया गया है। तेलंगाना उस समूह का हिस्सा है जिसमें गुजरात, तमिलनाडू, महाराष्ट्र केरल, कर्नाटक, हरियाणा और गोवा शामिल हैं।
- ▲ तेलंगाना के प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड अन्य की तुलना में अपने वर्ग में है (गोवा को छोड़कर जो कि बहुत छोटा है)

#### सुधार सूचक

- ▲ यद्यपि तेलंगाना भारत के विकसित राज्यों में है, प्रतिव्यक्ति आय के संबंध में यह अपने वर्ग में 5 वे स्थान पर है।
- ▲ एनएफएचएस (2015-16) के अनुसार, तेलंगाना अपने वर्ग में एक मात्र राज्य है जो कि राष्ट्रीय औसत (89.9%) से सुरक्षित पेयजल (77.9%) की पहुंच से घरे के निम्नतम प्रतिशत को दर्ज किया है।
- ▲ तेलंगाना ने ओटीआर की दूसरी सबसे बड़ी उछाल अपने दल में (वित्त वर्ष 2018-19 में 1.22) दर्ज की थी।
- ▲ इस वर्ग में राज्यों के बीच ओआरआर अनुपात (2018-19)
- ▲ हरियाणा का सबसे अधिक है जिसके बाद तेलंगाना का है (69.5 के वर्ग औसत की तुलना में)
- ▲ ओआरआर/टीआई तेलंगाना के लिए सबसे अधिक होना अवलोकन किया गया है जिसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात है।
- ▲ 2015 और 2019 के बीच तेलंगाना ने टीआई की तुलना में उच्च ओआरआर का उच्च डीजीआर का अच्छा संकते दर्ज किया था।
- ▲ तेलंगाना के लिए ओ आरआर का 86.6 % ओटीआर से आता है जो कि अधिकतर पूर्व में हैदराबाद केन्द्रित उच्च वृद्धि वाले जिलों से आते हैं।
- ▲ स्टाम्प ड्यूटी से राजस्व बहुत कम है महाराष्ट्र में 15% की तुलना में ओटीआर का 8 % यह व्यापक सुधार हेतु कार्य क्षेत्र प्रस्तुत करता है।
- ▲ ऋण देनदारी भुगतान का वर्तमान स्तर भी चिंता का कारण है जिसे तुरंत सुलझाए जाने की आवश्यकता है।
- ▲ 2018-19 में टीआई के 13% का ब्याज भुगतान वर्ग औसत और तीव्र वृद्धि से अधिक है।




- ▲ राज्य ने पेजल और सिंचाई जैसी प्रमुख सिंचाई अवसंरचना के लिए उधारियों की सहायता ली थी। ऐसी बड़ी बजटतर उधारियों के लिए बढ़ रहा व्याज भुगतान (लागत वसूली के लिए प्रावधान के बिना) बहुत जल्दी राजकोषीय चुनौतियां सृजित करने के लिए अनुमानित है।
- ▲ अंततः संभाव्य राजकोषीय झटकों से बचने के लिए पैरास्टेटेल्स के माध्यम से बजटतर उधारियों के लिए जिम्मेदार होने की आवश्यकता है।

#### टिप्पणी

1. भारत सरकार (2018) *समयावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18*, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
2. सीएजी (2017) *2017 की रिपोर्ट सं. 2 सरकारी क्षेत्र उपक्रम तेलंगाणा*, भारत के महा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, तेलंगाणा सरकार द्वारा प्रकाशित।

## टीआर -1ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
3.7 मिलियन  
सभी राज्यों की  
जनसंख्या का  
0.3%



**क्षेत्रफल**  
10,486 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों के  
क्षेत्र का  
0.3%



**वन आच्छादन**  
7,726 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
73.7%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0%



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,25,461  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**कर और जीएसडीपी का अनुपात**  
3.5%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चों की संख्या**  
1.7  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
26.2%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## टीआर-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## टीआर-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## टीआर-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹)


वर्ष	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	19,208	5,03,182	3.8
2012-13	21,663	5,63,081	3.9
2013-14	25,593	6,37,264	4.0
2014-15	29,533	6,95,474	4.3
2015-16	35,938	7,88,321	4.6
2016-17	39,479	8,67,648	4.6
2017-18	43,716	9,74,240	4.5
2018-19	49,845	10,82,901	4.6

## टीआर-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




## पंद्रहवां वित्त आयोग खंड - XIV, राज्य


टीआर-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




टीआर-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



टीआर-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




टीआर-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआई एसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018

टीआर-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)




टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

टीआर-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

टीआर-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

टीआर-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/औषध विक्रेता




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


टीआर-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




टीआर-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




टीआर-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



टीआर-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया देनदारी




टीआर-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पण : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज, भुगतान, और पेंशन


टीआर-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



टीआर-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



टीआर- 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




टीआर-4. एच : प्रमुख राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम एनईएचएस

राजकोषीय संकेतक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू० में	1,25,461	1,30,427
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	24.1	23.3
ओटीआर	3.5	5.0
एनटीआर	0.8	2.0
टीई	26.8	26.7
ईएस	3.1	5.0
एसएस	10.5	8.7
जीएस	9.8	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	17.0	14.4
पूंजी व्यय	3.0	4.3
एफडी	2.7	3.4
आरडी	-0.3	-0.9
ओडी	29.7	29.6

## टीआर-4 आई: टीआरआई और ओआरआर अंतराल

टीजीआर	%, 2011-2019	टीआरआई	टीआरआर	ओआरआर
त्रिपुरा		14.0	8.5	10.0
एनईएचएस		12.6	12.1	10.7

टीआर-4 जे : टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण [ (कर अंतरण और सहायता अनुदान) वि.आ और गैर वि.आ ]



## त्रिस्तरीय

- ▲ 634 पीआरआई और 20 यूएलबी के अलावा, राज्य के पास भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक एडीसी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद या टीटीएडीसी है।

## अंतरित प्रकार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवी अनुसूची के तहत 29 प्रकार्यों के 5 प्रकार्य पीआरआई को अंतरित कर दिए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवां अनुसूची में यथा कल्पित 18 प्रकार्यों के 13 प्रकार्यों को यूएलबी को अंतरित कर दिया गया है।

## लेखा परीक्षा स्थिति

- ▲ आरएलबी खातों की 2017-18 तक लेखा परीक्षा कर दी गई है।
- ▲ टीटीएडीसी के खातों की 2017-18 तक लेखा परीक्षा की गई है।
- ▲ यूएलबी खातों के लेखा परीक्षा पर सूचना उपलब्ध नहीं है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ पीटीबी राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है।
- ▲ सभी राज्यों में अंतरण सूचकांक रैंक

कार्य श्रेणी	पदाधिकारी श्रेणी	वित्त श्रेणी	नीति श्रेणी में कुल अन्तरण
8	13	13	9

स्रोत: भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## तृतीय एसएफसी (2009-10 से 2014-15 तक)

- ▲ तृतीय एसएफसी ने राज्य के ओटीआर और एनटीआर से स्थानीय निकायों के लिए कोई भी विशिष्ट अंतरण प्रतिशत की अनुशंसा नहीं की थी।
- ▲ इसके बजाय इसने आरएलबी की स्थापना, रख-रखाव और विकास के लिए अपेक्षित खर्च मूल्यांकन करने के द्वारा अंतरण-पूर्व अंतराल परिकल्पित किया था।

- ▲ तब, त्रिपुरा के अनुमानित ओटीआर और एनटीआर और इनके व्यय अंतराल के आधार पर यह अनुशंसा की गई थी कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान पूर्व अंतरण अंतराल पाटने के प्रति एक विशिष्ट राशि प्रति वर्ष अंतरित की जाएगी।

#### चौथा एसएफसी (2015-16 से 2019-20)

- ▲ चौथे एसएफसी की रिपोर्ट फिलहाल त्रिपुरा सरकार द्वारा जांची जा रही है।
- ▲ जबकि चौथे एसएफसी की पंचाट अवधि पूर्ण हो गई है, एटीआर अभी तक पटल पर नहीं रखा गया है।

#### ऋण और हानियां


- ▲ त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (टीएसईसी) विद्युत विभाग, त्रिपुरा सरकार का उत्तराधिकारी, राज्य में विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण के प्रभार में पूर्व राज्य स्वामित्व निकाय है।
- ▲ यद्यपि राज्य टीईसी की प्रचालन दक्षता के लिए उदय करार पर हस्ताक्षर करता है इसने योजना के तहत कोई ऋण नहीं लिया था।
- ▲ 31 मार्च 2019 तक टीएसईसी की कुल उधारियां 465 करोड़ रु. है जिसमें से राज्य सरकार की उधारियां है।
- ▲ यद्यपि त्रिपुरा ने 2018-19 में उदय एसीएस-एआरआर अंतराल लक्ष्य हासिल किया था। यह एटीएवं सी हानियों के बहुत पीछे रह गया था।

प्रमुख उदय बेरोमीटर 2018-19	उपलब्धियां	लक्ष्य
एटी एवं सी हानियां %	35.48	20.0
एसीएस-ए आर आर अंतराल (प्रति यूनिट रु.)	-0.06	0.03

टिप्पणी:- ए सी एस-ए आर आर अंतराल संकेत करता है कि प्रति यूनिट औसत प्राप्त राजस्व आपूर्ति की लागत औसत से अधिक है।

स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

#### टीआर 5 ए: एटी एवं सी हानियां (%) विवि 2018



स्रोत:- भारत सरकार 2019 उदय का समाचार पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।



**उर्ध्वाधर अंतरण**

- ▲ त्रिपुरा ने सिफारिश की है कि राज्यों को उर्ध्वाधर कर अंतरण और अधिक प्रभार के बढ़ते हिस्से और सामान्य, विशेष और विशेष योजना सहायता जैसी केन्द्रीय अनुदान को समाप्त करने के आलोक में 42% से 50 % किया जाना चाहिए।
- ▲ त्रिपुरा ने यह भी अनुशांसा की है कि राज्यों को कर अंतरण का कम से कम का 10 % उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों ( एनईएचएस ) के लिए चिह्नित किया जाए।

**क्षैतिज अंतरण हेतु सूत्र**

क्रसं	मापदण्ड	सुझावित भार
i)	जनसंख्या	10
ii)	जनसांख्यिकी बदलाव	10
iii)	आय अंतर	50
iv)	क्षेत्र	5
v)	वनाच्छादन	10
vi)	पहुंच और अवसंरचना की उपलब्धता	5
vii)	अंतर्राष्ट्रीय सीमा	10

**जीएसडीपी वृद्धि**

- ▲ राज्य का 2011-12 से 2018-19 तक 14.9% का जीएसडीपी टीजीआर था ( सभी राज्य औसत 11.9% )
- ▲ तथापि, वृद्धि 2016-17 में 9.9% तक गिरने से पहले 2015-16 में 2014-15 में 15.4 % से 2015-16 में 21.7% तक बढ़ने हुए काफी अस्थिर रही है। 2015-16 में अधिकतम थी क्योंकि 2013-14 और 2014-15 में दो गैस आधारित 726 मेगावाट विद्युत संयंत्र शुरू किए गए थे। ये बढ़ी हुई जीएसडीपी खनन और खनिज और विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत है।

**वास्तविक और डिजिटल संपर्कता**

- ▲ त्रिपुरा के पास उत्तर पूर्व में आईटी विकसित करने की संभावना है क्योंकि उसके पास अच्छी इंटरनेट संपर्कता है।
- ▲ इसके पास 952.8 किमी वर्ग किमी के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 1815 किमी प्रति हजार किमी की संपूर्ण विमान तल और सड़क सघनता है।
- ▲ हालांकि शेष भारत से सड़क सम्पर्कता को सुधारा जा सकता है।
- ▲ वायु संपर्कता के अलावा, यदि त्रिपुरा बांग्लादेश के जरिए समुद्री स्थापित कर सके तो यह भारत और उत्तर पूर्व एशियाई देशों के संगठन की उत्तर पूर्व से जोड़ने के लिए व्यापार द्वारा बन सकता है।

**मानव विकास संकेतक**

- ▲ 17 एसडीजी में से त्रिपुरा नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 के द्वारा एसडीजी-1 गरीबी उपशमन, एसडीजी-10 असमानता कम करने, एसडीजी 15 भूमि पर जीवन और एसडीजी-16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान में अग्रणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ▲ त्रिपुरा ने अपनी जनसंख्या के 14% तक ( सभी राज्यों में कमी की उच्चतर दर ) 2014-2005 से 2011-12 के बीच 26.6% गरीबी की कमी की थी।

- ▲ अन्य मानवीय विकास संकेतक भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
- ▲ अच्छी सम्पर्कता और शैक्षणिक संकेतकों के साथ इसकी राजधानी अगरतला के पास जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों और चिकित्सा पर्यटन विकसित करने के लिए संभावना है।

#### पर्यटन

- ▲ त्रिपुरा में उत्तर पूर्व के 10 ऐतिहासिक स्मारकों में से 8 राज्य के पास है, राज्य के पास पर्यटन विकसित करने के लिए प्रचुर कार्यक्षेत्र है।
- ▲ त्रिपुरा सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से राज्य में कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है।
- ▲ उत्तर पूर्व को व्यापार और पर्यटन द्वारा बनने की आकांक्षा से राज्य सरकार सीधी दिल्ली-अगरतला उड़ान शुरू करने के लिए उपाय खोज रहा है।
- ▲ यद्यपि त्रिपुरा में होटलों की संख्या कम है, ई-कॉमर्स मंच के जरिए त्रिपुरा में होमस्टे प्रचालनरत है, इन्हें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

#### प्राकृतिक संसाधन

- ▲ त्रिपुरा पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों के साथ एक विद्युत अधिशेष राज्य है, जिसे राजस्व प्रवाहो को सृजित करने के लिए पड़ोसी राज्यों को बिक्री के लिए काम में लाया जा सकता है।
- ▲ त्रिपुरा रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है परंतु रबड़ संसाधित करने वाली ईकाईयां राज्य में विकसित नहीं की गई हैं।
- ▲ राज्य बांस, रबड़, तम्बाकू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधार पर उद्योग विकसित किए जा सकते हैं।
- ▲ बांस प्रसंस्करण सब्सिडी को परेशानी मुक्त सुविधा बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए।

#### राजकोषीय अनुशासन

- ▲ यद्यपि, त्रिपुरा का 2013-14 में राजकोषीय अधिशेष था, इसका एफडी-जीएसडीपी अनुपात 2018-19 में 2.69% तक कम होने से पहले 2015-2017 में बढ़ गया था।
- ▲ त्रिपुरा का 2018-19 में बहुत अधिक ऋण जीएसडीपी अनुपात था।
- ▲ इसे पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसरण में कम करने की आवश्यकता है।

प्रतिशत में अनुपात	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>						
त्रिपुरा	-0.2	3.6	4.6	6.4	4.7	2.7
एनईएचएस	2.8	3.5	2.1	3.1	2.9	3.4
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>						
त्रिपुरा	34.0	31.6	27.5	28.5	29.5	29.7
एनईएचएस	28.7	29.2	28.5	29.2	29.0	29.6

स्रोत:- वित्त लेखा

#### केन्द्रीय सरकार पर अधिक निर्भरता

- ▲ केन्द्र सरकार से राज्य टीआरआर का 82.23% आता है।
- ▲ त्रिपुरा के पास एनईएचएस और सभी राज्यों के औसत (7.5%) की तुलना में बहुत निम्न ओआरआर/जीएसडीपी अनुपात (4.3%) है।

विवरण (2018-19 %)	त्रिपुरा	एनईएचएस	सभी राज्य
ओटीआर/ जीएसडीपी	3.5	5.0	6.3
एनटीआर/जीएसडीपी	0.7	2.0	1.2
ओआरआर/जीएसडीपी	4.3	7.0	7.5

- ▲ 2011-12 से 2018-19 तक ओटीआर का उछाल सिर्फ 0.95 के एनईएचएस औसत की तुलना में 0.63 था।
- ▲ जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वैट/जीएसटी स्टाम्प ड्यूटी और उत्पाद से राज्य द्वारा संग्रहण एनईएचएस औसत से कम है।
- ▲ राज्य को राजस्व के नवोन्मेषी साधन विकसित करते हुए इन साधनों से राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

राज्य	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में				
	वैट /जीएसटी	स्टाम्प ड्यूटी	उत्पाद शुल्क	विद्युत शुल्क	अन्य
त्रिपुरा	2.7	0.1	0.4	0	0.3
एनईएचएस	3.5	0.2	0.7	0.1	0.5
सभी राज्य	4.2	0.7	0.8	0.2	0.5

#### उच्च प्रतिबद्ध व्यय

- ▲ त्रिपुरा ने 2011-12 और 2018-19 के बीच (एनईएचएस 12.1) 14% के टीजीआर के साथ (2018-19 में 67.6% के एनईएचएस औसत की तुलना में टीआरई के 71.5% के (जीआईए वेतन सहित) प्रतिबद्ध व्यय है।
- ▲ राज्य को प्रतिबद्ध व्यय कम करने की और अपने व्यय को फिर से प्राथमिकता देने और पुनर्सुधार करने की आवश्यकता है ताकि विकास करने हेतु व्यय की अधिक गुंजाइश रहे।

#### द्वितीयक क्षेत्र का कम हिस्सा

- ▲ द्वितीयक क्षेत्र त्रिपुरा की जीएसडीपी का 13.0% है। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान केवल 3.43% है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और असम जैसे अन्य एनईएचएस से असंतोषजनक तुलना करते हैं।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य को एसएफ सी के समयबद्ध रूप से गठन को सुनिश्चित करना चाहिए और उनकी अनुसंशाओं पर कार्य करना चाहिए।
- ▲ राज्य सरकार द्वारा संपत्ति कर दर विशिष्ट निर्देश की जाती है और स्थानीय निकाय को इसे बदलने की आज्ञा नहीं होती है।
- ▲ पीआरआई को संविधान में यथा निर्धारित सभी प्रकार्य अंतरित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

#### सरकारी क्षेत्र उपक्रम<sup>1</sup>


- ▲ 13 कार्यशील एसपीएसयू में से केवल 2 ने 30 सितंबर 2017 तक अपने अद्यतित खाते तैयार किए थे।
- ▲ शेष 11 के 1 से 3 वर्ष तक अवधि के लिए 20 खातों का बैकलाग था।
- ▲ राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान नौ एसपीएसयू में 237.23 करोड़ रु. निवेश किया था जिसके लिए इन पीएसयू ने अपने खातों को अंतिम रूप दे दिया था।
- ▲ खाते को अंतिम रूप देने और लेखा परीक्षा किए बिना क्या किए हुए निवेश और व्यय को उचित ढंग से लेखाबद्ध किया गया और क्या उनके उद्देश्य हासिल हुए, यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

- ▲ 30 सितम्बर 2017 की स्थिति के अनुसार 13 कार्यशील एसपीएसयू की प्रदत्त पूंजी 1,324.59 करोड़ रु. थी और संचयी हानि 773.39 करोड़ रु. थी।
- ▲ इन पर एसयू द्वारा बड़ी हानियों का संचय हुआ जिससे सरकारी धन कम हुआ है।
- ▲ लेखा की लेखा परीक्षा न होने से संतोषजनक बजटीय सहायता को देखते हुए गंभीर नकारात्मक जोखिम प्रस्तुत कर सकता है।
- ▲ टीईएससी उम्रदराज उत्पादन स्टेशनों में अक्षमता के कारण 12 ईकाईयों में 152 मेगावाट की स्थापित क्षमता में से 115 मेगावाट क्षमता के साथ केवल सात उत्पादन ईकाईयां प्रचालित कर सकती है।
- ▲ कंपनी ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तय उत्पादन लक्ष्य को हासिल न कर पाने के कारण 2012-13 से 2016-17 के दौरान 79.38 करोड़ रु. के निवल संभाव्य बिक्री राजस्व की हानि हुई थी।

### उच्च बेरोजगारी दर

- ▲ -त्रिपुरा में देश की 19.7% उच्च बेरोजगारी दर थी (5% के अखिल भारतीय स्तर की तुलना में)<sup>2</sup>

### टीआर-5 बी भारत में प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी दर, व्यावहारिक प्रमुख प्रास्थिति उपागम, % में



स्रोत:- भारत सरकार (2016) पांचवी वार्षिक रोजगार, - बेरोजगारी सर्वेक्षण 2015-16 श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

### सुधार सूचक


- ▲ त्रिपुरा का 2018-19 में बहुत अधिक ऋण-जीएसडीपी अनुपात 29.7% था। इसे पंद्रहवे वित्त आयोग की अनुशंसा की तर्ज पर कम किए जाने की आवश्यकता है।
- ▲ त्रिपुरा का एनईएचएस औसत की तुलना में बहुत कम ओआरआर जीएसडीपी अनुपात है। इसकी केन्द्रीय सरकार पर निर्भरता बहुत अधिक है चूंकि इसके टीआरआर का 82.33% केन्द्र से आता है। वेट, स्टाम्प ड्यूटी और उत्पाद शुल्क से राज्य द्वारा संग्रह जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में एनईएचएस औसत से कम है। चूंकि राज्य के पास प्राकृतिक संसाधन है इसे अनुकूल नीतियों से इसके द्वितीयक क्षेत्र को प्रोत्साहित और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह राज्य की अपने संसाधन बढ़ाने में मदद भी करेंगे।

### टिप्पणी:-

1. सीएजी (2018) 2018 की रिपोर्ट सं. 1- सरकारी क्षेत्र उपक्रम, त्रिपुरा, सरकार द्वारा प्रकाशित भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट।
2. भारत सरकार (2016) पांचवी वार्षिक रोजगार, बेरोजगारी सर्वेक्षण 2015-16, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार



## यूपी-1ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**199.8 मिलियन**  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**16.8%**



**क्षेत्रफल**  
**2,40,928 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**7.4%**



**वन आच्छादन**  
**14,806 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
**2.1%**  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**6.1%**

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.9%↑**



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
**रु. 74,402**  
**रु. 1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
**7.2%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**




**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चे**  
**2.7**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**




**शहरीकरण दर**  
**22.3%**  
अखिल भारतीय औसत  
**31.1%**

## यूपी-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## यूपी-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## यूपी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)


वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेर
2011-12	7,24,050	77,44,945	9.3
2012-13	8,22,393	88,27,195	9.3
2013-14	9,40,356	1,00,07,392	9.4
2014-15	10,11,790	1,09,93,257	9.2
2015-16	11,37,808	1,21,91,256	9.3
2016-17	12,90,289	1,37,80,737	9.4
2017-18	14,60,443	1,54,20,126	9.5
2018-19	16,68,229	1,72,83,813	9.7

## यूपी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


यूपी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




यूपी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



यूपी-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




यूपी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक



<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 |


<sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

**यूपी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)**




नोट : बाईं अक्षर पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

**यूपी-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर**



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


**यूपी-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी**



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार




यूपी-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/फार्मसिस्ट




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

यूपी-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और प्रति व्यक्ति (000) बैड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


यूपी-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




यूपी-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



यूपी-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




यूपी-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


यूपी-4. ई: जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



यूपी-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



यूपी - 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




यूपी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	74,402	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	19.8	13.4
ओटीआर	7.2	6.4
एनटीआर	1.8	1.1
टीई	22.2	16.1
ईएस	4.0	3.1
एसएस	5.5	5.4
जीएस	7.8	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	7.6	5.8
पूंजी व्यय	4.1	2.5
एफडी	2.1	2.5
आरडी	-1.7	0.2
ओडी	31.1	25.0

## यूपी-4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
उत्तर प्रदेश	13.8	14.2	12.2
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## यूपी - 4. जे : टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## हस्तांतरित कार्य

- ▲ भारत की जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.88 करोड़ है, जिसमें 77.22 % ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
- ▲ भारत में 2.41 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में से 24.48% (0.59 लाख) लाख उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।
- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से एक, 26 कार्य उत्तर प्रदेश में आरएलबी/पीआरआई को सौंप दिए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूचित में परिकल्पित 18 कार्यों में से 12 कार्य यूएलबी को सौंप दिए गए हैं।

## लेखा-परीक्षा की स्थिति

- ▲ मुख्य लेखा-परीक्षा और लेखा अधिकारी सहाकारी समिति और पंचायत, लखनऊ को उत्तर प्रदेश के पीआरआई लेखाओं की लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है। पीआरआई के लेखाओं के लेखाओं को 2016-17 तक लेखा-परीक्षित किया गया है।
- ▲ निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा यूएलबी के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। यूएलबी के लेखाओं की 2016 तक लेखा-परीक्षा की गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

एफसी-13 द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने 2011 में अपने पीटीबी की स्थापना की।

## सभी राज्यों में अंतरण सूचकांक रैंक

कार्य रैंक	कार्यकर्ता रैंक	वित्त रैंकनीति	रैंक में कुल अंतरण
13	6	16	17

स्रोत: भारत सरकार (2016), अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

**चौथा एसएफसी (2011-12 से 2015-216 तक)**

- ▲ चौथे एसएफसी ने सिफरिश की है कि उत्तर प्रदेश के 15% कर और गैर-कर राजस्व (एकत्र का निवल) का अंतरण किया जाए।

**पांचवा एसएफसी (2016-17 से 2019-20 तक)**

- ▲ स्थानीय निकायों को वितरित किया जाने वाला निवल कर राजस्व 12.5% है। यह यूपलबी के लिए 7.5% (12.5% का 60%) और पीआरआई के लिए 5% (12.5% का 40%) बैठता है।


**ऋण और हानियां**

- ▲ उत्तर प्रदेश ने न तो एटीएंडसी हानि के लक्ष्य को और न ही वर्ष 2018-19 में एसीएस-एआरआर अंतर के लिए लक्ष्य पूरा किया है।
- ▲ राज्य ने 2015-2017 के दौरान उदय के तहत 39,134 करोड़ रुपये का हिडस्कोम ऋण लिया है।
- ▲ 31 मार्च 2019 तक, डिस्कोम द्वारा लिया गया कुल ऋण (राज्य सरकार के लिए गए 2,780 करोड़ रुपये के ऋण सहित) 59,212 करोड़ रुपये (सभी राज्यों के कुल डिस्कोम ऋण का 12.4%) है।

प्रमुख उदय बैरोमीटर (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटीएंडसी	33.15	19.36
एसीएस-एआरआर अंतर (प्रति रुपए प्रति यूनिट)	0.60	0.22

टिप्पणी:- (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि प्रति यूनिट और राजस्व की प्राप्ति आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**यूपी-5 के एटीएंडसी हानि (%), वित्त वर्ष 2018**

स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उध्वाधर अंतरण**

- ▲ उत्तर प्रदेश ने अनुशांसा की है कि कर के संपूर्ण विभाज्य पूल में राज्य हिस्से को 50 % तक बढ़ाया जाए।

**क्षैतिज अंतरण के लिए सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाव दिया भार (%)
i)	जनसंख्या	30
ii)	आय अंतर	50
iii)	क्षेत्र	5
iv)	राजकोषीय अनुशासन	15

**एसडीजी-1 शून्य निर्धनता पर उपलब्धि**

- ▲ राज्य ने 2004-05 में 40.9% से 2011-12 में 29.4% तक गरीबी गिरावट के साथ एसडीजी-1 में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है। (तेंदुलकर प्राविधिकी के अनुसार)

**पर्यटन और संबद्ध क्षेत्र**

- ▲ पर्यटन (तीर्थ यात्रा और धरोहर) राज्य अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख है क्योंकि ये हथकरघा, हस्तशिल्प, शिक्षा, आतिशय इत्यादि से संबंधित क्षेत्र है और विकास और रोजगार दोनों सृजित कर रहे है।
- ▲ टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लॉस 2020 के अनुसार भारत को सभी विदेशी दौरे के 15.1% के साथ यूपी को भी की जा रही है, यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन (2019) के संबंध में सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है।
- ▲ इसी तरह, यूपी को की गई सभी घरेलू दौरो के 23.1% के साथ यह घरेलू पर्यटन 2019 के संबंध में सभी राज्यों में प्रथम था।

**बढ़ता हुआ कर जीएसडीपी अनुपात**

- ▲ यूपी का कर जीएसडीपी अनुपात 2018-19 में 7.20% (जीएस में सबसे अधिक है), राज्य उच्च उछाल के इस मार्ग का अनुसरण निरंतर करता रहेगा।
- ▲ उच्च ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात कर प्रयास को दर्शाता है।

**सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम**

- ▲ एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार अखिल भारतीय एमएसएमई का 14.2% (सभी राज्यों में सबसे बड़ी संख्या) यूपी में स्थित है।
- ▲ राज्य को उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए और आजिविका अवसर और बदलने आर्थिक परिदृश्य में अपनी प्रतियोगात्मकता बढ़ाने के लिए एमएसएमई के लिए ऋण, प्रोद्योगिकी, कच्चा माल और विपणन अवसर को पहुंच सुगम

**एफआरजीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने 2004 में अपने एफआरबीएम अधिनियम को कार्यान्वित किया था और इसे 2011 (दुबारा) और 2016 में इसे संशोधित किया था।
- ▲ उत्तर प्रदेश ने हाल ही में वर्षों के अपनी ऋण सीमा के मुताबिक नहीं चला है।
- ▲ इसे आय के भावी प्रवाह सृजन करने के लिए विश्वसनीय ऋण मार्ग और व्यय को ध्यानपूर्वक मिलाने की आवश्यकता है।
- ▲ राज्य को राजकोषीय गिरावट से बचने के लिए समय से कार्रवाई करने के लिए इस मामले को ध्यान देने की और मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	46.9	45.1	43.4	41.9	31.0	31.0	30.5
वास्तविक उपलब्धि	33.6	31.6	30.0	30.4	32.3	32.8	32.0
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक उपलब्धि	2.1	2.3	2.5	3.2	5.1	4.3	1.9

स्रोत:- उत्तर प्रदेश सरकार का ज्ञापन

### सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम<sup>3</sup>

- ▲ 31 मार्च 2018 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 107 राज्य पीएसयू (6 वैधानिक निगम और 101 राज्य के स्वामित्व की कम्पनियां, जिसमें 46 गैर-कार्यात्मक वाले थे।)
- ▲ 31 मार्च 2018 तक, 107 पीएसयू में कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) 199807.67 करोड़ रुपये का 85.6% 2015-16 से 2017-18 प्राप्त हुआ।
- ▲ विद्युत क्षेत्र में कुल निवेश 69554.02 करोड़ रुपये का 85.6% 2015-16 से 2017-18 में प्राप्त हुआ।
- ▲ 61 कार्यात्मक पीएसयू में से 30 सितम्बर 2018 तक 54 के खाते में बकाया आया है।
- ▲ 2015-16 में विद्युत क्षेत्र पीएसयू द्वारा 18127.40 करोड़ रुपये संपूर्ण हानि दर्ज की गई है जो कि 2017-18 में बढ़कर 18535 करोड़ रुपये हो गई।
- ▲ दिए गए बकाया दायित्वों में एसपीएसयू को पर्याप्त बजटीय समर्थन है और खातों में बड़ी मात्रा में बकाया है, राज्य को आकस्मिक दायित्वों के बारे में भी सावधान रहने की आवश्यकता है।
- ▲ पीएसयू के पुर्नगठन में समयबद्ध कार्यक्रम को उनके निष्पादन में मुख्य बाधाओं से निपटारा करना है।

### विद्युत क्षेत्र

- ▲ राज्य विद्युत का उच्च उपभोगी है और इसके एटीएण्ड सी घाटे लक्ष्य से कहीं अधिक है।
- ▲ यूडीएवाई के बैरोमीटर में राज्य का प्रदर्शन खराब है और इसमें सुधार के लिए अच्छे कदम उठाने की आवश्यकता है। (नीचे सारणी में देखें)

पैरामीटर	एमओयू के अनुसार लक्षित अवधि	लक्ष्य	(31 मार्च 2018 तक उपलब्धि)
<b>वित्तीय निष्पादन</b>			
बिलिंग दक्षता (%)	2015-16	76.4	78.3 (प्राप्तियां)
	2016-17	78.3	78.9 (प्राप्तियां)
	2017-18	80.8	79.2 (आंशिक प्राप्तियां)
संकलन दक्षता (%)	2015-16	88.5	78.6 (गैर उपलब्धि)
	2016-17	91.6	88.4 (आंशिक प्राप्तियां)
	2017-18	94.5	91.4 (आंशिक प्राप्तियां)

पैरामीटर	एमओयू के अनुसार लक्षित अवधि	लक्ष्य	(31 मार्च 2018 तक उपलब्धि)
समय में टैरिफ संशोधन	2015-16	नवम्बर 2014	नवम्बर 2014
	2016-17	नवम्बर 2015	दिसम्बर 2015
	2017-18	नवम्बर 2016	जून 2017
<b>परिचालन प्रदर्शन</b>			
वितरण ट्रांसफार्मर पैमाइश (संख्या में)	30 सितम्बर 2017 तक 100 %	3.8 लाख	2 लाख (गैर उपलब्धि)
फीडर पैमाइश (संख्या में)	30 सितम्बर 2016 तक 100 %	16,072	16,072 (उपलब्धि)
फीडर अलगाव (संख्या में)	2016-17	1,660 (30%)	0 (गैर उपलब्धि)
	2017-18	3,597 (65%)	374 (गैर उपलब्धि)
ग्रामीण फीडर लेखा, 11 के वी (संख्या में)	2016-17	847 (10%)	2,515 (उपलब्धि)
	2017-18	2,542 (30%)	6,505 (उपलब्धि)
स्मार्ट मीटरिंग, 200 किलोवाट 500 किलोवाट (संख्या में)	2017-18	1.6 लाख	0 (गैर उपलब्धि)
<b>डीसकॉम के द्वारा यूडीएवाई का क्रियान्वयन</b>			
500 किलो वाट या उससे अधिक स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	2016-17	1.1 लाख	0 (गैर उपलब्धि)
	2017-18	1.1 लाख	0 (गैर उपलब्धि)
असंयोजित घरों में विद्युत की पहुंच (संख्या में)	2019-20	143.5	कार्यान्वयन के तहत
उजाला योजना के अन्तर्गत एलइडी का वितरण (संख्या में)	2016-17	50 लाख	148.3 लाख (हासिल)
	2017-18	80 लाख	82.3 लाख (हासिल)

स्रोत:- सीएजी 2018, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार

#### नीति आयोग 2019 की एसडीजी सूचकांक में रैंकिंग

- ▲ एसडीजी सूचकांक में 55 कीमत है (राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में) और भारतीय राज्यों में 24 वां स्थान है।
- ▲ उत्तर प्रदेश को एसडीजी-2 जीरो भुखमरी, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, एसडीजी-5 लिंग समानता एसडीजी-10 असमानता में कमी और एसडीजी-13 जलवायु कार्यवाही में सुधार की आवश्यकता है।

#### सामाजिक सूचकांक

- ▲ हालांकि राज्य ने स्वास्थ्य और शिक्षा में एनएफएस-4 में (एनएफएस-3 की तुलना में) विशिष्ट सुधार देखा है, राज्य सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है। (देखें यूपी 2 डी)

#### एचएएमपी के अन्तर्गत देखा गया उच्च प्रदूषण (पीएम 10)

- ▲ लाखों की जनसंख्या वाले शहरों ने पीएम10 के लिए एनएएमपी सीमा को पार कर लिया है। 90 माइक्रो प्रति क्यूबिक मीटर से कम)

- ▲ राज्यों को ऐसे शहरों में जो आर्थिक केन्द्रों एवं निवेश हब के रूप में उभरने वाले हैं के लिए सांस लेने में सुगमता को बढ़ाने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है।


#### पीएम 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर

शहर	2016	2017	2018	औसत
आगरा	198	185	209	197.3
इलाहाबाद (प्रयागराज)	196	140	231	189.0
गाजियाबाद	235	280	245	253.3
कानपुर	217	224	218	219.7
लखनऊ	214	246	217	225.7
मेरठ	157	153	177	162.3
वाराणसी	256	244	189	229.7

#### बेरोजगारी

- ▲ मुख्य भारतीय राज्यों में यूपी में उच्च बेरोजगारी की दर 6.2 % है (अखिल भारतीय स्तर के 6 % की तुलना में)
- ▲ उत्तर प्रदेश में पर्याप्त युवा जनसंख्या है ना केवल शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में परन्तु नौकरी के अवसरों में।
- ▲ इस उद्देश्य की तरफ, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के लिए सतत कार्यक्रमों प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना चाहिए।

#### यूपी-5. बी: प्रचलित स्थिति (मुख्य एवं वैकल्पिक बेरोजगारी (%)) राज्यों द्वारा 2017-18)



स्रोत:- भारत सरकार 2019, आवधिक मजदूर बल सर्वे की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत

#### स्थानीय निकाय

- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख)(ग) में शामिल, भारत का वित्त आयोग स्थानीय निकायों को एसएफसी सिफारिशों के आधार सिफारिशें प्रदान करता है। राज्य सरकारों को एसएफसी की स्थापना करनी चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए और मार्च 2024 को या उससे पहले राज्य विधानसभा के समक्ष की गई कार्यवाही पर विस्तृत ज्ञापन देना चाहिए।



**राज्यों के सुधार समूह**

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूह में किया गया है। यूपी समूह का हिस्सा है जिसमें बिहार, झारखंड, एमपी एवं ओडिशा शामिल है।

**सुधार सूचक**

- ▲ इस वर्ग के पांच राज्यों में 2011-2016 में वीएटी के वृद्धि दर के प्रचलन से संबंधित बिहार एवं यूपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।
- ▲ स्टैम्प शुल्क और उत्पादन शुल्क के संग्रहण के संबंध में यूपी का प्रदर्शन अपने वर्ग के अन्य राज्यों से बेहतर रहा है हालांकि राज्य को अपने वीएटी/ जीएसटी संग्रहण में सुधार की आवश्यकता है।


राज्यों का वर्ग	जीएसटीपी के % के रूप में					ओटीआर के % के रूप में				
	वैट/ जीएसटी	स्टैम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य	वैट/ जीएसटी	स्टैम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य
2018-19										
बिहार	4.1	0.8	0	0.1	0.6	74.4	14.2	0	0.9	10.5
झारखंड	3.9	0.2	0.4	0.1	0.4	79.1	3.1	7.3	1.4	9.0
मध्य प्रदेश	3.5	0.7	1.2	0.3	0.6	55.9	10.4	18.7	5.1	9.9
ओडिशा	3.9	0.3	0.8	0.7	0.5	63.5	4.1	12.9	10.7	8.7
उत्तर प्रदेश	4.2	0.9	1.4	0.2	0.5	58.2	13.1	19.9	2.5	6.3
वर्ग का औसत	3.9	0.7	1.0	0.2	0.5	61.6	10.9	15.7	3.8	8.0
सभी राज्य	4.1	0.7	0.8	0.2	0.5	65.8	10.4	12.4	3.5	7.7

- ▲ सामाजिक सूचकांक में यूपी न केवल राष्ट्रीय औसत से बल्कि निम्न आय राज्यों द्वारा निर्दिष्ट सूचकांको से खराब तुलना में है। इसको व्यय एवं संभवतः अल्पावधि में अच्छे परिणाम को सुनिश्चित करने की दक्षता में भी सुधार की आवश्यकता है। तदनुसार, राज्यों को वार्षिक लक्ष्यों एवं पंद्रहवें वित्त आयोग के पांच वर्षीय अवधि के दौरान मुख्य वित्तीय आबंटन के अनुसार एक रोडमैप बनाने की आवश्यकता है।
- ▲ इसलिए पंद्रहवें वित्त आयोग यह सिफारिश करता है कि यूपी को अगले पांच वर्षों में राजकोषीय सुधार एवं सामाजिक क्षेत्र में विनिवेश के साथ-साथ विस्तार से इन मुद्दों पर सामाजिक आर्थिक एवं राष्ट्रीय औसत के बीच की खाई को भरने के लिए कार्य करना होगा।

**नोट:-**

- 1 सीएजी 2015 पंचायती राज संस्था एवं शहरी स्थानीय निकाय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सूचित, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित।
- 2 भारत सरकार 2020, पर्यटन सांख्यिकी एक नजर में 2020, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।
- 3 सीएजी 2020, 2020 की रिपोर्ट नं. 01, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार।
- 4 भारत सरकार 2019, आवधिक मजदूर बल सर्वे 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकी एवम् कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

## यूके 1 : ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
10.1 मिलियन

सभी राज्यों की जनसंख्या का  
**0.9%**



**क्षेत्रफल**  
53,483 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों के क्षेत्र का  
**1.6%**



**वन आच्छादन**  
24,303 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों के वन क्षेत्र का  
**3.5%**

राज्य का स्वयं का वन क्षेत्र  
**45.4%**

2017 से 2019 तक वन आच्छादन में परिवर्तन  
**0%**



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 2,20,257  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**कर और जीएसडीपी का अनुपात**  
5.0%  
सभी राज्यों का औसत 6.3%




**डीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चे की संख्या**  
2.1  
सभी राज्यों का औसत 2.2




**शहरीकरण दर**  
30.6%  
अखिल भारतीय औसत 31.1%

## यूके 1 बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## यूके 1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## यूके 1 डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹)

वर्ष	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	1,15,328	5,03,182	22.9
2012-13	1,31,613	5,63,081	23.4
2013-14	1,49,074	6,37,264	23.4
2014-15	1,61,439	6,95,474	23.2
2015-16	1,77,163	7,88,321	22.5
2016-17	1,95,125	8,67,648	22.5
2017-18	2,22,836	9,74,240	22.9
2018-19	2,45,895	10,82,901	22.7


## यूके 1 ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




यूके 2 ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




यूके 2 बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



यूके 2 सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




यूके 2 डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआई एसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>एफ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>बी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

यूके 2: वित्तवर्ष 2005 और वित्तवर्ष 2012 के बीच गरीबी उन्मूलन (प्रतिशत अंक)




नोट:- वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में धनात्मक गरीबी में कमी को दिखाता है।

यूके - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत: भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 14 वां संस्करण, स्वास्थ्य अन्वेषण केन्द्रीय ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

यूके-3. बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 14 वां संस्करण, स्वास्थ्य अन्वेषण केन्द्रीय ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

यूके- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स/फार्मसिस्ट



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

यूके- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

यूके- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




यूके- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा




यूकेडा वित्तवर्ष 2017 के बीच गरीबी उन्मूलन (प्रतिशत व्वाइंट)

यूके 4 सी:- जीएसडीपी के बकाया ऋण (%)




यूके 4 डी:- राजस्व व्यय का मुख्य व्यय (%)




नोट:- प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज देयता और पेंशन शामिल है।


यूके 4 ई:- जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



यूके 4 एफ:- जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



यूके 4 जी:- जीएसडीपी और पूंजी व्यय का अनुपात




यूके-4 एच:- मुख्य राजकोषीय सूचना -राज्य बनाम एनएचएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनएचएस
रू प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	2,20,257	1,30,427
<b>जीएसडीपी की प्रतिशत के रूप में संसूचक</b>		
टीआरआर	12.7	23.3
ओटीआर	5.0	5.0
एनटीआर	1.4	2.0
टीई	15.7	26.7
ईएस	2.0	5.0
एसएस	5.2	8.7
जीएस	5.3	8.5
मुख्य व्यय	8.7	14.4
पूंजी व्यय	2.6	4.3
एम डी	3.0	3.4
आरडी	0.4	-0.9
ओडी	23.6	29.6

## यूके 4 आई:- टीआरई और ओआरआर गैप

टीजीआर (%) 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
उत्तराखंड	14.6	12.1	11.2
एनड्एचएच	12.6	12.1	10.7

## यूके-4 जे : केन्द्रीय अंतरण (कर डिवोल्यूशन एवं अनुदान) (एफसीएवं गैर एफसी ) टीआरआर का (%)



## सौंपें गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित 29 कार्यों में से कोई भी आरएलबी को नहीं सौंपा गया
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित 6 कार्यों में से 6 पूर्ण रूप से यूएलबी को तथा 5 आंशिक रूप से सौंपे गए।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ 2017-18 तक आरएलबी तथा यूएलबी के लेखों का लेखापरीक्षण पूर्ण किया गया है।

## सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ मार्च 2013 में राज्य ने पीटीबी की स्थापना की है।

## सभी राज्यों में अवकृमिit सूचकांक रैंक

कार्य रैंक	अधिकारिक रैंक	वित्त रैंक	निति रैंक में सकल अवकृमिit
16	11	9	12

स्रोत:- भारत सरकार 2016 , अवकृमिit सूचकांक रिपोर्ट 2016, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार

## चौथा एसएफसी (2016-17 से 2020-21 तक)

- ▲ चाथे आयोग ने सिफारिश की राज्य के ओटीआर का 11% एवं पीआरआई का 45% हिस्सा स्थानीय निकायों को सौंपा जाए।
- ▲ राज्यों को एसएफसी का गठन करना चाहिए,
- ▲ उनकी सिफारिशों पर कार्य करे और व्याख्यात्मक ज्ञापन को राज्य विधानमंडल के समक्ष मार्च 2024 से पहले प्रस्तुत करने कि क्या कार्यवाही की गई।

**ऋण एवं घाटे**


- ▲ उत्तराखंड ने यूडीएवाई एमओयू को केवल परिचालन पैरामीटर के लिए हस्ताक्षर किए हैं, किसी ऋण अधिग्रहण की प्रतिबद्धता के बिना।
- ▲ राज्य ने न तो 2018-19 में एटीए तथा सी घाटे लक्ष्य को और न ही एसीएस-एआरआर अंतराल लक्ष्य को प्राप्त किया है।

यूडीएवाई बैरोमीटर मुख्य 2018-2019	प्राप्तियां	लक्ष्य
एटी तथा सी घाटे (%)	16.20	15.0
एआरआर अंतराल (रु. प्रति व्यक्ति)	0.38	-0.03

नोट:- एसीएस-एआरआर गैप यह सूचित करना है कि प्रति यूनिट औसत राजस्व पूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

- ▲ राज्य को यूडीएवाई बैरोमीटर में अपने प्रदर्शन को भविष्य के राजकोषीय जोखिमों से बचने के लिए सुधारने की आवश्यकता है।

**यूके 5 ए:- एटीतथा सी घाटे (%) वित्त वर्ष 2018**

स्रोत- भारत सरकार (2019)(यूडीएवाई समाचार पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

**उर्ध्वाधर अंतरण**

- ▲ उत्तराखंड ने यह सिफारिश की है कि उर्ध्वाधर अंतरण में 42% से 50% कर की प्रक्रिया में निवल बढ़ोत्तरी हो।

**क्षैतिज विचलन के लिए सूत्र**

क्रं संख्या	मानदंड	उप भार (%)	कुल भार
i)	1. आर्थिक विचार		40
	क:- आय दूरी	25	
	ख:- निकासी-जमा अनुपात	15	
ii)	2:- जनसंख्या		25
	क:- जनसंख्या 2011	15	
	ख:- प्रतिस्थापन दर प्राप्तियां	10	
iii)	3:-परिस्थितिक तंत्र सेवा एवं पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण		15
iv)	4:-पहाड़ी क्षेत्र के हिस्से द्वारा क्षेत्र को नापना		20



**निम्न ऋण -जीएसडीपी अनुपात और एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों ( एनईएचएस ) की तुलना में राज्य क निम्न ऋण-जीएसडीपी अनुपात है।
- ▲ इसने अपने एफआर बीएम अधिनियम के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम ऋण -जीएसडीपी अनुपात को बनाए रखा है।
- ▲ हाल ही के वर्षों में ऋण में मामूली सी वृद्धि हुई है।
- ▲ नये एफआरबीएम अधिनियम की तर्ज पर राज्य के सतत ऋण और एफडी से जीएसडीपी अनुपात को बनाए रखना चाहिए।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	41.1	40.0	38.5	37.5	—	—	—
वास्तविक रूप में प्राप्त	20.5	19.4	19.3	20.7	22.1	22.8	23.3
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	1.5	1.2	1.8	3.6	3.5	2.8	3.6

स्रोत:- उत्तराखंड सरकार

**जीएसडीपी में द्वितीय श्रेत्र की उच्च हिस्सेदारी**

- ▲ राज्य के पास अच्छी तरह से स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है। यह जीएसडीपी का 43.51% हिस्सा द्वितीय क्षेत्र से प्राप्त करता है। ( एनईएचएस में सिक्किम के पश्चात दूसरा )
- ▲ 2018-19 में जीएसडीपी में विनिर्माण क्षेत्र से काफी उच्च 33.36% हिस्सा है।
- ▲ राज्य में सभी एनईएचएस में दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है। ( सिक्किम के पश्चात )

**पर्यटन**

- ▲ राज्य में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए और पलायन समस्या को समाप्त करने के लिए पर्यटन में सभावनाएं हैं। कुछ उपाय जिससे पर्यटन प्रोत्साहन आए, नीचे दिए गए हैं।
- ▲ खराब कनेक्टिविटी राज्य में पर्यटन के विकास में मुख्य रुकावट रही है। पड़ोसी क्षेत्रों से सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी उत्तराखण्ड में तुरंत सुधार की आवश्यकता है। अन्तरराज्यीय सड़क नेटवर्क एवं सहायक अवसंरचना विकास को आखिरी सड़क तक जोड़ने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।
- ▲ पीपीपी मोड पर पहाड़ी क्षेत्रों पर लीक से हटकर हैली-टैक्सी सेवा को शुरू किया जा सकता है।
- ▲ उत्तराखंड में विभिन्न इको अध्यात्मिक, कल्याण एवं धार्मिक ( इ डब्लुआर ) हॉटस्पॉट है। कसौनी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बगेश्वर, पिथौरागढ़ और चम्पावट में अनुभवों का सही मिश्रण है और उनको इ डब्लुआर हॉटस्पॉट में विकसित करना चाहिए।
- ▲ राज्यों के गंतव्यों को साहसिक कार्यों की थीम पर बदला जाना चाहिए जैसे हर की दन ट्रेक, वैली ऑफ फ्लावर, चन्द्रशीला ट्रेक इत्यादि। पीपीपी मोड या प्रोत्साहन के माध्यम से एकीकृत साहसिक सर्किट के विकास एवं औपचारिकता को बढ़ाना चाहिए।
- ▲ ग्रामीण पर्यटन के साथ इको-पर्यटन को भी गंतव्य स्थान पर रूकने में वृद्धि की दृष्टि से सुनिश्चित करना चाहिए। होमस्टे, व्यक्तिगत साथ ही साथ समुदाय पर आधारित लोगों के लिए आय के स्रोत का व्यवहार्य विकल्प के रूप में प्रोत्साहित होना चाहिए। जैसा कि होमस्टे मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है जिससे कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण में मुख्य भूमिका होगी। इ-कॉमर्स के व्यापारियों के साथ होमस्टे को जोड़ने के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त उपाय करने चाहिए।

**विद्युत क्षेत्र**

- ▲ उत्तराखण्ड को ऊर्जा क्षेत्र या ऊर्जा प्रदेश इसके समृद्ध जलवैज्ञानिक संसाधनों के कारण कहा जाता है जिसका व्यवसायिक रूप से दोहन किया जा सकता है यह अनुमानित जल विद्युत से सम्पन्न है जिसकी क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट है जिसमें से सभी तक 3987

मेगावाट ही अभी तक प्रयोग हुई है और केन्द्रीय विद्युत पीएसयू, राज्य के स्वामित्व वाली उपयोगिताओं और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के द्वारा 2578 मेगावाट क्रियान्वयन के अन्तर्गत है।

- ▲ संपूर्ण 33 जलविद्युत परियोजनाओं जिसकी कुल क्षमता लगभग 4084 मेगावाट है और परियोजना की लागत 22607 करोड़ रुपये है को पर्यावरण की चिंता के कारण स्थापित किया गया है।
- ▲ राजस्व आय को बढ़ाने और क्षमता था पूर्ण उपयोग करने के लिए राज्यों को सतत जल विज्ञान परियोजना के कार्यान्वयन को तेज करना चाहिए।

### जीएसटी से गिरता हुआ राजस्व

- ▲ राज्य ने 2018-19 में ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात को 4.9% दर्ज किया है ( एनईएचएस औसत 4.95%
- ▲ इसकी स्टैम्प शुल्क, उत्पाद और विद्युत शुल्क एनईएचएस औसत से अधिक बने हुए हैं।

राज्य	( जीएसडीपी के % के रूप में ( 2018-2019 )				
	वैट/जीएसटी	स्टाम्प शुल्क	उत्पाद शुल्क	विद्युत शुल्क	अन्य
उत्तराखंड	2.7	0.4	1.2	0.2	0.5
एनईएचएस	3.5	0.2	0.7	0.1	0.5
सभी राज्य	4.2	0.7	0.8	0.2	0.5

- ▲ हालांकि, जीएसटी या वैट के संकलन में राज्य ने 2016-17 में 3.67% जीएसडीपी से 2017-18 में 2.55% की तेज गिरावट देखी है। 2017-18 में संकलन 20.68% तक कम हुआ है।
- ▲ इसने 2017-18 में 1283 करोड़ रुपये, 2018-19 में 2037 करोड़ रुपये और 2019-20 में 2477 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्क प्राप्त की है।

### प्रतिबद्ध व्यय

- ▲ राज्य का प्रतिबद्ध व्यय उच्च है ( जिसमें सहायता अनुदान वेतन शामिल है ) इसका वेतन, पेंशन और ब्याज पर कुल व्यय 2018-19 में टीआरई का 71.16% का हिसाब लगाया गया। एनईएचएस औसत 67.62% सभी राज्य औसत 50.6%।

राज्य	( टीआरई के % के रूप में ( 2018-2019 )			
	आई पी	पेंशन	वेतन	प्रतिबद्ध
उत्तराखंड	13.9	16.8	40.5	71.2
एनईएचएस	9.0	14.3	44.3	67.6
सभी राज्य	12.2	12.1	26.3	50.6

- ▲ प्रतिबद्ध व्यय के भार को कम करने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि विकास के लिए अधिक जगह बन सके।

### निम्न प्रति व्यक्ति व्यय

- ▲ 2018-19 में 28839 रु. से उत्तराखंड में सभी एनईएचएस में असम के पश्चात दूसरा सबसे कम निम्न प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय है। औसत प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय 29220 रुपये है।
- ▲ 2018-19 में इसका स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय भी ( 1710 रु. ) एनईएचएस की तुलना में कम था। ( 1987 रु. )
- ▲ राज्य को अपने राजकोषीय वित्त को समझदारी से इस्तेमाल करते हुए सामाजिक क्षेत्र व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि विकास में वृद्धि की जा सके।

**प्रचालन**

- ▲ पहाड़ी राज्यों में आर्थिक विकास में कमी के परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में बाहर प्रवासन हो रहा है। उत्तराखण्ड में 1048 'भूत गांवों' को राज्य सरकार ने दर्ज किया है। इससे सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा समस्या है।
- ▲ उत्तराखण्ड से पलायन कुछ आकांशापूर्ण है जो कि मुख्य रूप से खराब रोजगार अवसरों से शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि के कारण होने वाले तनाव से है।
- ▲ अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण प्रवासियों को अकुशल निम्न वेतन का कार्य जैसे घरेलू नौकर, सुरक्षा गार्ड, कार्यालय सहायक इत्यादि तरह की नौकरियां पठारी क्षेत्रों में मिलती है। गरीब घरों की जीविका के लिए प्रेषण अति आवश्यक है और उसका बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के उपभोग पर खर्च होता है। गांव की अर्थव्यवस्था में शायद ही गुणक का प्रभाव पड़ता है।
- ▲ राज्य को रोजगार अवसर बढ़ाने तथा पलायन को रोकने कलिए सक्रिय रूप से बागवानी, पुष्पोत्पादक, हाइड्रोपावर, पर्यटन तथा कल्याण सेवाओंको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

**असमानता**

- ▲ बड़े स्तर पर अंतर-जिला एवं अंतः जिला असमानता देखी गई है। जिलों की प्रति व्यक्ति आय पठारों से आती है जैसे हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर की आय उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग पहाड़ी जिलों से काफी अधिक है।
- ▲ भौतिक अवसंरचना में जैसे जिलों के अन्तर्गत सड़कों, इलाकों के आधार पर और अवस्थिति जैसी कमियों में भी असमानता देखी गई है।
- ▲ गांवों की खराब संयोजकता पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विस्तार इत्यादि की कमी से संबंधित है और सरकारी कर्मचारियों की वह कार्य करने की इच्छा नहीं है।
- ▲ सतत प्रयास और भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना में विनिवेश की आवश्यकता है ताकि अंतः राज्य विकास में असमानता को कम किया जा सके।

**पेयजल**

- ▲ पहाड़ी क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति एक चुनौती है। यह समस्या पर्यटक के अतिव्यस्त समय के दौरान और बढ़ जाती है जब 5-6 करोड़ की जनसंख्या राज्य के संसाधन पर निर्भर हो जाती है।
- ▲ उत्तराखंड में औसतन वार्षिक 1600 एमएम वर्षा होती है और रुफ टॉप हार्वेस्टिंग परियोजना की आवश्यकता है जिससे पानी को रोक जा सके और उपयोग बनाया जा सके।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ शेष कार्यों को स्थानीय निकायों से विकसित कराया जाए जैसा कि संविधान में परिकल्पित है।

**प्राकृतिक आपदाएं**

- ▲ उत्तराखंड को इसकी भू-रचना स्थापना, प्राकृतिक भू-गोल- संबंधी स्थिति और अत्यन्त मौसमी बदलाव के कारण यह अनेक आपदाओं जैसे भूकम्प, भूस्खलन, अचानक आई बाढ़, बादलों का फटना एवं सूखे की चपेट में आता है।
- ▲ नदियों का बढ़ता जल स्तर और गलेशियर के पिघलने से मुख्य नदियों के किनारों के निवासियों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है और वर्षों तक अधिक वर्षा होने से अनेक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचता है।
- ▲ राज्य को सक्रिय संयोजन एवं कमी के प्रभाव को अपनाना होगा विशेषकर पर्यावरण परिवर्तन के खतरे को लेकर।
- ▲ जोखिम बीमा उपकरण को दृढ़ा जाए जो कि समुदाय को सहायता प्रदान करे और स्टेकहोल्डरों के बीच जोखिमों के विस्तार एवं उसका खतरा से निपटें।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

- ▲ 22 कार्यकारी राज्यों के पीएसयू में 2016-17 में 19 के खातों में बकाया था।
- ▲ राज्य सरकार ने 127.1 करोड़ रुपये का निवेश शेयर पूंजी, ऋण और अनुदानों के रूप में किया जो कि 6 पीएसयू के लिए थे जिसमें खातों पर अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
- ▲ बिना लेखा परीक्षा के खातों में आवश्यक बजटीय सहायता देने के पश्चात भी गंभीर नकारात्मक जोखिम हो सकते हैं।

**सूचक उपाय**

जीएसडीपी अनुपात से उत्तराखण्ड में संयमी ऋण है हालांकि पिछले वर्षों में ऋण में वृद्धि हुई है। इस प्रवृत्ति को बदलना होगा।

उत्तराखण्ड में विशाल औद्योगिक बुनियाद है और इसे द्वितीय क्षेत्र से अपने जीएसडीपी में उच्च हिस्सा मिलता है। हालांकि हाल ही के वर्षों में राज्य ने अच्छा जीएसटी संकलन नहीं किया है। राज्य को अपने ओटीआर को आगे बढ़ाने के लिए नवप्रवर्तक तरीके ढूंढने की आवश्यकता है।


राज्यों के पास उच्च प्रतिबद्धता वाले व्यय है प्रतिबद्ध व्यय के भार को कम करने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि विकासशील खर्चों के लिए अधिक राजकोषीय स्पेस बचे।

**नोट:-**

1. सीएजी (2018), 2018 की रिपोर्ट नं. 1:- 31 मार्च 2017 में समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट।



## डब्लूबी-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**91.3** मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**7.7%**



**क्षेत्रफल**  
**88,752** वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**2.7%**



**वन आच्छादन**  
**16,902** वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
**2.4%**  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**19.0%**

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.3%** ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
**रु. 1,10,728**  
**रु. 1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
**5.6%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**





**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चे**  
**1.8**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**



**शहरीकरण दर**  
**31.9%**  
अखिल भारत औसत  
**31.1%**


## डब्लूबी-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %) डब्लूबी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## डब्लूबी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	5,20,845	77,44,945	6.7
2012-13	5,91,464	88,27,195	6.7
2013-14	6,76,848	1,00,07,392	6.8
2014-15	7,18,082	1,09,93,257	6.5
2015-16	7,97,300	1,21,91,256	6.5
2016-17	8,72,527	1,37,80,737	6.3
2017-18	9,74,700	1,54,20,126	6.3
2018-19	10,89,898	1,72,83,813	6.3


## डब्लूबी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




डब्लूबी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




डब्लूबी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



डब्लूबी - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




डब्लूबी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक



<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>अ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>अ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>अ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 |


<sup>अ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>अ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

डब्लूबी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

डब्लूबी - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


डब्लूबी -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार




डब्लूबी - 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

डब्लूबी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


डब्लूबी- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




डब्लूबी- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



डब्लूबी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




डब्लूबी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


डब्लूबी - 4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



डब्लूबी - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



डब्लूबी-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




डब्लूबी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	1,10,728	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	13.4	13.4
ओटीआर	5.6	6.4
एनटीआर	0.3	1.1
टीई	16.6	16.1
ईएस	2.8	3.1
एसएस	6.4	5.4
जीएस	5.2	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	5.5	5.8
पूँजी व्यय	2.3	2.5
एफडी	3.1	2.5
आरडी	1.0	0.2
ओडी	36.1	25.0

## डब्ल्यू बी-4 आई : टीआरई एवं ओआरआर गैप

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
पश्चिम बंगाल	11.7	14.4	11.9
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## डब्ल्यू बी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर अंतरण एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 कार्य में परिकल्पित में से 28 कार्य आरएलबी/पीआरआई को दिए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची के 18 कार्य में परिकल्पित में से 17 कार्य यूएलबी को दिए गए हैं।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ पीआरआई खातों को राज्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रारूपों के अनुसार नियमित किया है।
- ▲ स्थानीय लेखापरीक्षक वार्षिक खातों के लेखा को पश्चिम बंगाल निगम अधिनियम 1993 के अन्तर्गत निर्धारित करते हैं।
- ▲ 2017-18 तक पीआरआई और यूएलबी के खातों की लेखा परीक्षा हो गई है।

## सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ पश्चिम बंगाल मूल्यांकन बोर्ड 1978 से कार्य कर रहा है राज्य पीटीबी की तरह क्रियान्वित है।

## सभी राज्यों में अंतरण रैंक सूचकांक

कार्य रैंक	कार्यकर्ता रैंक	वित्त रैंक	नीति रैंक में सकल अंतरण
9	13	8	7

स्रोत:- भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार

## चौथा एसएफसी (2015-16 से 2019-20)

- ▲ सार्वजनिक वित्त के राष्ट्रीय संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट का विहंगावलोकन के अनुसार चौथे एसएफसी की सिफारिशों वर्तमान में राज्यों के क्रियान्वयन के अर्न्तगत है।
  - राज्यों के स्वामित्व वाले कर राजस्व से 2016-17 के लिए 900 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों को दिए गए जिसमें 2017-18 से 2018-19 तक 3% वार्षिक वृद्धि होगी।

- ▲ आरएलबी एवं यूएलबी को दिए वित्त में से 60% पूंजी व्यय के लिए संचित है और बचे हुए 40% को आस्तियों की निगरानी विद्युत के बिल भुगतान, ओर एण्डएम जलआपूर्ति योजना इत्यादि के लिए है।

### ऋण एवं हानियां

- ▲ पश्चिम बंगाल यूडीएवाई के अन्तर्गत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- ▲ 31 मार्च 2019 तक पश्चिम बंगाल में डिस्कॉम द्वारा कुल उधारियां 12803 करोड़ रुपये है (जिसमें राज्य सरकार के 271 करोड़ रुपये की उधारियां शामिल है) जो कि सभी राज्यों के लिए डिस्कॉम द्वारा कुल उधारियों को 2.7% है।
- ▲ पश्चिम बंगाल के एजी के अनुसार, पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड एटीएण्ड सी घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है जो कि पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित है। (डब्ल्यू बीइआरसी)

एटीएण्ड सी घाटे (%)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
डब्ल्यू बीइआरसी द्वारा स्वीकार्य	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
डब्ल्यू बीएसइबी द्वारा प्राप्त	31.6	30.5	30.0	29.8	29.0

स्रोत, ए जी पश्चिम बंगाल सरकार

### उर्ध्वाधर अंतरण

- ▲ पश्चिम बंगाल ने यह सिफारिश की है कि करों के पूल के विभाजन में संपूर्ण राज्य का हिस्सा 50% तक बढ़ा दिया जाए।

### उर्ध्वाधर अंतरण के लिए सूत्र

क्रम सं.	मापदंड	सुझाव की गई भार (%)
i)	अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्या समायोजित	27.5
ii)	स्थानीय जटिलताओं द्वारा समायोजित	7.5
iii)	आय दूरी (1971 की जनसंख्या पर मापा)	50.0
iv)	राजकोषीय अनुशासन	7.5
v)	सामाजिक प्रगति के लिए सूचकांक से दूरी	7.5

### विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- ▲ राज्य को अधिक एफडीआई को आकर्षित करने की आवश्यकता है विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन सीख के अन्तर्गत। राजधानी कोलकत्ता अन्य महानगरों की तुलना में विनिवेश में काफी पीछे है।
- ▲ भारत की कुल एफडीआई का केवल 1% ही वर्तमान में कलकत्ता के पास है।

### व्यापार करने की सुगमता

- ▲ इओडीबी के संबंध में 2019 में पश्चिम बंगाल 9वीं रैंक पर है (36 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश में से) जो कि 2015 में 11वीं रैंक पर था (32 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में से)।
- ▲ पश्चिम बंगाल एकल खिड़की प्रणाली (प्रबंधन नियंत्रण एवं विविध प्रावधान) अधिनियम 2017 को इओडी के प्रोत्साहन के लिए बनाया गया था।

- ▲ विभिन्न जी 2 बी सेवाओं और ऐपलीकेशन के लिए एकल खिड़की पोर्टल (सिलपा साथी) की शुरूआत की गई है।

#### कर आधार को मजबूत कारने के लिए प्रयास

- ▲ पश्चिम बंगाल के एजी के अनुसार राज्य ने कर रिटर्न को सल बनाने के लिए इ-गवर्नेन्स के कार्यान्वयन उपाय के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये है।
- ▲ राज्य ने पूरे देश में जीएसटी- नये पंजीकरण के अन्तर्गत सबसे अधिकतम वृद्धि को प्राप्त किया है।

#### पर्यटन की संभावनाएं

- ▲ राज्य के पास विशाल एवं अप्रयुक्त पर्यटन संभावनाएं हैं (घरेलू एवं विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए), जिसको रोजगार अवसरों के विस्तार एवं आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- ▲ पर्यटन सांख्यिकीय एक नजर 2020 के अनुसार 2019 में भारत के कुल विदेशी पर्यटकों का 5.3% हिस्सा पश्चिम बंगाल में आया था।
- ▲ सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य ने छठा स्थान 2019 प्राप्त किया। सभी भारतीय पर्यटकों के 4% हिस्से के कारण घरेलू पर्यटन में

#### राजकोषीय सूचक

- ▲ पश्चिम बंगाल सरकार का विशाल दायित्व ब्याज की अदायगी है। 2012-13 से 2018-19 के दौरान टीआरई के प्रतिशत के रूप में ब्याज की अदायगी 18%-23% के रेंज में रही है यह राज्य पंजाब के साथ-साथ अधिक ब्याज के भार वालों में से एक है।

#### एफआरबीएम का अनुपालन

- ▲ राज्य ने एफआरबीएम अधिनियम को 2010 में क्रियान्वित किया और हालांकि के वर्षों में एलआरबीएम सीमा ऋण-जीएसडीपी अनुपात का पालन नहीं कर रही है। हालांकि, एफडी-जीएसडीपी अनुपात 2016-17 और 2017-18 के लक्षित सीमा के अन्तर्गत रहा है, इसलिए (सी) भविष्य की आय की धाराओं का सृजन करने के लिए राज्य को विश्वसनीय ऋण पथ एवं व्यय के सावधान अंशाकन की आवश्यकता है।

अनुपात %	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	40.6	39.1	37.7	35.9	34.3	25.0	25.0
वास्तव में प्राप्त	39.9	38.8	37.2	38.7	38.4	38.7	37.0
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तव में प्राप्त	3.4	3.2	3.7	3.8	2.6	2.9	3.0

स्रोत:- पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन

#### निम्न एनटीआर-जीएसडीपी अनुपात

- ▲ जीएस की तुलना में राज्य का एनटीआर-जीएसडीपी अनुपात निम्न है। आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधानों से लागत वसूलियों को बढ़ाने के उपाय राज्य को करने की आवश्यकता है।

#### एनटीआर जीएसडीपी अनुपात 2018-19

पश्चिम बंगाल	जीएस	चतुर्थ 1	मध्यिका	चतुर्थ 1	सभी राज्य
0.3	1.1	0.8	1.3	1.93	1.2

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम <sup>5</sup>**

- ▲ 31 मार्च 2017 तक, पश्चिम बंगाल में 92 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे। इनमें 73 कार्यकारी पीएसयू (जिसमें 9 वैधानिक निगम शामिल है) और 19 गैर-कार्यकारी पीएसयू (जिसमें 1 वैधानिक निगम शामिल है) इन कार्यकारी पीएसयू का कुल टर्नओवर, 39443.4 करोड़ रुपये के कुल निवेश का 89.4% था। इन इकाइयों की इक्रिटी पर रिटर्न- 1.77% है।
- ▲ पश्चिम बंगाल में 73 कार्यकारी पीएसयू में से 1 से 9 वर्ष की अवधि तक के लिए 40 खातों में बकाया था। 19 गैर कार्यकारी पीएसयू में से 13 के पास 1 से 11 वर्ष के बकाया है।
- ▲ 31 मार्च 2017 तक, 92 पीएसयू में सरकार का कुल निवेश 40611.43 करोड़ रुपये था। 2016-17 में विद्युत क्षेत्र में कुल विनिवेश का 72.40% था। 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने इक्रिटी, ऋणों और अनुदान सहायता के लिए 3894.34 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पीएसयू को प्रदान की थी।
- ▲ लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष सही समय प्रस्तुत नहीं की गई थी। 2011-12 और 2012-13 से संबंधित लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को एक साथ जुलाई 2014 में प्रस्तुत किया था। यह पैटर्न बताता है कि राज्य सरकार ने लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करना कम करके एक द्विवार्षिक कार्य बना लिया है। यह राज्यों के संविधान एवं वैधानिक राज्यों के दायित्वों का उल्लंघन है।
- ▲ एसपीएसयू को बकाया दायित्वों एवं ठोस बजटीय सहायता को देखते हुए राज्यों के ऊपर अतिरिक्त राजकोषीय भार कम करने के लिए राज्य को इनकी सावधानी से निगरानी करने की आवश्यकता है।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) और (ग) में प्रतिष्ठापित, भारत का वित्त आयोग एसफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान की सिफारिश करता है। राज्य सरकार को एसफसी का गठन अवश्य करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए और मार्च 2024 को या उससे पहले राज्य विधानसभा के समक्ष की गई कार्यवाही के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

**स्थानीय जटिलताएं**

- ▲ राज्य सरकार ज्ञापन के द्वारा प्रकाशित, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है और झारखंड, बिहार, ओडिशा, सिक्किम और असम के साथ इसकी सीमाएं जुड़ती हैं। राज्य 2509 किमी की संवेदनशीलता अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश भूटान और नेपाल के साथ साझा करता है।
- ▲ राज्य में विविध स्थलाकृति जिसमें उच्चतर पहाड़, झीले, सुन्दरबन, दुर्गम पहाड़ी एस जंगली क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और पठार शामिल है।
- ▲ पश्चिम बंगाल की सीमा अत्याधिक झरझरी और इस पर निगरानी का अतिरिक्त बोझ रहता है।

**नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक पर रैंक (2019)**

- ▲ एसडीजी सूचकांक के 60 पर राष्ट्रीय औसत के समान, पश्चिम बंगाल 28 भारतीय राज्यों में 14 वें स्थान पर है।
- ▲ राज्य एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली में आगे है, एसडीजी-6 साफ पानी एवं स्वच्छता एसडीजी 8- अच्छा कार्य और आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-9 उद्योग, नवाचार आटर अवसंरचना, एसडीजी-10 असमानता में कमी, एसडीजी-15 पृथ्वी पर जीवन और एसडीजी-16 शांति, न्याय और मजबूत संस्था। हालांकि, राज्य को एसडीजी-2 शून्य भुखमरी, एसडीजी-5 लैंगिक समानता, एसडीजी-11 धारणीय शहर एवं समुदायों एसडीजी-13 जलवायु कार्यवाही और एसडीजी-14 जल के नीचे जीवन में सुधार की आवश्यकता है।

**अत्यधिक प्रदूषण**

- ▲ 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों ने पीएम 10 (प्रति घन मीटर 90 माइक्रोग्राम से कम) के एन ए एम पी रास्ते को भी पार कर लिया है। राज्य को इन शहरों में सांस लेने की सुगमता को बढ़ाने के लिए योजना तैयार करनी होगी ताकि वे आर्थिक केन्द्र एवम विनिवेश केन्द्र बनकर उभर सकें।

**माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर (पीएम10)**

शहर	2016	2017	2018	औसत
आसनसोल	211	163	146	173.3
कोलकाता	113	120	148	127.0

**स्वच्छता अभियान**

- ▲ आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार पश्चिम बंगाल देश की खराब प्रदर्शन करने वाली 25 शहरों में से 18 शहर था।
- ▲ कुल भारतीय स्कोर द्वारा 28वें रैंक के साथ (संयुक्त भारत स्कोर दोनों के लिए >1 लाख और < 1 लाख जनसंख्या यूएलबी) 2018 में सर्वोच्च 30 शहरों के बीच (28 राज्य + राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू एवं काश्मीर), पश्चिम बंगाल ने बाद में हुए सर्वेक्षण में भागीदारी नहीं की थी।

**राज्य का सुधार समूह**

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहबद्ध किया गया है। पश्चिम बंगाल उस समूह का हिस्सा है जिसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब आते हैं।

**सुधार सूचक**

- ▲ यद्यपि पिछले दो दशकों के सभी वित्त आयोग ने राज्य में विभिन्न राजकोषीय उपायों की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल ने अपने राजकोषीय स्थिति में कोई सुधार नहीं किया है।
- ▲ पश्चिम बंगाल में पूंजी व्यय काफी कम है। 2011 में पश्चिम बंगाल का पूंजी व्यय जीएसडीपी का 0.6% जो कि समूह औसत 1.3% से देश में सबसे कम था। हालांकि पिछले वर्षों में राज्य ने महत्वपूर्ण सुधार दिखाए हैं।
- ▲ राज्य ने उद्देश्य, पारदर्शी एवं कुशल प्रणाली को कर संग्रहण एवं राजस्व के प्रसार में लगाया है।
  - ई नाथीकरण:- दिसंबर 2014 से केन्द्रीय वेब-आधारित पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत की है, स्टैडअलीन कम्प्यूटरीकृत दस्तावेज के पंजीकरण (सीओआरडी) के स्थान पर। बूट के अन्तर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड से राज्य में ई-नाथीकरण सभी पंजीकरण कार्यालयों में चल रहा है। राज्य ने ऑनलाइन पंजीकरण का एकीकरण और भूमि अभिलेखा विभाग, कलकत्ता नगर निगम और पश्चिम बंगाल मूल्यांकन बोर्ड का क्रियान्वयन किया है।
  - वित्तीय निहितार्थ:- स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से 2018-19 में 5620 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।
  - राष्ट्रीय भावना में सुधार:- प्रशासनिक कीमत नियंत्रक एवं अन्य विशेषाधिकार क्षेत्र अनुदानों की प्रणाली में इसकी समाप्ति कर दी गई थी। यह राष्ट्रीय भावना को उपभोग में महत्वपूर्ण वृद्धि को बनाता है।
  - इसलिए पन्द्रवी वित्त आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य व्यापक रूप से इसे और संबंधित मुद्दों को (राजकोषीय उपाय को शामिल करते हुए) मजबूत पूंजी अवसंरचना में निवेश करके संसाधनों के सुधरे एवं सतत श्रृंखला को सुनिश्चित करता है। नाजुक सामाजिक क्षेत्र में मिलान विनिवेश पहल से राष्ट्रीय औसत के पास अगले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल की सामाजिक-आर्थिक सूचकांक में सुधार कर सकते हैं।
- ▲ इसलिए पन्द्रवी वित्त आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य व्यापक रूप से इसे और संबंधित मुद्दों को (राजकोषीय उपाय को शामिल करते हुए) मजबूत पूंजी अवसंरचना में निवेश करके संसाधनों के सुधरे एवं सतत श्रृंखला को सुनिश्चित करता है। नाजुक सामाजिक क्षेत्र में मिलान विनिवेश पहल से राष्ट्रीय औसत के पास अगले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल की सामाजिक-आर्थिक सूचकांक में सुधार कर सकते हैं।

## नोट:-

1. सीएजी 2015, पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकाय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रकाशित।
2. भारत सरकार 2019 प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश पर तथ्य शीट, (अप्रैल 2000 से मार्च 2019 तक) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार  
भारत सरकार 2020 पर्यटक सांख्यिकीय एक नजर में 2020 पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार
4. आईबीआईडी
5. सीएजी 2018, 2020 की रिपोर्ट नं 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार।





# संदर्भ तथा आंकड़ों का स्रोत

सूचकांक	संदर्भ का छोटा स्रोत	विस्तृत उद्धरण
<b>बृहद आर्थिक संसूचक</b>		
जीएसडीपी	एमओएस पीआई	जीएसडीपी श्रृंखला, आधार 2011-12, 31 जुलाई 2020 तक राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार www.mospi.gov.in
सफल राज्य मूल्य वाधित (जीएसवीए) और निवल राज्य मूल्य वाधित (एनएसवीए) द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा मापित जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान द्वारा मापित प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	एमओएस पीआई	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार www.mospi.gov.in
जनसंख्या	जनगणना 2011	भारत सरकार (2011), भारत की जनगणना 2011, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
कुल प्रजनन दर	एमओएस पीआई एनएफएचएस 2-3-4	एमओएसपीआई अनुमान (2011-12 से 2018-19) एनएफएचएस-2 भारत सरकार (2000) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 1998-99 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्रपिठित भारत सरकार एनएफएचएस-3 भारत सरकार (2007) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2005-06, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्रपिठित, भारत सरकार एनएफएचएस-4 भारत सरकार (2017), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2015-16 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्रपिठित, भारत सरकार

## सामाजिक आर्थिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सूचकांक

एसडीजी सूचकांक	एसडीजी सूचकांक	भारत सरकार (2019) एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2019-20, नीति आयोग भारत सरकार
साक्षरता दर	जनगणना 2011	भारत सरकार (2011), भारत की जनगणना (2011) महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
जीवन प्रत्याशा	एनआरएस 2013-2017	भारत सरकार (2013-2017) नमूना पंजीकरण प्रणाली, बुलेटिन, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार
शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात (प्राथमिक)	डीआईएसई 2016-2017	एनआईईपीएक (2017), भारत में प्राथमिक शिक्षा, हम कहां खड़े हैं, राज्य की रिपोर्ट कार्ड (2016-2017), राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
कम वजन वाले बच्चे (%)	एनएफएचएस-4	भारत सरकार (2017), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16)
बच्चों में बौनापन	एनएफएचएस-4	वही
बच्चों में रक्त अल्पता	एनएफएचएस-4	वही
कम वजन वाले महिला (%)	एनएफएचएस-4	वही
महिलाओं में रक्त अल्पता	एनएफएचएस-4	वही
शिशु मृत्युदर (मृत्यु प्रति 1000 जीवित बच्चे)	एसआरएस 2018	भारत सरकार 2018, नमूना पंजीकरण प्रणाली, सांख्यिकी रिपोर्ट 2019, भारत के महा पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

सूचकांक	संदर्भ का छोटा स्रोत	विस्तृत उद्धरण
पेय जल का अच्छा स्रोत: घरेलू (%)	एनएफएचएच-4	भारत सरकार (2017), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16)
प्रसाधन सुविधाओं से लैस घर (%)	एनएफएचएच-4	वही
वंचित घर (%)	एसईसीसी 2011	भारत सरकार 2011, सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
गरीबी की घटनाएं (गरीबी रेखा से नीचे घरों का प्रतिशत)	तेंदुलकर कार्य प्रणाली अनुमान	तेंदुलकर अनुमान, योजना आयोग
स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय (राजस्व+पूंजी) कुल व्यय का प्रतिशत	ससीएजी राज्य सरकार	वित्त लेखा राज्य बजट दस्तावेज
प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय (रुपये)	ससीएजी राज्य सरकार	वित्त लेखा राज्य बजट दस्तावेज

#### राजकोषीय संसूचक

सभी राजकोषीय सूचकों को राज्य वित्त लेख और बजट दस्तावेजों से संकलित किया गया है।

#### स्वास्थ्य अवसंरचना संसूचक

स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता	सीबीएचआई	भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, संस्करण, केंद्रीय स्वास्थ्य अन्वेषण ब्यूरो, महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
--	----------	---

# अनुबंध - सामान्य संकेतक (जीआई)

अनुबंध-जीआई 1: जनगणना 2011 और एफएसआई 2019 के अनुसार क्षेत्र, वनक्षेत्र, जनसंख्या, लिंग अनुपात, शहरीकरण की दर और साक्षरता दर

क्रसं	राज्य का नाम	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या (लाख में)	लिंग (महिला प्रति 1000 पुरुष)	शहरीकरण (%)	साक्षरता (%)	वनक्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	आंध्र प्रदेश	162.923	49.577	993	33.5	67.0	29137
2	अरुणाचल प्रदेश	83.743	1.384	938	22.7	65.4	66688
3	असम	78.438	31.206	958	14.1	72.2	28327
4	बिहार	94.163	104.099	918	11.3	61.8	7306
5	छत्तीसगढ़	135.192	25.545	991	23.2	70.3	55611
6	गोवा	3.702	1.459	973	62.2	88.7	2237
7	गुजरात	196.244	60.440	919	42.6	78.0	14857
8	हरियाणा	44.212	25.351	879	34.8	75.6	1602
9	हिमाचल प्रदेश	55.673	6.865	972	10.0	82.8	15434
10	जम्मू और कश्मीर	222.236	12.541	889	27.2	67.2	23612
11	झारखंड	79.716	32.988	949	24.1	66.4	23611
12	कर्नाटक	191.791	61.095	973	38.6	75.4	38575
13	केरल	38.852	33.406	1084	47.7	94.0	21144
14	मध्य प्रदेश	308.252	72.627	931	27.6	69.3	77482
15	महाराष्ट्र	307.713	112.374	929	45.2	82.3	50778
16	मणिपुर	22.327	2.856	985	30.2	79.2	16847
17	मेघालय	22.429	2.967	989	20.1	74.4	17119
18	मिजोरम	21.081	1.097	976	51.5	91.3	18006
19	नागालैंड	16.579	1.979	931	29.0	79.6	12486
20	ओडिशा	155.707	41.974	979	16.7	72.9	51619
21	पंजाब	50.362	27.743	895	37.5	75.8	1849
22	राजस्थान	342.239	68.548	928	24.9	66.1	16630
23	सिक्किम	7.096	0.611	890	25.0	81.4	3342
24	तमिलनाडु	130.060	72.147	996	48.5	80.1	26364
25	तेलंगाना	112.122	35.004	0	0.0	एनए	20582
26	त्रिपुरा	10.486	3.674	960	26.2	87.2	7726
27	उत्तर प्रदेश	240.928	199.812	912	22.3	67.7	14806
28	उत्तराखंड	53.483	10.086	963	30.6	78.8	24303
29	पश्चिम बंगाल	88.752	91.276	950	31.9	76.3	16902
	<b>सभी राज्य/भारत</b>	<b>3276.501</b>	<b>1190.732</b>	<b>943</b>	<b>31.1</b>	<b>73.0</b>	<b>704982</b>

**अनुबंध जीआई 2: एचएफएचएस 2015-16 के अनुसार स्वास्थ्य और सामाजिक संकेतक**

क्रसं	राज्य का नाम	सामान्य से कम वजन के बच्चे	बच्चों का विकास कम होना	सामान्य से कम बीएमआई वाली महिलाओं का प्रतिशत	महिलाओं में अनीमिया	अस्पतालों में प्रसव	पेयजल के उन्नत स्रोत वाले परिवारों का प्रतिशत	शौचालय सुविधा वाले परिवारों का प्रतिशत	आईएमआर (एसआरएस)
1	आंध्र प्रदेश	31.9	31.4	17.6	60.0	91.5	72.7	61.3	29.0
2	अरुणाचल प्रदेश	19.4	29.4	8.5	43.2	52.2	87.5	90.8	37.0
3	असम	29.8	36.4	25.7	46.0	70.6	83.8	88.9	41.0
4	बिहार	43.9	48.3	30.4	60.3	63.8	98.2	33.5	32.0
5	छत्तीसगढ़	37.7	37.6	26.7	47.0	70.2	91.1	41.3	41.0
6	गोवा	23.8	20.1	14.7	31.3	96.9	96.3	89.1	7.0
7	गुजरात	39.3	38.5	27.2	54.9	88.5	90.9	71.0	28.0
8	हरियाणा	29.4	34.0	15.8	62.7	80.4	91.6	89.8	30.0
9	हिमाचल प्रदेश	21.2	26.3	16.2	53.5	76.4	94.9	85.7	19.0
10	जम्मू और कश्मीर	16.6	27.4	12.1	49.4	85.6	89.2	79.3	22.0
11	झारखंड	47.8	45.3	31.5	65.2	61.9	77.7	30.0	30.0
12	कर्नाटक	35.2	36.2	20.7	44.8	94.0	89.3	65.8	23.0
13	केरल	16.1	19.7	9.7	34.3	99.8	94.3	99.2	7.0
14	मध्य प्रदेश	42.8	42.0	28.4	52.5	80.8	84.7	42.8	48.0
15	महाराष्ट्र	36.0	34.4	23.5	48.0	90.3	91.5	71.2	19.0
16	मणिपुर	13.8	28.9	8.8	26.4	69.1	41.6	98.7	11.0
17	मेघालय	28.9	43.8	12.1	56.2	51.4	67.9	92.4	33.0
18	मिजोरम	12.0	28.1	8.4	24.8	79.7	91.4	99.1	5.0
19	नागालैंड	16.7	28.6	12.3	27.9	32.8	80.6	98.3	4.0
20	ओडिशा	34.4	34.1	26.5	51.0	85.3	88.8	35.0	40.0
21	पंजाब	21.6	25.7	11.7	53.5	90.5	99.1	92.9	20.0
22	राजस्थान	36.7	39.1	27.0	46.8	84.0	85.5	54.0	37.0
23	सिक्किम	14.2	29.6	6.4	34.9	94.7	97.6	99.7	7.0
24	तमिलनाडु	23.8	27.1	14.6	55.0	98.9	90.6	61.7	15.0
25	तेलंगाना	28.4	28.0	22.9	56.6	91.5	77.9	69.0	27.0
26	त्रिपुरा	24.1	24.3	18.9	54.5	79.9	87.3	97.9	27.0
27	उत्तर प्रदेश	39.5	46.3	25.3	52.4	67.8	96.4	45.8	43.0
28	उत्तराखंड	26.6	33.5	18.4	45.2	68.6	92.9	82.9	31.0
29	पश्चिम बंगाल	31.6	32.5	21.3	62.5	75.2	94.6	74.9	22.0
	<b>सभी राज्य/भारत</b>	<b>35.8</b>	<b>38.4</b>	<b>22.9</b>	<b>53.1</b>	<b>78.9</b>	<b>89.9</b>	<b>61.1</b>	<b>32.0</b>

अनुबंध-जीआई 3: कुल जन्म दर

क्रसं	राज्य का नाम	एनएफएचएस-2	एनएफएचएस-3	एनएफएचएस-4
1	आंध्र प्रदेश	2.3	1.8	1.8
2	अरूणाचल प्रदेश	2.5	3.0	2.1
3	असम	2.3	2.4	2.2
4	बिहार	3.7	4.0	3.4
5	छत्तीसगढ़	2.8	2.6	2.2
6	गोवा	1.8	1.8	1.7
7	गुजरात	2.7	2.4	2.0
8	हरियाणा	2.9	2.7	2.1
9	हिमाचल प्रदेश	2.1	1.9	1.9
10	जम्मू और कश्मीर	2.7	2.4	2.0
11	झारखंड	2.8	3.3	2.6
12	कर्नाटक	2.1	2.1	1.8
13	केरल	2.0	1.9	1.6
14	मध्य प्रदेश	3.3	3.1	2.3
15	महाराष्ट्र	2.5	2.1	1.9
16	मणिपुर	3.0	2.8	2.6
17	मेघालय	4.6	3.8	3.0
18	मिजोरम	2.9	2.9	2.3
19	नागालैंड	3.8	3.7	2.7
20	ओडिशा	2.5	2.4	2.1
21	पंजाब	2.2	2.0	1.6
22	राजस्थान	3.8	3.2	2.4
23	सिक्किम	2.8	2.2	1.2
24	तमिलनाडु	2.2	1.8	1.7
25	तेलंगाना	एनए	एनए	1.8
26	त्रिपुरा	1.9	2.2	1.7
27	उत्तर प्रदेश	4.1	3.8	2.7
28	उत्तराखंड	2.6	2.6	2.1
29	पश्चिम बंगाल	2.3	2.3	1.8
	<b>सभी राज्य/भारत</b>	<b>2.9</b>	<b>2.7</b>	<b>2.2</b>

अनुबंध जीआई 4 छात्र शिक्षक अनुपात (प्राथमिक) और सकल नामांकन (उच्चतर माध्यमिक)

क्रसं	राज्य का नाम	छात्र शिक्षक अनुपात (प्राथमिक विद्यालय)	सकल नामांकन अनुपात (उच्च माध्यमिक)
1	आंध्र प्रदेश	22.0	60.6
2	अरूणाचल प्रदेश	12.0	51.2
3	असम	24.0	39.7
4	बिहार	44.0	28.8
5	छत्तीसगढ़	20.0	54.5
6	गोवा	19.0	78.7
7	गुजरात	22.0	43.2
8	हरियाणा	25.0	60.8
9	हिमाचल प्रदेश	12.0	92.0
10	जम्मू और कश्मीर	10.0	52.9
11	झारखंड	28.0	37.1
12	कर्नाटक	16.0	41.9
13	केरल	16.0	79.4
14	मध्य प्रदेश	22.0	47.1
15	महाराष्ट्र	24.0	70.7
16	मणिपुर	9.0	64.4
17	मेघालय	19.0	40.6
18	मिजोरम	12.0	54.6
19	नागालैंड	6.0	36.3
20	ओडिशा	18.0	40.1
21	पंजाब	20.0	72.2
22	राजस्थान	20.0	60.3
23	सिक्किम	4.0	64.2
24	तमिलनाडु	20.0	83.7
25	तेलंगाना	23.0	50.6
26	त्रिपुरा	10.0	41.9
27	उत्तर प्रदेश	33.0	59.0
28	उत्तराखंड	16.0	77.1
29	पश्चिम बंगाल	20.0	50.9
	<b>सभी राज्य/भारत</b>	<b>25.0</b>	<b>55.4</b>

अनुबंध जीआई.5: गरीबी अनुपात दर(%)

क्रसं	राज्य का नाम	2004-05	2011-12
1	आंध्र प्रदेश	29.9	9.2
2	अरूणाचल प्रदेश	31.1	34.7
3	असम	34.4	32.0
4	बिहार	54.4	33.7
5	छत्तीसगढ़	49.4	39.9
6	गोवा	25.0	5.1
7	गुजरात	31.8	16.6
8	हरियाणा	24.1	11.2
9	हिमाचल प्रदेश	22.9	8.1
10	जम्मू और कश्मीर	13.2	10.3
11	झारखंड	45.3	37.0
12	कर्नाटक	33.4	20.9
13	केरल	19.7	7.1
14	मध्य प्रदेश	48.6	31.6
15	महाराष्ट्र	38.1	17.4
16	मणिपुर	38.0	36.9
17	मेघालय	16.1	11.9
18	मिजोरम	15.3	20.4
19	नागालैंड	9.0	18.9
20	ओडिशा	57.2	32.6
21	पंजाब	20.9	8.3
22	राजस्थान	34.4	14.7
23	सिक्किम	31.1	8.2
24	तमिलनाडु	28.9	11.3
25	तेलंगाना	एनए	0.0
26	त्रिपुरा	40.6	14.0
27	उत्तर प्रदेश	40.9	29.4
28	उत्तराखंड	32.7	11.3
29	पश्चिम बंगाल	34.3	20.0
	<b>सभी राज्य/भारत</b>	<b>37.2</b>	<b>21.9</b>



**अनुबंध-सा.सं.6: राज्यवार एटीएंडसी हानियां और एसीएस-एआरआर अंतराल  
(विनियामक आय तथा उदय अनुदानों के अतिरिक्त उपलब्धि आंकड़े)**

क्रसं	राज्य का नाम	एटीएंडसी हानियां 2018-19		एसीएस-एआरआर अंतराल 2018-2019	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	8.95	25.67	-0.03	2.69
2	अरुणाचल प्रदेश	39.00	55.50	0.00	4.27
3	असम	16.10	19.87	0.19	0.02
4	बिहार	21.00	30.94	0.41	0.39
5	छत्तीसगढ़	15.00	27.33	-0.52	0.35
6	गोवा	15.00	15.69	-0.15	0.39
7	गुजरात	13.00	13.98	-0.06	-0.02
8	हरियाणा	15.00	18.08	0.12	-0.05
9	हिमाचल प्रदेश	12.75	11.39	-0.05	-0.07
10	जम्मू और कश्मीर	25.00	49.94	0.49	1.72
11	झारखंड	15.00	28.60	0.00	0.58
12	कर्नाटक	14.02	19.82	0.00	0.68
13	केरल	11.00	9.10	-0.06	0.11
14	मध्य प्रदेश	17.00	36.01	0.03	1.41
15	महाराष्ट्र	14.98	14.73	-0.39	-0.16
16	मणिपुर	15.00	29.79	-0.36	0.10
17	मेघालय	21.50	35.22	0.35	0.85
18	मिजोरम	20.30	16.20	0.00	1.18
19	नागालैंड	32.00	40.06	2.11	4.09
20	ओडिशा	एनए	29.17	एनए	0.60
21	पंजाब	14.00	11.28	-0.09	-0.05
22	राजस्थान	15.00	28.26	-0.12	1.50
23	सिक्किम	15.00	31.83	-0.09	0.02
24	तमिलनाडु	13.50	17.47	-0.07	1.88
25	तेलंगाना	10.00	19.99	0.00	1.45
26	त्रिपुरा	20.00	35.48	0.03	-0.06
27	उत्तर प्रदेश	19.36	33.15	0.22	0.60
28	उत्तराखंड	14.50	16.20	-0.03	0.38
29	पश्चिम बंगाल	एनए	23.00	एनए	0.30
<b>राष्ट्रीय औसत</b>			<b>22.03</b>		<b>0.72</b>

\*यूडीएवाई के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य भागीदार नहीं है,

एनए: उपलब्ध नहीं

स्रोत: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

अनुबंध-सा.से.7 स्वास्थ्य (प्रति व्यक्ति)

क्रसं	राज्य का नाम	एलोपैथिक चिकित्सक	आयुष डॉक्टर	नर्स	फार्मसिस्ट	उप केंद्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
1	आंध्र प्रदेश	0.5	2.2	0.1	1.0	6.6	43.1	255.9
2	अरुणाचल प्रदेश	1.4	3.5	0.7	5.0	4.4	9.7	22.0
3	असम	1.3	14.3	0.6	2.0	6.7	33.0	181.4
4	बिहार	2.6	0.8	5.6	4.3	10.5	54.8	694.0
5	छत्तीसगढ़	2.9	4.6	0.9	2.6	4.9	32.2	151.2
6	गोवा	0.4	1.1	एनए	0.4	6.8	58.4	364.8
7	गुजरात	0.9	1.2	0.4	0.9	6.6	41.0	166.5
8	हरियाणा	4.4	1.8	0.5	0.8	9.8	68.9	224.3
9	हिमाचल प्रदेश	2.2	0.6	0.2	0.7	3.3	11.9	75.4
10	जम्मू और कश्मीर	0.8	2.0	एनए	एनए	4.2	19.7	149.3
11	झारखंड	5.7	40.7	4.0	14.1	8.6	110.7	192.9
12	कर्नाटक	0.5	1.3	0.2	1.1	6.5	25.9	296.6
13	केरल	0.6	0.8	0.1	0.5	6.2	39.3	147.2
14	मध्य प्रदेश	1.9	1.1	0.5	1.3	6.5	62.0	235.0
15	महाराष्ट्र	0.6	0.7	0.6	0.5	10.6	61.6	311.3
16	मणिपुर	2.3	एनए	0.2	2.0	6.0	28.2	111.7
17	मेघालय	5.1	8.1	0.4	3.3	6.7	27.5	106.0
18	मिजोरम	14.8	एनए	0.2	0.8	3.0	19.2	121.9
19	नागालैंड	17.1	13.8	एनए	1.3	5.0	15.7	94.2
20	ओडिशा	1.9	2.9	0.3	1.3	6.3	32.6	111.3
21	पंजाब	0.6	1.7	0.3	0.6	9.4	64.2	183.7
22	राजस्थान	1.6	3.6	0.2	1.3	4.8	33.0	116.6
23	सिक्किम	0.4	एनए	1.9	2.2	4.2	25.5	305.5
24	तमिलनाडु	0.5	3.8	0.2	1.0	8.3	50.8	187.4
25	तेलंगाना	7.1	1.7	एनए	एनए	7.4	54.7	386.7
26	त्रिपुरा	2.1	8.2	0.6	0.8	3.6	34.0	167.0
27	उत्तर प्रदेश	2.6	2.3	1.5	2.4	9.7	55.2	243.1
28	उत्तराखंड	1.2	2.5	2.0	0.6	5.5	39.2	150.5
29	पश्चिम बंगाल	1.3	1.9	0.7	1.0	8.8	100.0	262.3
	<b>सभी राज्य/भारत</b>	<b>1.0</b>	<b>1.5</b>	<b>0.4</b>	<b>1.2</b>	<b>7.5</b>	<b>46.4</b>	<b>212.2</b>

2019 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल से स्वास्थ्य आंकड़े एलोपैथिक डॉक्टर वर्ष 2010 से 2018 तक राज्य चिकित्सा परिषद/मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत डॉक्टर हैं (संबंधित वर्ष के 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार)  
 नागालैंड 2015 से पंजीकरण अभिग्रहण  
 मिजोरम 2014 से पंजीकरण अभिग्रहण  
 त्रिपुरा 2013 से पंजीकरण अभिग्रहण  
 तेलंगाना 2015 से पंजीकरण अभिग्रहण  
 हरियाणा 2011 तक पंजीकरण अभिग्रहण  
 2018 तक अन्य सभी राज्यों का पंजीकरण अभिग्रहण

**अनुबंध-सा.सं.8 : प्रमुख राज्यों में जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा (वर्ष)**

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2012-16			2013-17		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
आंध्र प्रदेश	68.0	71.4	69.6	68.3	71.2	69.7
असम	64.4	66.8	65.5	65.4	67.3	66.2
बिहार	68.9	68.5	68.7	69.2	68.6	68.9
छत्तीसगढ़	63.6	66.8	65.2	63.8	66.6	65.2
दिल्ली	72.7	75.9	74.2	73.3	76.3	74.7
गुजरात	67.4	71.8	69.5	67.6	72.0	69.7
हरियाणा	67.2	72.0	69.4	67.6	72.3	69.7
हिमाचल प्रदेश	69.4	75.5	72.3	69.8	75.6	72.6
जम्मू और कश्मीर	71.6	76.2	73.5	72.1	76.7	74.1
झारखंड	67.8	68.0	67.9	68.8	68.4	68.6
कर्नाटक	67.6	70.7	69.1	67.7	70.8	69.2
केरल	72.2	77.9	75.1	72.5	77.8	75.2
मध्य प्रदेश	63.7	67.2	65.4	64.2	67.9	66.0
महाराष्ट्र	70.8	73.7	72.2	71.2	73.9	72.5
ओडिशा	66.2	69.1	67.6	67.1	69.9	68.4
पंजाब	71.0	74.2	72.5	71.0	74.0	72.4
राजस्थान	66.1	70.7	68.3	66.3	70.9	68.5
तमिलनाडु	69.5	73.4	71.4	69.9	73.7	71.7
उत्तर प्रदेश	63.9	65.6	64.8	64.3	65.6	65.0
उत्तराखंड	68.5	74.8	71.5	68.8	74.2	71.0
पश्चिम बंगाल	69.8	71.9	70.8	70.4	72.2	71.2
<b>कुल भारत</b>	<b>67.4</b>	<b>70.9</b>	<b>68.7</b>	<b>67.8</b>	<b>70.4</b>	<b>69.0</b>

\*पंचवर्षीय समीक्षा

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली, बुलेटिन, गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार

# अनुबंध वित्तीय संकेतक (एफआई)

## अनुबंध एफआई.1: जीएसडीपी (करोड़ रूपए में)

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	379402	411404	464272	524976	604229	684416	793186	862957
2	अरुणाचल प्रदेश	11063	12547	14581	17959	18509	19845	22432	24603
3	असम	143175	156864	177745	195723	227959	254382	283165	315881
4	बिहार	247144	282368	317101	342951	371602	421052	468746	530363
5	छत्तीसगढ़	158074	177511	206833	221118	225163	250882	274042	304063
6	गोवा	42367	38120	35921	47814	55054	62976	69352	73170
7	गुजरात	615606	724495	807623	921773	1029010	1167156	1329095	1502899
8	हरियाणा	297539	347032	399268	437145	495504	561610	649592	734163
9	हिमाचल प्रदेश	72720	82820	94764	103772	114239	125634	138351	153845
10	जम्मू और कश्मीर	78256	87138	95619	98367	117168	124848	139240	155956
11	झारखंड	150918	174724	188567	218525	206613	236250	269816	297204
12	कर्नाटक	606010	695413	816666	913923	1045168	1209136	1357579	1544399
13	केरल	364048	412313	465041	512564	561994	634886	701577	781653
14	मध्य प्रदेश	315562	380925	439483	479939	541068	649823	724729	809592
15	महाराष्ट्र	1280369	1459629	1649647	1779138	1966225	2198324	2382570	2632792
16	मणिपुर	12915	13743	16182	18129	19531	21294	25789	27869
17	मेघालय	19918	21872	22938	23235	25117	27439	29508	33481
18	मिजोरम	7259	8362	10293	13509	15139	17192	18740	19520
19	नागालैंड	12177	14121	16612	18401	19524	21722	24492	27283
20	ओडिशा	230987	261700	296475	314250	328550	392708	440517	492229
21	पंजाब	266628	297734	332147	355102	390087	426988	470834	526376
22	राजस्थान	434837	493551	551031	615642	681482	760750	835170	942586
23	सिक्किम	11165	12338	13862	15407	18034	20687	25971	28723
24	तमिलनाडु	751486	854825	968530	1072678	1176500	1302639	1465051	1630208
25	तेलंगाना	359434	401593	451580	505848	577902	658325	753127	861031
26	त्रिपुरा	19208	21663	25593	29533	35938	39479	43716	49845
27	उत्तर प्रदेश	724050	822393	940356	1011790	1137808	1290289	1460443	1668229
28	उत्तराखंड	115328	131613	149074	161439	177163	195125	222836	245895
29	पश्चिम बंगाल	520485	591464	676848	718082	797300	872527	974700	1089898
	<b>सभी राज्य</b>	<b>8248127</b>	<b>9390276</b>	<b>10644655</b>	<b>11688732</b>	<b>12979577</b>	<b>14648384</b>	<b>16394367</b>	<b>18366714</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>7744945</b>	<b>8827195</b>	<b>10007392</b>	<b>10993257</b>	<b>12191256</b>	<b>13780737</b>	<b>15420126</b>	<b>17283813</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>503182</b>	<b>563081</b>	<b>637264</b>	<b>695474</b>	<b>788321</b>	<b>867648</b>	<b>974240</b>	<b>1082901</b>

अनुबंध-एफआई.2 : जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर का प्रतिशत

क्रसं	राज्य का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	8.4	12.9	13.1	15.1	13.3	15.9	8.8
2	अरूणाचल प्रदेश	13.4	16.2	23.2	3.1	7.2	13.0	9.7
3	असम	9.6	13.3	10.1	16.5	11.6	11.3	11.6
4	बिहार	14.3	12.3	8.2	8.4	13.3	11.3	13.1
5	छत्तीसगढ़	12.3	16.5	6.9	1.8	11.4	9.2	11.0
6	गोवा	-10.0	-5.8	33.1	15.1	14.4	10.1	5.5
7	गुजरात	17.7	11.5	14.1	11.6	13.4	13.9	13.1
8	हरियाणा	16.6	15.1	9.5	13.4	13.3	15.7	13.0
9	हिमाचल प्रदेश	13.9	14.4	9.5	10.1	10.0	10.1	11.2
10	जम्मू और कश्मीर	11.4	9.7	2.9	19.1	6.6	11.5	12.0
11	झारखंड	15.8	7.9	15.9	-5.5	14.3	14.2	10.2
12	कर्नाटक	14.8	17.4	11.9	14.4	15.7	12.3	13.8
13	केरल	13.3	12.8	10.2	9.6	13.0	10.5	11.4
14	मध्य प्रदेश	20.7	15.4	9.2	12.7	20.1	11.5	11.7
15	महाराष्ट्र	14.0	13.0	7.8	10.5	11.8	8.4	10.5
16	मणिपुर	6.4	17.7	12.0	7.7	9.0	21.1	8.1
17	मेघालय	9.8	4.9	1.3	8.1	9.2	7.5	13.5
18	मिजोरम	15.2	23.1	31.2	12.1	13.6	9.0	4.2
19	नागालैंड	16.0	17.6	10.8	6.1	11.3	12.7	11.4
20	ओडिशा	13.3	13.3	6.0	4.6	19.5	12.2	11.7
21	पंजाब	11.7	11.6	6.9	9.9	9.5	10.3	11.8
22	राजस्थान	13.5	11.6	11.7	10.7	11.6	9.8	12.9
23	सिक्किम	10.5	12.3	11.1	17.1	14.7	25.5	10.6
24	तमिलनाडु	13.8	13.3	10.8	9.7	10.7	12.5	11.3
25	तेलंगाना	11.7	12.4	12.0	14.2	13.9	14.4	14.3
26	त्रिपुरा	12.8	18.1	15.4	21.7	9.9	10.7	14.0
27	उत्तर प्रदेश	13.6	14.3	7.6	12.5	13.4	13.2	14.2
28	उत्तराखंड	14.1	13.3	8.3	9.7	10.1	14.2	10.3
29	पश्चिम बंगाल	13.6	14.4	6.1	11.0	9.4	11.7	11.8
	<b>सभी राज्य</b>	<b>13.8</b>	<b>13.4</b>	<b>9.8</b>	<b>11.0</b>	<b>12.9</b>	<b>11.9</b>	<b>12.0</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>14.0</b>	<b>13.4</b>	<b>9.9</b>	<b>10.9</b>	<b>13.0</b>	<b>11.9</b>	<b>12.1</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>11.9</b>	<b>13.2</b>	<b>9.1</b>	<b>13.4</b>	<b>10.1</b>	<b>12.3</b>	<b>11.2</b>

अनुबंध-एफआई.3 प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (रूपये)

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	76997	83001	93121	104679	119777	134879	155402	168083
2	अरुणाचल प्रदेश	79019	87861	100076	120776	122092	128283	142068	152718
3	असम	45538	49254	55098	59894	68868	75869	83871	92533
4	बिहार	23525	26459	29251	31142	33218	37052	40065	44652
5	छत्तीसगढ़	61305	67750	77687	81735	81907	89816	96548	105424
6	गोवा	289192	258441	241893	319827	365806	415411	454172	476370
7	गुजरात	101075	117398	129158	145484	160284	179427	199492	222487
8	हरियाणा	116408	133875	151871	163958	183249	204795	233574	260286
9	हिमाचल प्रदेश	105376	118960	134934	146488	159842	174249	191278	211325
10	जम्मू और कश्मीर	61852	67838	73322	74301	87172	91491	100505	110890
11	झारखंड	45318	51620	54813	62496	58139	65405	73628	79936
12	कर्नाटक	98567	111891	129986	143902	162796	186308	206929	232874
13	केरल	108666	122471	137515	150824	164554	184979	203396	225484
14	मध्य प्रदेश	43023	51073	57965	62285	69110	81768	89901	99025
15	महाराष्ट्र	113192	127606	142634	152158	166351	184125	197666	216376
16	मणिपुर	44649	46491	53565	58721	61906	66050	78284	82792
17	मेघालय	66304	71268	73168	72563	76788	82127	86459	96016
18	मिजोरम	65347	73708	88843	115366	127004	141614	159491	164586
19	नागालैंड	61159	70185	81670	89541	94001	104586	117919	129981
20	ओडिशा	54855	61809	69644	73421	76350	90833	101467	112907
21	पंजाब	95379	105129	115765	122165	132467	143124	155781	171907
22	राजस्थान	62907	70385	77464	85315	93094	102444	110864	123343
23	सिक्किम	181842	198686	221083	243392	281780	319740	397107	435204
24	तमिलनाडु	103743	1117204	131893	145094	158072	174054	194834	215784
25	तेलंगाना	100733	111430	124057	137586	155626	175530	198814	225047
26	त्रिपुरा	51999	58016	67814	77434	93248	101385	111151	125461
27	उत्तर प्रदेश	35917	40180	45250	47953	53113	59322	66132	74402
28	उत्तराखंड	113456	127755	142778	152560	165202	179524	202284	220257
29	पश्चिम बंगाल	56693	63786	72272	75916	83456	90426	100014	110728
	<b>सभी राज्य</b>	<b>68771</b>	<b>77330</b>	<b>86585</b>	<b>93914</b>	<b>103008</b>	<b>114855</b>	<b>126832</b>	<b>140422</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>68936</b>	<b>77609</b>	<b>86914</b>	<b>94315</b>	<b>103322</b>	<b>115399</b>	<b>127374</b>	<b>141099</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>66326</b>	<b>73212</b>	<b>81730</b>	<b>87999</b>	<b>98395</b>	<b>106856</b>	<b>118824</b>	<b>130427</b>

अनुबंध-एफआई 4:जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वामित्व कर राजस्व

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	7.2	7.4	7.0	7.0	6.6	6.5	6.2	6.7
2	अरुणाचल प्रदेश	2.9	2.5	3.0	2.6	2.9	3.6	3.6	4.3
3	असम	5.3	5.3	5.1	4.8	4.4	4.7	4.7	5.0
4	बिहार	5.1	5.8	6.3	6.1	6.8	5.6	4.9	5.5
5	छत्तीसगढ़	6.8	7.3	6.9	7.1	7.6	7.6	7.3	7.0
6	गोवा	6.0	7.7	10.0	8.1	7.2	6.8	6.8	6.7
7	गुजरात	7.2	7.4	7.0	6.7	6.1	5.5	5.4	5.3
8	हरियाणा	6.9	6.8	6.4	6.3	6.2	6.1	6.3	5.8
9	हिमाचल प्रदेश	5.6	5.6	5.4	5.7	5.9	5.6	5.1	4.9
10	जम्मू और कश्मीर	6.1	6.7	6.6	6.4	6.3	6.3	6.8	6.3
11	झारखंड	4.6	4.7	5.0	4.7	5.6	5.6	4.6	5.0
12	कर्नाटक	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2	6.9	6.4	6.3
13	केरल	7.1	7.3	6.9	6.9	6.9	6.6	6.6	6.5
14	मध्य प्रदेश	8.5	8.0	7.6	7.6	7.4	6.8	6.2	6.3
15	महाराष्ट्र	6.8	7.1	6.6	6.5	6.4	6.2	7.0	7.1
16	मणिपुर	2.9	2.4	2.9	2.9	2.8	2.8	3.1	3.8
17	मेघालय	3.5	3.9	4.1	4.0	4.2	4.3	4.9	5.4
18	मिजोरम	2.5	2.7	2.2	2.0	2.4	2.6	2.9	3.7
19	नागालैंड	2.5	2.4	2.0	2.1	2.2	2.4	2.6	3.1
20	ओडिशा	5.8	5.7	5.7	6.3	6.9	5.8	6.3	6.2
21	पंजाब	7.1	7.6	7.2	7.2	6.8	6.5	6.5	6.0
22	राजस्थान	5.8	6.2	6.1	6.3	6.3	5.8	6.1	6.1
23	सिक्किम	2.6	3.5	3.8	3.4	3.1	3.2	2.7	3.1
24	तमिलनाडु	7.9	8.3	7.6	7.3	6.8	6.6	6.4	6.5
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	6.9	7.4	7.5	7.5
26	त्रिपुरा	4.5	4.6	4.2	4.0	3.7	3.6	3.3	3.5
27	उत्तर प्रदेश	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	6.7	6.7	7.2
28	उत्तराखंड	4.9	4.9	4.9	5.2	5.3	5.6	4.6	5.0
29	पश्चिम बंगाल	4.8	5.5	5.3	5.5	5.3	5.2	5.4	5.6
	<b>सभी राज्य</b>	<b>6.8</b>	<b>7.0</b>	<b>6.7</b>	<b>6.7</b>	<b>6.5</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>6.9</b>	<b>7.1</b>	<b>6.8</b>	<b>6.8</b>	<b>6.6</b>	<b>6.3</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>5.0</b>	<b>5.1</b>	<b>5.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4.9</b>	<b>5.0</b>	<b>4.8</b>	<b>5.0</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई5: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में गैर-कर राजस्व

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	1.6	2.0	1.7	1.7	0.8	0.8	0.5	0.5
2	अरुणाचल प्रदेश	3.3	2.3	2.8	2.5	2.1	2.7	1.6	2.5
3	असम	2.0	1.6	1.5	1.2	1.2	1.7	1.4	2.6
4	बिहार	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8
5	छत्तीसगढ़	2.6	2.6	2.5	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5
6	गोवा	5.5	4.8	4.6	4.9	4.4	4.3	4.4	3.9
7	गुजरात	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9
8	हरियाणा	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.4	1.1
9	हिमाचल प्रदेश	2.6	1.7	1.9	2.0	1.6	1.4	1.7	1.8
10	जम्मू और कश्मीर	2.6	2.5	3.0	2.0	3.3	3.3	3.1	2.8
11	झारखंड	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.3	2.9	2.8
12	कर्नाटक	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
13	केरल	0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5
14	मध्य प्रदेश	2.4	1.8	1.8	2.2	1.6	1.4	1.3	1.6
15	महाराष्ट्र	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6
16	मणिपुर	2.4	1.7	1.6	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6
17	मेघालय	1.8	2.2	2.6	1.5	0.9	2.5	1.2	1.3
18	मिजोरम	2.3	2.5	1.9	1.8	2.0	2.1	2.1	2.3
19	नागालैंड	1.9	1.5	1.3	1.5	1.3	1.6	1.6	0.9
20	ओडिशा	2.8	3.1	2.8	2.6	2.7	2.0	1.9	2.9
21	पंजाब	0.5	0.9	1.0	0.8	0.7	1.4	0.9	1.4
22	राजस्थान	2.1	2.5	2.5	2.1	1.6	1.5	1.9	2.0
23	सिक्किम	9.4	6.5	5.7	4.5	2.3	2.2	2.5	2.3
24	तमिलनाडु	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	2.5	1.5	1.0	1.2
26	त्रिपुरा	1.1	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	1.1	0.7
27	उत्तर प्रदेश	1.4	1.6	1.7	2.0	2.0	2.2	1.4	1.8
28	उत्तराखंड	1.0	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	1.3
29	पश्चिम बंगाल	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	<b>सभी राज्य</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>2.1</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>2.0</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।



**अनुबंध-एफआई6: कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय अंतरण**

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	30.5	26.9	28.1	37.0	49.4	50.1	49.3	45.6
2	अरुणाचल प्रदेश	87.7	89.6	85.6	89.9	91.2	89.4	91.4	89.6
3	असम	61.7	65.1	63.7	68.9	69.7	66.6	68.1	62.0
4	बिहार	73.7	70.8	68.8	71.6	71.3	75.2	77.3	74.6
5	छत्तीसगढ़	42.9	40.3	39.3	45.7	51.6	54.2	56.0	55.2
6	गोवा	15.8	18.4	18.7	19.1	25.1	27.1	29.8	32.3
7	गुजरात	21.3	20.4	20.7	22.9	25.3	29.2	29.7	31.2
8	हरियाणा	17.8	16.1	19.7	21.0	25.0	23.4	19.9	23.3
9	हिमाचल प्रदेश	58.6	61.5	56.0	55.0	63.6	66.7	65.4	66.4
10	जम्मू और कश्मीर	72.8	69.5	66.3	71.3	68.6	71.7	71.3	72.3
11	झारखंड	55.4	52.5	49.8	53.5	57.4	60.4	61.7	59.0
12	कर्नाटक	27.6	26.2	25.6	28.1	31.9	33.4	36.3	37.2
13	केरल	25.5	22.3	23.6	26.6	31.3	31.4	30.5	32.8
14	मध्य प्रदेश	45.0	46.6	45.5	47.0	53.8	56.8	60.1	57.3
15	महाराष्ट्र	21.0	20.6	19.9	22.8	24.3	27.0	24.2	27.1
16	मणिपुर	88.0	91.7	89.9	91.2	91.5	91.8	90.7	88.5
17	मेघालय	77.1	75.9	75.3	80.0	81.7	79.1	80.4	77.1
18	मिजोरम	90.9	90.4	91.1	90.8	90.2	89.1	89.1	87.0
19	नागालैंड	90.4	91.2	91.5	91.4	91.5	90.9	90.7	90.4
20	ओडिशा	50.6	47.4	48.4	51.1	54.7	58.4	57.4	55.2
21	पंजाब	22.9	21.3	22.3	27.1	29.3	30.0	34.5	37.1
22	राजस्थान	39.4	36.3	36.8	43.2	46.5	48.6	47.9	44.9
23	सिक्किम	63.6	67.2	69.5	72.5	74.1	76.0	74.2	73.8
24	तमिलनाडु	23.5	21.3	23.1	28.9	30.7	31.6	28.6	31.1
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	28.6	29.7	27.6	26.4
26	त्रिपुरा	83.4	83.2	82.7	85.2	83.1	83.0	81.0	82.2
27	उत्तर प्रदेश	52.0	51.3	50.6	51.3	54.1	55.3	58.0	54.5
28	उत्तराखंड	50.7	49.1	49.9	53.3	50.1	50.8	56.0	50.4
29	पश्चिम बंगाल	55.3	49.2	48.1	52.6	59.6	58.9	57.5	55.9
	<b>सभी राज्य</b>	<b>40.2</b>	<b>38.4</b>	<b>38.3</b>	<b>42.0</b>	<b>45.4</b>	<b>47.1</b>	<b>47.2</b>	<b>46.4</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>36.8</b>	<b>34.8</b>	<b>35.0</b>	<b>38.8</b>	<b>42.6</b>	<b>44.4</b>	<b>44.4</b>	<b>43.8</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>69.1</b>	<b>69.8</b>	<b>68.0</b>	<b>71.5</b>	<b>71.7</b>	<b>71.7</b>	<b>72.6</b>	<b>70.1</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफ आई 7: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल राजस्व प्राप्तियां

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	12.7	12.8	12.1	13.7	14.7	14.5	13.2	13.3
2	अरुणाचल प्रदेश	49.7	45.9	39.9	50.9	57.0	59.4	61.4	65.8
3	असम	19.2	19.6	18.1	19.5	18.6	19.3	19.1	20.1
4	बिहार	20.8	21.1	21.7	22.9	25.9	25.1	25.1	24.8
5	छत्तीसगढ़	16.4	16.7	15.5	17.2	20.5	21.4	21.8	21.4
6	गोवा	13.6	15.3	18.0	16.1	15.5	15.2	15.9	15.6
7	गुजरात	10.2	10.4	9.9	10.0	9.5	9.4	9.3	9.0
8	हरियाणा	10.3	9.7	9.5	9.3	9.6	9.3	9.7	9.0
9	हिमाचल प्रदेश	20.0	18.8	16.6	17.2	20.5	20.9	19.8	20.1
10	जम्मू और कश्मीर	31.7	30.1	28.4	29.4	30.5	33.6	34.8	32.8
11	झारखंड	14.9	14.2	13.9	14.4	19.7	19.9	19.6	18.9
12	कर्नाटक	11.5	11.2	11.0	11.4	11.4	11.0	10.8	10.7
13	केरल	10.4	10.7	10.6	11.3	12.3	11.9	11.8	11.9
14	मध्य प्रदेश	19.8	18.5	17.2	18.5	19.5	19.0	18.6	18.6
15	महाराष्ट्र	9.5	9.8	9.1	9.3	9.4	9.3	10.2	10.6
16	मणिपुर	43.8	49.6	45.0	44.1	42.4	42.9	40.2	37.9
17	मेघालय	23.4	25.3	27.3	27.7	28.0	32.6	31.4	29.0
18	मिजोरम	52.7	54.3	46.3	40.8	44.1	43.0	45.8	46.3
19	नागालैंड	45.9	43.9	39.1	41.6	41.2	43.5	45.0	41.9
20	ओडिशा	17.4	16.8	16.5	18.1	21.0	18.9	19.3	20.2
21	पंजाब	9.8	10.8	10.6	11.0	10.6	11.2	11.3	11.8
22	राजस्थान	13.1	13.6	13.5	14.8	14.7	14.3	15.2	14.6
23	सिक्किम	32.9	30.7	31.2	29.0	21.0	22.3	20.1	20.6
24	तमिलनाडु	11.3	11.6	11.2	11.4	11.0	10.8	10.0	10.7
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	13.2	12.6	11.8	11.8
26	त्रिपुरा	33.7	32.5	29.9	31.3	26.2	24.4	23.0	24.1
27	उत्तर प्रदेश	18.1	17.7	17.9	19.1	20.0	19.9	19.1	19.8
28	उत्तराखंड	11.9	12.0	11.6	12.5	12.0	12.8	12.2	12.7
29	पश्चिम बंगाल	11.3	11.5	10.8	12.0	13.8	13.5	13.5	13.4
	<b>सभी राज्य</b>	13.3	13.3	12.9	13.6	14.1	14.0	13.9	14.0
	<b>सामान्य राज्य</b>	12.7	12.7	12.3	13.1	13.6	13.4	13.3	13.4
	<b>एनई एंड एचएस</b>	23.0	22.7	21.2	22.4	22.4	23.4	23.1	23.3

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

**अनुबंध-एफआई8: राजस्व व्यय: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सामान्य सेवाएं**

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	4.0	4.0	4.0	4.1	4.7	4.8	4.9	4.7
2	अरुणाचल प्रदेश	10.5	10.4	11.2	10.6	12.7	12.8	14.4	14.4
3	असम	6.6	6.6	6.0	6.4	5.5	6.6	7.7	6.6
4	बिहार	7.1	6.5	6.8	7.6	7.4	7.2	7.0	7.2
5	छत्तीसगढ़	3.6	3.6	3.7	4.0	4.5	4.5	4.6	4.9
6	गोवा	3.7	4.7	5.6	4.8	4.5	4.4	4.9	5.0
7	गुजरात	3.5	3.3	3.3	3.2	3.2	3.0	3.1	3.1
8	हरियाणा	3.4	3.4	3.4	3.8	3.7	3.8	4.1	3.8
9	हिमाचल प्रदेश	7.5	7.8	7.2	7.1	7.5	7.5	7.7	7.3
10	जम्मू और कश्मीर	12.0	11.7	11.4	11.9	11.3	11.7	11.8	14.2
11	झारखंड	5.1	4.9	5.2	4.8	5.8	5.5	6.1	5.9
12	कर्नाटक	2.6	2.8	3.0	3.0	2.9	2.5	2.5	2.7
13	केरल	5.5	5.5	5.7	6.1	6.4	6.5	6.5	6.5
14	मध्य प्रदेश	5.0	4.6	4.6	4.6	4.7	4.2	4.4	4.6
15	महाराष्ट्र	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2
16	मणिपुर	16.2	16.3	14.9	15.0	14.9	15.9	14.0	14.2
17	मेघालय	6.8	6.6	7.4	8.0	8.4	8.4	9.0	9.9
18	मिजोरम	16.4	16.4	15.9	12.5	12.4	11.9	11.7	13.5
19	नागालैंड	18.4	17.5	15.9	16.5	17.9	17.3	17.0	17.8
20	ओडिशा	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.0	4.4	4.7
21	पंजाब	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.6	7.2	6.9
22	राजस्थान	4.3	4.1	4.2	4.5	4.5	5.1	5.2	5.8
23	सिक्किम	13.8	11.0	10.3	10.2	6.8	6.7	5.8	6.7
24	तमिलनाडु	3.8	3.7	3.7	3.9	3.8	3.9	4.1	4.4
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	4.0	3.8	4.1	4.0
26	त्रिपुरा	10.2	9.9	8.9	8.9	8.2	8.4	9.6	9.8
27	उत्तर प्रदेश	7.2	7.2	6.5	6.3	6.3	6.8	7.1	7.8
28	उत्तराखंड	3.7	3.9	3.9	4.4	4.5	4.9	5.4	5.3
29	पश्चिम बंगाल	6.1	5.9	6.0	5.9	5.7	5.7	5.3	5.2
	<b>सभी राज्य</b>	<b>4.7</b>	<b>4.6</b>	<b>4.5</b>	<b>4.6</b>	<b>4.6</b>	<b>4.7</b>	<b>4.8</b>	<b>4.9</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>4.5</b>	<b>4.4</b>	<b>4.3</b>	<b>4.4</b>	<b>4.4</b>	<b>4.4</b>	<b>4.6</b>	<b>4.7</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>8.0</b>	<b>7.9</b>	<b>7.5</b>	<b>7.8</b>	<b>7.5</b>	<b>8.0</b>	<b>8.5</b>	<b>8.5</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई9: राजस्व व्यय: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाएं

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	5.2	5.2	4.9	6.0	7.7	7.4	7.5	7.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13.7	13.0	13.2	14.0	14.8	16.5	18.8	19.3
3	असम	8.2	8.2	8.5	9.4	7.8	9.0	7.6	8.1
4	बिहार	7.7	8.3	8.4	9.4	9.8	9.8	9.9	11.1
5	छत्तीसगढ़	6.8	6.6	7.0	7.1	7.4	8.6	9.0	7.9
6	गोवा	4.8	6.0	7.6	6.1	5.9	5.5	6.2	5.9
7	गुजरात	4.0	4.1	4.0	4.0	4.1	3.9	3.7	3.6
8	हरियाणा	4.3	4.3	3.9	4.4	4.4	4.6	4.3	4.1
9	हिमाचल प्रदेश	7.4	7.6	7.4	7.4	7.2	7.9	7.7	7.6
10	जम्मू और कश्मीर	8.5	8.4	8.7	9.0	10.0	9.7	9.8	12.0
11	झारखंड	4.9	4.8	4.4	5.5	7.2	7.9	7.3	6.4
12	कर्नाटक	4.2	4.5	4.1	4.4	4.5	4.6	4.4	4.5
13	केरल	4.5	4.6	4.5	4.7	4.9	5.3	5.1	4.9
14	मध्य प्रदेश	6.5	6.5	6.4	6.8	8.0	7.4	8.1	7.3
15	महाराष्ट्र	4.3	4.3	4.4	4.4	4.2	4.2	4.0	4.2
16	मणिपुर	11.4	11.4	10.1	11.4	10.3	9.8	10.2	9.7
17	मेघालय	9.4	8.6	9.2	10.9	10.2	11.9	11.3	12.9
18	मिजोरम	19.1	20.3	18.2	16.5	14.9	13.7	14.2	15.3
19	नागालैंड	10.1	10.9	10.8	10.6	11.4	11.2	11.1	12.2
20	ओडिशा	6.5	6.0	6.6	6.9	7.8	7.3	6.9	7.6
21	पंजाब	3.6	3.9	3.5	4.0	3.9	3.8	3.4	3.5
22	राजस्थान	5.1	5.1	5.7	6.1	6.4	6.5	6.4	7.0
23	सिक्किम	9.4	7.9	9.5	8.5	7.0	6.6	6.0	7.3
24	तमिलनाडु	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.3	4.1	4.3
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	5.3	5.4	5.0	4.6
26	त्रिपुरा	10.4	9.6	9.7	11.0	9.5	9.8	10.2	10.5
27	उत्तर प्रदेश	6.7	6.6	6.5	6.1	7.3	7.2	5.9	5.5
28	उत्तराखंड	5.4	4.9	5.1	5.9	5.8	5.6	5.1	5.2
29	पश्चिम बंगाल	6.2	5.9	5.7	5.7	6.0	6.6	6.2	6.4
	<b>सभी राज्य</b>	<b>5.3</b>	<b>5.3</b>	<b>5.3</b>	<b>5.5</b>	<b>5.8</b>	<b>5.8</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>5.1</b>	<b>5.1</b>	<b>5.1</b>	<b>5.3</b>	<b>5.6</b>	<b>5.6</b>	<b>5.3</b>	<b>5.4</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>8.1</b>	<b>7.9</b>	<b>8.0</b>	<b>8.7</b>	<b>8.2</b>	<b>8.6</b>	<b>8.1</b>	<b>8.7</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

**अनुबंध-एफआई 10: राजस्व व्यय: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में आर्थिक सेवाएं**

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	3.0	3.4	3.1	6.0	3.4	4.8	2.9	2.7
2	अरुणाचल प्रदेश	15.8	14.8	15.0	15.2	17.8	18.0	15.4	16.8
3	असम	3.3	3.3	3.3	3.6	2.7	3.5	4.2	3.2
4	बिहार	4.1	4.5	4.4	4.2	5.3	5.6	5.0	5.3
5	छत्तीसगढ़	3.5	4.5	4.7	6.4	7.1	5.7	6.4	8.1
6	गोवा	4.5	5.2	5.8	4.7	4.9	4.2	4.1	4.2
7	गुजरात	2.2	2.2	1.9	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1
8	हरियाणा	3.0	3.3	3.2	3.0	3.8	3.7	2.8	2.6
9	हिमाचल प्रदेश	4.2	4.1	3.8	4.6	4.8	4.8	4.1	4.2
10	जम्मू और कश्मीर	8.5	8.7	8.1	8.9	9.7	10.5	7.8	9.8
11	झारखंड	3.9	3.7	2.8	4.2	4.7	5.7	5.5	4.8
12	कर्नाटक	3.2	3.1	3.3	3.3	3.2	3.3	3.2	3.1
13	केरल	1.7	1.9	1.7	2.0	2.0	1.7	1.6	1.6
14	मध्य प्रदेश	4.1	4.4	3.9	4.9	4.7	5.7	4.5	4.7
15	महाराष्ट्र	1.9	1.9	1.7	2.1	1.9	2.0	2.3	2.0
16	मणिपुर	9.7	9.6	8.3	11.1	10.8	11.0	9.7	9.1
17	मेघालय	8.1	7.7	7.6	8.0	6.8	10.0	8.3	7.8
18	मिजोरम	15.4	17.2	13.7	12.9	9.5	10.7	10.9	9.6
19	नागालैंड	11.5	11.3	7.9	9.6	9.6	11.3	13.5	10.1
20	ओडिशा	3.8	3.9	4.2	4.7	5.5	5.0	4.7	4.8
21	पंजाब	2.3	3.1	2.9	2.6	2.5	2.4	2.4	3.4
22	राजस्थान	2.9	3.5	3.7	4.7	4.7	5.1	5.9	5.0
23	सिक्किम	5.5	5.3	4.9	5.3	6.2	4.7	4.0	3.9
24	तमिलनाडु	1.9	2.1	2.0	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	3.8	3.2	2.3	2.7
26	त्रिपुरा	3.9	4.1	4.1	4.7	3.7	3.7	3.4	3.1
27	उत्तर प्रदेश	2.5	2.6	2.7	3.4	4.2	3.6	4.4	4.0
28	उत्तराखंड	1.8	1.5	1.4	2.4	2.2	2.0	1.9	2.0
29	पश्चिम बंगाल	1.7	2.0	1.8	2.8	3.1	3.0	2.9	2.8
	<b>सभी राज्य</b>	<b>2.7</b>	<b>2.9</b>	<b>2.8</b>	<b>3.5</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>2.6</b>	<b>2.8</b>	<b>2.7</b>	<b>3.4</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>	<b>3.2</b>	<b>3.1</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>5.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4.5</b>	<b>5.3</b>	<b>5.1</b>	<b>5.5</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई 11: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	2.5	2.3	2.1	2.2	2.5	2.3	2.1	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	18.8	9.6	11.6	8.3	10.8	7.8	14.2	23.4
3	असम	1.8	2.0	2.3	2.3	1.3	2.4	2.8	3.6
4	बिहार	4.4	4.1	4.7	5.4	6.6	6.5	6.2	4.2
5	छत्तीसगढ़	3.4	3.8	2.8	3.0	3.6	3.9	3.8	3.0
6	गोवा	2.8	2.5	2.8	2.6	3.0	2.6	3.1	3.0
7	गुजरात	2.3	3.1	2.9	2.7	2.4	2.0	2.0	2.0
8	हरियाणा	2.0	1.8	1.2	1.0	4.1	2.0	2.3	2.2
9	हिमाचल प्रदेश	3.2	2.9	2.5	2.8	2.9	5.4	3.1	3.3
10	जम्मू और कश्मीर	7.6	6.1	4.8	5.3	6.3	6.7	7.5	5.4
11	झारखंड	2.2	2.8	2.6	2.9	7.6	5.2	5.1	4.1
12	कर्नाटक	2.9	2.4	2.2	2.2	2.0	2.5	2.6	2.5
13	केरल	1.3	1.4	1.2	1.0	1.5	1.8	1.5	1.2
14	मध्य प्रदेश	7.9	4.4	3.6	5.1	3.7	5.0	4.5	3.8
15	महाराष्ट्र	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4
16	मणिपुर	13.1	10.9	8.0	7.4	6.3	7.0	5.6	6.2
17	मेघालय	4.6	4.4	4.9	5.1	5.1	4.8	3.4	4.5
18	मिजोरम	8.7	7.6	6.1	6.9	4.7	5.5	10.9	9.8
19	नागालैंड	10.3	8.9	7.3	5.6	5.4	5.0	5.2	5.9
20	ओडिशा	2.2	2.2	2.8	3.6	5.3	4.8	5.2	5.0
21	पंजाब	0.7	0.7	0.7	1.0	2.3	10.7	0.7	0.7
22	राजस्थान	1.9	2.7	2.6	2.7	8.6	3.9	2.6	2.2
23	सिक्किम	6.0	6.9	6.7	6.5	3.7	3.6	5.9	4.7
24	तमिलनाडु	2.9	2.3	2.0	2.1	1.8	3.6	1.8	1.9
25	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.6	4.0	3.6
26	त्रिपुरा	7.3	6.9	6.5	9.6	8.9	8.4	4.1	3.0
27	उत्तर प्रदेश	3.1	3.0	3.7	5.5	6.5	5.9	2.8	4.1
28	उत्तराखंड	2.2	2.9	2.7	3.2	2.4	2.6	2.7	2.6
29	पश्चिम बंगाल	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	1.4	2.0	2.3
	<b>सभी राज्य</b>	<b>2.5</b>	<b>2.4</b>	<b>2.3</b>	<b>2.6</b>	<b>3.3</b>	<b>3.5</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>2.4</b>	<b>2.3</b>	<b>2.2</b>	<b>2.5</b>	<b>3.2</b>	<b>3.4</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>4.4</b>	<b>4.0</b>	<b>3.7</b>	<b>4.0</b>	<b>3.6</b>	<b>4.2</b>	<b>4.2</b>	<b>4.3</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

**अनुबंध-एफआई 12: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय (राजस्व और पूंजी)**

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	14.8	15.0	14.1	18.2	18.4	19.3	17.3	17.4
2	अरुणाचल प्रदेश	58.7	47.8	51.0	48.1	56.0	55.2	62.8	73.9
3	असम	20.3	20.5	20.3	22.3	17.5	21.8	22.4	21.6
4	बिहार	23.2	23.4	24.4	26.6	29.1	29.0	28.1	27.8
5	छत्तीसगढ़	17.7	19.0	18.7	20.9	23.0	23.1	24.3	24.2
6	गोवा	15.8	18.4	21.8	18.1	18.2	16.7	18.3	18.1
7	गुजरात	12.0	12.7	12.2	12.1	11.7	10.9	10.9	10.8
8	हरियाणा	12.8	12.8	11.7	12.3	16.0	14.2	13.6	12.7
9	हिमाचल प्रदेश	22.3	22.5	20.8	21.9	22.4	25.6	22.6	22.4
10	जम्मू और कश्मीर	36.6	34.9	33.1	35.1	37.4	38.6	36.8	41.4
11	झारखंड	16.1	16.2	15.1	17.5	25.3	24.2	24.0	21.1
12	कर्नाटक	13.6	13.4	13.1	13.5	13.2	13.4	13.1	13.2
13	केरल	14.0	14.4	14.2	15.0	15.5	16.1	15.7	15.4
14	मध्य प्रदेश	24.6	21.0	19.5	22.2	22.1	23.4	22.5	21.3
15	महाराष्ट्र	11.1	10.8	10.7	11.1	10.9	11.1	11.3	11.5
16	मणिपुर	51.9	49.6	43.3	47.4	44.1	45.5	41.5	41.2
17	मेघालय	28.8	27.2	29.1	32.0	30.3	35.2	32.0	35.1
18	मिजोरम	59.7	61.5	53.9	48.7	41.5	41.7	47.6	48.2
19	नागालैंड	50.3	48.6	41.9	42.3	44.3	44.8	46.8	45.9
20	ओडिशा	17.2	16.8	18.2	19.9	23.2	21.3	21.5	22.3
21	पंजाब	13.1	14.0	13.2	14.1	15.2	23.7	13.9	15.0
22	राजस्थान	14.2	15.5	16.3	18.1	24.2	20.6	20.1	19.9
23	सिक्किम	34.9	31.3	31.6	30.8	23.9	21.9	21.9	22.9
24	तमिलनाडु	14.1	13.6	13.3	14.1	13.8	15.3	13.3	14.0
25	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	18.0	15.4	14.9
26	त्रिपुरा	32.4	31.0	29.7	34.8	30.8	30.8	27.8	26.8
27	उत्तर प्रदेश	20.2	20.1	20.5	22.4	25.2	24.3	21.0	22.2
28	उत्तराखंड	13.5	13.5	13.6	16.3	15.5	15.6	15.7	15.7
29	पश्चिम बंगाल	14.7	14.8	14.7	15.9	16.6	16.8	16.5	16.6
	<b>सभी राज्य</b>	<b>15.6</b>	<b>15.5</b>	<b>15.3</b>	<b>16.6</b>	<b>17.4</b>	<b>17.7</b>	<b>16.6</b>	<b>16.7</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>14.9</b>	<b>14.9</b>	<b>14.7</b>	<b>16.0</b>	<b>17.0</b>	<b>17.2</b>	<b>16.0</b>	<b>16.1</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>25.6</b>	<b>24.9</b>	<b>24.0</b>	<b>26.1</b>	<b>24.6</b>	<b>26.5</b>	<b>26.0</b>	<b>26.7</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई 13: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज, पेंशन और वेतन)

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	6.0	6.0	5.9	6.2	7.4	7.5	7.3	7.1
2	अरुणाचल प्रदेश	21.7	21.6	22.4	20.5	22.0	23.2	26.0	23.5
3	असम	11.8	12.2	12.4	12.9	11.9	11.3	13.2	12.1
4	बिहार	9.8	9.3	9.1	9.3	9.1	8.7	8.8	8.7
5	छत्तीसगढ़	6.9	6.0	6.1	6.5	7.2	6.9	7.2	8.6
6	गोवा	5.7	7.1	8.4	7.2	6.8	6.5	7.5	7.4
7	गुजरात	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.3	3.3
8	हरियाणा	5.7	5.7	5.3	5.8	5.7	5.8	5.9	5.6
9	हिमाचल प्रदेश	14.3	14.7	13.4	13.5	13.1	13.4	13.7	13.0
10	जम्मू और कश्मीर	19.9	19.2	18.9	19.2	19.1	19.1	18.8	23.6
11	झारखंड	7.2	6.7	6.9	6.3	7.5	7.3	8.1	7.7
12	कर्नाटक	2.9	3.1	3.1	3.1	3.0	2.7	2.7	2.8
13	केरल	8.5	8.1	8.1	8.3	8.5	8.7	9.5	8.6
14	मध्य प्रदेश	7.2	6.7	6.7	6.8	6.5	5.8	5.9	6.2
15	महाराष्ट्र	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2	3.3	3.2
16	मणिपुर	25.4	26.5	23.4	22.7	22.4	22.6	21.0	20.7
17	मेघालय	11.4	10.5	11.4	12.5	12.7	12.4	13.4	14.8
18	मिजोरम	27.9	28.5	26.4	21.5	21.1	19.9	19.1	20.9
19	नागालैंड	27.0	26.4	24.9	25.7	27.2	25.2	24.9	26.6
20	ओडिशा	7.0	6.8	6.6	6.9	7.2	6.6	7.1	7.3
21	पंजाब	9.1	9.0	8.6	9.1	8.9	8.9	9.5	8.9
22	राजस्थान	6.7	6.6	6.7	7.0	7.1	7.8	8.5	9.7
23	सिक्किम	11.1	11.3	11.3	11.7	11.2	10.6	9.0	10.8
24	तमिलनाडु	6.1	5.8	6.0	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5
25	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.6	5.6	5.1
26	त्रिपुरा	17.4	16.3	15.4	15.7	15.0	15.0	17.1	17.0
27	उत्तर प्रदेश	7.5	7.7	7.1	7.3	7.0	7.2	7.7	7.6
28	उत्तराखंड	7.1	7.0	7.1	7.5	7.6	8.0	8.8	8.7
29	पश्चिम बंगाल	7.1	6.8	6.5	6.3	6.0	6.0	5.8	5.5
	<b>सभी राज्य</b>	<b>6.4</b>	<b>6.2</b>	<b>6.1</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>6.1</b>	<b>6.3</b>	<b>6.3</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>5.9</b>	<b>5.7</b>	<b>5.6</b>	<b>5.7</b>	<b>5.7</b>	<b>5.7</b>	<b>5.9</b>	<b>5.8</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>13.7</b>	<b>13.7</b>	<b>13.4</b>	<b>13.6</b>	<b>13.4</b>	<b>13.2</b>	<b>14.0</b>	<b>14.4</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।



**अनुबंध-एफआई 14: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (+)/अधिशेष (-)**

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	-0.4	-0.1	0.0	2.3	1.2	2.5	2.0	1.6
2	अरुणाचल प्रदेश	-9.8	-7.8	-0.6	-11.0	-11.8	-12.0	-12.8	-15.3
3	असम	-0.6	-1.0	-0.1	0.5	-2.4	0.1	0.5	-2.1
4	बिहार	-2.0	-1.8	-2.0	-1.7	-3.4	-2.6	-3.2	-1.3
5	छत्तीसगढ़	-2.0	-1.5	0.4	0.7	-1.1	-2.2	-1.2	-0.2
6	गोवा	-0.7	0.6	1.0	-0.6	-0.2	-1.1	-0.7	-0.5
7	गुजरात	-0.5	-0.8	-0.6	-0.6	-0.2	-0.5	-0.4	-0.2
8	हरियाणा	0.5	1.3	1.0	1.9	2.4	2.8	1.6	1.5
9	हिमाचल प्रदेश	-0.9	0.7	1.7	1.9	-1.0	-0.7	-0.2	-1.0
10	जम्मू और कश्मीर	-2.7	-1.3	-0.1	0.4	0.5	-1.7	-5.5	3.1
11	झारखंड	-0.9	-0.8	-1.4	0.1	-2.0	-0.8	-0.7	-1.9
12	कर्नाटक	-0.8	-0.3	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.3	0.0
13	केरल	2.2	2.3	2.4	2.7	1.7	2.4	2.4	2.2
14	मध्य प्रदेश	-3.1	-2.0	-1.3	-1.3	-1.1	-0.6	-0.6	-1.1
15	महाराष्ट्र	0.2	-0.3	0.3	0.7	0.3	0.4	-0.1	-0.5
16	मणिपुर	-5.0	-10.9	-9.7	-4.0	-4.6	-4.4	-4.2	-2.9
17	मेघालय	0.9	-2.5	-3.1	-0.8	-2.8	-2.2	-2.9	1.6
18	मिजोरम	-1.8	-0.3	1.5	1.0	-7.3	-6.8	-9.1	-7.9
19	नागालैंड	-5.8	-4.3	-4.5	-4.8	-2.4	-3.6	-3.4	-1.9
20	ओडिशा	-2.4	-2.2	-1.1	-1.9	-3.1	-2.4	-3.0	-2.9
21	पंजाब	2.6	2.5	2.0	2.1	2.2	1.7	2.0	2.5
22	राजस्थान	-0.8	-0.7	0.2	0.5	0.9	2.4	2.2	3.1
23	सिक्किम	-4.0	-6.3	-6.3	-4.7	-0.8	-4.0	-4.1	-2.4
24	तमिलनाडु	-0.2	-0.2	0.2	0.6	1.0	1.0	1.5	1.4
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	0.0	-0.2	-0.5	-0.5
26	त्रिपुरा	-8.7	-8.5	-6.6	-6.1	-4.3	-2.0	0.7	-0.3
27	उत्तर प्रदेश	-1.0	-0.6	-1.1	-2.2	-1.3	-1.6	-0.9	-1.7
28	उत्तराखंड	-0.6	-1.4	-0.7	0.6	1.0	0.2	0.9	0.4
29	पश्चिम बंगाल	2.8	2.3	2.8	2.4	1.1	1.8	1.0	1.0
	<b>सभी राज्य</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.3</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>-0.2</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>-1.8</b>	<b>-1.8</b>	<b>-0.8</b>	<b>-0.3</b>	<b>-1.4</b>	<b>-1.2</b>	<b>-1.3</b>	<b>-0.8</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई 15: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (+)/अधिशेष (-)

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	2.1	2.2	2.0	4.0	3.7	4.5	4.1	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	9.0	1.8	11.0	-2.9	-1.0	-4.2	1.4	8.0
3	असम	1.1	1.0	2.1	2.8	-1.3	2.4	3.3	1.5
4	बिहार	2.4	2.3	2.6	3.3	3.2	3.9	3.1	2.6
5	छत्तीसगढ़	0.5	1.5	2.4	3.6	2.4	1.6	2.5	2.7
6	गोवा	2.1	3.0	3.8	2.0	2.7	1.5	2.3	2.5
7	गुजरात	1.8	2.3	2.3	2.0	2.2	1.4	1.6	1.8
8	हरियाणा	2.4	3.0	2.1	2.9	6.4	4.7	2.9	3.0
9	हिमाचल प्रदेश	2.2	3.6	4.2	4.0	1.9	4.6	2.8	2.3
10	जम्मू और कश्मीर	4.7	4.8	4.8	5.7	6.9	4.9	2.0	8.6
11	झारखंड	1.3	1.9	1.2	3.0	5.6	4.3	4.4	2.2
12	कर्नाटक	2.0	2.1	2.1	2.1	1.8	2.4	2.3	2.5
13	केरल	3.5	3.6	3.6	3.6	3.2	4.2	3.8	3.4
14	मध्य प्रदेश	1.8	2.5	2.2	2.4	2.6	4.3	3.1	2.7
15	महाराष्ट्र	1.6	0.9	1.6	1.8	1.4	1.8	1.0	0.9
16	मणिपुर	8.1	0.0	-1.7	3.3	1.7	2.6	1.3	3.3
17	मेघालय	5.3	1.8	1.7	4.2	2.2	2.5	0.5	6.1
18	मिजोरम	6.6	6.9	7.3	7.7	-2.7	-1.5	1.7	1.8
19	नागालैंड	4.4	4.6	2.8	0.7	3.1	1.3	1.8	4.0
20	ओडिशा	-0.3	0.0	1.6	1.7	2.1	2.4	2.1	2.1
21	पंजाब	3.2	3.1	2.6	3.1	4.5	12.4	2.7	3.1
22	राजस्थान	0.8	1.7	2.8	3.1	9.3	6.1	3.0	3.7
23	सिक्किम	1.6	0.5	0.4	1.8	2.9	-0.4	1.8	2.2
24	तमिलनाडु	2.3	1.9	2.1	2.5	2.8	4.3	2.7	2.9
25	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.4	3.5	3.1
26	त्रिपुरा	-1.3	-1.6	-0.2	3.6	4.6	6.4	4.7	2.7
27	उत्तर प्रदेश	2.1	2.3	2.5	3.2	5.1	4.3	1.9	2.1
28	उत्तराखंड	1.5	1.2	1.8	3.6	3.5	2.8	3.6	3.0
29	पश्चिम बंगाल	3.4	3.2	3.7	3.8	2.6	2.9	3.0	3.1
	<b>सभी राज्य</b>	<b>2.0</b>	<b>2.1</b>	<b>2.3</b>	<b>2.8</b>	<b>3.2</b>	<b>3.6</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>2.0</b>	<b>2.1</b>	<b>2.3</b>	<b>2.8</b>	<b>3.3</b>	<b>3.7</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>2.5</b>	<b>2.1</b>	<b>2.8</b>	<b>3.5</b>	<b>2.1</b>	<b>3.1</b>	<b>2.9</b>	<b>3.4</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई 16: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	20.4	20.8	20.7	22.2	28.0	28.5	26.6	29.8
2	अरुणाचल प्रदेश	36.5	35.4	33.8	34.1	31.8	28.3	32.1	34.9
3	असम	22.0	19.5	17.9	18.1	17.1	17.3	17.4	18.8
4	बिहार	27.4	27.1	27.4	28.9	31.4	32.9	33.4	31.9
5	छत्तीसगढ़	10.8	10.9	12.0	14.0	16.8	17.6	19.3	22.0
6	गोवा	22.6	29.5	35.3	29.0	28.3	26.7	26.8	27.9
7	गुजरात	24.5	23.0	22.7	21.9	21.5	20.8	19.3	19.0
8	हरियाणा	18.3	18.7	19.1	20.2	24.4	26.1	25.3	25.1
9	हिमाचल प्रदेश	38.8	36.8	35.8	36.8	36.1	37.6	36.9	35.3
10	जम्मू और कश्मीर	46.3	46.2	46.7	49.1	47.2	49.8	49.0	50.7
11	झारखंड	20.3	20.0	19.9	19.9	27.4	28.3	28.6	28.2
12	कर्नाटक	17.0	16.8	16.6	17.3	16.8	17.5	17.2	17.5
13	केरल	25.6	26.3	26.7	27.7	28.6	29.9	30.6	30.9
14	मध्य प्रदेश	25.9	23.6	22.0	22.6	23.5	23.7	23.8	23.9
15	महाराष्ट्र	19.2	18.4	17.8	18.0	17.9	18.0	18.1	16.6
16	मणिपुर	49.4	49.5	43.6	40.6	41.6	41.4	37.1	37.5
17	मेघालय	25.6	22.7	27.3	29.1	28.5	32.7	32.1	31.7
18	मिजोरम	62.7	61.2	54.5	48.5	42.3	39.1	39.0	37.5
19	नागालैंड	55.5	52.8	50.3	43.2	45.7	44.0	42.5	42.7
20	ओडिशा	18.4	16.6	15.1	16.1	18.2	18.2	22.1	22.0
21	पंजाब	31.2	31.0	30.8	31.6	33.0	42.7	41.4	40.3
22	राजस्थान	24.5	23.9	23.6	24.0	30.7	33.5	33.7	33.0
23	सिक्किम	22.9	22.4	22.1	22.6	22.0	22.6	21.0	22.1
24	तमिलनाडु	16.9	17.2	17.2	17.9	19.0	21.8	22.3	22.6
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	17.0	20.5	22.0	22.9
26	त्रिपुरा	35.7	35.4	34.0	31.6	27.5	28.5	29.5	29.7
27	उत्तर प्रदेश	33.6	31.6	30.0	30.4	32.3	32.8	32.0	31.1
28	उत्तराखंड	20.5	19.4	19.3	20.7	22.1	22.8	23.3	23.6
29	पश्चिम बंगाल	39.9	38.8	37.2	38.7	38.4	38.7	37.0	36.1
	<b>सभी राज्य</b>	<b>23.9</b>	<b>23.2</b>	<b>22.7</b>	<b>23.3</b>	<b>24.4</b>	<b>25.6</b>	<b>25.4</b>	<b>25.3</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>23.4</b>	<b>22.8</b>	<b>22.4</b>	<b>23.0</b>	<b>24.2</b>	<b>25.3</b>	<b>25.2</b>	<b>25.0</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>31.0</b>	<b>29.5</b>	<b>28.7</b>	<b>29.2</b>	<b>28.5</b>	<b>29.2</b>	<b>29.0</b>	<b>29.6</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई 17: स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय (राजस्व+पूँजी): 2018-19

क्रसं	राज्य का नाम	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय	प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य व्यय (रु)
1	आंध्र प्रदेश	4.9	1441
2	अरुणाचल प्रदेश	6.1	6937
3	असम	6.8	1360
4	बिहार	5.0	616
5	छत्तीसगढ़	5.1	1303
6	गोवा	7.2	6207
7	गुजरात	6.1	1478
8	हरियाणा	4.3	1422
9	हिमाचल प्रदेश	6.5	3074
10	जम्मू और कश्मीर	6.9	3145
11	झारखंड	5.4	913
12	कर्नाटक	4.7	1429
13	केरल	5.9	2048
14	मध्य प्रदेश	4.5	947
15	महाराष्ट्र	4.3	1069
16	मणिपुर	5.3	1813
17	मेघालय	9.1	3055
18	मिजोरम	6.2	4907
19	नागालैंड	5.0	2968
20	ओडिशा	5.2	1308
21	पंजाब	4.1	1059
22	राजस्थान	6.3	1552
23	सिक्किम	6.2	6165
24	तमिलनाडु	5.5	1653
25	तेलंगाना	4.2	1405
26	त्रिपुरा	7.0	2340
27	उत्तर प्रदेश	4.9	807
28	उत्तराखंड	5.4	1878
29	पश्चिम बंगाल	5.3	983
	<b>सभी राज्य</b>	<b>5.2</b>	<b>1218</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>5.0</b>	<b>1148</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>6.5</b>	<b>2256</b>

**अनुबंध-एफआई 18: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों का सांकेतिक ऋण पथ**

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	35.0	34.1	34.0	33.4	32.7	32.1
अरुणाचल प्रदेश	40.0	38.4	38.0	36.9	35.8	34.8
असम	27.1	27.7	29.1	29.7	30.2	30.4
बिहार	41.2	40.2	40.8	40.4	39.9	39.3
छत्तीसगढ़	28.1	28.8	30.2	30.8	31.3	31.6
गोवा	33.3	32.5	32.5	31.9	31.2	30.6
गुजरात	30.6	30.0	30.9	30.6	30.3	29.8
हरियाणा	31.9	31.2	31.4	30.9	30.4	29.9
हिमाचल प्रदेश	39.8	38.3	37.8	36.8	35.7	34.7
झारखंड	37.2	36.7	37.5	37.4	37.1	36.8
कर्नाटक	26.1	26.1	27.1	27.2	27.2	27.1
केरल	35.9	34.7	34.5	33.7	32.8	32.0
मध्य प्रदेश	31.3	31.7	32.9	33.3	33.6	33.7
महाराष्ट्र	25.7	26.0	27.5	28.1	28.5	28.5
मणिपुर	42.8	41.5	41.8	41.2	40.4	39.6
मेघालय	40.5	39.9	40.3	39.8	39.1	38.4
मिजोरम	37.0	35.8	35.6	34.8	34.0	33.2
नागालैंड	45.2	43.0	42.1	40.6	39.1	37.7
ओडिशा	29.4	30.0	31.3	31.8	32.2	32.5
पंजाब	46.3	45.2	45.4	44.9	44.2	43.4
राजस्थान	41.1	39.9	40.2	39.6	38.9	38.2
सिक्किम	27.4	27.5	28.1	28.1	28.0	27.9
तमिलनाडु	28.9	28.7	29.3	29.1	28.9	28.7
तेलंगाना	29.5	29.3	29.7	29.5	29.3	29.0
त्रिपुरा	36.3	34.9	35.1	34.5	33.7	32.8
उत्तर प्रदेश	40.9	40.0	40.5	40.2	39.7	39.1
उत्तराखंड	33.2	33.1	33.9	34.0	33.9	33.7
पश्चिम बंगाल	42.9	42.1	42.6	42.2	41.7	41.2
<b>सभी राज्य</b>	<b>33.1</b>	<b>32.6</b>	<b>33.3</b>	<b>33.1</b>	<b>32.8</b>	<b>32.5</b>



पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट